लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 23 अप्रैल, 1984/3 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 15, पंक्ति नीचे से 5, "से" के स्थान पर "में" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 23, "8314" के स्थान पर "8354" पढ़िये।

पृष्ठ 55, पंक्ति 13, "गिरडिह" के स्थान पर "गिरिडीह" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 17, "(3)" के स्थान पर "(8)" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 9, "संहितवद्ध" के स्थान पर "संहितावद्ध" पढ़िये।

पृष्ठ 127, पंक्ति 11, "भमहीन" के स्थान पर "भूमिहीन" पढ़िये।

पृष्ठ 133, पंक्ति 23, में "सूचना" से पहले "(क)" से (ङ) " अंत:स्थापित

पृष्ठ 136, पंक्ति 23, "चन्दशेखर" के स्थान पर "चन्द्रशेखर" पढ़िये।

पृष्ठ 160, पंक्ति अंतिम से पहले - "सूचना" से पहले "(क)" से (ङ) अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 192, पंक्ति 21, "उपाध्यक्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।

पृष्ठ 198, पंक्ति 10, "अन्यिम" के स्थान पर "अन्तिम" पढ़िये।

पृष्ठ 296, पंक्ति 15, "खंड । विधेयक में जोड़ दी गई" के स्थान पर "खंड विधेयक में जोड़ दिया गया" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौवहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 41, सोमवार, 23 अप्रैल, 1984/3 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
कनाडा के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 761 से 763, 765 और 766	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—176
तारांकित प्रश्न संख्या : 760, 764, 767 से 774 और 776से 779	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8344 से 8464 और 8466 से 8486	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	184—186
लोक लेखा समिति	186
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 189वां, 190वां, 192वां और 194वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	187
80वां और 81वां प्रतिवेदन और उनके कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 69वां प्रतिवेदन	
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	187—194
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के बारे में वक्तव्य	194
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	
पंजाब वाणिज्यक फसलें उपकर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	194

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 23 अप्रैल 1984/3 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

कनाडा के संसदीय शिष्ट मण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, श्री लुई देस्मेराइस, संसद सदस्य एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कनाडा शाखा के अध्यक्ष, श्रीमती देस्मेराइस तथा कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है । शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार है :—

1. माननीय जेम्स फ्लैमिंग, संसद सदस्य
2. माननीय जॉन करोसबी, संसद सदस्य
3. माननीय जेक इप्प, संसद सदस्य
4. सीनेटर पाल लूसियर
5. सीनेटर विलियम डूडी
6. श्री कीथ पेनर, संसद सदस्य
7. श्री बिल ब्लायकी, संसद सदस्य

शिष्टमंडल आज प्रातः यहाँ पहुंचा और करीब एक सप्ताह भारत में रहेगा । वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं । हम भारत में उनके सुखद और उद्देश्यपूर्ण प्रवास की कामना करते हैं । हम उनके माध्यम से अपनी शुभकामनाएँ कनाडा की संसद, सरकार और लोगों को भेजते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विदेशी सहायता

761. **श्री नवीन रावणी :**

श्री मोहन लाल पटेल † :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादों, विशेषकर तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए विदेशों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अगले पांच वर्षों में देश की मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों, तिलहनों तथा अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में विदेशों से कोई सहायता मांगी जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गई अलग-अलग योजनाओं के लिए विदेशी तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती है। यह सहायता सामान्यतया विशेषज्ञों, परामर्शदाता, प्रशिक्षण, अध्ययन संबंधी दौरों, उपकरणों और आदानों के रूप में होती है।

तिलहनों के क्षेत्र में यह सहायता अमरीका और कनाडा से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही तिलहन विकास परियोजना के लिए जिंसों के रूप में प्राप्त की गई है।

(ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं :—अधिक उपज देने वाली किस्मों के बढ़िया बीजों के उपयोग के रूप में उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाना, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, समय पर ऋण और महत्वपूर्ण आदानों की सप्लाई, बेहतर फार्म प्रबंध और विपणन सहायता, कृषि विस्तार और अनुसंधान सहायता।

(घ) महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

बारानी खेती और कपास विकास के लिए	विश्व बैंक
तिलहन	अमरीका की सहकारी लीग और कनाडा सहकारी संघ

बागवानी विकास	आस्ट्रेलिया और जर्मन संघीय गणराज्य
कृषि विस्तार	विश्व बैंक और डेनमार्क
वानिकी/कृषि विकास	जर्मन संघयी गणराज्य
कृषि उत्पादन, वानिकी और मात्स्यकी	स्वीडन

श्री मोहनलाल पटेल : मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि प्रत्येक देश से कितनी राशि प्राप्त हुई है और किस एजेन्सी द्वारा यह उपयोग में लाई जा रही है और क्या यह किसी विशेष परियोजना अथवा कार्यक्रम के लिए दी गई है और उसका ब्यौरा क्या है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बहुत सी परियोजनाएं हैं। कुछ तो चालू हैं और कुछेक बहुत शीघ्र शुरू कर दी जाएंगी। 21 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 4 पर शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 परियोजनाएं हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं पढ़ कर माननीय सदस्य को सुना दूं अथवा इसे सभा-पटल पर रख दूं।

श्री मोहनलाल पटेल : मैं विभिन्न देशों से प्राप्त धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आस्ट्रेलिया से 1.5 लाख डालर, विश्व बैंक से 38.36 करोड़, विश्व बैंक से 63 करोड़, विश्व बैंक से 360 लाख डालर, विश्व बैंक से 130 लाख डालर, विश्व बैंक से पुन: 130 लाख डालर'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा था कि मैं सभा पटल पर रख दूंगा किन्तु माननीय सदस्य जानना चाहते थे।

श्री सतीश अग्रवाल : वह कुल राशि जानना चाहते थे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : फिर मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री मोहनलाल पटेल : मैं जानना चाहता हूं किस एजेन्सी द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य ही एजेन्सी है। केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जो इसका उपयोग कर सके।

श्री मोहनलाल पटेल : राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह भी सरकारी एजेन्सी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय यह ऐसे उत्तर नहीं दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है मेरे द्वारा कहिए ।

श्री मोहनलाल पटेल : मैं जानना चाहूंगा कि कृषि उत्पादों, विशेषकर अनाज और तिलहन एवं अन्य वस्तुओं में हम खपत से कितना कम उत्पादन करते हैं और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में आयात का प्रस्ताव है और कब तक हम उन वस्तुओं में आत्म निर्भर बन जाएंगे जिनकी कमी है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, चूंकि प्रश्न तिलहनों से सम्बन्धित है, मैं स्वयं को तिलहनों तक ही सीमित रखूंगा । 1983-84 में तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 1.25 लाख टन था और यह पूरा हुआ था । 1984-85 में लक्ष्य 1.30 लाख टन रखा गया है और इसे भी पूरा किया जाएगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय प्रश्न का (ग) भाग सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों से सम्बन्धित है । अब आप विदेशी तकनीकी सहायता लेने को तैयार हैं । क्या यह सही है कि यद्यपि भूमि का 22 प्रतिशत भाग सिंचाई के अन्तर्गत है, तथापि यदि हम शत प्रतिशत सिंचित क्षेत्रों का उपयोग कर सके तो खाद्य उत्पादन दुगना या तिगुना हो जाएगा । अब क्या सरकार खाद्य उत्पादन को 300 से 500 मिलियन टन बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता की बजाय यह कदम उठाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : राव साहब आप इन्हें अपने कक्ष में बुलाइये और बातचीत कीजिए ।

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं इन्हें बुलाऊंगा और समझाऊंगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की बजाय किसी और रूप में चर्चा की जा सकती है ।

श्री चंद्रजीत यादव : महोदय आपके सुझाव के गम्भीर परिणाम हैं । आपके सदन में आने से पहले कृषि मंत्री यह सुझाव दे रहे थे कि हमें अध्यक्ष के कक्ष में मिलना चाहिए । अब यह बैठक उनके कक्ष में होगी ।

श्री के० मालन्ना : महोदय, विवरण में कहा गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उठाने के लिए विचार किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि ये उपाय देश की कदम अगली पाँच वर्षों की मांगों को किस हद तक पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में जो उपाय बताए गए हैं उनसे हम विदेशों द्वारा किए गए अनुसंधान और उनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं । यह सहायता सामान्यतया विशेषज्ञता के रूप में अर्थात् उन लोगों के रूप में होती है जिन्हें हम यहां पर विदेशों की सहायता से रोजगार देते हैं । राज्य सरकारों द्वारा तैयार और स्वीकृत की गयी परियोजनाओं के आधार पर यह समूची सहायता देश में आती है खर्चे का एक अंश उन्हें भी वहन करना पड़ता है । केन्द्र को विश्व बैंक से आर्थिक कार्य विभाग द्वारा वह सब उधार के रूप में मिलता है और तत्पश्चात यह राज्य सरकारों को दिया जाता है । राज्य सरकार ही इन परियोजनाओं को केन्द्र के कृषि मंत्रालय के मार्गदर्शन में कार्यान्वित करती है ।

माननीय सदस्य श्री चक्रवर्ती यह जानना चाहते थे कि क्या हम अपने प्रयासों से भी वांछित उत्पादन प्राप्त कर पाये हैं अथवा नहीं। हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं। यह केवल हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होते हैं। हमने यह दिखा दिया है कि गत वर्षों में देश में उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। इस वर्ष कृषि उत्पाबन के लिए जो लक्ष्य हमने रखे थे उससे कहीं कुछ ज्यादा हम आगे बढ़ गये हैं, विशेषकर अनाजों के मामले में। हमने इस वर्ष के लक्ष्य से अधिक 7.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। 142 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य की बजाय कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.73 मिलियस टन होगा। इसी प्रकार तिलहन के उत्पादन में भी सुधार हुआ है।

मैं यह नहीं समझता हूं कि हमें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हुई है। हमने देश के अपने वैज्ञानिकों के प्रयासों से अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की हैं। उदाहरण के लिए हमने अल्प काल में तैयार होने वाली अरहर और ग्रीष्म मूंग में विकास किया है। अधिक उपज देने वाली तिलहनों की किस्मों का भी विकास किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के एक बड़े भाग के कृषि योग्य क्षेत्र को काफी समय तक शुष्क खेती पर निर्भर रहना पड़ेगा चाहे हमारी कुल सिंचाई क्षमता 113 मिलियन हेक्टेयर की हो। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री इस बात से सहमत होंगे किन्तु यह लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त तक भी हम पूरा नहीं कर पायेंगे, क्योंकि हमारे उत्तम प्रयासों के बावजूद भी हम सिंचाई क्षमता को 70 या 72 मिलियन हेक्टेयर से अधिक नहीं बढ़ा पायेंगे। इसके बाद भी बहुत से शुष्क क्षेत्रों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ेगा। अतः हमारे प्रयास यही रहते हैं कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त फसलें उत्पादित की जाएँ और फसलों की उपज बढ़ायी जाये। शुष्क खेती को प्रधानमंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है। भारत की विभिन्न योजनाओं से, विदेशी सहायता, और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों से हम आशा करते हैं कि इस संबंध में अधिक सुधार होगा।

आयातित खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए की गई व्यवस्था

*762. **श्री मनोहर लाल सैनी†** :

श्री भीम सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए कहां-कहां व्यवस्था की गई है ताकि उस खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जा सके और उसे खराब होने के बचाया जा सके ; और

(ख) देश में इन आयातित खाद्यान्नों की बिक्री और रख-रखाव के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश भर के सभी चार जोनों में आयातित खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए व्यवस्था की गई है।

(ख) आयातित खाद्यान्नों की देशी खाद्यान्नों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर

फ्लोर मिलों के लिए देश की राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को मासिक आवंटन के प्रति निर्मुक्ति की जाती है।

स्टाक का परिरक्षण करने के लिए तथा उसकी किस्म को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधक और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। किसी प्रकार की क्षति/बर्बादी का पता लगाने के लिए योग्य प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ द्वारा निरीक्षण करने की एक नियमित प्रणाली है।

श्री मनोहर लाल सैनी : जब से यह सरकार आई है, लगातार खाद्यान्न इम्पोर्ट कर रही है। एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिल रही है, सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही है। सरकारी एजेन्सियाँ खरीद के लिए मार्केट में नहीं आई हैं, दूसरी तरफ हर साल फूड ग्रेन्ज इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। यह सवाल इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्ज के बारे में है, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्ज के रख-रखाव पर सरकार का कितना खर्चा आता है, किस भाव पर सरकार इसको खरीदती है तथा फार्मर्स से किस भाव पर खरीदती है ? इसके लाने और रखने पर कितना खर्चा आता है—इन सब बातों को साफ-साफ बतलायें।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आयातित खाद्यान्न को कहाँ-कहाँ रखा जाता है—इस बारे में है। लेकिन माननीय सदस्य ने समूचे विषय को ही खोल दिया है, जिस पर मैं एक भाषण दे सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : यह भाषण की बात नहीं है, मार्केट में सपोर्ट प्राइस पर खरीदा नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष जी, लोगों का अनाज सड़ रहा है और ये भाषण की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। ऐसे नहीं चलेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा कार्य सीमित रूप में विभिन्न राज्यों को राशन देने का है और वह मैं कर रहा हूं लेकिन जब अवसर भाषण देने का आ जाता है, तो वह देना पड़ता है वरना मैं राशन वाली बात बोल देता। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले सबसे कठिन वर्ष में जबकि इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा, तब भी सम्पूर्ण राज्यों को राशन मिलता रहा और इस वर्ष जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा है, हमारी उपज हमारी अपेक्षाओं से अधिक हो रही है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी। जिन वर्षों में खाद्यान्न का आयात किया गया था 1980 और 1981 में, उसके पहले 1976 के जून तक बराबर खाद्यान्न का आयात हुआ था और उसके बाद बन्द कर दिया गया था लेकिन देश में उसके बाद सबसे बड़ा ड्राऊट हुआ, सबसे बड़ा सूखा पड़ा सन् 1979-80 में माननीय अटल जी के राज्य में और उस समय के राज्य में और उस समय जो खाद्यान्न का उत्पादन इतना कम हो गया था, तो लाचारी में हमको खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और हम अपने स्टाक को रिप्लिनिश नहीं कर पाये। इसलिए यह किया गया था।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही और बार-बार यह बात कही जाती है कि हम किसानों

को उचित मूल्य नहीं देते हैं, तो यह बात गलत है । पिछले 3 वर्षों में चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, दोनों की प्रोक्योरमेंट प्राइस में काफी वृद्धि की गई है और उसी का यह परिणाम है कि हमारे यहाँ प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है ।

श्री मनोहर लाल सैनी : जो मैंने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया । मैंने पूछा था कि आयातित जो खाद्यान्न है, वह किस कीमत पर आप मँगवा रहे हैं और उसके रख-रखाव पर भी खर्चा आता होगा और किस पर उसको बेच रहे हैं । बिक्री का भी उसमें सवाल है । इसलिए भाषण से काम नहीं चलेगा, आप जवाब दीजिए ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं तो जवाब दे रहा हूं, भाषण तो वे कर रहे हैं । किस कीमत पर हम राज्यों को गेहूं दे रहे हैं, मुझे यह मालूम नहीं था कि इसके बारे में आपको पता नहीं है । मैं आपको बता देता हूं । हमारी जो एकोनामिक कास्ट देश में इनडीजिनस गेहूं की आती है, वह 218.84 रुपये है, जिसको आज हम 172 रुपये में दे रहे हैं और रोलर फ्लोर मिलों को 208 रु० में दे रहे हैं । यह सबको मालूम है और आप भी जानते होंगे ।

दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा, 1983-84 में जो लैंडेड कास्ट इम्पोर्टेड गेहूं की है, वह 206 रुपये 85 पैसे है ।

श्री मनोहर लाल सैनी : आपके जवाब से यह साफ जाहिर है कि इम्पोर्टेड गेहूं की कीमत 206 रुपया है और इस तरह से आप उसकी कीमत ज्यादा दे रहे हैं । कृषि मंत्री जी ने अभी कुछ मिनट पहले बताया था कि रिकार्ड प्रोडक्शन होने जा रहा है लेकिन किसानों को सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रही है । मैं खास तौर पर हरियाणा की मंडियों के बारे में कह सकता हूं, जहाँ अभी कल कृषि मंत्री जी हो कर आए हैं और वहाँ पर किसानों ने उनको बताया था कि आपकी सरकारी एजेंसियाँ खरीद के लिए नहीं आई हैं और उनको 130 और 140 रु० तक अपना अनाज मण्डियों में बेचना पड़ रहा है । ऐसा एक मण्डी में नहीं बल्कि सैकड़ों मण्डियों में हो रहा है और सपोर्ट प्राइस से कम पर किसानों को अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है ।

दूसरी तरफ आपने बताया है कि 206 रुपये पर आप इम्पोर्टेड व्हीट मँगा रहे हैं और उसके रख-रखाव पर भी खर्चा आता है । तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप जो किसानों से खरीदा हुआ गेहूं है और जो आपके भण्डारों में पड़ा है, उस पर उनको बोनस देंगे । इम्पोर्टेड व्हीट की प्राइस में और आपकी सपोर्ट प्राइस में जो डिफ्रेन्स है, किसानों को वितरण के समय आप कोई बोनस देने की बात सोच रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न साफ होना चाहिए कि हम बाहर के किसानों को हिन्दुस्तान के किसानों से अधिक दाम नहीं देते हैं । मैंने अभी कहा था कि हमारे देश में बाहर के गेहूं की लेण्डिड कास्ट 206.85 रुपये पड़ती है । इस कास्ट के अन्तर्गत बाहर के किसान को जो कीमत मिलती है वह, जहाँ से हम गेहूं खरीदते हैं, वहाँ के फार्म से लेकर वहाँ के बन्दरगाह तक का किराया, वहाँ का हैंडलिंग कास्ट, फ्रेट कास्ट और यहाँ का हैंडलिंग कास्ट शामिल है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने यहाँ के किसानों को जो प्रोक्योरमेंट प्राइस देते हैं, उससे अधिक

बाहर के किसानों को नहीं देते हैं। चूंकि यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता है, इसलिए मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सवाल पूछने का मैं मौका दूंगा, आप मंत्री महोदय को जवाब देने का मौका दीजिए।

श्री मनोहरलाल सैनी : क्या आप यहाँ के किसानों को वितरण के समय बोनस देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इस प्रश्न से नहीं उठता है। यह तो सवाल बढ़ाने की बात है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, जो व्हीट अमेरिका से लाकर यहाँ बेचा जाता है, और जो व्हीट यहाँ के किसान से खरीद करके बेचा जाता है या बांटा जाता है, उन दोनों की खरीद और बिक्री की कास्ट में कितना अन्तर है ? एक क्विंटल पर कितना कास्ट का अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का बहुत दफा जवाब हो चुका है।

श्री मनी राम बागड़ी : जितना ज्यादा पैसा अमेरिका के किसान से अनाज खरीदने पर लगता है क्या वह ज्यादा मार्जिन पैसा यहाँ के किसान को देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब जरूरी होता है तो बाहर से अनाज लाना पड़ता है, जब कमी होती है तब लाना पड़ता है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर गेहूं सड़ रहा है। भारत में अगर अनाज की वेस्टेज को रोक दिया जाए तो···

अध्यक्ष महोदय : वेस्टेज की बात दूसरी है, यह सवाल आप पूछ लीजिए।

श्री मनी राम बागड़ी : अगर हम अपने यहां आनज की वेस्टेज को रोक दें—जैसे कि चूहे खा जाते हैं, जैसे कि अनाज मंडियों में सड़ रहा है, मौके पर अनाज न खरीदा जाने की वजह से अनाज जाया जाता है, अगर उसको ठीक समय पर खरीद लिया जाए तो वह जाया न जाए, इन वेस्टेजिज की वजह से कमी होती है ; अगर इनको रोक दिया जाए तो अनाज की देश में कमी नहीं होगी और आपको अमेरिका से अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम अमेरिका के किसानों से गेहूं खरीदें। और भारत के किसानों की तुलना में उन्हें कोई फायदा पहुंचाएं। यह प्रश्न तब उठता है जब हमें लाचारी होती है और यह कार्य करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यह बात सही नहीं है कि बाहर के किसानों को अधिक दाम दिया जाता है।

दूसरी बात जो वेस्टेज की कही है, ट्रांजिट लासिज और स्टोरेज लासिज के बारे में प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में पांच हजार ऐसे सेन्टर्स हैं जहां

गेहूं या चावल खरीदा जाता है, लगभग एक हजार ऐसी जगह हैं जहां पर स्टोरेज होता है। जब पंजाब या हरियाणा का खरीदा हुआ गेहूं पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु भेजा जाता है तो भेजने में बीच में कई ट्रांसिपमेंट प्वाएंट्स से हमें जाना पड़ता है। हम यह चाहते हैं कि हमें प्रोपरली कवर्ड वेगंस मिलें, लेकिन लाचारी में हमें ओपन वेगंस भी लेने पड़ते हैं। इसलिए इतने बड़े मेग्नीच्यूट की ट्रांसिपमेंट की हैडलिंग में यह लास होगा ही। लेकिन जहां पर इस ट्रांजिलास को कम किया जा सकता है, उसको कम करने का हम प्रयास करते हैं।

हम ऐसा प्रयास भी करते हैं कि मंडियों से हमें पूरा वजन मिले। मैं जो यह बात कह रहा हूं कि हमें पूरा वजन मिले वह इसलिए कह रहा हूं कि जहां चार पैर वाले चूहे खाते हैं वहाँ दो पैर वाले चूहे भी खाते हैं। हम जब कहते हैं कि वजन करो तो कहा जाता है कि बोरा गिन कर ले लो। अब किसी बोरे में चार किलो कम निकल गया, किसी में पांच किलो कम निकल गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े मेग्नीच्यूट के ट्रांजिट के साथ कुछ तो लासिज लगे हुए हैं। कुछ को अवोइड किया जा सकता है। उनके लिए हमने कदम उठाये हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : लाखों मन अनाज जो मंडियों में सड़ रहा है'''।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए बता दिया है कि जितना बचा सकते हैं, उतना बचाते हैं।

चौधरी मुलतान सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत के किसान को 151 रुपए देते हैं और अमरीका के किसान को 206 रुपए दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं है। किसान को 206 रुपए नहीं मिलते। 206 रुपए यहां की लैंडेड कास्ट है। जरूरत होती है, इसलिए लेना पड़ता है। लोगों को भूखों तो नहीं मार सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां के किसान को कितना मिलता है, यह बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि 206 रुपए उसकी लैंडेड कास्ट है और हमारे'''।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किन्तु यह तो देश में लागत है। हम इसमें रुचि नहीं रखते हैं कि अमरीकियों को क्या मिलता है।

श्री भागवत झा आजाद : फिर मुझे भी इसमें कोई रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात समझने की है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वह नाराज क्यों हैं। नाराजगी बहुत मँहगी होती है।

अध्यक्ष महोदय : वहां के किसान को क्या देते हैं, यह बता दीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बताया है कि 206 रुपए लैंडेड कास्ट है। किसान को क्या मिलता है, इसके लिए अभी हमारे यहां व्हीट कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें अमरीकन प्रतिनिधि आए थे। उनसे हमने पूछा कि आप फार्मर को कितना देते हैं। उन्होंने बताया कि अमरीका में हिन्दुस्तान के

किसान से कम दिया जाता है। आप 152 रुपया देते हैं, हमारे यहां 140 प्लस कुछ है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, कृपया मंत्री जी से पूछें कि अमरीका में उर्वरक की कीमत क्या है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भीमसिंह यहां नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या 763, श्रीमती जयन्ती पटनायक।

सूखा प्रवण जिलों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता

*763. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण जिलों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य के केवल सूखा प्रवण जिलों में पेय-जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए छठी योजना में उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि सूखा प्रवृत क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता देने से सम्बन्धित है, ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्यों के सूखा प्रवृत जिलों में चालू केन्द्र द्वारा प्रवर्तित सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम में पेय जल की व्यवस्था को एक कार्य घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिक्र किया है। यह कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल की व्यवस्था को उसके एक घटक के रूप में शामिल नहीं करता। किन्तु मंत्रालय को समस्या की इस निहित-परिभाषा को समझना चाहिए, कि इन सभी सूखा-प्रवृण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि बहुत से गांव सदैव ही सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पानी की कमी है, परन्तु उन्हें सूखा-ग्रस्त घोषित किए गए गांवों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से ऐसे गांवों की संख्या जानना चाहूंगी। क्या भारत सरकार जल समस्या ग्रस्त ऐसे गांवों में ट्यूबवैल लगाने के लिए निर्देश जारी करेगी, जहां ट्यूववैल नहीं हैं और जहां के लिए स्वच्छ पानी के कुए खोदने हेतु 1984-85 की योजना में व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने बताया

है कि जहां ट्यूबवैल नहीं हैं वहाँ स्वच्छ जल कुएं भी ठीक नहीं हैं, विशेषत: पश्चिमी उड़ीसा में। क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है। वहां कुएं नहीं खोदे जा सकते और खोदना भी बहुत गहरा पड़ता है। तटीय क्षेत्रों में भी लवण पट्टी की बजह से कुएं नहीं खोदे जा सकते। 20-सूत्री कार्यक्रम में पेय जल पर काफी बल दिया जा रहा है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता दशक चल रहा है। क्या आप 1990 तक समस्याग्रस्त घोषित एवं अघोषित दोनों किस्म के गांवों के सम्बन्ध में लक्ष्य पूरा कर लेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : उड़ीसा में 1980 में समस्या ग्रस्त गांवों की संख्या 23,660 थी, जिनमें से फरवरी, 1984 के अन्त तक 15,292 गांवों में पेय जल की व्यवस्था कर दी गयी है। जहां तक सूखा-प्रवण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इसमें पेय जल की सप्लाई को छोड़कर सिंचाई, पशु विकास, मत्स्य विकास, शुष्क खेती, आदि आदि जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। लेकिन, जब सूखा पड़ता है और कृषि मंत्रालय को सिफारिशें और ज्ञापन भेजे जाते हैं, तो एक केन्द्रीय दल भेजा जाता है। सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के मूल्यांकन के पश्चात् पेय जल की सप्लाई के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, उसे पेय जल की व्यवस्था के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सूखे से राहत सम्बन्धी इस केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 1.80 करोड़ रुपए और 1983-84 में 3,45,50,000 रुपये की रकम दी गई है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यदि आप राजस्व गांव घोषित गांवों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि बहुत सी छोटी-2 बस्तियां हैं, जिन्हें राजस्व रिकार्ड में शामिल किया गया है। आमतौर पर इन छोटी-2 बस्तियों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और यदि आप 250-300 लोगों के लिए एक ट्यूबवैल लगाने का सिद्धान्त बनाते हैं तो स्वभाविक है कि राजस्व गांवों में ट्यूब-वैल लग जायेंगे, लेकिन छोटी-2 बस्तियों में ट्यूबवैल नहीं लगेंगे, क्योंकि उनमें साधारणत: जनसंख्या कम होती है। इन बस्तियों में औरतें पानी लेने के लिए जाती हैं। वे आमतौर पर राजस्व गांवों में नहीं जातीं और वे अस्वास्थ्यकर पानी ही इस्तेमाल करते हैं। क्या सरकार निर्देश जारी करेगी कि अनुसूचित जाति के लोगों की जिन बस्तियों की जनसंख्या 250 से कम है वहां भी ट्यूबवैल लगाये जायें।

श्री मल्लिकार्जुन : सामान्य नीति के रूप में यह सरकार विभिन्न सुविधाएं देने के अलावा सभी गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। इसी नीति के आधार पर 1980 में समस्याओं वाले ऐसे गांवों का पता लगाया गया था जहां पानी की सप्लाई का एक भी स्रोत नहीं है और जहां पर अन्य स्थानिक बीमारियां हैं। जहाँ तक सूखे से राहत के लिए सहायता दिए जाने का प्रश्न है, उड़ीसा में 1980-81 और 1983-84 में 32,55 ट्यूबवैल लगाए जाने थे। (व्यवधान) यह मैंने सामान्य नीति बताई है। जहां तक छोटी-2 बस्तियों का सम्बन्ध है, हमने समस्याओं वाले गांवों का पता लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि अभी भी समस्याग्रस्त कुछ गांव शेष हैं। जब तक देश में समस्याग्रस्त घोषित तमाम मान्य गांव इस योजना के अन्तर्गत नहीं आ जाते तब तक उनकी बारी नहीं आ सकती। परन्तु, सरकार के समक्ष एक कार्य योजना है, जिसके अनुसार सभी गांव इस योजना के अन्तर्गत आने चाहिए। (व्यवधान) लेकिन, जहां तक छोटी-2 बस्तियों का प्रश्न है, वहां इसकी व्यवस्था करने के लिए खंड विकास समितियों की अपनी योजनाएं हैं। वहां पर खंड विकास समितियां किस लिए बनी हैं ? क्या वे गाँवों में छोटी-2 बस्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इन छोटी-2 बस्तियों में सुविधाएं प्रदान कराने का दायित्व राज्य सरकार का है।

श्री आर० आर० भोले : नहीं ।

श्री वृद्धि चन्द जैन : नहीं, नहीं ।

श्री मल्लिकार्जुन : यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आज ये हैमलेट की तरह लगते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमन्, यह विडम्बना है कि इस देश में स्वतंत्रता-प्राप्ति के 37 वर्ष पश्चात् और आयोजना पर 30,00,00 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी इस देश में लगभग 40 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जैसाकि आप जानते हैं, राजस्थान का 60 प्रतिशत रेगिस्तान है और पश्चिमी राजस्थान में 6-7 जिले सूखा-प्रवण क्षेत्र हैं। यदि आप माननीय मंत्री जी का उत्तर पढ़ें तो पता चलेगा कि जहां तक पीने के पानी की सुविधाएं दिए जाने का प्रश्न है, मंत्रालय ने सूखा-प्रवण क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । यह आश्चर्य की बात है। वास्तव में, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूखा प्रवण क्षेत्रों को विशेष सहायता मिले, क्योंकि मुझे इस समस्या की जानकारी है और श्री वृद्धि चन्द्र जैन जो जैसलमेर-बाढ़मेर के हैं, मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह समस्या वहां की सबसे बड़ी समस्या है । वहां न तो उद्योग हैं, न ही कृषि और न ही खेती । इस प्रकार की कोई चीज़ वहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम यहां राजस्थान पर भी चर्चा कर सकते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : प्रश्न के पहले भाग में ।

अध्यक्ष महोदय : "कुछ राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय सहायता..." हां ।

श्री सतीश अग्रवाल : प्रश्न का दूसरा भाग ; यह श्रीमती जयन्ती पटनायक के एकाधिकार में है । वे इसे अपने पति, श्री पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं, वे सामने रख सकती हैं । मुझे पक्का विश्वास है कि उनकी आपस में बोलचाल है। मैं प्रश्न के केवल पहले भाग के विषय में कह रहा हूं कि सूखा प्रबण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है । क्या सरकार इस नीति में संशोधन करके कुछ विशेष व्यवस्था करेगी ताकि सूखा-प्रवण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध हो सके ? वे क्षेत्र पहले ही समस्याग्रस्त हैं, वहां कोई खेती नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई सड़क नहीं है और कोई रेल सुविधाएं नहीं हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : ऐसी बात नहीं हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही है । आप श्री वृद्धि चन्द्र जैन से पूछिये । वह आपको बतायेंगे ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सही कह रहे हैं । बिल्कुल सही कह रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : अब देखिये, श्री पनिका आप बैठ जाइए ।

डा० कृपासिन्धु भोई : यह प्रश्न उड़ीसा से सम्बन्धित है ।

श्री सतीश अग्रवाल : आप प्रश्न के पहले भाग को देखिये । यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, पेय जल डी०पी०ए०पी० का अंग नहीं है । लेकिन सूखा प्रवण क्षेत्र के दूसरे पहलू इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, मृदा संरक्षण, बारानी खेती, वन विकास और अन्य विषय इसमें शामिल हैं । फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1980 में समस्याग्रस्त गांवों की पहचान की है और जहाँ तक राजस्थान के समस्याग्रस्त गांवों का सम्बन्ध हैं, लगभग 19,803 गांवों की पहचान कर ली गई है और इनमें से 12,249 गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है । 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, समस्याग्रस्त गांवों की जल सप्लाई की समस्या को सुलझाने के लिए इन गांवों की अलग से पहचान की गई है और योजना आयोग द्वारा निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिये 1,407 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है तथा केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं से 600 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के कार्य-निष्पादन के आधार पर 450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है और इस वर्ष इस समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय बजट में प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 242 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री निहाल सिंह । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री निहाल सिंह जी । अनुपस्थित हैं । श्री बालानन्दन ।

छठी योजना के दौरान सोयाबीन की खेती के अंतर्गत लाई जाने वाली भूमि का लक्ष्य

765. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान सोयाबीन की खेती के अंतर्गत 20 लाख हैक्टेयर भूमि लाने का लक्ष्य निर्धारित करने में सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाए हैं ;

(ख) कितनी भूमि में अनाज और दालों के स्थान पर अब सोयाबीन की खेती की जाने लगी है ;

(ग) सोयाबीन के देश में उपयोग और संसाधित अथवा कच्चे रूप में निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ;

(घ) भारत में सोयाबीन के परिष्करण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कितने औद्योगिक घरानों को लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि हमारे देश में गरीब लोगों के लिए प्रोटीन के स्रोत के रूप में सोयाबीन का उपयोग करने के लिए कोई देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सोयाबीन के उत्पादन लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए खरीफ की परती भूमि तथा

सक्षम क्षेत्रों के अन्तः फसल के रूप में सोयाबीन की खेती की संभावना प्रमुख मानदण्ड है।

(ख) मोटे तौर पर धान्यों और दलहनों का क्षेत्र सोयाबीन के लिए नहीं बदला गया है क्योंकि यह फसल मुख्य रूप से खरीफ की परती भूमि तथा अन्तः फसल के रूप में विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां सोयाबीन की खेती अधिक की जाती है, राज्यों में उगायी जाती है।

(ग) सोयाबीन के लिए विलायक निष्कर्षण संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास अनेक एककों का पंजीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, सोयाबीन उत्पादों के पूर्ण रेन्ज के विनिर्माण के लिए कुछ एककों को लाइसेंस दिया गया है। इसके निर्यात की अच्छी सम्भावना है।

(घ) केवल एक औद्योगिक घराने को लाइसेंस दिया गया है।

(ङ) सोया टेक्सचर्ड प्रोटीन तथा पृथक सोया प्रोटीन के विनिर्माण के लिए मितव्ययी लागतों पर समेकित विकास और उत्पादन के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। सोया उत्पादों की उच्च प्रोटीन के महत्व के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने तथा नये उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और उपभोक्ताओं को इसे अपनाने के लिए यह अनुमति दी गयी है।

श्री ई० बालानन्दन : माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा है कि "मोटे तौर पर धान्यों और दलहनों का क्षेत्र सोयाबीन के लिये नहीं बदला गया है..." मैं समझता हूं इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास इसके सिवाय और कोई सूचना नहीं है। हम जानते हैं कि भारत में प्रोटीन की कमी के कारण और प्रोटीन के अल्प आहार के कारण प्रतिवर्ष 50,000 बच्चे मर रहे हैं। 1960 में प्रतिव्यक्ति प्रोटीन उपलब्धता 60 ग्राम थी और आज यह 40 ग्राम है। इसलिये यह तो समझ में आता है कि सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं, जहां प्रोटीन उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन सोयाबीन प्रोटीन जिसका देश में उत्पादन और परिसंस्करण किया जाता है; से 20 प्रतिशत का तेल निकाल लिया जाता है और शेष 80 प्रतिशत को पशुआहार के लिए, पश्चिमी देशों को निर्यात कर दिया जाता है और अपने देश के पशुओं को वंचित किया जाता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है और 60 या 70 प्रतिशत प्रोटीन का निर्यात किया जाता है, इसका अपने देश में उपयोग नहीं किया जाता। हमारे देश के पशुओं के लिए नहीं दी जाती। इसलिये क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं और यह सुझाव दे सकता हूं कि क्या एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है कि देश में धान्यों और दलहनों की जगह पर इस प्रकार सोयाबीन का उत्पादन न किया जाये? क्या सरकार उचित उपाय करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सोयाबीन का निर्यात न किया जाये? तेल निकालने के पश्चात् इसका देश में ही परिसंस्करण किया जाये ताकि देश में ही प्रोटीन की खपत हो सके।

कृषि मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि धान्य और दलहन के अंतर्गत क्षेत्रों को सोयाबीन की खेती के लिए बदला नहीं जाना चाहिये। इसलिए हम सोयाबीन की फसल को खरीफ की परती भूमि पर उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी प्रकार की भूमि का इस उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा। वास्तव में गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र

को बढ़ाया गया है। चावल के अंतर्गत क्षेत्र और दलहन के अंतर्गत क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं की गई। हम केवल काली मिट्टी और खरीफ परती भूमि में ही सोयाबीन उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रोटीन प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी खेती और उत्पादन में वृद्धि होने से देश में प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि की जायेगी। परन्तु मेरा मुद्दा यह है कि इसका परिसंस्करण देश में नहीं किया जा रहा। इसका निर्यात किया जाता है। अब तक एक कम्पनी को केवल एक लाइसेंस दिया गया है। सोयाबीन को परिसंस्करण द्वारा प्रोटीन उन्मुख बनाने के लिए ऊंची तकनीक की आवश्यकता होती है। मैंने अखिल भारतीय सोयाबीन समन्वित अनुसंधान परियोजना की रिपोर्ट से मालूम किया है कि यहां खाद्य वैज्ञानिक ही नहीं हैं। 19 परियोजनाएं हैं और उनमें 3 खाद्य वैज्ञानिकों के पद हैं। लेकिन उनमें से भी केवल एक वैज्ञानिक ही कार्यरत है। इसलिये सोयाबीन में से तेल निकाल कर उसका परिसंस्करण उचित रूप से नहीं किया जा रहा। इसलिये दो बातें एक साथ हो रही हैं। हमारी ग्रामीण जनता को जो धान्य और दलहन से प्रोटीन प्राप्त कर रही थी, अब सोयाबीन की अधिक खेती के कारण प्रोटीन से वंचित रखा जा रहा है। क्या सरकार ग्रामीण जनता को प्रोटीन प्रधान उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु सोयाबीन का परिसंस्करण करने के लिए निश्चित उपाय करने का आश्वासन देगी? मुझे पता लगा है कि नागपुर में एक दुग्ध परिसंस्करण संयंत्र है, जिसने सरकार से सहायता के लिये अनुरोध किया है। क्या सरकार इस संयंत्र को प्रोत्साहन देगी ताकि प्रोटीन समृद्ध दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके?

राव बीरेन्द्र सिंह : भारत में सोयाबीन परिसंस्करण के लिए अनेक परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। यूरोप आर्थिक समुदाय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तीन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन अन्य संयंत्र तैयार हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त परिसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग को अनेक आशय-पत्र जारी किए गए हैं। यदि माननीय सदस्य ब्यौरा जानना चाहें तो मैं दे सकता हूं। प्रौद्योगिकी का आयात भी किया जा रहा है। मोदीपोन लिमिटेड एक ऐसी ही कम्पनी है। राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ और सहकारी क्षेत्र के लिए विभिन्न स्थलों पर पांच एककों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करते समय साथ-साथ हमें परिसंस्करण एकक भी स्थापित करने चाहिए और यही किया भी जा रहा है। पहले सोयाबीन का कुछ निर्यात किया गया है परन्तु अब हमारे पास देश में परिसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम उन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सोयाबीन निर्यात करने की जरूरत नहीं रहेगी।

बिहार से सिंचाई के लिए लम्बित पड़ी योजनाएं

*766. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजी गई कुछ सिंचाई योजनाएं केन्द्र की मंजूरी के लिए लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन भी कर दिया गया है ;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) सरकार द्वारा मंजूर न की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इन योजनाओं को मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क), (ख), (च) और (छ) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 8 बृहद और 4 मध्यम सिंचाई स्कीमों की इस समय केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है। उनका ब्यौरा अनुलग्नक-एक में दिया गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग ने पहले ही 7 बृहद स्कीमों की जांच कर ली है और टिप्पणियां भेज दी गई हैं जिनकी राज्य सरकार द्वारा आशोधित परियोजना रिपोर्टें तथा अनुमानों को आगे कार्यवाही के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजा जाना है। इन स्कीमों का ब्यौरा अनुलग्नक-दो में दिया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग ने 6 बृहद और 9 मध्यम सिंचाई स्कीमों की भी जांच की थी और योजना आयोग की सलाहकार समिति के सम्मुख उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया था। इन स्कीमों के बारे में सलाहकार समिति ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और राज्य सरकार को इन मुद्दों पर अभी स्पष्टीकरण भेजने हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा अनुलग्नक-तीन में दिया गया है।

इन स्कीमों की स्वीकृति उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के पूरी तरह से सिद्ध हो जाने, अन्तर्राज्यिक पहलुओं के संतोषजनक हल होने तथा पर्यावरणात्मक दृष्टि आदि से स्वीकृति उपलब्ध होने के पश्चात् संभव होगी।

(ग) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान योजना आयोग ने अब तक बिहार की 2 बृहद और 12 मध्यम सिंचाई स्कीमों को अनुमोदित किया है। इन स्कीमों का ब्यौरा तथा राज्य सरकार द्वारा उनके लिए की गई धनराशि की व्यवस्था अनुलग्नक-चार में दी गई है।

अनुलग्नक-एक

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उन स्कीमों का ब्यौरा जिनकी केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नदी बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	लाभ, हजार हैक्टेयर में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) बृहद् स्कीमें					
1.	अपर सकरी जलाशय स्कीम	गंगा	5975.23	58.20	टिप्पणियों के उत्तरों की जांच की जा रही है ।
2.	अपर महानन्दा सिंचाई स्कीम (पूर्णिया)	महानन्दा	2570.31	40.77	टिप्पणियां राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण/अनुपालना हेतु भेजी गई हैं ।
3.	ढाका नहर आधुनिकीकरण परियोजना (पूर्वी चम्पारण)	गंगा	1446.48	111.313	—तदेव—
4.	सुखसेनाघाट पी० सी० स्कीम (संथाल परगना)	गंगा	1418.81	23.25	—तदेव—
5.	सोन नहर आधुनिकीकरण (शाहबाद, पटना, रोहतास)	सोन	75300 (तीनों सोपानों का योग)	344.10	—तदेव—
6.	कमला सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	कमला	1149.00	25.95	—तदेव—

1	2	3	4	5	6
7.	स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना (सिंह भूमि)	स्वर्णरेखा	48090	241.873	—तदेव—
8.	धाधर में तिलैया जल का व्यपवर्तन (नवादा)	दामोदर	4800	56.28	—तदेव—
(ख) मध्य स्कीमें					
1.	कुंडाघाट जलाशय स्कीम	अपर कियुल	569.12	2.85	टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं और जांच की जा रही है।
2.	खुदिया जलाशय स्कीम आधुनिकीकरण (शाहबाद)	गंगा	296.14	4.66	—तदेव—
3.	सोन पम्प नहर स्कीम (भोजपुर)	सोन	123.57	6.123	टिप्पणियां राज्य द्वारा स्पष्टीकरण/ अनुपालना हेतु भेजी गई हैं।
4.	कुडार जलाशय (भागलपुर)	गंगा	817.24	3.942	—तदेव—

अनुलग्नक-दो

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई स्कीमों का ब्यौरा जिनकी आशोधित परियोजना रिपोर्टें राज्य द्वारा भेजी जानी हैं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बेसिन/	अनुमानित लागत लाख रुपये में	लाभ, हजार हैक्टेयर में
1	बंसलोई जलाशय	गंगा	1560	36.437
2.	बुरही जलाशय स्कीम	अजय	2820.47	17.52
3.	कन्हर जलाशय (पलामऊ)	सोन	10100.00	109.43
4.	पुनपुन दरधा सिंचाई स्कीम (गया और पटना)	गंगा	2077.67	57.00
5.	मोहाने जलाशय और बराज स्कीम (गया)	गंगा	12700	75.25
6.	लीलाजान जलाशय स्कीम	गंगा	3371.69	36.923
7.	बरारी पम्प नहर	गंगा	983.4	9.37

अनुलग्नक-तीन

योजना आयोग की सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत स्कीमों का ब्यौरा जिन पर समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों की अनुपालना की जानी है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नदी बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	लाभ, हजार हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
(क) बृहद् स्कीमें				
1.	पुनासी जलाशय स्कीम (संथाल परगना)	अजय	2609	24.29
2.	मासन जलाशय परियोजना	गंगा	3472.92	27.015

1	2	3	4	5
3.	अजगैबीनाथ पम्प नहर स्कीम (भागलपुर)	गंगा	1680.00	17.200
4.	सिकतिया (अजय) बराज (संथाल परगना)	अजय	6603	40.59
5.	कोनार जलाशय (स्कीम)	दामोदर	9361.46	61.923
6.	उत्तरी कोयल जलाशय	सोन	11377	109.42
(ख) मध्यम स्कीमें				
1.	धनसिंह टोली जलाशय	कोयलकारो	637.99	2.98
2.	कटरी जलाशय स्कीम (रांची)	दक्षिण कियूल	718.34	4.91
3.	सतपोतके जलाशय परियोजना (सिंह भूमि)	—तदेव—	666.60	2.35
4.	केशो जलाशय स्कीम (हजारीबाग)	दामोदर	608.24	3.56
5.	सलैया जलाशय स्कीम (हजारीबाग)	दामोदर	595.24	2.67
6.	रामरेखा जलाशय स्कीम (रांची)	दक्षिण	876.14	3.230
7.	अस्की सिंचाई और जल आपूर्ति स्कीम (रांची)	—तदेव—	1302	5.67 (जल आपूर्ति)
8.	पंचकारी जलाशय स्कीम	दामोदर	740.44	2.200
9.	भैरव जलाशय स्कीम	दामोदर	848.10	4.800

अनुलग्नक-चार

छठी योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित बिहार की स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपए में	लाभ हजार हैक्टेयर में	अनुमोदन की तारीख	छठी योजना में राज्य द्वारा व्यवस्थित परिव्यय (लाख रुपये में)	
					1980-84 में प्रत्याशित व्यय	1984-85 में प्रत्याशित व्यय
(क) वृहद्						
1.	ओरंगा जलाशय परियोजना	1254000	55.405	15-3-83	128	50
2.	कांचो सिंचाई का नवीनीकरण	485.57	16.195	21-2-84	74	100
(ख) मध्यम						
1.	डकरानाला सोपान-दो	475.95	4.02	17-10-81	3	50
2.	सिंहावरणी जलाशय	445.30	9.88	25-5-81	106	50
3.	नन्दिनी जलाशय	447.62	4.88	—तदेव—	276	200
4.	सुरू जलाशय	312.15	4.44	—तदेव—	34	—
5.	तपकारा जलाशय	203.71	2.70	—तदेव—	140	150
6.	लटरातू जलाशय	1098.18	10.20	—तदेव—	184	350
7.	सुरंगी जलाशय	214.85	1.53	1-3-82	—	—
8.	कसजोरे जलाशय	866.26	6.34	17-10-82	—	—
9.	अपर सेंक जलाशय	918.24	9.14	—तदेव—	—	—
10.	नकती जलाशय स्कीम	914.20	अनुपलब्ध	20-2-81	—	—
11.	सोनूआ जलाशय स्कीम	892.37	8.00	25-5-81	65	20
12.	तोरलो जलाशय स्कीम	573.55	2.67	—तदेव—	55	25

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, विवरण तो विस्तार के साथ है। इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि 8 बृहद और 4 मध्यम सिंचाई स्कीमों की इस समय केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है। उसमें एक योजना है सोन नहर आधुनिकीकरण, जो भोजपुर, पटना, रोहतास आदि जिलों को कवर करती है। वहां पता नहीं कितने दिनों से जांच कार्य-चल रहा है और कितने दिनों तक और चलेगा, लेकिन नहर में पानी नहीं मिल रहा है। 50 प्रतिशत धान और गेहूं की फसल पानी के अभाव में सूख जाती है या उसका आउट-पुट कम हो जाता है।

मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना समेत, जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया है, उनके बारे में जांच-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और उसके बाद इसकी क्रियान्विति कब तक होगी ? तभी किसानों को कुछ लाभ होगा। आप स्वयं बिहार जाकर देख आये हैं कि वहां कितनी दयनीय स्थिति है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सोन नहर के आधुनिकीकरण की स्कीम, जैसा मैंने एनेक्सचर-I में बताया है, कुछ जानकारी हासिल करने के लिये बिहार सरकार के पास भेजी है। यह बहुत बड़ी योजना है जिसकी अनुमानित लागत 753 करोड़ रु० होगी। आप सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस स्कीम को पास करने के लिए कितनी जांच करने की आवश्यकता है ? लेकिन राज्य सरकार से ज्योंही स्पष्टीकरण आ जायेंगे, तब उन पर विचार करने के पश्चात्, जहां तक सिंचाई मंत्रालय का प्रश्न है, हम उनको योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि कब तक कार्यान्विति हो जायेगी, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि इसके ऊपर बड़ी आर्थिक राशि लगनी है, अभी हम इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द इस योजना की तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोणों से जांच कर के योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाये ताकि वहां स्वीकृति मिल जाये।

श्री रामावतार शास्त्री : छठी पंचवर्षीय योजना में दो बृहद और 12 मध्यम सिंचाई योजनाओं का जिक्र है और उनके लिए राज्य सरकार ने धन का आबंटन भी किया है। इन्होंने तमाम योजनाओं के सामने धन का विवरण भी दिया हुआ है। छठी पंच-वर्षीय योजना 1985 में समाप्त हो जाएगी। इनमें से 9 योजनाएं 1981 से चल रही है। पता नहीं, उनका काम कितना पूरा हुआ है। अगर मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ पता हो, तो वह बताएं कि ये योजनाएं इतने दिनों से चल रही हैं, अभी तक वे पूरा क्यों नहीं हुई हैं।

जो राशि आबंटित की गई है, क्या वह केवल बिहार सरकार की राशि है या केन्द्रीय सरकार ने भी उसमें योगदान किया है ? अगर यह कार्य केवल बिहार सरकार को करना है, तो मैं अभी कह सकता हूं कि कोई योजना पूरी नहीं होने वाली है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं सदन में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो योजनाएं स्वीकृत होती हैं, उनके लिए कितना धन आबंटित किया जाए, यह राज्य सरकार को निर्धारित करना पड़ता है। अपने साधनों को देखते हुए, जो दूसरी योजनाएं दूसरे क्षेत्रों में चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वे राशि आबंटित करती हैं। हमारा उद्देश्य यह कभी नहीं है कि राज्य सरकारों को बाध्य किया जाए और मेरे विचार में माननीय सदयस्य भी नहीं चाहेंगे कि हम राज्य सरकारों को बाध्य करें। वे अपने हिसाब से हर साल के बजट में जिस किसी योजना में कितनी राशि आबंटित करना

चाहती हैं, यह उन्हीं पर निर्भर करता है । आप ऐनेक्शर 4 में देखेंगे कि छठी पंच-वर्षीय योजना में 12 योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, उनमें से 5 योजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए 1984-85 में एक भी रुपया नहीं रखा गया है। उन योजनाओं को हमने स्वीकृत कर दिया, योजना आयोग ने भी उन्हें स्वीकृति दे दी, लेकिन राज्य सरकारों ने उन्हें इतनी भी प्राथमिकता नहीं दी कि उनके लिए कम से कम इस वर्ष कुछ रुपया आबंटित किया जाए। राज्य सरकारें अपने हिसाब से, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि आबंटित करती हैं और यह काम उनके विवेक से ही हो सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता करती है या नहीं ।

श्री रामनिवास मिर्धा : योजना आयोग के साथ जब हर वर्ष विचार-विमर्श होता है, तो हर राज्य की एक सीमा निर्धारित की जाती है कि आपको योजनाबद्ध विकास के लिए इतना पैसा दिया जाएगा । उसके अन्तर्गत किस मद में कितना रुपया वे रखें, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

प्रोफेसर के० के० तिवारी : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे जिले और चुनाव क्षेत्र तथा निकटवर्ती जिले में सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के विषय में एक वक्तव्य दिया है । यह नहर प्रणाली 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने वाले जिलों को बिहार का धान्यागार कहा जा सकता है । मध्य प्रदेश में बाणसागर बाँध के कारण इस नहर में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा में भारी कमी आई है । इसलिए इस क्षेत्रों को बचाने के लिए आधुनिकीकरण ही एक मात्र रास्ता रह गया है। यह योजना काफी समय से लम्बित रही है । मैं माननीय मंत्री महोदय से, स्पष्ट रूप से, यह जानना चाहूंगा कि इस परियोजना को अन्तिम मंजूरी देने में और इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वे और कितना समय लेने का विचार रखते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण योजनाएं, माला और चौसा पम्प नहर हैं, जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। राज्य सरकार को आगे कार्यवाही करने का संकेत देने में अब वे और कितना समय लेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसे मैंने पहले बताया है ये योजनाएं हमारे पास लम्बित नहीं पड़ी हैं । वे राज्य सरकार को वापिस भेज दी गई हैं ताकि वे इन योजनाओं के कुछ पहलुओं पर ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनके संबंध में हम समझते हैं कि पहले पर्याप्त सूचना नहीं भेजी गई । जब वह सूचना प्रस्तुत कर दी जायेगी तो इसे अन्तिम रूप देने और राज्य सरकार के पास भेजने के लिए हम यथासम्भव कम से कम समय लेंगे ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप तो जानते ही हैं कि बिहार सरकार कैसे कार्य करती है । क्या आप उन्हें पत्र लिखेंगे ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं का उत्पादन एवं खपत

*760. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान गेहूं कि खपत उसके उत्पादन से अधिक होने की संभावना है ; और

(ख) देश में चालू वर्ष के दौरान गेहूं की अनुमानित खपत और उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चालू मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान गेहूं का उत्पादन 446 लाख मीटर टन होने की सम्भावना है, जबकि लक्ष्य 410 लाख मीटरी टन है। इस वर्ष के दौरान देश की खपत की मांगों को पूरा करने के लिए इसे पर्याप्त मात्रा से अधिक समझा जाता है।

दिल्ली में जल वितरण के लिए मैसर्ज टाटा कन्सट्रक्शन कम्पनी को ठेका

*764. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टाटा कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिल्ली में जल वितरण के बारे में अध्ययन का ठेका कब दिया गया था ; और

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य से लोगों को कितना लाभ हुआ है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली में जल वितरण प्रणाली के अध्ययन का कार्य अक्तूबर, 1981 में टाटा कनसल्टिंग इंजीनियर्स को दिया गया था।

(ख) इस संस्थान ने सूचित किया है कि कनसल्टेन्टस ने मुख्य प्रेषण लाइनों तथा कुछ क्षेत्रीय वितरण प्रणालियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट दे दी है और सिफारिशों के अनुसार कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

अपर सकरी जलाशय योजना और तिलैया धाधर डाइवर्जन योजना

*767. **श्री कुंवर राम** : क्या **सिंचाई मंत्री** अपर सकरी जलाशय योजना और तिलैया धाधर डाइवर्जन योजना के बारे में 9 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर सकरी जलाशय योजना और तिलैया धाधर डाइवर्जन योजना संबंधी तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग और राज्य सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ;

(ग) यदि हां, उपर्युक्त योजनाओं के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के बजट में इन योजनाओं के लिए कोई धनराशि नियत की है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) 59.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली अपर सकरी जलाशय परियोजना और 48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तिलैया धाधर व्यपवर्तन स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थीं। अपर सकरी

परियोजना के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ टिप्पणियां भेजी हैं। इनमें से कुछ टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। तिलैया-धाधर व्यपवर्तन स्कीम में भी कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू हैं जो संबंधित राज्यों के बीच हल किए जाने हैं।

अपर सकरी परियोजना के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 1984-85 के लिये किसी वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था नहीं की है। जहां तक तिलैया-धाधर स्कीम का संबंध है, योजना आयोग के कार्यकारी ग्रुप ने 1984-85 के लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह कहना समय-पूर्व होगा कि बिहार सरकार द्वारा ये दोनों बृहद परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी।

राज्य वार सिंचाई क्षमता

*768. **श्रीसत्येन्द्र नारायणसिंह :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में राज्य वार सिंचाई क्षमता कितनी थी ;

(ख) इस वर्ष सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में भविष्य में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 1982-83 के अन्त तक सृजित की गई राज्यवार क्षमता संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) 1983-84 के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) आशा है कि राज्यों द्वारा लक्ष्य कमोबेशी प्राप्त कर लिए जाएंगे। निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने में बाधा का जो मुख्य कारण दिखाई देता है, वह राज्यों के पास वित्तीय साधनों की कमी होना है।

(घ) कुछ उपचारात्मक उपाय, जो पहले से किए जा रहे हैं, निम्न प्रकार हैं :—

एक राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अधिकतम सम्भव धनराशि आबंटित करके निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दें।

दो. कम आपूर्ति वाली निर्माण सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष ध्यान देना।

तीन. परियोजना और राज्य स्तरों पर परियोजनाओं की तथा चुनिंदा परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर मानीटरिंग करना।

विवरण-एक

क्रम सं०	राज्य का नाम	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर)		
		बृहद और मध्यम	लघु	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	3188	2140.60	5328.60
2.	असम	117	330.40	447.40
3.	बिहार	2696	2809.00	5505.00
4.	गुजरात	1159	1506.00	2665.00
5.	हरियाणा	1856	1362.50	3218.50
6.	हिमाचल प्रदेश	5	111.00	116.00
7.	जम्मू और कश्मीर	173	326.00	499.00
8.	कर्णाटक	1153	1096.00	2249.00
9.	केरल	508	354.70	862.00
10.	मध्य प्रदेश	1673	1764.30	3437.30
11.	महाराष्ट्र	1520	1794.60	3314.60
12.	मणिपुर	25	33.70	58.70
13.	मेघालय	—	31.30	31.30
14.	नागालैंड	—	49.69	49.69
15.	उड़ीसा	1515	777.00	2292.00
16.	पंजाब	2418	3028.40	5446.40
17.	राजस्थान	1617	1919.15	3536.15
18.	सिक्किम	—	11.75	11.75
19.	तमिलनाडु	1210	1978.20	3188.20
20.	त्रिपुरा	—	42.70	42.70
21.	उत्तर प्रदेश	6723	11015,00	17738.00
22.	पश्चिम बंगाल	1542	1569.87	3111.87
23.	संघ राज्य क्षेत्र	19	112.21	131.22
	जोड़	29117	34164.07	63281.07

विवरण-दो

क्रम	राज्य का नाम	1983-84 लक्ष्य (हजार हैक्टेयर)		
		बृहद्/मध्यम	लघु	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	45	65	110
2.	असम	16	25	41
3.	बिहार	92	250	342
4.	गुजरात	82	40	122
5.	हरियाणा	37	28	65
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	5	5
7.	जम्मू और कश्मीर	19	4	23
8.	कर्णाटक	74	22	96
9.	केरल	41	17	58
10.	मध्य प्रदेश	95	85	180
11.	महाराष्ट्र	128	72	200
12.	मणिपुर	6	2	8
13.	मेघालय	शून्य	2	2
14.	नागालैंड	शून्य	2	2
15.	उड़ीसा	34	64	98
16.	पंजाब	66	33	99
17.	राजस्थान	107	34	141
18.	सिक्किम	शून्य	1	1
19.	तमिलनाडू	14	30	44
20.	त्रिपुरा	शून्य	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	55	606	661
22.	पश्चिम बंगाल	28	35	63
23.	संघ राज्य क्षेत्र	शून्य	8	8
	कुल जोड़	939	1431	2370

राज्यों में चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और उपभोक्ता मूल्यों में अन्तर

*769. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्यों में चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और उपभोक्ता मूल्यों के बीच अन्तर के बारे में, कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) भारत सरकार की यह नीति है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न देना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य और खुदरा बिक्री मूल्य के बीच के अन्तर को 15/ रु० प्रति क्विंटल के अन्दर ही रखें। तथापि, यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है, लेकिन कुछ अन्य ने उनके द्वारा किए जा रहे अधिक प्रासंगिक प्रभारों के कारण इस संबंध में अपनी कठिनाइयाँ बतायी हैं।

चावल और धान की अधिक वसूली के लिए राज्यों पर केन्द्रीय प्रतिबन्ध

*770 **श्री चित्त महाटा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस वर्ष चावल और धान की पिछले वर्ष से अधिक वसूली करने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों को लागू लेवी आदेशों के अनुसार चावल की और मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन धान की यथावश्यक वसूली करनी होती है।

उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रभाव

*771. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ख) कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी का अपेक्षित प्रभाव न पड़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान । उन्नत कृषि प्रोद्योगिकी के प्रभावों को समुचित रस में किसानों के खेतों पर देखा गया है । किसानों के खेतों से प्राप्त प्रमुख फसलों की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है, ऐसा विशेषकर नयी कृषि क्रियाओं को अपनाने तथा अधिक उपज देने वाली नयी किस्मों को उपयोग में लाने के बाद हुआ है। फलस्वरूप, सन् 1965 में खाद्यान्न का उत्पादन जहां 72 मिलियन टन था अब वह बढ़कर सर्वोच्च रिकार्ड स्तर 149 मिलियन टन से भी अधिक पर पहुँच गया है । गेहूं का उत्पादन 1964-65 के 12.26 मिलियन टन से बढ़कर 1983-84 में 44 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है । इसी अवधि में चावल का उत्पादन भी 38.31 मिलियन टन से बढ़कर 59 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है । विभिन्न खाद्यानों की उपज और उत्पादन में यह वृद्धि मुख्य रूप से किसानों द्वारा नयी कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है । ऊपर परिगणित उत्पादन उपलब्धियों का श्रेय वैज्ञानिक, प्रशासक और किसानों को जाता है । फिर भी, भा० कृ० अ० प० के राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त उपज आंकड़ों के अनुसार अभी भी लगभग 50 प्रतिशत अप्रयुक्त (प्रयोग में न लाया गया) संभाव्यता मौजूद है ।

(ग) नियमित आधार पर नयी कृषि प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का उपयोग करने और बढ़े हुए कृषि उत्पादन की गति को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए है :—

(i) अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम ;

(ii) मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम ;

(iii) भा० कृ० अ० प० प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, संक्रियात्मक अनुसंधान प्रायोजनाएं ; कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम ;

(iv) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बारानी कृषि का विकास ;

(v) पुनर्गठित विस्तार प्रणाली, प्रशिक्षण और अवलोकन ;

(vi) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम ; और

(vii) फार्म सूचना कार्यक्रम ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्धन लोगों को दूध की सप्लाई

*772. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में निर्धन लोगों को दूध सप्लाई किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसका वर्ष 1983-84 का कुल बजट 4167.30 लाख रुपए का था ;

(ग) यदि हां, तो इस बजट राशि में से प्रशासन, वेतन, कार्यालय के रख-रखाव, दूध की खरीद; दूध के परिवहन, दूध तैयार करने और उसके वितरण पर अलग-अलग कितना खर्च किया गया ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जनवरी, 1984 से 31 मार्च, 1984 तक कुल कितना दूध बेचा गया और वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितना दूध बेचे आने की संभावना है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना टोंड तथा मानकीकृत दूध सप्लाई करता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहां टोकन पद्धति शुरू की गई है, दुग्ध केन्द्रों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को "प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर टोंड दूध संवितरित किया जाता है। कुछ दुग्ध केन्द्र पुनर्वास कालोनियों तथा जे० जे० कालोनियों में भी स्थित हैं, जिनमें अधिकांशतया समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति रहते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न कार्यकलापों पर 1983-84 के दौरान व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जनवरी, 1984 से मार्च, 1984 तक के महीनों के दौरान बेचे गए दूध की मात्रा निम्नलिखित है :—

	लाख लीटर
जनवरी, 1984	96.81
फरवरी, 1984	92.22
मार्च, 1984	101.72

वर्ष की शेष अवधि (दिसम्बर, 1984 तक) सप्लाई किए जाने वाले दूध की मात्रा लगभग 925 लाख लीटर होगी।

विवरण

विभिन्न कार्यकलापों पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कार्यकलाप	व्यय (अनन्तिम) (लाख रु०)
1. **प्रशासन**	
वेतन	86.57
कार्यालय व्यय	25.19
रख रखाव	0.70
अन्य मदें	0.46
2. **अधिप्राप्ति**	
वेतन	3.76
कार्यालय व्यय	—
रख रखाव	7.66
दूध, सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल/सफेद मक्खन की खरीद	3260.96
3. **परिवहन**	
वेतन	21.99
कार्यालय व्यय	2.18
रख रखाव	73.77
4. **परिसंस्करण**	
वेतन एवं मजदूरी	111.01
कार्यालय व्यय	—
रख रखाव	0.33
अन्य मदें	317.56
5. **संवितरण**	
वेतन तथा मजदूरी	127.86
कार्यालय व्यय	1.13
रख रखाव	—
योग :	4041.13

राज्यों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आबंटन

*773. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वर्ष 1984-85 के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित राशियां रिलीज करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) संसद द्वारा बजट पारित किए जाने के पश्चात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु 1984-85 के लिए निधियों का बंटन करने का काम शुरू किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन

*774. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 के दौरान सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हुआ है ;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य में सोयाबीन के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(घ) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य में सोयाबीन उत्पादकों कोगत वर्ष अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सका था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष इस प्रकार की स्थिति न आने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) वर्ष 1983-84 के लिए 1.50 लाख मीटरी टन का लक्ष्य सुझाया था, वर्ष के दौरान सोयाबीन के पक्के अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

अधिकारियों के विदेशों के दौरे

*776. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के बहुत से अधिकारी सरकारी दौरे पर विदेश गए थे ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी दौरों पर ऐसे कितने अधिकारी विदेश गए थे और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक अधिकारी के विदेश दौरे का उद्देश्य क्या था ;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ङ) उनके दौरों की उपलब्धि क्या थी और उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) कृषि मंत्रालय के 219 अधिकारी 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के वित्तीय वर्षों के दौरान, सरकारी दौरे पर विदेश में गये । इस दौरे में प्रशिक्षण शामिल नहीं है । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 8216/84]

(ङ) दौरों का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, गोष्ठियों, वर्कशापों, अध्ययन दौरों में भाग लेने तथा परियोजना तैयार करने और परियोजना सहायता आदि के संबंध में बातचीत करना था । सरकारी दौरों से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग को दृढ़ करने तथा कृषि विकास के क्षेत्र के अनुभव के परस्पर आदान-प्रदान में सहायता मिली ।

हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में कीड़ों द्वारा कपास की फसलों को नष्ट करना

*777. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में कीड़ों द्वारा काफी क्षेत्रों में कपास की फसलों को नष्ट कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रभावित किसानों को कपास के प्रमाणित बीजों की सप्लाई करने तथा उनको अन्य आवश्यक राहत देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) हरियाणा और पंजाब में खरीफ 1983 के दौरान भारी वर्षा होने और रुक-रुक कर वर्षा होने के कारण, बादल छाये रहने वाले मौसम और पूर्वी हवाओं के चलने की वजह से उत्पन्न हुई प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के फलस्वरूप कपास की फसल में अधिक खरपतवार पैदा हुई और कीटों का तेजी से फैलने वाला पर्यावरण भी बन गया। विशेषकर इन दो राज्यों में बीच कोष को लगने वाले कीड़ों के फैलने से कपास की फसल को नुकसान पहुँचा।

(ख) जी हां। इन दो राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा कपास के प्रमाणीकृत बीजों की आपूर्ति के लिए व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारों ने प्रभावित किसानों के भू-राजस्व, आबियाना व उपकर को माफ, स्थगित करके और ऋणों की वसूली मुल्तवी करके राहत पहुँचाई है।

ट्रैक्टर प्रशिक्षण

*778. **श्री के० मास्तन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ट्रैक्टर प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्रशिक्षण और जांच संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ और ट्रैक्टर प्रशिक्षण और जांच संस्थाएँ खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार किसानों, मिस्त्रियों और अन्य लोगों को ट्रैक्टरों और अन्य कृषि यन्त्रों के चयन, परिचालन और रख-रखाव के प्रशिक्षण और कृषि उपकरणों और यन्त्रों के परीक्षण के लिए कृषि यन्त्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान चला रही है।

(ख) (1) केन्द्रीय कृषि यन्त्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान (पहले ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण स्टेशन) बुदनी (मध्य प्रदेश)।

(2) उत्तरी क्षेत्र कृषि यन्त्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान (पहले ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र था, हिसार (हरियाणा)।

(ग) तथा (घ) एक तीसरा संस्थान दक्षिणी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए गारले-डाइन, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है।

कासांबोटी जलाशय परियोजना

*779 **श्री अजित कुमार साहा** :

श्री जायनल अबेदिन :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कांसांबोटी जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) बांकुरा, मिदनापुर और हुगली जिलों में 367200 हैक्टेयर के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कांसावती जलाशय की आधुनिकीकरण परियोजना की अनुमानित लागत 232.84 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में भूतल जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु कमान क्षेत्र में चार छोटे जलाशयों का निर्माण, भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग के लिए कमान क्षेत्र में 3400 नलकूपों का निर्माण वर्तमान नहर प्रणाली को पक्का करना और 5 से 8 ब्लाकों तक जलमार्गों और खेत नालियों का निर्माण करना शामिल है।

(ग) से (ङ) इस स्कीम की स्वीकृति इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् सम्भव होगी। उस अवधि को जिसके दौरान भारत सरकार द्वारा इस स्कीम को स्वीकृत किया जा सकता है, इंगित करना सम्भव नहीं है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8344. **श्री राम लाल राही** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ग्रामीण प्रशासन समन्वित ग्रामीण विकास को पूरा करने तथा ग्रामीण समस्याओं को हल करने में असफल रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसमें सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बहुत से राज्यों ने ग्रामीण विकास की गति में तेजी लाने के दृष्टिकोण से तथा वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने के लिए आयोगों की नियुक्तियां की हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा और प्रगति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) यद्यपि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पर्याप्त सफलता मिली है तथा इससे ग्रामीण निर्धनता पर भी काफी प्रभाव पड़ा है फिर भी, योजना तैयार करने तथा कार्यान्वित करने की क्वालिटी में विभिन्न स्तरों पर सुधार लाने हेतु प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय खण्ड स्तर पर तथा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग संगठन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग हेतु व्यय का 50 प्रतिशत सुलभ कर रहा है। अब तक 23 राज्यों/

केन्द्र शासित क्षेत्रों के संबंध में खण्ड स्तरीय प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाने के प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं । 16 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के संबंध में राज्य मुख्यालयों में मॉनिटरिंग सेलों हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं।

(ख) इस प्रकार के किसी आयोग की नियुक्ति मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वनस्पति की फर्मों पर छापे

8345. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले वर्ष के दौरान वनस्पति घी में मिलावट के संदेह पर चार फर्मों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आए ;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार उनके द्वारा निम्नलिखित चार फर्मों पर छापे मारे गये :—

1. मैं० भटिण्डा कैमिकल्स एण्ड वनस्पति मिल्स, भटिण्डा के कारखाने/कार्यालय परिसरों पर।

2. मैं० मनोज कण्टेनर्स एण्ड कैमिकल्स, भटिण्डा के कारखाने/कार्यालय परिसर पर।

3. मैं० विक्रम पाल एण्ड कम्पनी, चण्डीगढ़ के कार्यालय पर।

4. मैं० रतन सिंह हरपिन्दर सिंह अमृतसर के परिसर पर।

इन छापों में अपराधी सिद्ध करने वाली सामग्री पकड़ी गई।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय् खाद्य निगम, नई दिल्ली के खाद्यान्न स्टोर डिपो, शक्ति नगर में कदाचार

8346. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न डिपो, शक्तिनगर, दिल्ली में स्थानीय कर्मचारियों की मिली-भगत से खाद्यान्न का एक पूरा वैगन जारी किया गया और इसी प्रकार उपर्युक्त डिपो में बिना उपयुक्त रिकार्ड के लगभग 400 बोरे फालतू पाये गये ; और

(ख) क्या सरकार ने शिकायतों की जांच और रेलवे स्टेशन, सब्जी मण्डी, शक्ति नगर, दिल्ली में कदाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप् मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) खाद्य भण्डारण डिपो, शक्ति नगर, दिल्ली में स्थानीय कर्मचारियों की मिली-भगत से खाद्यान्नों का एक पूरा वैगन जारी करने अथवा 400 बोरे फालतू पाए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सब्जी मंडी रेल-शीर्ष में खाद्यान्नों के 178 बोरे अधिक पाए गये थे जिनके बारे में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा हिसाब नहीं दिया जा सका था।

(ख) बिना हिसाब के उपर्युक्त बोरों के लिए तीन कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया था। उन्हें प्रमुख दंड के लिए आरोप पत्र दिया गया है और इस बीच उन्हें कार्य के गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। स्टाफ द्वारा कदाचार करने के मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित निर्णय भी किए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो डिपुओं और सब्जी मंडी रेल-शीर्ष के प्राप्ति केन्द्रों पर अचानक छापे मारेगी।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों/स्टाफ पर निगरानी रखेगी।

(3) निगम के विशेष स्क्वाड़ों द्वारा और अधिक अचानक छापे मारे जायेंगे।

वन क्षेत्र का कम होना

8347. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाँध बनाने, औद्योगिक एकक स्थापित करने, कृषि भूमि के विस्तार सड़कें बनाने और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के कारण 1982 के दशक में और इससे पहले दशक में कितना वन क्षेत्र कम हुआ है ;

(ख) वनों की कटाई की चालू वार्षिक दर कितनी है ; और

(ग) सरकार ने हिमालय के क्षेत्र और पश्चिम घाट के वन क्षेत्रों में वनों की कटाई रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार 1950-51 और 1979-80 के बीच बांध बनाने, औद्योगिक एकक स्थापित करने, सड़कों का निर्माण करने, कृषि प्रयोजनों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों हेतु वन क्षेत्र निर्मुक्त करके लगभग 43 लाख हैक्टार क्षेत्र की हानि हुई है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पश्चात् वन कटाई की वार्षिक दर कम करके लगभग 4700 हैक्टार प्रति वर्ष तक लाई गई है ।

(ग) निम्नलिखित मुख्य उपाय आरम्भ किये गये हैं :—

(1) इन क्षेत्रों में वनों की प्रबंध पद्धतियों में सुधार ;

(2) हिमालय में मृदा भूमि और वृक्ष संरक्षण ;

(3) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध ;

(4) पारिस्थितिकी तौर पर नाजुक क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास कार्य ; और

(5) वन रोपण, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी कार्यक्रम ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बरेली स्थित संस्थान में पशुओं को शीरा खिलाया जाना

8348. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बरेली स्थित संस्थान में पशुओं को शीरा खिलाए जाने के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4818 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई और जुलाई, 1982 के बीच, जब केवल 385 गायें दूध दे रही थीं, लगभग 40 क्विंटल प्रतिदिन की औसत दर से शीरा खिलाये जाने के परिणामों और आधार की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा धन तथा पशुधन की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उचित लेखा परीक्षा सहित सरकार का कब और क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1982 में शीरे पर तीन गुणा खर्च होने के कारण आई० वी० आर० आई० के निदेशक और कर्मचारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मई से जुलाई, 1982 तक के महीनों में दूध देने वाले पशुओं को ही नहीं सभी पशुओं को सीरा खिलाया गया था तथा सीरे की खपत को दूध उत्पादन से जोड़ने का शायद ही कोई प्रश्न हो ।

पशुओं को जब भी सीरा खिलाया गया, सान्द्रण आहार की मात्रा कम कर दी गई थी और इससे 1982 में अच्छी किस्म के हरे चारे की कम उपलब्धता की भी पूर्ति हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्य सान्द्रण आहार की तुलना में सीरा सस्ता है इसलिए आहार की लागत में वृद्धि से बचने के लिए इसे खिलाया गया।

इसलिए, कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसके कारण कोई हानि नहीं हुई।

राज्यों को लघु सिंचाई के लिए आबंटन

8349. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य को लघु सिंचाई के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी सिंचित भूमि तैयार की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी है तथा देश में और विशेषकर उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार अधिक धन राशि आबंटित करने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत "जल" एक राज्य-विषय है और लघु सिंचाई से, सम्बन्धित कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा स्वयं क्रियान्वित किया जाता है। छठी योजना 1980-85 के दौरान सरकारी क्षेत्र का अनुमोदित परिव्यय, छठी योजना (1980-85) के दौरान संस्थागत निवेशों का लक्ष्य, तथा 1983-84 तक किया गया संभावित खर्च और सृजित की गई सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण एक और दो में दिया गया है।

(घ) से (ङ) छठी योजना के दौरान, लघु सिंचाई से सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य 8 मिलियन हैक्टेयर है—7 मिलियन हैक्टेयर भूमिगत जल स्रोतों से और एक मिलियन हैक्टेयर भूतल जल स्रोतों से छठी योजना के दौरान संभावित उपलब्धि 7 मिलियन हैक्टेयर है अर्थात् 6 मिलियन हैक्टेयर भूमिगत जल से और एक मिलियन हैक्टेयर भूतल जल से। भूमिगत जल स्कीमों के सम्बन्ध में उपलब्धि में कमी मुख्य रूप से संस्थागत ऋण में कमी तथा पम्प सेटों के ऊर्जन में कमी के कारण है।

जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है, छठी योजना के दौरान वित्तीय आवंटनों तथा वास्तविक उपलब्धि के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

उड़ीसा राज्य	छठी योजना (लक्ष्य)	1980-83	संभावित 1983-84	1984-85 का लक्ष्य
राज्य योजनागत परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	85.0	51.10	24.0	16.0
संस्थागत निदेश (करोड़ रुपयों में)	111.0	38.50	22.30	25.0
सृजित की गई सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	406	112	64	65

राज्य के वित्तीय साधनों की स्थिति तथा राज्य द्वारा सुझाए गए सेक्टरवार आबंटनों को देखते हुए, प्रत्येक वर्ष के लिए योजनागत परिव्यय योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ परामर्श करके अनुमोदित किए जाते हैं । वर्ष 1984-85 अर्थात् छठी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है और समूचे देश के लिए प्रस्तावित राशि 393.79 करोड़ रुपए है तथा उड़ीसा राज्य के लिए यह राशि 16 करोड़ रुपए है ।

विवरण एक

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	सरकारी क्षेत्र		संस्थागत निवेश	
		छठी योजना के दौरान (1980-85) (अनुमोदित)	1980-84 के दौरान प्रत्याशित व्यय	छठी योजना के दौरान (1980-85) (लक्ष्य)	1980-84 के दौरान प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.00	44.08	225	129.41
2.	असम	74.50	60.28	9.50	5.71
3.	बिहार	168.70	150.48	193	115.29
4.	गुजरात	88.00	78.14	57	52.69
5.	हरियाणा	23.71	20.33	45.30	88.56
6.	हिमाचल प्रदेश	21.00	24.41	1.40	0.60
7.	जम्मू और कश्मीर	44.50	31.60	0.60	0.12

1	2	3	4	5	6
8.	कर्णाटक	100.00	68.29	60	48.58
9.	केरल	40.00	23.47	57	18.86
10.	मध्य प्रदेश	267.75	193.75	250	130.86
11.	महाराष्ट्र	164.6	122.04	129	137.12
12.	मणिपुर	8.50	6.25	0.70	0.50
13.	मेघालय	6.00	4.72	0.70	0.12
14.	नागालैंड	10.00	8.05	0.70	—
15.	उड़ीसा	85.00	75.10	111	60.80
16.	पंजाब	9.43	7.13	47	81.25
17.	राजस्थान	34.00	24.27	85	66.65
18.	सिक्किम	4.00	3.68	0.50	—
19.	तमिलनाडु	39.40	16.50	25	7.95
20.	त्रिपुरा	13.10	10.52	0.60	0.35
21.	उत्तर प्रदेश	279.96	228.06	283.00	185.48
22.	पश्चिम बंगाल	150.50	45.66	111	33.08
	जोड़—राज्य	1711.70	1246.81	1693	1163.98
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	29.60	22.42	7	0.29
	जोड़—अखिल भारत	1741.30	1269.23	1700	1164.27

विवरण (दो)

वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियाँ—लघु सिंचाई

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी योजना (1980-85) के दौरान लक्ष्य	1980-84 के दौरान संभावित उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	350	220.60
2.	असम	107	67.40
3.	बिहार	1015	724.00
4.	गुजरात	193	115.00
5.	हरियाणा	147	133.00
6.	हिमाचल प्रदेश	22	19.50

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	25	17.00
8.	कर्णाटक	315	103.00
9.	केरल	95	61.70
10.	मध्य प्रदेश	500	299.30
11.	महाराष्ट्र	325	234.60
12.	मणिपुर	15	9.40
13.	मेघालय	15	9.60
14.	नागालैंड	10	9.69
15.	उड़ीसा	406	176.00
16.	पंजाब	240	147.40
17.	राजस्थान	150	141.15
18.	सिक्किम	8	3.75
19.	तमिलनाडु	167	121.20
20.	त्रिपुरा	10	5.30
21.	उत्तर प्रदेश	3350	2781.00
22.	पश्चिम बंगाल	490	174.87
	जोड़—राज्य	7955	5574.96
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	45	20.21
	जोड़—अखिल भारत	8000	5595.17

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में पुस्तिकाओं का प्रकाशन

8350. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक खण्ड में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करने वालों के नाम तथा पते, उनको दी गई सहायता के ब्यौरों सहित प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर पुस्तिकाओं के रूप में जनता की जानकारी के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में वितरण हेतु प्रकाशित किया जाना आवश्यक है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड में किए गये कार्य के ब्यौरे भी उसी तरह प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रकाशित किए जाने चाहिए ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वास्तव में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में किसी भी राज्य में इस प्रकार की पुस्तिकायें प्रकाशित नहीं की जा रही हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिना किसी विलम्ब और अनिवार्य रूप से इस प्रकार की पुस्तिकायें प्रकाशित करने के लिए राज्यों से कहने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) यद्यपि, पुस्तिकाओं के प्रकाशन की बात नहीं सोची गई है, फिर भी, कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को यह सलाह दी गयी है कि लाभभोगियों की सूची और उनको दी गयी सहायता के स्वरूप का अधिक से अधिक व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में, यह कहा गया है कि लाभभोगियों के नाम और अन्य ब्यौरे खण्ड कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों पर लगाए जाने चाहिएं ।

(ख) हालांकि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक विचार-विमर्श करके परियोजनाओं का चयन किया जाता है इसलिए निर्माण कार्यों की सूची का औपचारिक रूप से प्रकाशित करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) यद्यपि, पुस्तिकाएं तो प्रकाशित नहीं की जाती, तथापि लाभभोगियों की सूची का पर्याप्त प्रचार कर दिया जाता है ।

(घ) पुस्तिकाओं का औपचारिक रूप से प्रकाशन कराने पर अधिक जोर देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।

उड़ीसा में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धनराशि का आवंटन

8351. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानित पूंजीगत परिव्यय कितना है ;

(ख) क्या उड़ीसा के पिछड़ेपन और इसकी आदिवासी जनसंख्या को देखते हुए सरकार इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि के नियतन में इस राज्य का विशेष ध्यान रखेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए छठी योजना में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसे 1983-84 और 1984-85 के दौरान उपयोग में लाया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु लगभग 460.00 करोड़ रुपए (केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र दोनों में) का प्रावधान किया गया है ।

(ख) व (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन एक निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसके अधीन खेतिहर मजदूरों तथा सीमांत कृषकों की संख्या पर 75 प्रतिशत बल तथा गरीबी के प्रभाव को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार के लिए केन्द्रीय आबंटन 10.36 करोड़ रुपए का है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा बराबर के अंशदान के रूप में सुलभ की जानी है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के मामले में, 1983-84 और 1984-85 के लिए उड़ीसा को क्रमशः 4.50 करोड़ रुपए तथा 22.50 करोड़ रुपए की धनराशि का अनन्तिम आबंटन किया गया है।

पुनर्वास और गैर-पुनर्वास रियायशी पट्टों की बिक्री

8352. **श्री आर० पी० षाडंगी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** भूमि और विकास कार्यालय के अधीन कालोनियों में रियायशी पट्टे और दिल्ली की कालोनियों में पुनर्वास रियायशी पट्टों के बारे में 27 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 248 और 345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्फ-लिंक्स कालोनी, नई दिल्ली में प्लाटों की कुल कितनी संख्या है और पुनर्वास रिहायशी पट्टे वाले इन 34 प्लाटों की क्रम संख्या क्या है और प्रत्येक प्लाट का कितना क्षेत्रफल है ;

(ख) 34 पुनर्वास पट्टे वाले प्लाटों में से प्रत्येक प्लाट के मूल आबंटियों/पट्टाधारियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में वर्तमान पट्टाधारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन 34 प्लाटों में से प्रत्येक प्लाट को मूल आबंटी/पट्टाधारी को आबंटन के बाद कितनी बार बेचा गया ; और

(घ) प्रत्येक मामले में किन शर्तों पर बिक्री की अनुमति दी गई और क्या ऐसी कोई शर्त थी कि केवल विस्थापित व्यक्ति को बिक्री की अनुमति दी जायेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गोल्फ लिंक कालोनी में कुल 236 प्लाटों में से पुनर्वास रिहायशी पट्टे वाले 34 प्लाटों के सम्बन्ध में सूचना **संलग्न विवरण** में दी गई है।

(घ) केवल विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में विक्रय अनुमति देने की ऐसी कोई शर्त नहीं है। गोल्फ लिंक (पुनर्वास पट्टे) के 34 मामलों के सम्बन्ध में पट्टाविलेख के प्रावधानों के अनुसार वही व्यक्ति सम्पत्ति खरीद सकता है जिसका दिल्ली, नई दिल्ली, छावनी में कोई प्लाट या निर्मित संपत्ति नहीं है। प्रथम बिक्री पर कोई अनर्अजित वृद्धि वसूल नहीं की जाती है और न ही भूमि किराया संशोधित किया जाता है परन्तु विक्रय की अनुमति देते समय अनुवर्ती बिक्री पर भूमि की कीमत पर 50 प्रतिशत अनर्अजित वृद्धि वसूल करने तथा भूमि की कीमत का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से भूमि किराये में संशोधन करने के बाद ही अनुमति दी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	सम्पत्ति सं०	प्लाट का क्षेत्रफल	मूल आवंटी का नाम	विद्यमान पट्टाधारी का नाम	हस्तांतरणों की संख्या	टिप्पणी
2	2	3	4	5	6	7
1.	10/1	1591.5 वर्ग गज	श्री हरबंश लाल	श्री जगदीश लाल	एक बार	
2.	10/2	1581 ,,	श्री सी० एल० कोहली	श्री सी० एल० कोहली	शून्य	
3.	10/3	2471.5 ,,	श्री यू० एस० दुग्गल	मै० इन्टरक्राफ्ट लि०	एक बार	
4.	10/5	1244 ,,	श्री एम० आर० कोहली	श्री बख्शी सत्यदेव तथा अन्य	एक बार	
5.	10/6	1245 ,,	श्रीमती सत्यावती	श्रीमती सत्यावती बेरी	शून्य	
6.	10/7	1247 ,,	श्री रमेशचन्द	श्री जे० डब्ल्यू० चावला तथा अन्य	एक बार	
7.	10/8	1248 ,,	श्री किशन लाल	श्री किशन लाल	शून्य	
8.	10/9	1249 ,,	श्रीमती सेवा देवी	श्रीमती सेवा देवी	शून्य	
9.	10/121	1249 ,,	श्री राम जुभाया	श्री राम जुभाया	शून्य	
10.	10/127	395 ,,	श्री शिबलाल	श्री शिबलाल		
11.	10/128	395 ,,	श्री रामगोपाल मेहरा	श्री ललितमोहन मेहरा	शून्य	
12.	10/129	796 ,,	श्री परमानन्द	श्री हरीश	दूसरी बार	
13.	10/130	788 ,,	श्रीमती राजकुमारी तथा अन्य	श्रीमती राजकुमारी तथा अन्य	शून्य	
14.	10/131	335 ,,	श्री कंवल राजपुरी	श्री कंवल राजपुरी	शून्य	
15.	10/133	375 ,,	श्री हरकिशन	श्रीमती अगयी कौर	एक बार	
16.	10/132	335 ,,	श्रीमती प्रेम कुमारी	श्री जगित सिंह	एक बार	
17.	10/134	375 ,,	श्री राम लाल	श्री राम लाल	शून्य	
18.	10/135	705 ,,	श्री जे० एम० मेहरा	श्रीमती कमला सेठी	दो बार	

1	2	3		4	5	6	7
19.	10/136	775	वर्ग गज	श्री एच० सी० भगत	सरदार गुरुदीप सिंह		एक बार
20.	10/137	367	,,	श्री जगम्बीर कौर तथा अन्य	श्री जगम्बीर कौर तथा अन्य		शून्य
21.	10/138ए	330	,,	श्री जसवन्त लाल	श्री जसवन्त लाल		शून्य
22.	10/138बी	330	,,	श्री एम० सी० मोहन तथा अन्य	श्रीमती शिवराज हरीशचन्द		एक बार
23.	10/139	775	,,	श्री गुरबख्स सिंह	श्रीमती अबिदा अहमद तथा अन्य		दो बार
24.	10/140	837	,,	श्री अमरीक सिंह तथा अन्य	श्री कृष्ण श्याम लाल बजाज		दो बार
25.	10/141	375	,,	श्री कार्तक सिंह	श्रीमती जयसोर सिंह		दो बार
26.	10/142	375	,,	श्री मदनलाल बजाज	श्री एन० के० वर्मा		दो बार
27.	10/143	350	,,	श्री आर० बी० सुन्दरलाल	श्रीमती विद्या ओहरा		एक बार
28.	10/144	350	,,	श्री जगतराम	श्रीमती सरोजिनी राज		एक बार
29.	10/145	772	,,	श्री अंजीत सिंह तथा श्रीमती मायावन्ती	श्री सोहन लाल मेहरा तथा अन्य		एक बार
30.	10/146	797	,,	श्री जगदीश चन्द्र तथा अन्य	मै० यू० एस० ए० एम्बेसी		एक बार
31.	10/147	350	,,	श्री हरबंश सिंह तथा अन्य	श्री हरबंश सिंह तथा अन्य		शून्य
32.	10/148	2150	,,	श्री एच० बास अहूजा	कुमारी गीता		एक बार
33.	10/4	पुनर्वास विभाग के आर० एस० सी० कार्यालय से फाइल प्राप्त नहीं हुई है।					
34.	10/10	—वही—					

मत्स्य पालन में चार्टर नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन

8353. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य पालन में "चार्टर" नीति के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां तो "चार्टर" नीति के विरुद्ध जिसके कारण हमारे मत्स्य पालन विकास को हानि पहुंची है, अभ्यावेदन में क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं ;

(ख) इस नीति के विरुद्ध उद्धृत नकारात्मक मुद्दों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रतिकूल प्रभावों की जांच और हमारे संसाधनों को विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देने के इस तरीके को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। अभ्यावेदनों में कुछ उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं—परम्परागत मत्स्यपालकों के हितों को भाड़ा नीति से हानि पहुंची है ; छोटे मत्स्यपालकों की नौकाओं और गियरों को नुकसान पहुंचा है ; और मत्स्यन भू क्षेत्रों आदि की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा है।

(ग) भाड़ा नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के बेड़े का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण ; भारतीय जहाजी बेड़े के सदस्यों को प्रशिक्षण देना ; हमारे नौवहन मात्स्यकी संसाधनों के लिए मत्स्यन में विविधता लाना और विदेशी बाजारों की स्थापना करना। भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र नियम (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य का विनियम) और भाड़े की शर्तों के अन्तर्गत भाड़े के जलयानों का प्रचालन इस प्रकार से विनियमित किया जाना है जिससे कि परम्परागत और छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा की जा सके। तथापि, नीति के प्रचालन सम्बन्धी ब्यौरों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और उसमें आवश्यकता पड़ने पर फेर-बदल संशोधन किया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वन हेतु पश्चिम बंगाल को सहायता

83 4. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना पूंजी-परिव्यय होने की संभावना है ; और

(ख) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान छठी योजना में उपयोग हेतु 600.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में लगभग 460.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए 17.74 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। इतनी ही धनराशि बराबर के अंशदान के रूप में राज्य द्वारा उपलब्ध करायी जानी है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में 1983-84 तथा 1984-85 के लिए क्रमशः 7.70 करोड़ रुपए तथा 38.5 करोड़ रुपए की धनराशि अनन्तिम रूप से आबंटित की गयी है ।

आनन्दपुर पन बिजली परियोजना के निर्माण के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच पानी का बंटवारा

8355. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के रोपड़ जिले में और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के एक भाग में आनन्दपुर पन बिजली चैनल के निर्माण के बाद पानी के बंटवारे पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत सहित परियोजना का ब्यौरा क्या है, इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में कितना पानी आयेगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों ने 4-8-1983 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि हिमाचल प्रदेश को सिंचाई तथा पीने के प्रयोजनों के लिए पंजाब नियमित रूप से 25 क्यूसेक जल रिलीज करेगा और हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में आने वाले आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल परियोजना के कार्य को पंजाब सरकार करेगी। पंजाब सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव को समायोजित करके आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए बैंक ऋणों की वसूली

8356. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए बैंक ऋणों की 1981-82 और 1983-84 में वसूली का क्या लक्ष्य रखा गया ;

(ख) इनको वर्षों में वास्तव में कितनी वसूली हुई ;

(ग) ऋणों की वसूली इतनी कम होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डों में केवल अक्तूबर, 1980 तक ही पहुंचाया जा सका है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी ऋण सामान्यतः सार्वधिक ऋण है जिसकी वसूली तीन या अधिक वर्षों में होनी है । इसको दृष्टिगत रखते हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के लिए बैंक ऋणों की वसूली के लक्ष्यों को निर्धारित करने अथवा ऋण वसूली पर नजर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

अपर कोलव बहुउद्देश्यीय परियोजना

8357. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कोलव बहुद्देश्यीय परियोजना के पूरा हो जाने पर उड़ीसा की कुल कितनी भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है ;

(ख) उक्त परियोजना कितने समय बाद चालू हो जाएगी ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपर कोलाब बहुप्रयोजनी परियोजना से 44,515 हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (211% गहनता पर 93,927 हैक्टेयर वार्षिक) की सिंचाई होगी ।

(ख) परियोजना के 1988-89 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ग) नदी व्यपवर्तन सम्बन्धी निर्माण-कार्य, जिनमें खुदाई कराकर बांध को पक्का करना शामिल है, पूरे हो गए हैं । बांध के लिए खुदाई कार्य, बांध में 61% चिनाई कार्य, बांध में 50% कंक्रीट कार्य पूरा हो गया है । हैड-रेस सुरंग की 59% खुली खुदाई तथा 97% भूमिगत खुदाई और पेनस्टाक सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है । बिजली घर का 25% कंक्रीट का कार्य, टेल रेस, चैनल पर 41% खुदाई कार्य तथा जलाशय का 17% शेष मिट्टी का कार्य भी पूरा हो गया है ।

जहां तक नहर प्रणाली का सम्बन्ध है, मुख्य नहर पर 66% मिट्टी का कार्य और कुछ पारण-जल-निकास संरचनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है । वितरण प्रणाली पर भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(घ) सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है । तथापि, केन्द्रीय जल आयोग परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति एवं कार्यक्रम की मानीटरिंग कर रहा है और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना को तकनीकी सहायता तथा सीमेंट जैसी दुर्लभ सामग्रियों की व्यवस्था करने में अन्य सहायता दे रहा है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में भू-क्षरण का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ दल का दौरा

8358. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में संयुक्त आयुक्त, भूमि संक्षरण के नेतृत्व में एक

विशेषज्ञ दल ने भू-स्थिति और अन्य समस्याओं का अध्ययन करने हेतु 27 मई, 1983 से 31 मई, 1983 तक लिटिल अन्दमान (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह) का दौरा किया था, यदि हां, तो इस विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) क्या विशेषज्ञ दल ने अन्दमान और निकोबार प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। उल्लिखित दल की टिप्पणियां और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) रिपोर्ट उनके विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को दिसम्बर, 1983 को भेज दी गयी थी।

विवरण

विशेषज्ञ दल की टिप्पणियां और सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी गयी हैं :—

1. काटे गए क्षेत्रों की मृदा और भू-दृश्य आर्द्र-उष्णीय जलवायु के अनुकूल अनेक प्रकार की कृषि और बागान फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है। मृदा उर्वरता औसत से कम प्रतीत होती है तथा मृदा में खाद और उर्वरक के उचित प्रयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। मृदाओं में भूमि के विविध प्रयोग के लिए अनुकूल भौतिक विशेषतायें हैं।

2. अधिकांश मृदायें उच्च भूमि में उगने वाली धान की किस्मों, जिनके लिए खड़े पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, के लिए उपयुक्त हैं।

3. उथली भूमि के टुकड़े, बजरीली, पथरीली तथा अन्य प्रकार से अधिक गहरी चट्टानी मृदायें और अनुकूल मृदायें घासें, प्राकृतिक वनस्पति, लघु फसलें और कुछ बागानी फसलों के उगाने के लिये प्रयोग की जा सकती हैं।

4. 3000 मि० मि० से अधिक वार्षिक वर्षा की अधिकता के बावजूद, जिसमें से 87 प्रतिशत वर्षा मई से नवम्बर तक सात महीनों के दौरान हुई, आवधिक रूप से लम्बा सूखा अनुभव किया गया। तलीय और भूमिगत दोनों प्रकार के सिंचाई स्रोतों के विकास से खरीफ की फसलें सुनिश्चित होंगी तथा अधिकांश क्षेत्रों में रबी की फसलें उगाने में भी सहायता मिलेगी।

5. फसल विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त फसल पैटर्न और प्रबन्ध पद्धतियां तैयार करने के लिए लिटल अन्दमान के सम्बन्ध में मृदाओं, जलवायु विशेषकर वर्षा से सम्बन्धित प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध हैं।

6. फसल की किस्मों, उर्वरक की मात्रा, जल की आवश्यकता, उत्पत्ति के सम्बन्ध में सुनियोजित प्रयोग, हटबे के पास कृषि फार्म तथा कृषकों के क्षेत्रों में किए जा सकते हैं और आवश्यक हुआ तो कृषि फार्म को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए।

7. कृषि, बागान और अन्य फसलों के लिए आदिवासियों द्वारा अपनायी जा रही प्रचलित प्रबन्ध पद्धतियों को प्राप्त उपज के विस्तार के साथ संकलित किये जाने की आवश्यकता है।

8. विस्तार सम्बन्धी कार्यकलाप प्राय: नहीं किए जा रहे हैं। कृषि विभाग और अन्य सम्बन्धित विभागों को मृदा परीक्षण, उन्नत बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, प्रदर्शनियों को आयोजित करना, मिनिकिट परियोजनायें और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उन्नत पद्धतियों में अधिकारियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने, विस्तार संबंधी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए।

9. लिटल अंदमान द्वीपसमूह में जलवायु और अन्य स्थितियां कीटों और कृमियों के आक्रमण के लिये अनुकूल हैं। कृमिनाशियों, कीटनाशियों बखेरने और छिड़काव सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध कराकर और आदिवासियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उपयुक्त और समय पर पौध संरक्षण उपायों के लिये विशेष व्यवस्था अवश्य की जाये।

10. लिटल अंदमान द्वीप को प्रदान किये जाने वाले नियमित संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता न केवल विस्तार कार्यकलापों की देखभाल करने के लिए बल्कि मृदा और जल संरक्षण, नमी फसल पद्धति और प्रबन्ध प्रणालियों के प्रयोग, प्रबोधन और मूल्यांकन इत्यादि की मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है।

11. आवश्यकतानुसार रेड आयल पाम उगाने के लिये आदिवासियों को राजी किया जाये। आवश्यक सलाह और सुविज्ञता उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

12. विपणन संबंधी आवश्यकताओं की पूरी तरह से जांच किये जाने की आवश्यकता है और सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिएं ताकि आदिवासी अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। सब्जियों और शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिये विपणन की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता हो, लिटल अंदमान द्वीपसमूह में शीत भंडारण सुविधायें, परिसंस्करण संयंत्र आदि को विकसित किया जाना चाहिए।

13. लिटल अंदमान और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच नियमित नौका सेवा उपलब्ध करायें जाने की आवश्यकता है। इससे उत्पादों विशेषकर नाशवान उत्पादों की कटाई को समुचित रूप से नियोजित करने के लिये आदिवासियों को सहायता मिलेगी।

14. केन्द्रीय जल आयोग अर्थात् रामाकृष्णपुर और विष्णु नाला योजनाओं द्वारा जांच की गई दो सतही जल सिंचाई योजनाओं को उनके क्रियान्वयन के लिये उच्च प्रमुखता ही दी जानी चाहिए।

15. द्वीपसमूह विशेषकर साफ किये गये और बसाए गए क्षेत्रों के भूमिगत संसाधनों की जांच करायी जानी चाहिए।

16. अत्यधिक फैलने वाले अछूते आर्द्र उष्णीय वनों की कटाई की गई और 1969 के आस-पास लिटल अंदमान में प्रबंध संबंधी व्यवस्था शुरू की गई। साफ किये गये भाग को

कृषि के अन्तर्गत लाया गया और कुछ भाग रेड-आयल के बागानों के अन्तर्गत लाया गया। वन क्षेत्रों को कृषि और बागान में बदलने विशेषकर मिट्टी की भौतिक-रसायन और जैविक विशेषताओं में आये परिवर्तन सम्बन्धी प्रभाव का अध्ययन करने के लिये यह द्वीपसमूह एक आदर्श स्थान है। सौभाग्यवश कुछ प्रमुख जानकारी उपलब्ध कराने के लिये 1962 की समतल भूमि सर्वेक्षण रिपोर्ट और जून, 1971 की मृदा सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिट्टी सम्बन्धी कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण कुछ अनुसंधान संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऐसे अध्ययन शुरू कर सकता है।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

8359. **श्री के० बी० एस० मणि : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ निश्चित दिनों के लिए काम करने के बाद स्वतः ही नियमित कर दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके मंत्रालय में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है ;

(घ) कितने नैमित्तिक श्रमिक, दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उनको नियमित नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने उनको नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क), (ख), (ङ) और (च) नैमित्तिक मजदूरों को स्वतः ही नियमित नहीं कर दिया जाता है। उन्हें तभी नियमित किया जाता है जब वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करते हों और जब कभी नियमित रिक्तियां उपलब्ध हो जाती हों। इस स्थिति में उनको नियमित करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि सुधार कानूनों में परिवर्तन

8360. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कुछ राज्य अपने भूमि सुधार कानूनों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन संसाधनों की मांग की गई है और कानूनों में उक्त परिवर्तनों का प्रयोजन क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु से संशोधनों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव काश्तकारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उपायों में सुधार, जोतों की चकबन्दी आदि जैसे भूमि सुधार के विभिन्न उपायों के बेहतर कार्यान्वयन की पद्धति को सुव्यवस्थित बनाने से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा, कुछ प्रस्तावों का उद्देश्य भूमि की नई परिभाषा जैसे बुनियादी परिवर्तन करने बेनामी हस्तांतरणों का पता लगाने, उचित भूमि प्रबन्ध का प्रावधान करने आदि के बारे में है।

गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली में रिहेब्लीटेशन और नान-रिहेब्लीटेशन रेजीडेंशियल लीज के बीच अन्तर

8361. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : **क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि और विकास कार्यालय द्वारा गोल्फलिंक्स कालोनी में लागू की गई रिहेब्लीटेशन और नान-रिहेब्लीटेशन रेजीडेंशियल लीज के बीच अन्तर की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) विभिन्न आकार के प्लाटों की प्रथम और उसके बाद की बिक्री पर अनोपार्जित वृद्धि के भुगतान, भूमि किराए (ग्राउंड रेंट) की राशि, लीज की अवधि, और दुरुपयोग अथवा अनाधिकृत निर्माण के मामले में इन दोनों प्रकार की लीजों में क्या अन्तर है ; और

(ग) क्या गोल्फ लिंक्स में रिहेब्लीटेशन सम्पत्तियां भी 27 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर में सभी रिहेब्लीटेशन सम्पत्तियों के निरीक्षण पर उल्लिखित प्रतिबंध के अन्तर्गत आती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गोल्फ लिंक कालोनी में पुनर्वास पट्टों का निष्पादन पुनर्वास विभाग ने 99 वर्षों के लिए किया था। तत्पश्चात् ऐसी शर्तों पर जैसा कि पट्टाकर्ता द्वारा आवश्यक समझा गया, पट्टाकर्ता के स्वविवेक पर गोल्फ लिंक का नवीकरण किया था। गैर-पुनर्वास रिहायशी पट्टे शाश्वत पट्टे हैं जो नीलामी या आंबंटन द्वारा बेची गई और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा निष्पादित की गई नजल भूमि से सम्बंन्धित है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां।

विवरण

(1) अनोपार्जित वृद्धि का भुगतान

पुनर्वास पट्टा में, प्रथम विक्रय पर कोई अनोपार्जित वृद्धि वसूल योग्य नहीं है। बाद में विक्रयों

पर, भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत अनोपार्जित वृद्धि विक्रय अनुमति के जारी करने के समय वसूल की जाती है जो प्लाट के आकार का लिहाज किए बिना होती है।

गैर-पुनर्वास पट्टों के मामलों में, सरकार द्वारा निर्धारित भूमि दरों के आधार पर प्रत्येक सौदे के समय अनोपार्जित वृद्धि वसूल की जाती है।

(2) भूमि किराये की राशि

गोल्फ लिंक कालोनी में पुनर्वास पट्टों में, एक रुग्ण या उसके अंश को प्रतिवर्ष प्रति 100 वर्ग गज वास्तविक भूमि किराया प्रथम विक्रय के पश्चात पुनरीक्षित नहीं किया जाता है बल्कि इसे उस समय प्रचलित भूमि मूल्य का 2½ प्रतिशत की दर पर अनुवर्ती विक्रय पर पुनरीक्षित किया जाता है। पट्टाकर्ता को आने वाले वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस पर एतद्द्वारा आरक्षित भूमि किराये का पुनरीक्षण करने का भी अधिकार है जिसमें ऐसे अनुवर्ती अन्तरण या हस्तान्तरण की तारीख से 30 वर्ष पूर्ण होंगे और तत्पश्चात प्रत्येक निरन्तर अवधि के अन्त में 30 वर्ष से कम नहीं होंगे।

इस कालोनी में गैर-पुनर्वास पट्टों में, विक्रय के समय भूमि किराये में कोई वृद्धि नहीं की जाती है। तथापि, जनवरी के प्रथम दिवस पर या बाद में भूमि किराया संशोधन करने योग्य हो जाता है तथा तत्पश्चात प्रत्येक निरन्तर अवधि के अन्त में 30 वर्ष से कम नहीं होगा।

(3) पट्टे की अवधि

पुनर्वास पट्टे 99 वर्ष के लिए हैं और गैर-पुनर्वास पट्टे शाश्वत पट्टे हैं।

(4) दुरुपयोग का अनधिकृत निर्माण के लिए हरजानों का भुगतान

इस समय दुरुपयोग प्रभारों का आकल्लन निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है :—

पुनर्वास पट्टों के लिए

$$\text{प्लाट का आकार} \times \frac{\text{दुरुपयोग किया गया क्षेत्र अनुमेय निर्मित क्षेत्र}}{} \times \text{इस प्रयोजनार्थ जिसके लिए सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जाता है, भूमि का विद्यमान पूर्वनिर्धारित वाणिज्यिक मूल्य} \times (-) \text{इस प्रयोजनार्थ जिस के लिए इसे पट्टे पर दिया गया था, भूमि का विद्यमान पूर्व निर्धारित मूल्य} \times 6 \text{ प्रतिशत}$$

गैर-पुनर्वास पट्टों के लिए

$$\text{प्लाट का आकार} \times \frac{\text{दुरुपयोग किया गया क्षेत्र अनुमेय निर्मित क्षेत्र}}{\text{अनुमेय निर्मित क्षेत्र}} \times \text{इस प्रयोजनार्थ जिसके लिए सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जाता है, भूमि का विद्यमान वाणिज्यिक दर} - \text{इस प्रयोजनार्थ जिसके लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, अन्तिम हस्तांतरण की तारीख पर भूमि की दर} \times 12\frac{1}{2} \text{ प्रतिशत}$$

बिहार के धनबाद और गिरडिह जिलों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

8362. **श्री ए० के० राय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के धनबाद और गिरिडीह जिलों में पिछले दो वर्षों के दौरान जिला-वार और राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है और कितनी धनराशि से ऋण दिये गए हैं और कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है ;

(ख) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यक्रम अधिकांशतः कागजों तक सीमित रहा है विशेषकर धनबाद जिले के चंदन केयारी क्षेत्र में जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ग) व (घ) जैसा कि विवरण से देखा जा सकता है, धनबाद जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्य-निष्पादन समग्र रूप से संतोषजनक है। भारत सरकार द्वारा खण्डवार कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

संख्या	जिले का नाम	खण्डों की सं०	वर्ष	वास्तविक		वित्तीय	
				लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धियां (संख्या)	आबंटन (लाख रु० में)	उपयोग (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धनबाद	10	1982-83	6000	7060	80.00	78.68
			1983-84	6000	4400 (15-1-84 (तक)	80.00	59.29 (15-1-84 तक)
2.	गिरिडीह	18	1982-83	10800	7237	144.00	77.23
			1983-84	10800	4410	144.00	69.91 (15-1-84 तक)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सलाहकार परिषद की बैठक में दिए गए सुझावों का कार्यान्वयन

8363. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सलाहकार परिषद की हुई एक बैठक में दिये गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था के संबंध में किए गए वितरण का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 7.11.83 को हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की चौथी बैठक में इन बातों पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि उचित दर की दुकानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, का सुनियोजित विस्तार किया जाये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखी जाये तथा उसकी नियमित परिवीक्षा की जाए, इसके अंतर्गत और अधिक वस्तुएं लाई जाएं । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं कि वे 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान के मानक को प्राप्त करने के लिए अधिक उचित दर की दुकानें खोलने के काम में तेजी लायें और इस कार्य में दूर-दराज के तथा दुर्गम क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें, विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक तथा उचित दर की दुकान के स्तर पर सतर्कता/सलाहकार समितियां गठित करें, ताकि कार्डधारियों को राशन मिल सके तथा उसकी किस्म अच्छी हो। उन्हें यह भी सलाह दी गयी है कि वे अपेक्षित आधार ढांचे को मजबूत बनायें, ताकि उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कम से कम समय लगे। आवश्यक वस्तुओं में और वस्तुएं शामिल करने के लिए टार्च सेल, रेजर ब्लेड, नहाने के साबुन तथा दियासलाइयों के निर्माताओं से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य सरकार के अभिकरणों को अपने उत्पाद उन्हीं शर्तों पर दें जिन पर वे अपने थोक विक्रेताओं को देते हैं। उन्होंने इस सुझाव को मान लिया है और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार का कार्य जारी है। देश में उचित दर की दुकानों की संख्या, जो मार्च, 1983 में लगभग 2.93 लाख थी, 1.10.83 को बढ़कर 2.97 लाख के लगभग हो गयी है।

छोटे किसान विकास एजेंसी तथा मझोले किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों की दशा में सुधार

8364. **श्री के० मालन्ना :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसान विकास एजेंसी तथा मझौले किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसी ग्रामीण निर्धनों विशेषकर कर्नाटक में, दशा की सुधारने में कहां तक सफल रही है ;

(ख) वांछित परिणाम प्राप्त करने में यदि कोई रुकावटें हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन एजेंसियों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और उन्होंने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया और शेष धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसी और समिति किसान तथा कृषि मजदूर एजेंसी योजनाओं को 2.10.1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया हैं।

(ख) व (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास और गैर-पुनर्वास कालोनियों से सरकार को प्राप्त राजस्व

8365. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** भूमि और विकास कार्यालय के अधीन कालोनियों में रिहायशी पट्टे और दिल्ली की बस्तियों में पुनर्वास आवास पट्टे के बारे में 27 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 248 और 345 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्नों के परिशिष्ट में दी गई प्रत्येक कालोनी से सरकार को भूमि तल के किराए (ग्राउंड रेंट) से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ख) उक्त प्रश्नों के परिशिष्ट में दी गई प्रत्येक कालोनी से सरकार को भूमितल किराए (ग्राउंड रेंट) के अतिरिक्त अन्य प्रभारों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा कालोनी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, निम्नलिखित दो शीर्षों के अन्तर्गत 1.1.1983 से 21.12.1983 तक की अवधि के लिए एकत्र किया गया सम्पूर्ण राजस्व निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :—

नजूल सम्पत्तियां	
भूमि किराया	3,74,921.90 रुपये
भूमि किराये के अलावा	81,78,420.38 रुपये
पुनर्वास रिहायशी सम्पत्तियां	
भूमि किराया	2,60,243.17 रुपये
भूमि किराये के अलावा	44,82,587.38 रुपये

नारियल विस्तार कार्यक्रम संबंधी अध्ययन

8366. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिन राज्यों में अब तक नारियल विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है, उन राज्यों के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में भी ऐसी कोई योजना प्रायोजित की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है जो उस राज्य में भी कार्यान्वित किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने नारियल विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कोई अध्ययन नहीं किया है । तथापि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, नारियल विकास कार्यक्रम केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा के राज्यों और पांडिचेरी, लक्ष्यद्वीप, गोवा तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना जो उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है के तहत, छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा के लिए 18.873 लाख रुपये सहित 210 लाख रुपये के कुल परिव्यय से नारियल सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम टी × डी संकर नारियल के पौधों का उत्पादन तथा वितरण और डी × टी संकर बीज उद्यानों की स्थापना करना है ।

उपरोक्त के अलावा उड़ीसा में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं—

योजना का नाम	1982-83 से 1984-85 तक योजना परिव्यय (लाख रुपये में)		
	सभी राज्यों के लिए छठी योजना का योग	सभी राज्यों के लिए बोर्ड का योगदान	उड़ीसा के लिए परिव्यय
1	2	3	4	5
1. उड़ीसा राज्य में नहर के किनारों पर नारियल का वृक्षारोपण		140.471	70.24	70.24

1	2	3	4	5
2.	क्षेत्रीय पौद्यशालाओं की स्थापना	155.10	77.55	9.69
3.	नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार	438.00	109.50	4.55
4.	सहकारी विपणन तथा परिसंस्करण समितियों को वित्तीय सहायता	70.20	24.20	3.00

लेवी चावल के लिए गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य

8367. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गुजरात सरकार द्वारा लेवी चावल की वसूली के लिए क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है और अब तक कितनी मात्रा की वसूली की जा चुकी है ;

(ख) चावल की वसूली के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) लेवी चावल की विभिन्न किस्मों के बाजार मूल्य क्या हैं ;

(घ) राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र की कितनी चावल मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ङ) इससे उन मिलों के कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(च) क्या इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चावल के मामले में गुजरात एक कमी वाला राज्य है, राज्य सरकार से लेवी चावल वसूली की प्रतिशतता कम करने का अनुरोध किया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के पास लेवी लगाने के कारण लघु-क्षेत्र में चावल मिलों के बन्द हो जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं । केवल चावल के निर्यात पर न कि आन्तरिक उत्पादन अथवा वितरण पर लेवी हैं ।

विवरण

गुजरात में चावल की लेवी की मात्रा, वसूल की गई मात्रा, लेवी मूल्य और थोक मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

लेवी की मात्रा	राज्य से बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल की कुल मात्रा का 50 प्रतिशत		
वसूल की गई चावल की मात्रा (24-2-84 तक)	3500 मीटरी टन चावल		
लेवी मूल्य	साधारण किस्म	200.00 रुपये प्रति क्विंटल	×
	बढ़िया किस्म	206.50 रुपये प्रति क्विंटल	×
	बहुत बढ़िया किस्म	212.50 रुपये प्रति क्विंटल	×
थोक मूल्य	साधारण	255 रुपये से 280 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज के बीच थे ।	**
	बढ़िया	405 रुपये से 410 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज के बीच थे।	**

× मूल्यों में बोरियों की कीमत शामिल है लेकिन परिवहन प्रभार शामिल नहीं है।

**दिसम्बर, 1983 से मार्च, 1984 के दौरान।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जोनल कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

8368. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : **क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जोनल कार्यालयों (डब्ल्यू. सी.) की स्थापना कब की गई थी और उनकी स्थापना के समय उन्हें क्या काम सौंपा गया था ;

(ख) बाद में इन कार्यालयों को क्या अतिरिक्त कार्य सौंपा गया ;

(ग) प्रत्येक जोनल कार्यालय (डब्लू. सी.) में उसकी स्थापना के समय कुल कितने कार्यभारित कर्मचारी रखे गये थे और उनमें से प्रत्येक में अब कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(घ) प्रत्येक जोनल कार्यालय (डब्लू. सी.) की स्थापना के समय और इस समय लिपिक वर्ग में श्रेणी वार पदों पर कुल कितने कर्मचारी थे और कितने कर्मचारी हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :

(क) (i) नयी दिल्ली 1.3.1966

(ii) ककक्त्ता 10.10.1969

(iii) बम्बई 10.10.1969

उन्हें सौंपा गया कार्य संग्लन विवरण I में दिया गया है।

(ख) संलग्न विवरण-II के अनुसार

(ग) **नयी दिल्ली**

(i) स्थापना के समय लगाये गये कार्य प्रभारित स्टॉप की संख्या 11,000

(ii) अब लगाये गये कार्य प्रभारित स्टाफ की संख्या 13,500

कलकत्ता

(i) स्थापना के समय लगाये गये कार्यप्रभारित स्टाफ की संख्या 2,700

(ii) अब लगाये गये कार्यप्रभारित स्टाफ की संख्या 2,183

बम्बई (दक्षिण अंचल सहित)

(i) स्थापना के समय लगाये गए कार्य प्रभावित स्टाफ की संख्या 2,500

(ii) अब लगाए गए कार्यप्रभारित स्टाफ की संख्या 3,000

(घ)	नयी दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता
1—क्षेत्रीय अधिकारी	1	1	1
2—अधीक्षक	4	—	—
3—उच्च श्रेणी लिपिक	24	6	6
4—अवर श्रेणी लिपिक	21	6	6
5—आशुलिपिक-टंकक	1	—	—
6—दफ्तरी	1	1	1
7—चपरासी	3	2	2

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से अब तक लिपिकीय स्टाफ की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विवरण I

क्षेत्रीय कार्यालय को उसके गठन के समय सौंपा गया कार्य

(1) सेवा पंजियों का अनुरक्षण तथा सुरक्षा।

(2) छुट्टियों का लेखा-जोखा रखना।

(3) सेवा कार्डों को जारी करना।

(4) मण्डल कार्यालयों द्वारा सेवा कार्डों में रिकार्ड किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवा पंजियों में सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्रों का कार्य।

(5) सामान्य भविष्य निधि तथा श्रमिक अंशदायी भविष्य निधि लेखों का लेखा-जोखा रखना।

(6) सामान्य भविष्य निधि तथा श्रमिक अंशदायी भविष्य निधि लेखों का वार्षिक विवरण प्रेषण करना।

(7) मृत्यु, सेवा निवृत्ति, नौकरी छोड़ने इत्यादि के मामले में सामान्य भविष्य निधि/श्रमिक अंशदायी भविष्य निधि का अंशदाता को प्राधिकारियों को अन्तिम भुगतान जारी करना।

(3) पेंशन तथा उपदान मामलों पर कार्यवाही करना।

विवरण II

क्षेत्रीय कार्यालय को बाद में सौंपा गया कार्य

1. प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय निरीक्षण दलों द्वारा मंडल कार्यालयों का वैयक्तिक दौरों से भुगताए गए वेतन चिट्ठों के संदर्भ में सेवाओं का सत्यापन।
2. प्रत्येक वर्ष वरिष्ठता सूचियों को पूर्ण करना (इससे पूर्व यह कार्य अधीक्षक इंजीनियर्स समन्वय द्वारा किया जाता था)।
3. स्थायीकरण के लिए पात्रता सूचियां जारी करना। — इससे पूर्व यह कार्य निर्माण महानिदेशालय द्वारा किया जाता था।
4. प्रवर ग्रेंड में नियुक्ति के लिए पात्रता सूचियाँ जारी करना। — इससे पूर्व यह कार्य निर्माण महानिदेशालय द्वारा किया जाता था।
5. सेवा पंजियों के मशीन नम्बर — इससे पूर्व यह कार्य निर्माण महानिदेशालय द्वारा किया जाता था।
6. सामान्य भविष्य निधि तथा श्रमिक अंशदायी भविष्य निधि में दोनों ही के संबंध में सम्बद्ध बीमा जमा करना। — ये नये कार्य हैं।
7. सामान्य भविष्य निधि तथा श्रमिक अंशदायी भविष्य निधियों दोनों में बोनस का हिसाब लगाना तथा उसे जमा करना। — ये नये कार्य हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों द्वारा किया जा रहा निर्माण और रख-रखाव कार्य

8369. **श्री के० ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन डिवीजनों के नाम क्या हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक डिवीजन द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से कौन से डिवीजन रख-रखाव का काम भी कर रहे हैं और वे कौन से रखरखाव के कार्य कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एयर कन्डीशनिंग यूनिटों की सफाई के लिए प्रयुक्त तेजाब

837ब. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विन्डो टाइप एयर कन्डीशनिंग यूनिटों (डब्ल्यू टी० ए० सी०) की सफाई के लिए तेजाब का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सफाई करते समय तेजाब का प्रयोग न करने से जिन यूनिटों की प्रयोग अवधि 20 वर्ष से अधिक होती है तेजाब से उनकी सफाई के कारण उनकी प्रयोग अवधि घटकर 5 वर्ष रह जाती है ;

(ग) विन्डो टाइप एयर कन्डीशनिंग यूनिटों की सफाई के लिए तेजाब का प्रयोग करने का आदेश किन अधिकारियों ने दिए और क्या आदेशों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि डब्ल्यू० टी० ए० सी० यूनिटों के "हीट एक्सचेंजर" ताम्बें की ट्यूबों और अल्यूमिनियम के पंखों (फिन) से बने होते हैं जिनका तेजाब की उपस्थिति में तेजी से क्षरण होता है ; और

(ङ) वर्ष 1983 में डब्ल्यू. टी. ए. सी. की सफाई में कितना तेजाब प्रयुक्त हुआ ; कितने यूनिटों की इस प्रकार सफाई की गई और प्रत्येक अनुभाग प्रभारी ने अपने यहां रख-रखाव पर कितनी मात्रा में तेजाब का प्रयोग किया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगाली मार्केट क्षेत्र में सरकारी फ्लैटों का रख रखाव

8371. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली मार्किट क्षेत्र, विशेषकर बाबर प्लेस और तानसेन मार्ग पर स्थित सरकारी फ्लैटों की देखभाल और रखरखाव बहुत घटिया किस्म की हैं ;

(ख) क्या प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता के पास दर्ज की गई शिकायतों पर तुरन्त और सुचारु रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकार का विचार इन फ्लैटों की उच्च अधिकारियों से निरीक्षण कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि शिकायतों को शीघ्र ही तथा उचित रूप से निपटाया जाता है ।

(ग) तथा (घ) सहायक इंजीनियर तथा कार्यपालक इंजीनियर द्वारा आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं ।

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के निर्माणाधीन फ्लैट

8372. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं, ये सम्भवत: कहां और कब आबंटन के लिए तैयार हो जाएंगे ; और

(ख) फरवरी, 1983 में हुए "ड्रा" के अलावा अगला "ड्रा" कब निकाले जाने की सम्भावना है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नवीन पद्धति योजना 1979 के अन्तर्गत निम्नलिखित कालोनियों में लगभग 13,000 मध्यम आय वर्ग फ्लैट निर्माणाधीन हैं :—

1. दिलशाद गार्डन
2. त्रिलोकपुरी
3. मयूर बिहार
4. निर्माण बिहार

5. मानसरोवर पार्क, शाहदरा
6. जहांगीरपुरी
7. वजीरपुर
8. सराय जुलाहां
9. शालीमार बाग
10. पीतमपुरा
11. जनकपुरी
12. राजौरी गार्डन
13. कालका जी
14. बोडेला (विकासपुरी)

1984-85 के दौरान इनको चरणों में पूरा किये जाने की सम्भावना है।

(ख) फरवरी, 1983 के पश्चात् मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिये 31-3-84 को लाटरी निकाली गई थी जिसमें दिलशाद गार्डन तथा पीतमपुरा में 1624 मध्यम वर्ग फ्लैट बनाये गये हैं।

माही नदी से पानी की निकासी

8373. **श्री मोला माई :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही नदी का पानी मुख्य नदी में छोड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार ;

(ग) क्या यह सच है कि आम जनता को पूर्व चेतावनी दिए बिना पानी छोड़ने से अनेक लोगों की जानें गई हैं और नदी के तल स्तर अचानक बढ़ने से नदी के तल पर स्थित फसलों को क्षति पहुंची है : और

(घ) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1983 तथा पुनः फरवरी, 1984 में माही बजाजसागर बांध से माही नदी में जो भी रिलीजें एक बार थीं, उसके पश्चात् 23 मार्च, 1984 से वही बरकरार हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि रिलीज की आयोजना की गई थी और जिला प्रशासन ने नदी तल क्षेत्र में किसी खेती की अनुमति न देने के सम्बन्ध में अनुदेश पहले ही जारी कर दिए थे। यह भी सूचित किया गया है कि 9 लाख क्यूसेक के पूर्ण बाढ़ निस्सरण की तुलना में रिलीजें लगभग 3000 से 6000 क्यूसेक की थीं। ऐसी छोटी रिलीजों से जल के अचानक बढ़ जाने की उम्मीद नहीं थी जिससे व्यक्तियों की जानों को किसी प्रकार का खतरा हो जाए। बहरहाल, यह सूचित किया गया है कि 6 अप्रैल की रात को एक व्यक्ति लापता हो गया जब वह नदी पार कर रहा था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि उस व्यक्ति की जान नदी में कम मात्राओं में पानी छोड़ने के कारण नहीं गई है इसलिये मुआवजे की अदायगी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ढोर योजना

8374. **श्री आर० एन० राकेश** क्या **कृषि मंत्री** महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ढोर योजना के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ढोर योजना केन्द्रों को वार्षिक स्वीकृत धनराशि के अनुसार धनराशि रिलीज करती है अथवा उसके विपरीत केन्द्र की कोई अन्य राशि खर्च की जाती है ;

(ख) वर्ष 1972-73 से 1983-84 तक राहुडी ढोर अनुसंधान केन्द्र को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अनावर्ती घटकों के लिए, जहां लागू है, उसकी तुलना में 'रिलीज' की गई धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ग) संकर पशुओं की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में मादा पशुओं का प्रजनन न किये जाने के क्या कारण हैं, वर्ष 1976-77 से 1983-84 तक दुधारू गायों की 'जेनेटिक' ग्रुप-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी थी और उनका दूध वार्षिक उत्पादन कितना था ; और

(घ) सहायक महानिदेशक, उप महानिदेशक (ए० एस०) और महानिदेशक ऐसे केन्द्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखने में क्या भूमिका निभा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सामान्यतः, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिस्से में उन प्रायोजनाओं के लिए जितनी वार्षिक राशि स्वीकृत (प्राप्तियों को छोड़कर) होती है, कोष उसी के अनुसार रिलीज किया जाता है ।

(ख) प्रश्न के इस भाग से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर यथा संभव रख दिया जाएगा ।

(ग) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को दूध देने वाली गायों की संख्या और आनुवंशिक वर्गवार 1980-81 और 1982-83 को उत्पादित दूध का ब्यौरा **संलग्न विवरण-I** में दिया गया है । उन वर्षों में बदली गयी जवान गायों की संख्या **संलग्न विवरण-II** में दी गयी है । 1981 के बाद सीमान्त रूप में गायों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बदली गयी जवान गायों की संख्या उतनी ही रही जितनी पहले थी ।

अन्य वर्षों—यानी 1976-77 से 1978-79 से सम्बन्धित सूचना यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के केन्द्रों के कार्य का प्रायोजना समन्वयक और मुख्यालय में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा मोनीटर किया जाता है जो केन्द्र का निरीक्षण और अवलोकन करते हैं तथा सम्बन्धित प्रायोजना समन्वय से प्राप्त होने वाली केन्द्र की आवधिक रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हैं ।

विवरण-1

गो पशुओं की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, राहुरी में उत्पादित दूध तथा आनुवंशिक वर्गवार दूध देने वाली गायों से संबंधित विवरण

	आनुवंशिक ग्रुप	1980-81 दूध देने वाली गायें (31.3-81)	1980-81 उत्पादित दूध (किलो)	1981-82 दूध देने वाली गायें (31-3-82)	1981-82 उत्पादित दूध (किलो)	1982-83 दूध देने वाली गायें (31-3-83)	1982-83 उत्पादित दूध (किलो)
1.	फाउन्डसन स्टाक	2	3454.6	1	413.2	2	426.2
2.	1/2 एफ. 1/2 एल.	65	329556.0	51	218420.0	42	1,83,064.4
3.	1/2 बी. 1/2 एल.	—	—	—	—	—	—
4.	1/2 जे. 1/2 एल.	8	61781.2	3	11459.0	3	8,104.2
5.	1/2 एफ. 1/4 बी. 1/4 एल.	—	—	—	—	—	—
6.	1/2 एफ. 1/4 जे. 1|4 एल.	67	206363.2	67	188749.2	45	1,71,069.2
7.	1/2 बी. 1/4 एफ. 1/4 एल.	37	106095.6	41	107317.6	40	1,23,170.8
8.	1/2 जे. 1/4 एफ. 1/4 एल.	38	95476.6	44	101092.6	34	1,10,954.8
9.	1/5 एफ. 1/4 बी. 1/4 एल.	—	—	—	एन. ए.	—	—
10.	1/2 एफ. 1/4 जे. 1/4 एल.	8	8639.6	21	एन. ए.	30	49,22.2
11.	1/2 बी. 1/4 एफ. 1/4 एल.	3	1901.4	7	एन. ए.	10	17,633.8
12.	1/2 जे. 1/4 एफ. 1/4 एल.	7	9024.8	9	एन. ए.	10	13,354.8
13	ओ. आर. एस.				83568.6		13,325.4

विवरण-II

एम०पी०के०वी० राहुरी में संकर नस्ल के कुल पशुओं और (अन्तर) बदली गयी जवान मादाओं की संख्या

वर्ष	गायों की संख्या	मादाओं की कुल संख्या	बदली गयी जवान मादाओं की संख्या (कालम-3 और 2 के अन्तर से)
1979-80	236	602	366
1980-81	235	606	371
1981-82	245	612	367
1982-83	224	587	363
1983-84	216	591	375

स्रोत :

लोक सभा के दिनांक 9-4-1984 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7115 के लिए प्रायोजना समन्वयक से प्राप्त सूचना।

भागीरथ (अंग्रेजी और हिन्दी) का प्रकाशन

8375. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागीरथ (हिन्दी) और भागीरथ (अंग्रेजी) के नियमित और समय पर प्रकाशन के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक संस्करण की पत्रिका के लिए पद-वार कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं ;

(ख) इन पत्रिकाओं के लिए गठित किए गए सम्पादकीय मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके क्या कार्य हैं ;

(ग) सम्पादकीय मंडल की नियमित बैठक बुलाने और उनके निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पिछले वर्ष से अब तक संपादक मंडल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है और इसके निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ङ) क्या सम्पादक के पदों को रिक्त रखा गया है और इस वर्ष अब तक उक्त पत्रिका का एक भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो सम्पादकीय मंडल की बैठक समय पर बुलाने तथा भागीरथ पत्रिका का प्रति मास प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे पर्याप्त प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भागीरथ (हिन्दी) तथा भागीरथ (अंग्रेजी) पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सभी सामान्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दोनों पत्रिकाओं के सम्पादकीय पक्ष में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या **संलग्न विवरण** I एक में दी गई है।

(ख) 10-5-1983 को यथा पुनर्गठित भागीरथ (हिन्दी) तथा भागीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादकीय मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तथा पदनाभ **संलग्न विवरण** II में दिए गए हैं। सम्पादकीय मंडल के कार्य तथा उत्तरदायित्व पत्रिकाओं के सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

(ग) सम्पादकीय मंडल का अध्यक्ष मण्डल की बैठकें आयोजित करने तथा उसके ऐसे निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है जोकि मण्डल के अधिकार में होते हैं।

(घ) सम्पादकीय मण्डल की दो बैठकें 27-5-1983 तथा 3-11-1983 को हुई थीं। इन दो बैठकों में लिए गए ऐसे निर्णयों को, जो मंडल के अधिकार में है, क्रियान्वित कर दिया गया है।

(ङ) भगीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादक का पद तत्कालीन पदधारक के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण 31-12-1983 से रिक्त पड़ा हुआ है। इस पद को भरने हेतु कार्यवाही करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। भागीरथ (हिन्दी) के सम्पादक का पद इसलिए रिक्त पड़ा है क्योंकि इस पद के भर्ती नियम अभी अधिसूचित नहीं हुए हैं। भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा भर्ती नियमों के अधिसूचित हो जाने के पश्चात् सम्पादक (भगीरथ—हिन्दी) के पद को तत्काल भर दिया जाएगा। भगीरथ (अंग्रेजी) के जनवरी, 1984 तथा अप्रैल, 1984 के अंकों का मुद्रण हो रहा है। बहरहाल, कुछ प्रशासनिक कारणों से भगीरथ (हिन्दी) के प्रकाशन में कुछ बिलम्ब हुआ है।

(च) भगीरथ (अंग्रेजी) तथा भगीरथ (हिन्दी) त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे सम्पादकीय मंडल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना और पत्रिकाओं को समय पर प्रकाशित करना संभव हो जाएगा।

विवरण-I

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	**भगीरथ (अंग्रेजी)**	
	सम्पादक	1
	भगीरथ (हिन्दी)	
2	सम्पादक	1
3	सहायक सम्पादक *	1
4	उप-सम्पादक	1

टिप्पणी 1 : स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में अनुसचिवीय तथा समूह "घ" कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

सहायक सम्पादक का पद उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जिस तारीख से सम्पादक भगीरथ (हिन्दी) का पद भरा जाएगा।

विवरण-II

10-5-1983 के पुनर्गठन के अनुसार, भगीरथ (अंग्रेजी) और भगीरथ (हिन्दी) के सम्पादकीय मंडल के सदस्यों के नाम और पदनाम

1. श्री गोकुल प्रसाद	सदस्य (आयोजना और प्रगति), केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष
2. श्री ए० एन० सिंह	सदस्य (जल-वि०), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	—सदस्य
3. श्री ए० पी० सिंह	संयुक्त सचिव (प्रशासन), सिंचाई मंत्रालय	—सदस्य
4. श्री ए० के० पाल	मुख्य इंजीनियर (सी० एम० ओ०), केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य
5 श्री एम० एम० महोदय	संयुक्त आयुक्त (जल प्रबंध), सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	—सदस्य
6. —	संयुक्त सलाहकार (सिंचाई), योजना आयोग	—सदस्य
7. श्री सी० वी० जे० वर्मा	सचिव, केन्द्रीय सिंचाई और शक्ति मण्डल, मालचा मार्ग, चणाक्य पुरी, नई दिल्ली	—सदस्य
8. डा० श्याम सिंह शशी	संयुक्त निदेशक, प्रकाशन प्रभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली	—सदस्य
9. डा० ओ० पी० शर्मा	मुख्य सम्पादक, विज्ञान प्रगति, सी० एस० आई० आर०, हिल साइड रोड, नई दिल्ली	—सदस्य
10. श्री रमेश दत्त शर्मा	मुख्य सम्पादक, "खेती", आई० सी० ए० आर०, कृषि भवन, नई दिल्ली	—सदस्य
11. —	निदेशक (तकनीकी प्रलेखन निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य

12. श्री राधा कांत भारती — सहायक सम्पादक, भगीरथ पत्रिका, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य

13. श्री एम० एम० रामचन्द्रन — सम्पादक, भगीरथ, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य-सचिव (31-2-83 को सेवा-निवृत्त हो गए हैं)

दिल्ली में व्यापार चिन्हों की अनुक्रमणिका

8376. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 में यह व्यवस्था है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सभी व्यापार चिन्ह पंजीकरण कार्यालयों (रजिस्ट्रीज) में सार्वजनिक और शासकीय प्रयोग के लिए पंजीकृत और लंबित व्यापार चिन्हों की अनुक्रमणिका रखी जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली कार्यालय में आज तक कोई ऐसी अनुक्रमणिका नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह अनुक्रमणिका दिल्ली में कब तक उपलब्ध कर दी जाएगी ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समय व्यापार चिन्हों के अधिकतम आवेदन दिल्ली पंजीकरण कार्यालय में दायर किए जाते हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली का कार्यालय व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे सूचक रख रहा है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह सच है कि वर्ष 1983 के दौरान दिल्ली में व्यापार चिह्नों के लिए सबसे अधिक आवेदन दर्ज किए गए ।

विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों का फसल पैदावार पर प्रभाव

8377. **श्री राम कृष्ण मोरे :**
श्री वी० वी० देसाई :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों का कृषि फसल पैदा कर, आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) कृषि अनुसंधान पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों का फसल की उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकियों के कारण ही खाद्य उत्पादन 1949-50 में 54 मीलियन टन से बढ़कर 1965-66 में 72.5 मीलियन टन हुआ है तथा वर्ष 1983-84 में इसके 149 मीलियन टन तक होने का अनुमान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आगे नयी प्रौद्योगिकी के अपेक्षित प्रभाव को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं ;

1. क्वालिटी बीजों का अधिक वितरण ;
2. मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा उनन्त बारानी कृषि विधियों पर अधिक बल देना ;
3. फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को गहन बनाना ;
4. एक विस्तृत क्षेत्र में पर्याप्त पौध संरक्षण उपाय ;
5. अनुसंधान के साथ विस्तार के बेहतर सम्बन्धों को बढ़ाना ;
6. किसानों के खेतों और अनुकूली परीक्षण केन्द्रों पर अनुसंधान सिफारिशों का परीक्षण ;
7. पुनर्गठित विस्तार पद्धति (प्रशिक्षण और निरीक्षण पद्धति) के माध्यम से नयी कृषि प्रौद्योमिकियों का स्थानांतरण ; और
8. किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।

(घ) कृषि शिक्षा के सहित कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी अनुसंधान पर खर्च होने वाली राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	रुपए लाखों में
1980-81	8,068.75
1981-82	9,107.30
1982-83	11;046.75

भारतीय सर्कस की कठिनाइयों सम्बन्धी ज्ञापन

8378. **श्री नारायण चौबे** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सर्कस संघ से भारतीय सर्कस की कठिनाइयों सम्बन्धी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को भारतीय सर्कस को हो रही कई किस्म की कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(घ) भारतीय सर्कस की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का यदि कोई कदम उठाने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (घ) सरकार को "इण्डियन सर्कस इन पेरिल" नामक शीर्षक से भारतीय सर्कस संघ द्वारा परिचालित ज्ञापन की जानकारी है। इस ज्ञापन में उठाये गये महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) सर्कस प्रदर्शन के लिए उजाड़/दूरस्थ स्थानों के आबंटन के परिणामस्वरूप सर्कस ट्रूप्स को वित्तीय हानि,

(ii) जंगली जानवरों की प्राप्ति, पालन और अनुरक्षण पर अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध तथा अन्य अंकुश,

(iii) विदेशी चिड़ियाघरों अथवा विदेशी देशों से जंगली जानवर खरीदने की अनुमति के लिए अनुरोध,

(iv) भारतीय सर्कस कला का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशिक्षण तथा व्यापार बढ़ाने पर अंकुश के कारण भारतीय सर्कस ट्रूप्स घिसी-पिटी, गतिहीन स्टीरियो टाइप और पुराने फैशन की बन रही है ; और

(v) रूस, चैकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और फ्रांस की भांति देश में स्थाई सर्कस स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता।

सरकार को भारतीय सर्कस ट्रूप्स के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है, इसलिए सरकार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को ये कठिनाइयां दूर करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त सलाह जारी करती रहती है।

पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई

8379. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री बहुउद्देश्यीय बांधों के विषय में नेपाल से बात-चीत के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4886 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई प्रारम्भ करने के लिए चरणबद्ध निर्धारित समय क्या

है और सिंचाई हेतु जल भूतही बालान के पूर्व में और किसानों और नेपाल सरकार के किए गए वायदे की पूर्ति हेतु दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोसी, कमला, बागमती, करनाली, राप्ती और पंचेश्वर नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांधों के लिए दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच किसी बैठक के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस पर शीघ्र कार्य हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या बिहार सरकार ने प्रस्तावित बांध को उत्तर में स्थानांतरित करने के लिए कदमों के बारे में बताया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) पिछले दशक के दौरान कोसी नियंत्रण बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार, भारत—नेपाल सीमा से भूतही-बालान नदी तक मुख्य नहर से जून, 1984 के अन्त तक लगभग 0·20 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

भूतही-बालान से कमला नदी के बीच बिहार में नहर के अगले भाग से जून, 1985 के अन्त तक लगभग 0·58 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

कमला पारण के बाद पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के निर्माण-कार्यों की, के अन्तिम भाग से जून, 1987 तक 1.30 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

(ग) उत्तर से गंगा की सहायक नदियों, जो नेपाल से प्रारम्भ होकर भारत से बहती हैं, के जल संसाधनों के इष्टतम विकास में सहयोग के लिए की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

नेपाल की महामहिम सरकार और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक फरवरी, 1984 में काठमांडू में हुई थी । इसके साथ-साथ, पंचेश्वर परियोजना से सम्बन्धित संयुक्त तकनीकी ग्रुप तथा करनाली परियोजना से सम्बन्धित समिति की बैठकें भी हुई थी । दोनों पक्ष और आगे विचार विमर्श करने के लिए अप्रैल, 1984 में बैठक करने के लिए सहमत हो गए थे ।

(घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कमला नदी के पश्चिमी में पश्चिमी कोसी नहर से खंरेखण में अप्राकृतिक घुमाव (कर्व) नहीं है और प्रस्तावित संरेखण को उत्तर की ओर स्थानान्तरित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) बिहार सरकार द्वारा 18-8-1981 को कोसी नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था । बोर्ड की पहली बैठक 7-3-1983 को हुई थी । दूसरी बैठक 13-3-84 को आयोजित करनी निश्चित की गई थी ।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा "क्लाजा" तिलहन परियोजना का संचालन

8380. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978 से डेयरी बोर्ड द्वारा जो दो वनस्पति तेल मिल भी चला रहा है, वाणिज्यिक आधार पर "कलूजा" तिलहन परियोजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो 1978 में सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का पूरा ब्यौरा और कार्यक्षेत्र क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि डेयरी बोर्ड को वाणिज्यिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं है और यदि हां, तो उसके द्वारा यह कार्य किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि आई. डी. सी. की विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापना की गई है ;

(ग) क्या डेयरी बोर्ड द्वारा यह परियोजना नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच से बचने के लिए चलाई जा रही है ;

(घ) क्या सरकार ने वार्षिक आधार पर प्रगति का मूल्यांकन, उस पर निगरानी और उसकी जांच की है और यदि हां, तो मूल उद्देश्यों और लेखा परीक्षित लेखों के सम्बन्ध में ऐसे मूल्यांकन के परिणाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या "क्लूजा" परियोजना की रिपोर्ट कब तक संसद के समक्ष रखी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना का क्रियान्वयन जुलाई, 1979 से हुआ था। सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ग्राम स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों तथा राज्य स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी संघों से संगठित सहकारी संरचना के माध्यम से तिलहन एवं वनस्पति तेलों के उत्पादन, खरीद, परिसंस्करण एवं विपणन के कार्य को एकीकृत करना है। स्वीकृत परियोजना में तिलहनों के लिए परिसंस्करण सुविधाओं को अधिप्राप्त करने तथा संस्थापित करने की भी व्यवस्था है। संगम की नियमावली तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियम एवं विनियम राज्य स्तर पर सहकारी संघ द्वारा चलाई जाने वाली कृषि विकास परियोजनाओं के संबर्धन एवं वित्त प्रदान करने से सम्बन्धित ऐसे कार्यकलापों को करने के लिए इसे प्राधिकृत करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड परियोजना को वाणिज्यिक रूप से संचालित नहीं करता है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड उल्लिखित दो वनस्पति तेल फैक्टरियों को संचालित नहीं करता है। यह गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत भावनगर वनस्पति उत्पाद यूनिट को संचालित करता है। वैधानिक औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर संयंत्र को गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को सौंप दिया जाएगा।

भारतीय डेरी निगम का सृजन उपहार में प्राप्त जिन्सों को बेच कर धनराशि के उपार्जन करने के लिए एवं आपरेशन फ्लड कार्यक्रम को वित्त प्रदान करने के लिए किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के खातों को सरकार के परामर्श से नियुक्त इसके सांविधिक

लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है। सरकार से प्राप्त अनुदानों के सम्बन्ध में भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के खातों की लेखा परीक्षा करते हैं।

(घ) परियोजना की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक संयुक्त दल ने मई-जून, 1983 में तिलहन परियोजना का मूल्यांकन किया था। दल की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई है।

(ङ) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना से सम्बन्धित संसद के प्रश्नों का समय-समय पर उत्तर दिया गया है।

सरकारी फ्लैटों (बंगाली मार्केट क्षेत्र) के आबन्टितियों द्वारा शिकायत

8381. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगाली मार्केट क्षेत्र में, विशेषकर बाबर प्लेस और तानसेन मार्ग पर स्थित सरकारी फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा प्रभारी कनिष्ठ इंजीनियर के पास कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितनी शिकायतों को आबंटितियों की सन्तुष्टि के अनुसार निपटाया गया है ; और

(ग) एक शिकायत को निपटाने में औसतन कितने दिन लगते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :

(क)	1981	2999
	1982	2622
	1983	2548

(ख) सभी शिकायतों को आबंटितियों की सन्तुष्टि के अनुसार निपटाया गया था।

(ग) 1-2 दिन।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा फाउलपाक्स वैक्सीन की सप्लाई

8382. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 फरवरी, 1984 के पाल्टरी रिपोर्टर में छपे फाउलपाक्स वैक्सीन कांड का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार किस कार्रवाई को अनियमित समझती है और तदनुसार इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का 1980 से दौरा किया है और यदि हां, तो उनकी प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट में क्या बताया गया ; और

(घ) क्या आई० सी० ए० आर० ने हाल ही में एक समिति द्वारा आई० वी० आर० आई० के कार्य निष्पादन की समीक्षा करवाई है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और आई० सी० ए० आर० द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

बूचड़खानों की संख्या में वृद्धि

8383. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में बूचड़खानों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) इनमें मांस तथा चमड़े आदि प्रयोजना के लिए कितने पशुओं का वध किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इससे दूध की उपलब्धता और पशुओं के प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में सालाना वध किए गए पशुओं की संख्या लगभग निम्न प्रकार है :—

(1) गोजातीय पशु	20 लाख
(2) भैंसे	10 लाख
(3) भेड़ें तथा बकरियां	159 लाख
(4) सूअर	6.50 लाख

(ग) राज्य पशु संरक्षण अधिनियम उपयोगी पशुओं का वध करने की अनुमति नहीं देता है। अनुपयोगी, अनुत्पाद, अलाभकर, प्रजनक दूध तथा भार ढोने के प्रयोजन के लिए अयोग्य, बड़े पशुओं का बध किया जाता है । अतः इसका पशुओं के दूध की उपलब्धता तथा प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

शीघ्र बुवाई वाली रबी की विभिन्न फसलों पर अनुसंधान

8384. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछले कई वर्षों से अप्रैल और मई में असामयिक वर्षा की दृष्टि से गेहूं और शीघ्र बुवाई वाली रबी की अन्य फसलों पर अनुसंधान का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। अगेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा पर निर्भर अवस्थाओं के अन्तर्गत मानसून की वर्षा से मृदा में संरक्षित नमी का और अधिक कारगर उपयोग करना है। अगेती बुआई वाली यह फसल संभवतः सामान्य समय से कुछ पहले तैयार हो जाती है, लेकिन यह कार्यक्रय का उद्देश्य नहीं है।

इसकी परिपक्वता कटाई की अवधि के तापमान पर निर्भर है। बहुत जल्द पकने वाली किस्में मध्यम समय में पकने वाली किस्मों से सामान्यतः कम पैदावार देती हैं। नयी किस्मों को तैयार करते समय वैज्ञानिक अगेती रोपाई के लिए थर्मो-इनसेनसेटिव किस्मों के उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। अगेती बुआई के लिए किस्मों के विकास हेतु शरद और बसंत ऋतु के गेहूं के मध्य समय में उगाने के लिए देश के अनेक केन्द्रों में संकर किस्में विकसित की गयी हैं। अगेती बुआई और अगेती कटाई के लिए अनेक देसी और विदेशी गेहूं की किस्मों का चयन किया जा रहा है। देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास हेतु पहले से ही कार्य किया जा रहा है जिसमें प्रगति जारी है।

कपास की फसल की हानि के लिए मुआवजा

8385. **श्री छोतु भाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीड़ों के कारण कपास की फसल को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा कपास उत्पादकों को मुआवजा देने की कोई नीति रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादकों को जिनकी फसलें कीड़े लगने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है, मुआवजा देने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) भारत सरकार ऐसे किसानों, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, को मुआवजा प्रदान नहीं करती है लेकिन प्रभावित किसानों को अपने सामान्य कृषि कार्यों को करने के लिए उनके पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछुआरा कल्याण कोष

8386. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मछुआरा कल्याण कोष की स्थापना का विचार था ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, वित्त पोषण के स्रोत तथा अन्य ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी इसी प्रयोजन से कोष स्थापित किए हैं ; और

(घ) क्या इन सभी कल्याण योजनाओं को समन्वयन, परस्पर व्यापी रोकथाम और सभी घटनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत लाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हाँ, । कृषि मंत्रालय ने छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 के दौरान मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष स्थापित करने हेतु मंजूरी दी है और इसके लिए 39.5 लाख रुपए का प्रारम्भिक केन्द्रीय योगदान दिया है । इस कोष का प्रमुख लक्ष्य नौवाहन और अन्तर्देशीय दोनों क्षेत्रों, के मछुआरा समुदाय को शिक्षा और स्वास्थ्य समेत मुख्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भेजी गई निर्धारित ढंग की योजनाओं को वित्त मुहैया करना है । इस कोष को मुनाफा न कमाने वाली सोसाइटी संभालेगी, जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है। इस कोष में योगदान विभिन्न स्रोतों से होगा—जैसे केन्द्रीय सरकार से अनुदान, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और धमार्थ/कल्याण संगठनों से कोष द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया जाएगा ।

(ग) कुछ राज्य राजसहायता आवास, ऋण, मौसम, राहत और मृत्यु और अपंगता के लिए तत्काल भुगतान जैसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं ।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं का वितरण

8397. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार के माध्यम से राज्य के जिलों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनकी आय बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों का वितरण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान उड़ीसा के कालाहाँडी, कोरापुट और फूलबनी जिलों में इस तरह कितने दुधारु पशुओं का वितरण किया है ;

(ग) उक्त प्रत्येक जिले में पैदा किए जा रहे अतिरिक्त दूध के लिए संग्रह केन्द्र चिलिंग प्लांट स्थापित करने और दूध बेचने के प्रबंध करने हेतु क्या समेकित कार्यवाही की गई है ;

(घ) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितना अतिरिक्त दूध एकत्र किया गया, ठन्डा किया गया और सहकारी समितियों को बेचा गया और प्रत्येक जिले के लिए पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार उक्त जिलों में पशु आहार संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, कालाहाण्डी जिले में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) क्रमशः 329, 848 और 229 दुधारु पशुओं

का वितरण किया गया ; कोरापुट जिले में 16,573 और 1705 दुधारू पशुओं, फुलबैनी जिले में क्रमश: 115,179 और 140 दुधारू पशुओं का वितरण किया गया ।

(ग) से (ङ) कोरापुट जिले में दुग्ध एकत्रीकरण तथा विपणन के लिए छह: दुग्ध मार्गों पर 35 दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियाँ पंजीकृत की गयी हैं । प्रत्येक सोसायटी 6 से 8 गाँवों की सहायता कर सकती है। कोरापुट दुग्ध संघ ने एक छोटा ट्रक खरीदा है और जैयपोर में एक चिलिंग प्लांट के लिए एक स्थान का चयन किया है । योजना और चिलिंग प्लांट के लिए अनुमान तैयार कर लिये गए हैं और टेण्डर मांगे गये हैं । इस समय प्रतिदिन 1,300 लिटर दूध एकत्र किया जा रहा है तथा बेचा जा रहा है। जैयपोर में फीडमिक्सिग प्लांट स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है।

कालाहाण्डी जिले में, भवानी पटना दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध एकत्रीकरण तथा विपणन के लिए 51 सहकारी सोसायटियाँ गठित की गयी हैं । इनमें से अब 17 सहकारी सोसायटियाँ कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भवानी पटना में एक चिलिंग प्लांट स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है । इस समय दुग्ध विपणन की समस्या नहीं है। 1982-83 के दौरान 311542.47 लिटर दूध ठण्डा किया गया था। विद्यमान फीड मिक्सिग प्लांट जो बन्द है, को पशु-पालन विभाग अथवा उत्कल गोमंगल समिति के माध्यम से पुनः चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

फूलबनी जिले के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

राजस्थान नहर का सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन जाना

8388. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल के इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि सिंचित नहर भूमि से आकर्षित होकर सीमापार से घुसपैठियों के आने के कारण राजस्थान नहर सुरक्षा की दृष्टि से एक खतरा बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

1983-84 के दौरान कालोनियों का गिराया जाना

8389. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी अनाधिकृत कालोनियां हैं, जिनके संबंध में

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें गिराने के लिए 1983-84 में सरकार के आदेश प्राप्त कर लिए थे ; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें गिराने से पूर्व उनको नियमित करने के प्रश्न पर सभी दृष्टिकोण से विचार कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सरकारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जा रहा है जिसमें 30-6-77 तथा 16-2-77 तक निर्मित क्रमशः रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनायें शामिल हैं। अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए सरकारी आदेशों के अन्तर्गत न आने वाले अनधिकृत निर्माणों को गिराये जाने के विरुद्ध कंतिपय अभ्यावेदन दिये गये थे तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यदि ये निर्माण अनधिकृत कालोनियों की नियमितीकरण नीति के अन्तर्गत नहीं आयेंगे तो इनको गिराने की उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

राज्यों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए धन की व्यवस्था

8390. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकार ने सिंचाई और ऊर्जा को बुनियादी क्षेत्र में शामिल किया है और इसलिए आवंटन करते समय इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) क्या पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार का विचार इसे और अधिक प्राथमिकता देने और इसके लिए अधिक प्रावधान करने और राज्यों से भी ऐसा करने के लिए कहने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) योजना आयोग, जो कि इस पहलू से सम्बन्धित है, ने सूचित किया कि किसी भी क्षेत्र को "बुनियादी क्षेत्र" बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन चूंकि सिंचाई तथा विद्युत के अधसंरचनात्मक क्षेत्र मूल-भूत नाजुक तथा सामारिक महत्व के हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ख) तथा (ग) नये 20 सूत्री कार्यक्रम सूत्र सं० 8 के अन्तर्गत 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार पता लगाये सभी समस्याग्रस्त गांवों को 31 मार्च, 1985 तक स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करके सामान्वित करने का प्रयास है। शतप्रतिशत जनसंख्या को मार्च, 1991 तक पेयजल सुविधाएं देकर लाभान्वित करना अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम का उद्देश्य है।

जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करने के लिए

योजनाएं राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम में दी गई निधियों से बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। पता लगाये गये समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र अनुदान सहायता देकर राज्यों के प्रयासों को बढ़ाता है। छठी योजनावधि के दौरान, ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1407.11 करोड़ रुपये की राशि तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए० आर० पी०) के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की राशि मुहैया की गई है। इसके अतिरिक्त, 1983-84 के दौरान निष्पादन पर आधारित केन्द्र की नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये की राशि मुहैया की गई थी। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता देने के लिए 1984-85 के बजट में 242.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रवधान किया गया है। 1984-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना भी चालू रहेगी।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के क्षेत्र में बांधों का निर्माण

8391. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र के बीच के क्षेत्र में (गडचिरौली, राजनन्दगांव, दूर्ग, बस्तर, चन्द्रपुर और भण्डारा जिलों में इचनपल्ली, भोपालपट्टम, तालतुली और कधानी में बांधों का निर्माण करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पचास हजार जनजाति/आदिवासी लोग विस्थापित होंगे, विशाल वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, क्षेत्र का वन्य जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा और सम्पूर्ण पारिस्थितिक और आवास संतुलन बिगड़ जाएगा ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के जनजाति/आदिवासी लोगों ने महान मानवतावादी और कोढ़ियों के रक्षक श्री बाबा आम्टे के नेतृत्व में 9 अप्रैल, से "जंगल बचाओ, मानव बचाओ" नामक विशाल मार्च करने की योजना बनाई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन बांधों के संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इचमपल्ली, भोपालपट्टम, तुलतुली और कथानी में बांधों के निर्माण करने के प्रस्ताव हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 66,000 की कुल जनसंख्या और लगभग 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है। प्रभावित होने वाली जनसंख्या में जनजातियों और आदिवासियों की कुछ जनसंख्या होगी। इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने से पूर्व इन परियोजनाओं के पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान सम्बन्धी प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) तथा (घ) जनजाति की जनसंख्या, जो प्रभावित होगी, के बीच रोष व्याप्त है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं में विस्थापितों होने वाली जनसंख्या के लिए पर्याप्त मुआवजे की अदायगी और पुनर्वास की व्यवस्था है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में बूचड़खाना खोलना

8392. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में एक बूचड़खाना खोलने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ धार्मिक निकायों ने इसका विरोध किया है ; और

(ग) इस प्रकार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मांसाहारी जनसंख्या के लिए साफ तथा पौष्टिक मांस का उत्पादन करने का सरकार का विचार है । अतः वर्तमान बूचड़खाना, जो शहर के मध्य में तथा बहुत घने क्षेत्र में स्थित है, से वध के कार्यकलापों को दूसरी जगह हटाने की दृष्टि से, दिल्ली प्रशासन का दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में आधुनिक बूचड़खाना तथा मांस परिसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पौष्टिक मांस का उत्पादन करने के लिए तथा पशु उपोत्पादों का उपयोग करने के लिए तथा पशु उपोत्पादों का उपयोग करने के लिए परिस्थितियां पैदा की जायें । इससे पशुओं को पीड़ा भी कम होती है ।

मध्य प्रदेश में अयाकट एजेंसियों के लिए अतिरिक्त धनराशि

8393. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में अयाकट एजेंसियों के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82 1983-84 में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ग) वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कमान एरिया विकास एजेंसी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) कमान क्षेत्र विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों को केन्द्रीय अनुमोदित मदों पर प्रत्येक वर्ष बराबर के हिस्से के आधार पर किस्तों में रिलीज की जाती है । राज्य को अनुमोदित मदों पर समग्र रूप से सहायता रिलीज की जाती है तथा विभिन्न कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को आबंटन राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है । पिछले चार वर्षों के दौरान किए गए आबंटन तथा उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण एक में दिए गए हैं ।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम के मुख्य कार्यकलाप, फील्ड चैनलों का निर्माण, भूमि समतलन तथा

बारबन्दी हैं । इन कार्यकलापों के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों के दौरान उपलब्धियां संलग्न विवरण दो में दी गई हैं ।

विवरण एक

मध्य प्रदेश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय		केन्द्रीय सहायता	
	अनुमोदित	वास्तविक	रिलीज की गई	उपयोग की गई
1980-81	650	1256.24	336.28	336.28
1981-82	1204	1449.66	339.49	339.49
1982-83	1900	1577.75	331.48	331.48
1983-84	2185	2319.22 (संभावित)	548.37	548.37 (संभावित)

विवरण दो

मध्य प्रदेश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियां

(हजार हैक्टेयर)

वर्ष	फील्ड चैनल	भूमि समतलन	बारबन्दी
1980-81	7.75	4.30	कोई नहीं
1981-82	47.09	5.64	4.52
1982-83	73.62	3.77	5.27
1983-84	102.00 (संभावित)	8.00 (संभावित)	20.00 (संभावित)

बनास नदी पर बांध बनाने के लिए राजस्थान का प्रस्ताव

8394. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बनास नदी पर बांध के निर्माण के बारे में एक योजना स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) इस योजना से सिंचाई, बिजली, पीने के पानी आदि के रूप में होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है और उसका अनुमानित परिव्यय कितना है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवत: बिसालपुर (बानस) सिंचाई परियोजना का उल्लेख किया गया है । राजस्थान सरकार से इस परियोजना की रिपोर्ट पर तकनीकी जांच करने तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में मई 1982 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 91.60 करोड़ रुपए है जिसमें 60000 हैक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने तथा अजमेर शहर तथा उसके मार्ग में आने वाले कुछ अन्य कस्बों को 240 मिलियन घनमीटर पेयजल की आपूर्ति करने की परिकल्पना भी की गई है । इस परियोजना में विद्युत उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इस परियोजना के कुछ पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां तथा पर्यावरणात्मक पहलुओं पर पर्यावरण विभाग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं, जिसको अभी उत्तर भेजने हैं । राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त हो जाने तथा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही स्वीकृति के लिए परियोजना पर आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

फूलों का विपणन

8395. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के द्वारा फूल-उत्पादकों के लाभ के लिए फूलों के विपणन हेतु कोई कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) वाणिज्यिक फूलों के उत्पादन के अन्तर्गत विपणन का क्षेत्र बहुत थोड़ा है । अतः फूलों के विपणन के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ राज्य सरकारें उत्पादकों में वितरण करने के लिए फूलों के बीजों और पौधों का संवर्धन कर रही है । दिल्ली प्रशासन ने आन्तरिक एवं निर्यात मण्डियों के लिए फूलों के उत्पादन, भण्डारण और विपणन हेतु छठी योजना में एक स्कीम मंजूर की है। इस योजना को सातवीं योजना के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है। कर्नाटक में वाणिज्यिक फूलों की खेती के लिए एक योजना सात जिलों में चल रही है। कर्नाटक में निर्यात हेतु बीजों, पौद और कंदों के उत्पादन के लिए एक अन्य योजना को सातवीं योजना के लिए तैयार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश ने भी फूलों के निर्यात हेतु फूलों के उत्पादन के लिए सातवीं योजना के लिए एक योजना का प्रस्ताव पेश किया है ।

केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो फलों सब्जियों एवं फूलों के विपणन के लिए अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेगा ।

डेयरी उत्पादों का उत्पादन

8396. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसमें से भारत में कार्यरत बहुतराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उत्पादों का कुल कितना आयात किया गया ;

(ग) यदि इस क्षेत्र से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तो वह क्या है ; और

(घ) क्या हमारे देश में डेयरी उत्पादों का उत्पादन छठी योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में वर्ष 1981, 1982 और 1983 में डेरी उत्पादों का कुल अनुमानित उत्पादन और डेरी उत्पाद विनिर्मित करने वाली वे कम्पनियाँ जो विदेशी इक्विटी रखती हैं, का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मीटरी टनों में)

मद	कुल उत्पादन	विदेशी साम्य पूंजी रखने वाली कम्पनियां
1. दुग्ध चूर्ण	1,13,420	6637
2. शिशु दुग्ध आहार	1,24,600	33634
3. माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार/माल्ट मिश्रित आहार	62,918	48291

(ख) डेरी उत्पादों का वाणिज्यिक आयात नहीं किया जाता है। वर्ष 1981-82 से 1983-84 (फरवरी, 1984 तक) के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में प्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और मक्खन की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

मद	मीटरी टनों में
1. स्किम दुग्ध चूर्ण	1,20,539.300
2. बटर आयल	23,965.480
3. मक्खन	7,424.000

(ग) हालांकि विद्यमान कानून के तहत दुग्ध आहारों और माल्ट मिश्रित आहारों के मामले में किसी विशेष क्षेत्र के पक्ष में आरक्षण करने की व्यवस्था नहीं है, सरकार की यह नीति है कि राजकीय तथा सहकारी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) 1980 से 1983 तक दुग्ध चूर्ण और शिशु दुग्ध आहार के उत्पादन में वृद्धि हुई। इनके तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	दुग्ध चूर्ण (स्किम तथा पूर्ण)	मीटरी टनों में शिशु दुग्ध आहार
1982	34,530	41,718
1983 (अनन्तिम)	47,000	45,800

तथापि, छठी योजना में डेरी उत्पादों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए हिसार कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रो बायोलोजी विभाग द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी

8397. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिसार कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रो बायोलोजी विभाग द्वारा विकसित उस प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित किया है जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसानों को इस नई तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भा० कृ० अ० प० समन्वित जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और कार्बनिक पदार्थों को अपघटन तथा शहरी और ग्रामीण व्यर्थ पदार्थों के पुनर्चक्रण प्रायोजना का केन्द्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के सूक्ष्म जैव विभाग में स्थित है । विभाग ने प्रभावी राइजोबियम विभेदों का विकास किया है जो फलीवाली फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया के सहयोग से वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है ।

फासफोरस समृद्ध कम्पोस्ट (फॉस्को कम्पोस्ट) तैयार करने के लिए एक सरल प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है जिसमें मसूरी रॉक फास्फेट और कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों का उपयोग किया गया है । इस फास्को कम्पोस्ट पदार्थ में 6.5 से 3.0 प्र० श० तक कुल फास्कोरस तत्व होता है और यह फास्फेटिक उर्वरकों के आंशिक स्थानापन्न के रूप में कार्य कर सकता है । गेहूं, अरहर, मूंग और लोबिया पर किए गए परीक्षणों में देखा गया है कि यह सिंगल सुपर फ़ास्फेट की तरह ही प्रभावी है ।

(ग) इस प्रौद्योगिकी के संबंध में विश्वविद्यालय किसानों को शिक्षित करने और उन्हें उसकी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान मेला तथा फील्ड दिवस आदि आयोजित करता रहा है ।

राइजोबियम कल्चर के लाभकारी प्रभावों को बताने के लिए किसानों के खेतों पर फील्ड प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं ।

सिंचाई पर निवेश

8398. **श्री जेवियर अराकल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने सिंचाई पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है और भारी नुकसान उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से अब तक का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्यों को सिंचाई के लिए काफी बड़ी धनराशि दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका वर्ष 1980 से बाद का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1979-80 के अन्त तक वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर 12254 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जा चुका था । छठी पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 11902.66 करोड़ रुपये का परिव्यय है ।

माननीय सदस्य संभवतः सिंचाई परियोजनाओं से हुए वित्तीय लाभों तथा इस संबंध में हुई हानि का उल्लेख कर रहे हैं । इस संबंध में 1980-81 से 1982-83 तक के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में हानि
1980-81	403.22
1981-82	424.75
1982-83	648.05

ऐसी हानियों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनकी समूची विकास योजना के ढांचे के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहायकों (असिस्टेंट) को अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति

8399. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय कार्य विभाग में सहायकों के ग्रेड में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) वर्ष 1977 से 1983 के दौरान नियमित आधार पर कितने सहायकों को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है ;

(ग) अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणी कर्मचारियों की, वर्ष वार कितनी पदोन्नतियां की गयी हैं ;

(घ) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के प्रत्येक मामले में सामान्य श्रेणी के कितने कर्मचारियों का अधिलंघन किया गया है ;

(ङ) अधिलंघन करने वालों की तुलना में सामान्य श्रेणी के अधिलंघित कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम क्या है ;

(च) क्या वर्ष 1977 में जिन सहायकों का अधिलंघन किया गया था उन्हें अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है ; और

(छ) अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की योग्यता और वरिष्ठता पर विचार किए बिना, बारी के अपने वरिष्ठ सहकार्मियों से पहले पदोन्नति किए जाने के क्या कारण हैं जबकि नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पहले ही काफी रियायत दी जाती है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 22

(ख)	वर्ष	अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत किए गए सहायकों की संख्या
	1977	—
	1978	—
	1979	1
	1980	4
	1981	1
	1982	—
	1983	—

(ग) अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के सहायकों को दी गई पदोन्नति की संख्या निम्नलिखित है :—

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
अनुसूचित जाति	—	—	—	1	1	—	—
अन्य श्रेणी	—	—	1	3	—	—	—

(घ) वर्ष 1980 में जब अनुसूचित जाति के एक सहायक को अनुभाग अधिकारी के पद पदोन्नति की गई तो सामान्य श्रेणी के दो सहायकों का अधिलंघन हुआ और वर्ष 1981 में जब अनुसूचित जाति के एक सहायक की अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई तो सामान्य श्रेणी के सात सहायकों का अधिलंघन हुआ ।

(ङ) अधिलंघन करने वाले की तुलना में सामान्य श्रेणी के अधिलंघित सहायकों की वरिष्ठता का क्रम निम्नलिखित है :—

1. श्री बी. सी. राय (अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत हो चुके हैं)

2. श्रीमती सतीश मल्होत्रा (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रही है)

3. श्री अमर चन्द (अनुसूचित जाति) (अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत हो चुके हैं)

4. श्री गोपाल कृष्ण

5. श्री के. के. ठाकुर

6. श्री प्रीतपाल सिंह

7. श्री विजय खन्ना

8. श्रीमती संतोष प्रभा

9. श्री बी. एस. मल्होत्रा

10. श्री तोता राम (अनुसूचित जाति) (अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं)

(च) वर्ष 1977 में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कोई पदोन्नति नहीं की गई थी।

(छ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।

संसदीय विशेषाधिकारों को संहित बद्ध करना

8400. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध न किए जाने के कारण समाचार पत्रों को संसद की कार्यवाही को, विशेषाधिकारों को प्रभावित किये बिना विस्तार से प्रकाशित करने में प्रायः कठिनाई होती है ;

(ख) क्या ऐसी स्थिति में प्रायः समाचार पत्रों, संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव भी हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा अवांछित टकराव न होने के लिए संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रस्ताव की गहन जांच की जाएगी और उसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य, निर्माण और आवास तथा खेल मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) प्रश्न में दिये गये विषय पर दूसरे प्रैस आयोग द्वारा विचार किया गया था। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय 4 के पैरा 110 में सिफारिश की है कि संसद और राज्य विधान मण्डलों के विशेषाधिकारों को यथाशीघ्र संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरे प्रैस आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

8401. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चलाती है, यदि हां, तो प्रत्येक फार्म कहां-कहां स्थित हैं उनके शुरू होने की तारीख से प्रत्येक के योजना-वार खर्च, दूध देने वाली गायों, ओसर और बछियों और नस्लवार सांडों का वर्ष 1980 1982 1983 की पहली जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसम्बर और 1984 में मासवार का फार्मवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन फार्मों के उद्देश्यों और कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति गठित की है यदि हाँ, तो प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसमें सापेक्षता और विषय परकता के लिए राज्यों के किसी भूतपूर्व पशु पालन निदेशक को शामिल किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । सात केन्द्रीय प्रशु प्रजनन फार्मों के स्थान तथा शुरू होने की तारीख निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संघ	केन्द्रीय पशु प्रजजन फार्म	स्थापना का वर्ष
1.	हैस्सरघट्टा, बंगलौर (कर्नाटक)	1962
2.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	1967
3.	चिपलिमा (उड़ीसा)	1968
4.	धामरोडु (गुजरात)	1968
5.	सिमिलीगुड़ा (उड़ीसा)	1972
6.	अवादी, मद्रास (तमिलनाडु)	1973
7.	अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश)	1976

इन फार्मों पर व्यय तथा पशुओं की संख्या के बारे में मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी हां । 29-11-1983 को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1. डा० पी० भट्टाचार्य, अध्यक्ष
   भूतपूर्व, पशु पालन आयुक्त तथा
   सदस्य, राष्ट्रीय कृषि आयोग ।

2. डा० वी० के० तनेजा, सदस्य
   परियोजना समन्वयक (पशु प्रजनन)
   भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
   इज्जतनगर, बरेली

3. डा० पी० एन० भट्ट सदस्य
   निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,
   मुखदम, फराह (उत्तर प्रदेश)

4. डा० जे० एम० लाल, सदस्य
सेवानिवृत्त, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पशुधन स्वास्थ्य)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

5. डा० पी० एस० तोमर सदस्य
वरिष्ठ वैज्ञानिक,
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान,
करनाल (हरियाणा)

6. डा० बी० एस० फौरल सदस्य-सचिव
संयुक्त आयुक्त (केन्द्रीय प्रजनन फार्म)
कृषि और सहकारिता विभाग

(ग) जी नहीं । तथापि एक भूतपूर्व पशु पालन आयुक्त जो राष्ट्रीय कृषि आयोग का भी सदस्य था ; इस समिति का अध्यक्ष है ।

वर्ष 1984 के दौरान सरकारी आवास का आबंटन

8402. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों को आवास प्रदान कर दिया जाता है ;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1985 तक टाईप एक, दो, तीन चार तथा अन्य प्रकार के कितने क्वार्टरों का निर्माण हो चुका था तथा अप्रैल, या उसके बाद आवंटित किए जाने के लिए तैयार होंगे ;

(ग) चालू आवंटन वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, किस प्राथमिक तारीख तक, क्वार्टर आवंटित हो जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आवंटन अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का है और यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, यो उसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस बारे में कोई अवधि निर्धारित नहीं है। तथापि, दिल्ली में टाइप "ए" से "डी" तक के सामान्य पूल रिशी यशी बास के आबंटन के लिए किसी पात्र अधिकारी की बारी सेवा के लगभग 18 से 23 वर्ष के बाद ही आती है ।

(ख) दिल्ली में सामान्य पूल वास के ब्यौरे इस प्रकार हैं ।

वास का टाईप	उपलब्ध एककों की संख्या	
	31.21.83 को ×	31.12.83 के पश्चात अद्यतन सम्मिलित अतिरिक्त एकक
ए	13,382	40
बी	17,514	324
सी	15,829	584
डी	5,370	—
ई	1,868	—
ई—I	503	—
ई—II	102	—
ई—III	60	—

× इस कालम के आंकड़ों में विभिन्न विभागीय पूलों/अपात्र संगठनों आदि को अस्थाई रूप से दिए गए एकक शामिल नहीं हैं।

(ग) यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर होगा :—

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौंपे जाने वाले नए क्वार्टरों की संख्या, और

(ii) आवंटियों के तबादले/सेवा, निवृत्ति आदि के कारण उपलब्ध खाली क्वार्टरों की संख्या।

(घ) चालू आवंटन वर्ष की बढ़ाई गई अवधि 1.4.82 से 31.3.85 तक है इस समय इसे आगे और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपास का उत्पादन

8403. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) कम उत्पादन का मुख्य कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1980-81 से 1982-83 तक के वर्षों के दौरान कपास का अखिल भारतीय उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कपास का उत्पादन	
	लिंट के रूप में (170 किलोग्राम की लाख गांठें)	कपास के रूप में (लाख मीटरी टन)
1980-81	70.1	35.9
1981-82	78.8	40.5
1982-83	77.2	39.7

1982-83 के दौरान कपास का उत्पादन कपास-उगाने वाले कुछ राज्यों, विशेष रूप से गुजरात में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 1981-82 की तुलना में मामूली कम था।

भूमि चकबंदी

8404. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि चकबंदी पर अत्यधिक जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में भूमि चकबन्दी कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस राज्य में भूमि की चकबंदी के सम्बन्ध में अब तक जिला-वार क्या प्रगति की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां। कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभी तक 38 लाख 66 हजार हैक्टेयर भूमि की चकबन्दी की गयी है। जिला-वार प्रगति भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। राज्य में चकबन्दी कार्यक्रम को सर्वेक्षण तथा भूमि बन्दोबस्त के साथ जोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, छठी योजना अवधि के दौरान किसी भी क्षेत्र की चकबन्दी नहीं हो पायी है।

विवरण

इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर अब एक देश में की गई भूमि की चकबन्दी के क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	चकबन्दी का क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	3.31
असम	—
बिहार	7.57
गुजरात	17.45
हरियाणा	3.17
जम्मू तथा कश्मीर	0.47
मध्य प्रदेश	38.66
महाराष्ट्र	161.21
कर्नाटक	10.83
उड़ीसा	2.65
पंजाब	90.40
राजस्थान	17.12
उत्तर प्रदेश	150.18
पश्चिम बंगाल	—
दिल्ली	2.57
हिमाचल प्रदेश	2.74
	508.33

दिल्ली दुग्ध योजना के पौलीपैक दूध के मूल्यों में वृद्धि

8405. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पौलीपैक दूध के मूल्य 3.50 रु० से बढ़कर 3.80 रु. प्रति लीटर हो गए है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के पोलीपैक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचे जाते हैं :

(ग) यदि हां, तो जो व्यक्ति दुग्ध योजना के पोलीपैक दूध अधिक मूल्यों पर बेचते हैं; उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के पोलीपैक दूध के प्रति लीटर बिक्री मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं को पोलीपैकों में मानकीकृत दूध 3.80 रुपए में एक लीटर की थैली तथा 1.90 रुपए में आधे लीटर की थैली की दर से बेच रही है ।

पोलीपैकों में पूर्ण क्रीमयुक्त दूध मदर डेरी द्वारा उपभोक्ताओं को 4.50 रुपए में एक लीटर की थैली तथा 2.25 रुपए में आधे लीटर की थैली की दर से बेचा जा रहा है ।

लेवी चीनी के बारे में उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित मापदंड

8406. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री चीनी के लेवी मूल्य के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4843 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित क्या विभिन्न सुविज्ञ मापदंड हैं ;

(ख) क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट या सिफारिशें सभा पटल पर रखी हैं ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या सरकार वर्तमान रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित सुविज्ञ पैरामीटर सौलह चीनी मूल्य जोनों के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, गन्ने पर क्रय-कर आदि, मानक रिकवरी के लिए मानक रूपान्तरण लागत और उपयुक्त रूप से समायोजित अवधि और लाभ से सम्बन्धित है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की अद्यतन रिपोर्ट (अगस्त, 1983) सरकार की आन्तरिक रिपोर्ट है, जिसे सभा के पटल पर रखना अपेक्षित नहीं होता है ।

बारानी खेती के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी और आदानों का विकास और प्रसार

8407. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय ने बारानी खेती के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी और आदानों के विकास और प्रसार पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कार्यक्रमों को कहां तक लागू किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बारानी खेती करने वाले किसानों के लिये प्रौद्योगिकी और आदानों के विकास और प्रचार के लिये गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

क्रम सं०	कार्यक्रम	इकाई	1982-83	1983-84
1.	फसल पद्धति की विविधता	(हैक्टार)	157045	53897
2.	मिश्रित खेती	,,	85895	52276
3.	दलहन कार्यक्रम	,,	1710000	1846768
4.	तिलहन कार्यक्रम	,,	809000	916210
5.	गैर धान के बीज मिनिकिटों का वितरण	(संख्या)	98886	99768

इनके अतिरिक्त, बारानी खेती के विकास का निरीक्षण करने के लिए राज्य, जिला और व्यापक जलविभाजक स्तरों पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और व्यापक जलविभाजक विकास के माध्यम से बारौनी भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए 370 सूक्षम जल विभाजकों का पता लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्य के कोरापुट जिले में क्रियान्वयन के लिए बारानी खेती के अन्तर्गत दो योजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) बारानी खेती के क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण। उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए मार्गदर्शी परियोजना सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जिसे पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 6 से 7 उप-जल विभाजकों जिनके अन्तर्गत लगभग 600 से 700 हैक्टार क्षेत्र आता है, को व्यापक रूप से विकसित किया जायेगा ; और (2) 'बारानी खेती के विकास' सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना—बीज तथा उर्वरक के ड्रिलों को लोकप्रिय बनाना, फसल की उन्नत किस्म को उगाना, उर्वरकों का प्रयोग। इस योजना को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना प्राधिकरणों के उपकरणों और निःशुल्क दिये गये आदानों की

सहायता से किसानों के खेतों पर प्रत्येक 0.5 हैक्टार के 3200 प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 4000 किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराये गये आदानों और रियायती दरों पर उपलब्ध कराये गये बीज तथा उर्वरक ड्रिलों की सहायता से 4000 प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा।

राजस्थान में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

8408. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है ;

(ख) क्या इस समय टोंक के लिए किसी बड़ी सिंचाई परियोजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सिंचाई परियोजनाएं जो इस समय राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, निम्न प्रकार से हैं :—

	प्रत्याशित सिंचाई लाभ (1983-84) हजार हैक्टेयर में
1. भाखड़ा नंगल (पूर्ण परियोजना) (राजस्थान का हिस्सा)	230.70
2. चम्बल काम्पलेक्स*	216
3. माही बजाज सागर*	25
4. राजस्थान नहर* (चरण एक तथा दो)	677
5. गुड़गांव नहर	20
6. चम्बल लिफ्ट स्कीम**	3

*छठी योजना-पूर्व स्कीमें

**छठी योजना की नई स्कीमें

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने केन्द्र को बिलासपुर (बानस) बृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की है, जिससे टोंक जिले को भी लाभ पहुंचता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 91 करोड़ रुपए है और इसमें 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई लाभ प्रदान करने तथा अजमेर शहर तथा मार्ग में आने वाले कुछ अन्य कस्बों को लगभग 240 मिलियन घन मीटर पेयजल सप्लाई करने की परिकल्पना भी की गई है।

दिल्ली में किराया नियंत्रकों को अधिक शक्तियां

8409. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन नियुक्त किराया नियंत्रकों को वादियों पर झूठी गवाही के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन मुकदमा चलाने के अधिकार नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके परिणामस्वरूप, वादी शपथ पर गलत शपथ-पत्र, गलत प्रमाण और गलत सत्यापन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में किराया नियंत्रक न्यायालयों में ये मामले वर्षों तक चलते रहते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों/वादियों पर जो पीड़ित पार्टियों को हानि पहुंचाने या उन्हें न्याय विलम्ब से पहुंचने के लिए शपथ पर गलत बयान देते हैं ; अभियोग चलाने के लिये किराया नियंत्रकों को प्राधिकृत करने हेतु दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम और अन्य अधिनियम में संशोधन करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बताया है कि यह कहना सही नहीं होगा कि सभी वादी शपथ पत्र पर गलत शपथ-पत्र, गलत प्रमाण और गलत सत्यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में किराया नियंत्रक के पास सभी मामले वर्षों तथा चलते रहने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली किराया नियंत्रक के पास लम्बित मामले

8410. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली में किराया नियंत्रक न्यायालयों में लम्बित मामलों की समय-समय पर समीक्षा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1980, 1981, 1982 और 1983 का (वर्षवार) समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के अन्त में दिल्ली में इस प्रकार के कितने मामले लम्बित थे ;

(ग) ऐसे कितने मामले 15 वर्षों में अधिक समय से 10 वर्षों और 5 वर्षों और उससे अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) क्या सरकार, शीघ्र न्याय और मुकदमों पर वादियों के लिये शीघ्र कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली किराया नियंत्रण कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों के निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किये हैं :—

वर्ष	कुल मामले
1980	11553
1981	13359
1982	14651
1983	15913

15 सालों से अधिक समय से अनिर्णीत मामले :—

15 साल	4 मामले
10 साल	151 मामले
5 साल तथा इससे अधिक	1883 मामले
कुल	2038

(घ) शीघ्र न्याय तथा कार्यवाही करने को सुनिश्चित करने के सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है।

लवणीय और क्षारीय भूमि का सर्वेक्षण

8411. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लवणीय और क्षारीय भूमि के कुल क्षेत्र का पता लगाने के लिये सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी कितने मिलियन हैक्टार भूमि है और यह भूमि 1973-74 और 1983-84 में राज्यवार कितनी थी ;

(ग) सरकार ने लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) पानी की अपर्याप्त व्यवस्था और नालियों की खराब व्यवस्था, जिसके कारण पानी बह-कर किसी क्षेत्र में चला जाता है, के कारण उपजाऊ भूमि को खराब होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अनुमान है कि लग-भग 70 लाख हैक्टार भूमि भिन्न भिन्न मात्रा में लवणीयता और क्षारीयता से प्रभावित है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, विभिन्न समय पर लवणीयता एवं क्षारीयता की मात्रा का पता लगाने के लिये कोई क्रमबद्ध और आवधिक सर्वेक्षण नहीं किये जा रहे हैं।

(ग) लवणीय मृदा के सुधार एवं उपयोग के लिये प्रौद्योगिकी तैयार करने के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं। तथापि, उपलब्ध व्यवहार्य प्रौद्योगिकी से क्षारीय मृदा के सुधार के लिए "सुसंहन क्षेत्रों में क्षारीय मृदा के प्रबंध से सम्बन्धित मार्गदर्शी परियोजना" से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी और यह 1978-79 तक कार्य करती रही। 5.75 करोड़ रुपये की लागत से तीन राज्यों, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की लगभग 63,000 हैक्टार क्षारीय मृदा क्षेत्र का सुधार किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में इस योजना को 1979-80 में राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया था। इस योजना को राज्य क्षेत्र में अन्तरित किये जाने के पश्चात लगभग 1.58 लाख हैक्टार और क्षेत्र का सुधार किया गया।

(घ) सिंचित क्षेत्रों में अकुशल जल प्रबन्ध तथा अपर्याप्त जल वाहिकाओं के कारण उपजाऊ भूमि को खराब होने से बचाने के लिए कमान क्षेत्र विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना 1974-75 से क्रियान्वित की जा रही है। इस समय यह योजना देश में 102 प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कार्य कर रही हैं। इस कार्यक्रम में सिंचाई कार्य को नियंत्रित करने के लिए बाराबंकी तथा क्षेत्रीय जन वाहिकाओं सहित फार्म पर विकास कार्य करना भी शामिल है।

विवरण

राज्य	लवण से प्रभावित क्षेत्र (1,00,000 हैक्टार में)
उत्तर प्रदेश	12.95
गुजरात	12.14
पश्चिम बंगाल	8.50
राजस्थान	7.28
पंजाब	6.89
महाराष्ट्र	5.34
हरियाणा	5.26
उड़ीसा	4.04
कर्नाटक	4.04
मध्य प्रदेश	2.24
आंध्र प्रदेश	0.42
दिल्ली	0.16
केरल	0.16
बिहार	0.04
तमिलनाडु	0.04
कुल:	69.50 अथवा 70.00 लाख हैक्टार

उड़ीसा में तेल मिलों की स्थापना

8412. **श्री के० प्रधानी**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तिलहनों से तेल निकालने के लिये कुछ तेल मिलों की स्थापना करने का विचार है ; यदि हाँ, तो वे कहां कहां स्थापित की जाएंगी और उनकी क्षमता कितनी होगी ;

(ख) क्या साल के बीज से तेल निकालने की एक मिल कोरापुट में स्थापित की जा रही है, यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी और तिलहनों से निकाले गए तेल की तुलना में साल के बीज से निकाला गया तेल कैसा है और इसकी संभावना कैसी है ; और

(ग) सरकार ने इन एककों को क्या सहायता दी है और इनमें कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) उड़ीसा में तिलहनों के संसाधनों के लिये तीन आशय पत्र जारी किये गये हैं। संबद्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स तेल शिल्प निगम प्रा० लि० कटक से दिसम्बर, 1983 में साल-बीज/सोयाबीन के संसाधन के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ था। यह निर्णय किया गया है कि इस कार्य के लिये औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा यह कार्य महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकरण करके और विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित चूर्ण तथा खाद्य आंटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के अंतर्गत लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।

विदेशों में साल वसा की कोकोबटर प्रतिस्थानी/एक्सटेंडर के रूप में काफी मांग है। अखाद्य श्रेणी की साल वसा साबुन बनाने के लिये उपयुक्त है।

पूर्णतः मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान के अनुसार देश में साल वसा की संभाव्यता 7 लाख मीटरी टन के करीब समझी जाती है।

विवरण

पार्टी का नाम	आशय पत्र की संख्या तथा जारी करने की तारीख	वार्षिक क्षमता	एकक लगाए जाने का स्थान
एम० पी० आयल एक्सट्रेक्शन प्रा० लि० रायपुर (म० प्र०)	एल आई: 481 (81) तारीख 21-7-81	30,000 मी० टन साल के बीज के रूप में	कोरापुट जिला (उड़ीसा)

उड़ीसा स्टेट को-आ० मार्के०फेडरेशन लि०, भुवनेश्वर	एल आई : 449 (83) तारीख 2-7-83	15,000 मी० टन मूंगफली के रूप में	सम्भलपुर जिला (उड़ीसा)
उड़ीसा स्टेट को-आ० आयल सीड्स ग्रोअर्स फेडरेशन लि०, भुवनेश्वर	एल आई : 861 (83) तारीख 20-12-83	60,000 मी० टन मूंगफली के रूप में। 15,000 मी० टन सरसों के रूप में	सुर्दा, जिला पुरी (उड़ीसा)

आशय-पत्र की शर्तों के अनुसार, सामान्यतया आशय-पत्र दो वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किए जाने होते हैं।

मछली पकड़ने में 'चार्टर पालिसी' के प्रतिकूल परिणाम

8413. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने में सरकार का 'चार्टर पालिसी' को जारी रखने के क्या कारण हैं जबकि बड़े पैमाने पर इसके प्रतिकूल परिणामों के समाचार प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि निहित स्वार्थों ने वर्ष 1978 से इस नीति का दुरुपयोग किया है ; और

(ग) राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली इस नीति को सरकार द्वारा संशोधित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) चार्टर नीति के कुप्रभावों के सम्बन्ध में कुछ माध्यमों से प्राप्त रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई हैं। चार्टर नीति के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सरकार ने समय समय पर इनकी जांच की है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे निर्णायक रूप से यह तथ्य साबित हो कि मछली पकड़ने के विदेशी जलयान चार्टर करने की नीति कुल मिलाकर भारतीय मत्स्यन उद्योग को क्षति पहुंचा रही है।

यह सत्य नहीं है कि 1978 से केवल निहित स्वार्थी तत्वों ने इस नीति का उपयोग किया है। चार्टर नीति का संशोधन 1981 में किया गया। विदेशी मत्स्यन जलयानों के चार्टर करने की व्यवस्था अब भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का नियमन) अधिनियम, 1981 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत की जाती है। तथापि, नीति के प्रचलन की समय समय पर अंतः मंत्रालय बैठकों में समीक्षा की जाती है और जहां जरूरी हुआ, आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं।

हैरिंघटा पशुधन और डेरी परियोजनाओं के विकास हेतु सहायता

8414. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान हैरिंघटा पशुधन और डेरी परियोजनाओं के विकास के लिए किस प्रकार की तकनीकी, वित्तीय और अन्य सहायता देने का है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता की जरूरतों की तुलना में हैरिंघटा में दूध का वर्तमान उत्पादन बहुत कम होता है ; और

(ग) कलकत्ता के लोगों की जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा करने हेतु इस परियोजना का विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चालू वर्ष के दौरान हरिन्घट्टा में स्थित अखिल भारतीय गोपशु अनुसंधान प्रायोजना को भा० कृ० अ० प० शेयर के रूप में 9.96 लाख रुपये प्रदान करेगा।

(ख) जी हां, श्रीमान। अनुसंधान यूनिट को अच्छा उत्पादन देने वाली नस्लों को तैयार करने के लिए प्रणाली-विज्ञान को विकसित करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कलकत्ता की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

(ग) एक अनुसंधान प्रायोजना होने के कारण यह आशा की जाती है कि इसका आकार तकनीकी कार्यक्रम से संबंधित है।

गवेषणात्मक मत्स्य पालन परियोजना को पारादीप से विशाखापतनम स्थानान्तरित किया जाना

8415. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के एक उपक्रम गवेषणात्मक मत्स्य पालन परियोजना (एक्सप्लोरेटरी फिशरीज प्रोजेक्ट) को पारादीप से विशाखापत्तनम स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उड़ीसा में मछली के व्यापार पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में 480 किलोमीटर की तटीय पट्टी पर नए मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वेक्षण और जांच कार्य करने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या पारादीप में गवेषणात्मक मत्स्य पालन परियोजना की पुर्नस्थापना पर विचार किए जाने का भी अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना का पाराद्वीप बेस (जिसका नाम अब भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण रखा गया है) को अस्थायी रूप से वर्ष 1982 में अनेक कारणों से बन्द कर दिया गया था, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) पारादीप बन्दरगाह ट्रस्ट ने उस समय के कार्यालय भवन को खाली करने का नोटिस जारी किया ।

(2) उपयुक्त वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की गई ।

(3) पारादीप में अल्पकालिक कर्मचारियों के पास कोई रहने के मकान नहीं थे और उपयुक्त निजी रहने का स्थान भी उपलब्ध नहीं था ।

इसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण के बेसों का पुर्नगठन किया जाये और पहले के 11 बेसों की संख्या को घटाकर 6 कर दिया जाए । उड़ीसा से परे तट को विशाखापटनम स्थित बेस से सर्वेक्षण करने के लिए शामिल किया जाना है ।

(ग) मत्स्य पालन निदेशालय, उड़ीसा ने नवम्बर, 1983 में भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण से उड़ीसा तट के मात्स्यकी स्रोतों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था ।

(घ) इस मामले पर भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण के मत्स्य पालन निदेशालय, उड़ीसा और पारादीप बन्दरगाह ट्रस्ट के साथ दिसम्बर, 1983 में चर्चा हुई । विशाखापटनम बेस से चलाये जा रहे बड़े जलयान पहले ही उड़ीसा के तटीय इलाके के गहरे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ।

(ङ) पारादीप स्थित बैस को पुनःस्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है । इस मामले पर हाल में भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण की प्रबन्ध समिति की बैठक में चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि विशाखापटनम स्थित मुख्य बेस का उपग्रह बेस पारादीप बेस में लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उड़ीसा सरकार के साथ आगे विचार विमर्श करने के बाद न्यूनतम सुविधाएं दे दी जाएं ।

दिल्ली में जलपूर्ति की नई प्रणाली

8416. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 10 वर्ष पहले प्रति व्यक्ति जलपूर्ति की मात्रा कितनी थी तथा आज प्रति व्यक्ति जलपूर्ति की मात्रा कितनी है ;

(ख) दिल्ली जल प्रदाय संस्थान द्वारा जल वितरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि के दौरान कितने इंजीनियर विदेश भेजे गए और इस पर कितनी धनराशि खर्च की ;

(ग) क्या इन इंजीनियरों ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नई प्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(घ) क्या नई प्रणाली अपनाने के बाद से पानी की कमी की समस्या और भी विकट हो गई है और पहले जबकि पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता था, अब नहीं रहता और बहुत से जलाशय खाली पड़े रहते हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में जल प्रयोग के बारे में बी० बी० एम० बी० द्वारा उठाई गई आपत्तियां

8417. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भानु और पोंग पर बांधों के निर्माण के कारण क्रमशः गोविन्दसागर झील और पोंग डैम झील में पानी रोके जाने के कारण, बी० बी० एम० बी० द्वारा किए गए दावों और उठाई गई आपत्तियों की वजह से, हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य के निचले भू-भाग में बहने वाले पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने में होने वाली कठिनाइयों का केन्द्रीय सरकार को पता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पानी का सिंचाई आदि के लिए उपयोग करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य की जनता द्वारा किये गये दावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि इस मामले को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उठाया गया था और बोर्ड ने 23-2-78 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ यह अनुमोदित किया था कि हिमाचल प्रदेश भुगतान के आधार पर गोविन्दसागर से 40 क्यूसेक जल लिफ्ट कर सकता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद शासी निकाय और जनरल काउंसिल के सदस्य

8418. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के शासी निकाय और जनरल काउंसिल में इस समय कौन-कौन हैं और उनका कार्यकाल कितना है ;

(ख) इन दो निकायों के कार्यों की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा आज तक इनकी कितनी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में किए गए निर्णयों का सारांश क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के शासी निकाय (कार्य परिषद) और जनरल काउंसिल का गठन और कार्यकाल क्रमशः अनुबंध-1 और 2 में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8217/84]

(ख) शासी निकाय (कार्य-परिषद) की जनरल काउंसिल के कार्य और शक्तियां अनुबंध 3 में दी गई हैं । अब तक कार्य परिषद और जनरल काउंसिल की क्रमशः 54 और 48 बैठकें हुई हैं । इन दोनों निकायों द्वारा लिए गए निर्णय, उनके कार्यों और शक्तियों से सम्बन्धित हैं, जो अनुबन्ध-3 में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8217/84]

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में ढुलाई के लिए पड़े हुए लट्ठे

8419. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न द्वीपों में लट्ठे तैयार किये जाने के उपरांत ढुलाई सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र-वार और किस्म-वार कितने लट्ठे पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ लट्ठों का वाणिज्यिक महत्व समाप्त हो गया है यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने रुपयों का नुकसान हुआ है ; और

(ग) भावी नुकसान से बचने के लिये इस इमारती लकड़ी के तुरन्त निबटान हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन विभाग के 'वाटर क्राफ्ट'

8420. **श्री मनोरंजन भक्त** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के पास कितने वाटर क्राफ्ट हैं ; उनमें से कितने चालू और सही हालत में हैं और कब से और उनमें से कितने चालू हालत में नहीं हैं और कब से नहीं हैं और इस प्रकार के प्रत्येक वाटर-क्राफ्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग के प्रत्येक वाटर क्राफ्ट की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी और इस प्रकार की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सी० आई० टी० डब्ल्यू० सी० द्वारा उपलब्ध कराई गई मरम्मत सुविधाओं से अन्दमान और निकोबार प्रशासन सन्तुष्ट है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पोर्ट ब्लेयर में स्टेडियम का निर्माण

8421. **श्री मनोरंजन भक्त** : **क्या खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में एक स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग की भविष्य में कोई योजनाएं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) खेल विभाग को, हाल ही में, पोर्ट ब्लेयर में एक बहु उद्देशीय स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए अन्ड-

मान और निकोबार प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वित्तीत सहायता देने के लिए प्रस्ताव पर राज्य खेल परिषदों को अनुदान की अनुमोदित योजना के अनुसार विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ) खेलों के विकास/बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभ, संघ शासित क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वैसे ही स्वीकार्य हैं जैसे कि अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए हैं। यह संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के लिए है कि वह इस मामले में विस्तृत प्रस्ताव भेजे।

किराये के भवनों में कार्यालय

8422. **श्री के० बी० एस० मणि : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न कार्यालय दिल्ली में कब से किराये के भवनों में हैं ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय के नाम क्या हैं और इन कार्यालयों द्वारा किराये पर लिए गए प्रत्येक भवन का मासिक किराया कितना है ;

(ग) प्रत्येक भवन को उनसे किराये पर लेने के दिन से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन के लिए कुल कितना किराया दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में ले जाने के लिए इच्छुक नहीं है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने कार्यालयों को किराये के भवनों में सरकारी भवनों में ले जाने तथा इससे राजकोष पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए अब तक प्रभावी कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) इस समय केवल दो कार्यालय किराये के स्थानों में स्थित हैं। इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उनमें से एक कार्यालय अर्थात वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय को हाल ही में सरकारी स्थान आवंटित किया गया है। अन्य कार्यालय के लिए सरकारी स्थान ढूंढने के प्रयास जारी हैं।

विवरण

किराये के भवनों के ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	किराये पर लेने की तारीख	मासिक किराया	किराये पर लेने की तारीख से 29 फरवरी, 1984 तक दिया गया कुल किराया
1.	वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय (सम्बद्ध कार्यालय)	पहली नवम्बर, 1977	(i) 29,321.55 रुपये प्रति मास (31-10-82) (ii) 32,253.70 रु० प्र० मास 1-11-82 से आगे	22,75,352.20 रु०
2.	सामुदायिक डिब्बाबंदी तथा परिरक्षण केन्द्र सी०सी० कालोनी, दिल्ली (अधीनस्थ कार्यालय)	पहली दिसम्बर, 1971	460 रुपये	67,620.00 रुपये

कोरापुट उड़ीसा में बंसधारा नदी से हुए नुकसान के बारे में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट

8423. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में वर्ष 1980 में बंसधारा नदी से नुकसान पहुंचे क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केन्द्रीय दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी और उसका ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को भेजे गए नुकसान के आंकलन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उड़ीसा सरकार ने कितनी सहायता मांगी और उनके मंत्रालय ने कितनी सहायता मंजूर की और कितनी जारी की ;

(घ) उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले के गुनुपुर सब डिवीजन में कुल कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ङ) विभाग-वार कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी और विभागों ने कौन-कौन से कार्य आरम्भ किये ;

(च) क्या यह सच है कि केन्द्र ने बाढ़ से राहत कार्यों के लिए वांछित धनराशि मंजूर की है ; और

(छ) क्या इस जिले में अधिकांश बाढ़ राहत कार्य अभी पूरे होने बाकी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में उल्लिखित क्षति का विवरण निम्नलिखित है —

(1)	प्रभावित हुए जिलों की संख्या	10
(2)	प्रभावित जनसंख्या	26.39 लाख
(3)	प्रभावित फसल क्षेत्र	3.55 लाख हैक्टार
(4)	क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या	163526
(5)	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	73
(6)	मरने वाले मवेशियों की संख्या	8280

उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए केन्द्रीय सहायता के लिये 112.30 करोड़ रुपये की मांग के ज्ञापन और केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1980-81 के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए अधिकतम 42.89 करोड़ रुपये धनराशि की सहायता मंजूर की थी ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(च) 42.89 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता अन्य बातों के साथ साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए भी मंजूर की गयी थी ।

(छ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

धान की भूसी से खाने का तेल निकालना

8424. **श्री नवीन रावणी** : **क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने धान की भूसी से खाने का तेल निकालने की प्रौद्योगिकी का अभी तक विकास नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह प्रौद्योगिकी जापान में सुलभ है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में खाने के तेल की समस्या का समाधान करने के लिए जापान से इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने की प्रौद्योगिकी भारत में उपलब्ध है, बशर्ते कि कम एफ० एफ० ए० तत्व वाली अच्छी किस्म की चावल की भूसी उपलब्ध हो। तथापि, अखाद्य तेल को सुधार कर खाद्य ग्रेड के तेल के रूप में लाने की प्रौद्योगिकी अभी विकसित की जानी है।

(ख) चावल की भूसी के खाद्य ग्रेड तेल के उत्पादन के लिए उपयुक्त, अच्छी किस्म की भूसी प्राप्त करने के लिए स्टेबिलाइजर्स संस्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा, वास्तविक (फिजीकल) तथा मिसेला परिष्करण के लिये आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित एकक स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि अखाद्य ग्रेड के तेल को सुधार कर खाद्य ग्रेड तेल में बदला जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) मैं० फूडस फैट्स एंड फर्टीलाइजर्स नामक एक मौजूदा तेल विनिर्माण एकक को सरकार द्वारा, जापान के सहयोग से खाद्य चावल की भूसी के तेल के संयत्र का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है।

घटिया किस्म की कृमिनाशक दवाओं के कारण फसलों को नुकसान

8425. **श्री नवीन रावणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया किस्म की कृमिनाशक दवाओं की सप्लाई के कारण कृषि उत्पादन को नुकसान हुआ है ; यदि हाँ, तो वर्ष 1983-84 के दौरान कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ और किसानों को अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान किसानों को मुआवजा देने के लिए सम्बन्धित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) घटिया किस्म की कृमिनाशक दवाओं की सप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) किसानों या एजेंसियों को जिनके माध्यम से सप्लाई की जाती है सप्लाई करने से पहले कृमिनाशक दवाओं की बारीकी से जांच करके इनकी बढ़िया किस्म सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) सरकार की नीतियों को पहले से ही इस तरह बनाया गया है ताकि कीटनाशियों के गुण नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। तथापि, देश के कुछ छोटे क्षेत्रों में घटिया किस्म के कीटनाशियों की आपूर्ति किए जाने की कुछ छुट-पुट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, घटिया किस्मों के कीटनाशियों की आपूर्ति किए जाने के कारण फसलों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने की कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका कोई प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) एक विशाल देश होने से, जहां भारी मात्रा में कीटनाशियों का विनिर्माण, वितरण और उपयोग होता हो, वहां कुछ बेईमान तत्वों के रहने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है,जो कि गैर-कानूनी गतिविधियों की आपूर्ति करने में लीन हों। राज्य सरकारों को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने तथा अपराधियों को कानून की पकड़ में लाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं । राज्य सरकारों ने भी ऐसे मामलों पर मुकद्दमें भी चलाए हैं जो कि इसके लिए जरूरी समझे गए हैं । केन्द्र तथा राज्य सरकारें कीटनाशियों का गुण-नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रही है । किसानों को केवल अच्छे किस्म के कीटनाशियों की आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित करने की आम नीति के रूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(1) किसी कीटनाशी का पंजीकरण करने से पूर्व कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित की गई पंजीकरण समिति,पंजीकरण किए जाने वाले कीटनाशी की क्षमता तथा सुरक्ष दोनों को सुनिश्चित करती है ।

(2) किसानों को केवल अच्छे किस्म की कीटनाशियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्रवर्तन एजेंसियों को सक्षम बनाने के लिए कीट-नाशियों के संबंध में गुण नियंत्रण संबंधी विनिर्देश निर्दिष्ट किए जाते हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार ने भी फरीदाबाद (हरियाणा) में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है जिसकी बम्बई तथा हैदराबाद में दो शाखाएं हैं । इसकी क्षमता के एक भाग को उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां प्रयोगशाला की सुविधाएं नहीं है / पूरी नहीं हैं, के लिए निश्चित किया गया है ।

(4) राज्यों के कार्यकर्ताओं, जिन्हें कीटनाशियों के गुण-नियंत्रण के प्रवर्तन के लिए अधि-सूचित किया गया है, के फायदे के लिए केन्द्रीय वनस्पति-रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

(5) भारतीय मानक संस्थान से भी कीटनाशियों के संबंध में अपने प्रमाणीकरण चिन्ह लाइसेंस योजना को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

(6) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कीटनाशियों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला की सुवि-धाओं को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है ।

(7) सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 300 लाख रुपए के परिव्यय से कलकत्ता बम्बई, हैदराबाद, कानपुर, तथा चंडीगढ़ में 5 क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशा-लाओं तथा कृमिनाशी प्रर्बतन यूनिटों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी है ताकि कीटनाशियों के संबंध में सख्ती से गुण-नियंत्रण संबंधी उपायों को सुनिश्चित किया जा सके तथा इन यूनिटों की स्थापना के लिए कार्यवाही की गई है ।

(8) राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत कार्य-कर्ताओं को अधिसूचित किया है जिनसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जिनमें गुण

नियंत्रण संबंधी उपाय भी शामिल है, को लागू करने की अपेक्षा की जाती है। कीट-नाशियों के गुण-नियंत्रण की देख-रेख करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 29 कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

ग्रामीण विकास के लिए कई नई योजना

8426. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में ग्रामीण विकास के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नई योजना शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी प्रस्ताविक योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात सरकार से 1983-84 में कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम नामक एक नयी ग्रामीण विकास योजना 15 अगस्त, 1983 से शुरू की गयी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है—ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाना तथा उनमें वृद्धि करना जिससे प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारन्टी दी जा सके। इसके साथ-साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन कर जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजीसे चालया जा रहा है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु छठी योजना के लिए 600.0 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम से 1983-84 में 60 मिलियन श्रमदिनों तक के तथा 1984-85 में 300 मिलियम श्रम दिवसों तक के अतिरिक्त रोजगार से अवसरों का सृजन होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों का उपयोग, 20-सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतक आवश्यकता कार्यक्रम से संगत कार्यों अर्थात् ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण, सिंचाई सम्भव्यता का अधिक से अधिक उपयोग कहके खेत की नालियों का निर्माण/उनकी मरम्मत, भूमि विकास, सामाजिक वानिकी, भूमि तथा जल संरक्षण आदि श्रम प्रधान परियोजनाओं को आरम्भ करके किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार को क्रमशः 1983-84 तथा 1984-85 के लिए रु० 320.00 लाख तथा रु० 1600.00 लाख का आवंटन किया गया है। गुजरात सरकार से प्राप्त परियोजनाओं को जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात सरकार से प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)
1.	बनासकाण्डा जिले में राधन पुर तालुका के पादसपुरा गांव में वंजर जमीन का विकास	23.86
2.	मेहसाना जिले में सामी तालुका में बंजर जमीन का विकास	35.78
3.	गुजरात के 11 जिलों में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों को निर्माण	457.0
4.	मेहसाना, अहमदाबाद तथा खेड़ा 'जिलों 'में बंजर जमीन का विकास	28.84
5.	खेड़ा जिले में माही और कहाना परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के प्रावधान तथा मरम्मत सहित खेतों की नालियों का सुधार, परिवर्तन तथा मरम्मत कार्य	40.00
6.	खेड़ा जिले के मतार तथा खम्बात्ता तालूकों के माही राईट बैंक केनाल कमान्ड क्षेत्र में सिचाई तालाबों के लिए बाहय नालों का प्रावधान करना तथा तालाबों का नवीकरण	47.60
7.	9 जिलों में लघु सिंचाई निर्माण कार्यों का नवीकरण	116.00
8.	12 आदिवासी तालुकाओं में भू-संक्षरण, वनरोपण तथा फार्म वानिकी	72.75

वन विभाग द्वारा आदिवासियों को परेशान किया जाना

8427. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश अनुसूचित जन जातियां देश के जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वन विभाग द्वारा आदिवासियों को परेशान किया जाता है और यदि हाँ, तो उनकी रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन दिन-प्रति दिन कम होते जा रहे हैं; यदि हां, तो देश में वनों में वृद्धि के लिए आदिवासी क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाने के लिए सरकार की नीति क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में खासतौर पर गुजरात राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार आदिवासियों को परेशान न करने की आवश्यकता के प्रति जागरुक है और राज्य सरकार उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये पूर्ण सक्षम है । ध्यान में आने वाले मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(ग) वन क्षति को पूरा करने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों सहित वन रोपण के लिए उपलब्ध सभी क्षेत्रों में तेजी से वन रोपण के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) निम्नलिखित पर बल देते हुए गुजरात में वनरोपण, सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है :

(1) ग्रामीण लकड़ी लाटए को उगाना ।

(2) उजड़े वनों की पुनर्स्थापना ।

(3) मल्की भूमियों पर वनरोपण करना ।

(4) अवकृष्ट फार्म भूमियों की पुनर्स्थापना ।

(5) पौध की नि:शुल्क सप्लाई ।

(6) वन विभाग द्वारा खरीद करने के लिए विद्यालय के परिसरों में पौध उगाने के लिए स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करना ।

पुनर्वास पट्टे आवास सम्पत्ति की बिक्री

8428. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** दिल्ली की बस्तियों में पुनर्वास आवास पट्टे के बारे में 27 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के परिशिष्ठ में सूची बद्ध प्रत्येक कालोनी में ऐसे कितने प्लाट/आवास हैं, जिनको मूल आवंटी/पट्टेदार ने हस्तातरित कर दिया है ;

(ख) क्या केवल विस्थापित व्यक्तियों के मामले में ही बिक्री की मंजूरी दी गयी थी ; और

(ग) क्या प्रत्येक कालोनी में विभिन्न साइज के इन प्लाटों के लिए पहली अथवा उसके बाद की बिक्री से प्राप्त अनोपार्जित धन का सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए था ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पट्टाधारी के विशेष अनुरोध पर बिक्री की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है जिसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि वह एक विस्थापित व्यक्ति है या नहीं।

(ग) पट्टा विलेख के उपबन्धों के आधार पर सरकारी शेयर की अर्नजित वृद्धि को वसूल किया जाता है जिसमें प्लाट के आकार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पुनर्वास रिहायशी पट्टों में प्रथम बिक्री अर्नजित वृद्धि को वसूल करने का प्रावधान विद्यमान नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम की स्थापना

8429. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उक्त निगम के मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से ऐसी उपयुक्त परियोजनाओं का प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है जिन्हें उक्त राष्ट्रीय कृषि उद्योग आयोग आरम्भ करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उक्त निगम के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट अभी आनी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के नगरों को वित्तीय सहायता

8430. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम और छोटे शहरों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों को वित्तीय सहायता दी गई और उन्हें कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) 1984-85 वर्ष के दौरान सरकार का विचार कितनी राशि देने का है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय बाल्मिकी आवासीय ब्लाक के निर्माण के लिए अल्मोड़ा नगर की नगर पालिका को विशेष वित्तीय सहायता देगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अनुमोदित शहरों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक दी गई वित्तीय सहायता में दी गई है।

(ख) राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि, चालू योजनाओं के सम्बन्ध में निधियों के उपयोग की प्रगति पर निर्भर करेगी।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा शहर के लिए दो रिहायशी योजनायें हैं नामतः (i) राजपुरा ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास योजना जिसकी लागत 4.40 लाख रुपए है और (ii) 28.80 लाख रुपये लागत की खयारी रिहायशी योजना। इन दो रिहायशी योजनाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा कोई दूसरी रिहायशी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित शहरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई निधियाँ

(लाख रुपयों में)

राज्य शहर	स्वीकृति की तारीख	दी गई केन्द्रीय सहायता				अनुमोदित परिव्यय	राज्य क्षेत्र परिव्यय	टिप्पणी
		1979-80	80-81	81-82	83-84			
उत्तर प्रदेश (23)								
1. जौनपुर	1-3-80	2.55	—	—	—	—	—	—
	25-3-80	—	—	—	8.00	10.00	35.26	2.40
2. फतेहपुर	15-3-80	3.00	—	—	—	—	—	37.85
	25-3-83	—	—	—	9.00	—	87.51	—
	11-4-83	—	—	—	—	9.00	—	—
3. आजमगढ़	25-3-80	5.00	—	—	—	18.00	70.40	3.90
4. हाथरस	2-2-81	—	10.00	—	—	—	84.78	45.00
5. बांदा	2-2-81	—	4.00	—	—	—	—	—
	25-3-83	—	—	—	9.00	—	63.51	31.92
	11-4-83	—	—	—	—	9.00	—	—
6. बाराबंकी	26-2-81	—	8.00	—	—	—	66.83	5.09
7. रायबरेली	26-2-81	—	20.00	—	—	—	115.96	71.44

8. अल्मोड़ा	16-3-81	—	2.00	—	—	—	—	170.40
	25-3-83	—	—	—	5.00	—	112.08	—
	11-4-83	—	—	—	—	8.00	—	—
9. एटा	16-3-81	—	1.50	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं
	25-3-83	—	—	—	9.00	—	89.26	—
	11-4-83	—	—	—	—	11.00	—	—
10. बलिया	16-3-81	—	12.50	—	—	18.00	116.73	115.35
11. मोहब्बा	16-3-81	—	8.20	—	—	—	70.32	27.44
12. कासगंज	24-3-81	—	7.00	—	—	—	147.31	86.28
13. गाजीपुर	24-3-81	—	17.60	—	—	—	128.55	17.00
14. सीतापुर	24-3-81	—	15.00	—	—	—	133.27	103.32
15. मणिपुर	24-3-81	—	10.00	—	—	15.00	98.1[illegible]	125.00
16. हरदोई	24-3-81	—	16.00	—	—	—	87.95	95.38
17. बिजनौर	24-3-81	—	4.75	—	—	16.00	47.71	उपलब्ध नहीं
18. ओराई	24-3-81	—	10.50	—	—	14.00	76.95	24.50
19. देवरिया	24-3-81	—	14.50	—	—	—	77.44	13.70
20. बदायुं	27-11-81	—	—	13.00	—	—	260.03	22.03
21. अमेठी	24-3-82	—	—	6.00	—	—	40.86	12.16
22. काशीपुर	24-3-82	—	—	10.00	—	—	115.25	उपलब्ध नहीं
23. पदरोना	5-10-82	—	—	*2.00	15.00	—	96.11	12.80
		10.55	161.55	31.00	59.00	128.00	2222.27	1022.96

*कम लिया गया है।

किसानों को कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराना

8431. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों की बीमारी की रोकथाम के लिए किसानों को कीटनाशक दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और यदि ये उपलब्ध कराई भी जाती हैं, तो उन्हें इसका अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है तथा यह स्थिति, विशेषरूप से जालोर और सिरोही जिलों में बनी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कीटनाशक दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) देश में कीटनाशी औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता है और जालोर और सिरोही सहित देश के किसी भी भाग से किसी कीटनाशी औषधि की कमी होने की सूचना नहीं मिली है । कीटनाशी औषधियों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । इनके मूल्य कच्चे माल की लागत, उत्पादन लागत, सरकारी लेवी आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करते हैं । तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों की लागत पर विभिन्न दरों पर राजसहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ।

डी० सी० एम० द्वारा वनस्पति घी का छोटे-छोटे पैक बनाया जाना

8432. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. सी. एम. कैमिकल्स द्वारा 15 मार्च, 1984 से 16.5 किलोग्राम के बड़े पैक के बदले में वनस्पति घी के छोटे-छोटे पैक अधिक बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 16.5 किलोग्राम के और छोटे पैक के कितने डिब्बे पैक किये गये और प्रत्येक मात्रा वाले पैक के आंकड़े क्या हैं और उन गत तीन महीनों में कितने पैक बनाये गये हैं ;

(ग) क्या डी० सी० एम० कैमिकल्स पर छोटे पैकों की संख्या की सीमा के बारे में लगाया गया प्रतिबंध लागू है और उसका अनुपालन किया जाता है और क्या नागरिक आपूर्ति विभाग में लगाये गये प्रतिबंध के अनुपालन के बारे में कोई जांच की है और क्या तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) क्या बन्दरगाह कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के कारण भी दिल्ली में पनघट के 16.5 किलोग्राम के टीनों की कमी हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) दिल्ली क्लाथ मिल्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार छोटे पैकों, विशेषकर एक कि० ग्रा० के नम्य पैकों में वनस्पति घी अधिक मात्रा में पैक किया

जा रहा है। 1 मार्च से 15 मार्च, 1984 और दिसम्बर 1983 तथा जनवरी और फरवरी, 1984 की इसी अवधि के दौरान दिल्ली क्लाथ मिल्स द्वारा विनिर्मित विभिन्न पैकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक कि० ग्रा० के नम्य पैकों को छोड़कर वनस्पति को छोटे पैको में पैक करने पर लगाये गये प्रतिबंधों का कुल मिलाकर, अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, सरकार विभिन्न पैकों में वनस्पति पैक करने के मामले पर विचार कर रही है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

पैक का आकार	मार्च, 1984 16 से 31 तक (संख्या)	दिसम्बर, 1983 16 से 31 तक (संख्या)	जनवरी, 1984 16 से 31 तक (संख्या)	फरवरी, 1984 16 से 31 तक (संख्या)
16.5 कि० ग्रा०	86,486	1,18,738	1,25,680	1,00,278
15 कि० ग्रा०	6,334	4,088	2,552	854
10 कि० ग्रा०	30,617	8,998	9,097	14,977
5 कि० ग्रा० पोलीपैक	59,684	21,327	18,734	19,563
5 कि० ग्रा० टीन	9,953	—	—	—
4 कि० ग्रा० टीन	21,367	43,003	29,114	35,366
4 कि० ग्रा० पोलीपैक	33,602	30,001	52,437	40,396
2 कि० ग्रा० टीन	60,197	—	19,809	73,791
2 कि० ग्रा० पोलीपैक	1,18,058	1,22,277	1,40,252	88,015
1 कि० ग्रा० पोलीपैक	57,500	41,250	68,010	70,788
1 कि० ग्रा० नम्य पैक	5,02,491	2,89,723	4,60,440	3,35,037

नई दिल्ली नगर पालिका में अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि किया जाना

8433. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिक में उन अधिकारियों की संख्या, नाम और पद नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान, सेवा निवृत्ती के बाद पुनः नियुक्त किया गया है और उनके सेवा काल में वृद्धि की गई है ; और

(ख) उनको पुनः नियुक्त करने तथा उनके सेवा काल में वृद्धि किए जाने के कारण क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	पुनः नियुक्ति/ सेवाकाल में वृद्धि की अवधि	पुनः नियुक्ति/सेवाकाल में वृद्धि के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वी. एन. शर्मा	श्रम कल्याण	31-10-82	1-11-82 से 30-4-83 तक	एशियाड, 82 के दौरान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए जब अधिक संख्या में विदेशी और विशिष्ठ व्यक्ति नई दिल्ली आये। इसके अतिरिक्त, उस समय नगर पालिका में उक्त पद का भारी उत्तर-दाईत्व संभालने के इस पद लिए अन्य कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं था ।

1	2	3	4	5	6
2.	श्री महेन्द्र सिंह चड्ढा	प्रवर्तन, खाद्य तथा सफाई अधिकारी	31-1-84	1-2-84 से 31-7-84 तक	इस पद के लिए विद्यमान भर्ती नियमों और संशोधित भर्ती नियमों का अन्तिम रूप न देने के कारण उपयुक्त अधिकारी न मिलने से नई दिल्ली नगर पालिका में श्री चड्ढा के सेवा काल में वृद्धि की गई है।

छठी योजना में उड़ीसा में आम, नारियल और ताड़ के पेड़ लगाना

8434. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में उड़ीसा में आम, नारियल और ताड़ के पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) उक्त योजना अवधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बागवानी विकास योजना के अन्तर्गत फलों के ऐसे पेड़ लगाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उड़ीसा के उन विभिन्न जिलों के नाम क्या हैं जहाँ ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 3188 हैक्टार क्षेत्र में आम के बाग लगाने का लक्ष्य था। ताड़ के पेड़ लगाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत नारियल के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	योजना का नाम	वास्तविक योजना लक्ष्य
1.	**केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं**	
(1)	पैकेज कार्यक्रम	3000 हैक्टार
(2)	टी × डी नारियल पौदों का उत्पादन	1.25 लाख पौद
(3)	विसवान्सकानी में डी × टी फार्म की स्थापना	40 हैक्टार
2.	**नारियल विकास बोर्ड की परियोजनाएं**	
(4)	नहर के किनारे नारियल के पौधे लगाना	3 लाख पौध
(5)	एक क्षेत्रीय नर्सरी की स्थापना	एक लाख पौध
(6)	पूंजी की राज सहायता द्वारा क्षेत्र का विस्तार	260 हैक्टार।

(ख) 3 लाख नारियल पाम लगाये जाने के लक्ष्य में से छठी योजना के दौरान अब तक नहर के किनारे-किनारे 1.43 लाख नारियल पाम लगाये गये हैं। डी × टी फार्म की स्थापना के 40 हैक्टार के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत, 120 प्रदर्शन प्लाट तैयार किए गए हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में आम सम्मिलित नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त योजना के तहत नारियल लगाने का काम पुरी, कटक, बालासौर और सम्बलपुर जिलों में शुरू किया गया है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों का स्थिर उत्पादन

8435. **श्रीमती जन्यती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन की कुल मात्रा वर्ष 1980 तक स्थिर रही, यदि हां, तो किस स्तर पर और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1980 के पश्चात् विशेषतः वर्ष 1983-84 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या उपलब्ध समाचारों के अनुसार इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है ; और

(घ) किन उपायों के कारण यह परिणाम सामने आया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उड़ीसा में 1975-76 से 1983-84 के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका इस प्रकार है :—

वर्ष	खाद्यानें का उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)
1975-76	55.7
1976-77	40.8
1977-78	55.6
1978-79	57.6
1979-80	38.7
1980-81	59.9
1981-82	54.4
1982-83	44.7
1983-84	97.0 (अनन्तिम)

उड़ीसा में खाद्यानों के उत्पादन में एक वर्ष से दूसरे वर्षकी तुलना में भारी उतार-चढ़ाव होता रहा है। 1967-68 से 1981-82 की अवधि के खाद्यान्न उत्पादन के लिए वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 2.47 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम अर्थात् 0.99 प्रतिशत रही। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 1983-84 के खाद्यान्न उत्पादन का 6·7 लाख मीटरी टन का अग्रिम अनुमान रिकार्ड स्तर का है, जो 1980-81 के पिछले अधिकतम उत्पादन की 7.2 लाख मीटरी टन के लगभग पार कर गया है।।

(घ) देश के कुछ अन्य भागों की तरह उड़ीसा में 1983-84 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने का कारण विभिन्न आदानों का अधिक उपयोग करने, जैसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों/क्वालिटी बीज और उर्वरकों, बढ़ाए गए विस्तार सम्बन्धी प्रयासों और सामान्यता अनुकूल मौसमी परिस्थितियों की बजह से हुआ है।

ग्रामीण भमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को वितरित गेहूं

8436. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाँ गेहूं सप्लाई किया जाता है, वह खराब किस्म का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी हालत में उचित औसत से नीचे की किस्म का खाद्यान्न सप्लाई/स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए किस्म को सुनिश्चित करने हेतु, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा भंडार (स्टाक) का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा सकता है।

सचेतकों की बैठक

8437. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के चालू अधिवेशन के दौरान लोक सभा और राज्य सभा के सचेतकों की एक बैठक बुलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मैंने 2 अप्रैल, 1984 को लोक सभा में सभी दलों के सचेतकों की एक बैठक आयोजित की थी और हमने उस बैठक में सामान्य रुचि के मामलों पर चर्चा की। राज्य सभा के सचेतकों को आमंत्रित नहीं किया जा सका था क्योंकि उस समय राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

खाद्यान्नों का आयात और उत्पादन

8438. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस वर्ष गेहूं और चावल का वर्ष-वार उत्पादन लगभग वही था जो 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 वर्षों के दौरान था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1977 से 1980 तक के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का आयात भी नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1977-1980 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के बाजार मूल्य और उनके उचित दर दुकानों पर बिक्री मूल्य, 1981 से 1984 के दौरान व्याप्त मूल्यों की तुलना में कम थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि किन कारणों से ऐसा सम्भव हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय व्याप्त स्थिति के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1977-78 से 1982-83 के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(लाख मीटरी टन में)

फसल	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
	2	3	4	5	6	7
गेहूं	317.5	355.1	318.3	363.1	374.5	425.0
चावल	526.7	537.7	423.3	536.3	532.5	464.8

(ख) 1977 के दौरान 5.5 लाख मीटरी टन गेहूं और चावल का वाणिज्यिक आयात किया गया था। 1978, 1979 और 1980 के दौरान कोई वाणिज्यिक आयात नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) खुले बाजार में खाद्यान्नों के खुदरा मूल्यों में बाजार शक्तियों पर निर्भर

करते हुए प्रत्येक स्थान और समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों में वसूली/समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने के कारण वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति है कि उचित दर की दुकानों से उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की बिक्री पर राज सहायता देती है।

बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बंगला संख्या 11 और 12 बी का किन्हीं वाणिज्यिक संगठनों को आबंटन

8439. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कैजुअल्टी और एमरजेन्सी विभाग के सामने बाबा खड़गसिंह मार्ग के बंगला संख्या 11 और 12 बी की भूमि को मास्टर प्लान और ओनल रिडेवलपमेन्ट प्लान का उल्लंघन करते हुए किसी थियेटर को आवंटित किए गए हैं अथवा किए जाएँगे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अस्पताल की बगल में वाणिज्यिक थियेटर चलाने से अस्पताल का तथा रिहायशी क्षेत्र का शान्तिपूर्ण वातावरण प्रभावित नहीं होगा ;

(ग) क्या घोषित वी० आई० पी० मार्ग पर इससे यातायात जाम नहीं होगा और अन्ततः इससे अस्पताल में गम्भीर अवस्था में लाए जाने वाले रोगियों के वाहनों के लिए बाधा नहीं पड़ेगी ; और

(घ) क्या उक्त भूमि वाणिज्यिक संगठन चलाने के लिए केवल थियेटर के मालिक की सहायता हेतु अत्यधिक कम मूल्य पर थियेटर को बेची जा रही है जिससे पूरे क्षेत्र की शान्ति और अमन चैन भंग होगा ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) : संस्कृति विभाग की सिफारिश पर बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर ब्लाक नं० 11 तथा 12 बी के अन्तर्गत की भूमि 6 लाख रुपये प्रति एकड़ की प्रीमियम के रूप में संस्थानिक दर पर तथा उस पर वार्षिक भूमि किराये के रूप में 2½ प्रतिशत पर अकशारा थियेटर को इसकी गतिविधियों के लिए आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त संस्था की संरचना को बदलने की वर्तमान लागत में से मूल्य ह्रास को निकाल कर भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्था द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि का दुरुपयोग न किया जाए, यह निर्धारित किया गया है कि कोई बड़ा परिवर्तन या परिवर्धन किये बिना थियेटर द्वारा विद्यमान बंगले का उपयोग किया जाएगा और विद्यमान वास्तुकीय परिवेश तथा विद्यमान निम्न अग्रभाग की रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये शर्तें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि संस्था की गतिविधियां बड़े पैमाने पर नहीं होंगी और इसलिए इससे कोई यातायात समस्या उत्पन्न नहीं होगी या अस्पताल की शान्ति भंग नहीं होगी।

वनस्पति निर्माताओं के लिए वनस्पति घी के नमूने

8440. **श्री हरीश रावत :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी पंजीकृत वनस्पति निर्माताओं से इस वर्ष परीक्षण के लिए विभिन्न ब्रांडों के वनस्पति घी के नमूने लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ब्रांड के एकत्र किए गए नमूनों की औसत-संख्या कितनी है और प्रत्येक नमूना कितनी समयावृद्धि के बाद एकत्र किया गया है ;

(ग) क्या किसी भी नमूने की जांच के दौरान यह पता चला कि किसी विशिष्ट ब्रांड के वनस्पति में गाय की चर्बी मिलाई गई थी ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे नमूनों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो लोगों के मन से इस भ्रम को निकालने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाई जाती है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) देश में आठ विभिन्न केन्द्रों पर तैनात निरीक्षक (वनस्पति) अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले वनस्पति एककों के परिसर से महीने में एक बार वनस्पति के नमूने अवश्य लेते हैं । उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रति यूनिट औसतन 4-5 के लगभग नमूने लिए जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) लोगों के दिमाग से भ्रम दूर करने के लिए सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित कार्यवाही की गई है :

(1) चर्बी के आयात पर प्रतिबंध लगाना ;

(2) भारतीय राज्य व्यापार निगम और व्यापारियों के पास पड़े स्टाक का पुनर्निर्यात करना ;

(3) वनस्पति के विनिर्माण में प्रयोग किए गए, अनुमति प्राप्त तेलों के नाम कानूनी रूप से लेबलों पर इंगित करना ।

इसके अलावा, वनस्पति विनिर्माताओं की दो एसोसिएशनों ने भी इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं ।

लोहाघाट/पिथौरागढ़ डिग्री कालेजों के लिए भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

8441. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोहाघाट / पिथौरागढ़ डिग्री कालेजों और कई अन्य स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अंतर्गत अनुमति लेने के लिए कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावित लोहाघाट डिग्री कालेज के स्थल पर कोई पेड़ आदि नहीं हैं और यह भूमि वन विभाग की नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे भूमि खण्ड पर भी भवनों के निर्माण हेतु उनके मन्त्रालय की अनुमति आवश्यक है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार से प्राप्त चार प्रस्तावों से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) चूंकि यह क्षेत्र 'वन पंचायत' का है तथा 'सुरक्षित वन के रूप में' घोषित किया गया है अतः वन (संरक्षण अधिनियम, 1980) के प्रावधान लागू होते हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रस्तावों का विवरण	वन क्षेत्र जिसकी आवश्यकता है (हैक्टार)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	स्वामी विवेकानन्द डिग्री कालेज, लोहाघाट, जिला पिथौरागढ़ के लिए	15.38	अपेक्षित विस्तृत क्षेत्र तथा पर्यावरण सम्बन्धी समग्र जरूरतों पर विचार करते हुए 10-10-1983 को राज्य सरकार को राज्य सरकार की प्रस्तावित परियोजना के लिए गैर-वानिकी क्षेत्र का पता लगाने की सलाह दी गई थी ।

1	2	3	4
2.	राजकीय उच्चतर माध्यविद्यालय मायालेख, पिथौरागढ़ के लिए	1.20	प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई तथा 20-12-1982 को राज्य को आदेश पारित कर दिए गए थे।
3.	राजकीय डिग्री कालेज बैरीनाग पथिौरागढ़ के लिए	4.6	चूंकि भेजा गया प्रस्ताव अधूरा था अतः 5-12-1982 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया था ; अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	राजकीय बालिका इंटर कालेज, धारचूला, पिथौरागढ़	0.48	चूंकि भेजा गया प्रस्ताव अधूरा था अतः 8-8-1983 को राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी भेजने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मदर डेरी में प्रयोग के लिए सामग्री का आयात

8442. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मदर डेरी में प्रयोग के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष आयात की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस के स्थान पर प्रयोग की जा सकने वाली सामग्री देश में उपलब्ध है ;

(ग) यदि हाँ, तो जब देश में बनी सामग्री उपलब्ध है, तो उसके आयात करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त सामग्री के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेरी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी में मूल रूप से अधिष्ठापित आयातित मशीनों के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात किया । इसके अलावा, 1982-83 के दौरान एक होमोगेनिजर तथा एक इमलशन गुण विश्लेषक का भी आयात किया गया था।

(ख) और (ग) होमोगेनिजर का आयात इस उपकरण के लिए उपलब्ध "ओपन जनरल लाइसेंस" के जरिए किया गया था। इमलशन गुण विश्लेषक का आयात, आयात लाइसेंस प्राप्त करके किया गया था, क्योंकि देश में ऐसी कोई उपकरण उपलब्ध नहीं था, जो कि समान कार्य कर सके।

(घ) उपकरणों का तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात करने में लगभग 16.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई, जिसमें से 5.4 लाख रुपये होमोगेनिजर के आयात पर तथा 0.2 लाख रुपये इमलशन गुण विश्लेषक के आयात पर खर्च हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारी

8443. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत 1980, 1981; 1982, 1983 और 1984 में 1 अप्रैल को प्रत्येक राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों (एस०-1 एल०-2 और एस०-3 के पृथक रूप से) तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या क्या थी औ परियोजनाओं की संख्या क्या थी ;

(ख) वर्ष 1979-80, 1981-1982, 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इन परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं पर (राज्य संघ, राज्य क्षेत्र वार) कुल कितनी धनराशि (श्रेणी-वार) खर्च की गई ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इन परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के लिए कितनी राज सहायता (स्वीकृत और भुगतान) मंजूर की गई ;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थानों द्वारा इन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप क्या अनुसंधान/प्रौद्योगिकी उपलब्धियां प्राप्त की गईं ; और

(ङ) सामान्य किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थानों द्वारा इन अनुसंधानों/प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विदेशों को प्रदत्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी

8444. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन-किन देशों को क्या-क्या अनुसंधान/प्रौद्योगिकी दी गई है तथा तत्सम्बन्धी प्रौद्योगिकी/अनुसंधान/उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितने और कौन-कौन से विदेशी वैज्ञानिकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कितने भारतीय वैज्ञानिकों की सेवाओं का विदेशों द्वारा प्रयोग किया गया है और तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान प्रौद्योगिकी का उपयोग विकासशील/विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साथ करारों, नयाचारों आदि विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ऐसा किया जाता है। अनुसंधान प्रौद्योगिकी को आवधिक कार्यदलों के संगठनों के माध्यम से भी, जिनमें कि विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है, आगे लाया जाता है। विकासशील देशों के प्रशिक्षणार्थियों को भी विभिन्न कृषि विश्वविद्यलयों/भा० कृ० अ० प० के संस्थानों आदि में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर भा० कृ० अ० प०/कृ० अ० तथा शि० विभाग ने विभिन्न देशों जैसे सोवियत रूस, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, वियतनाम आदि के साथ नयाचार/करार/समझौता ज्ञापन किये हैं जिनमें पारस्परिक हित पर आधारित अनुसंधान अनुभव/प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान शामिल है।

(ख) और (ग) आमतौर पर विदेशी वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं, नयाचारों/समझौतों के अन्तर्गत विशेष अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को भी खाद्य एवं कृषि संगठन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन और भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी सहायता वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में भेजा जाता है। इस प्रयोजन के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का भ्रमण करने वाले विदेशी वैज्ञानिकों और विदेशों में भेजे गये भा० कृ० अ० प० के वैज्ञानिकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है जिसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

भाण्डागारों और गोदामों की भण्डारण क्षमता

8445. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भाण्डागार और गोदाम कितने हैं तथा उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है ;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भण्डार में से खाद्यान्नों को वितरण प्रयोजनों हेतु नियमित अन्तराल के बाद निकाला जाए और ज्यादा इकट्ठा होने और कीड़ों द्वारा बर्बादी के परिणामस्वरूप हानि न हो ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि आगामी खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के 31-12-1983 को दोनों अपने और किराये की मिलाकर गोदामों की संख्या 1,782 है, जिनकी कुल क्षमता 171.7 लाख मीटरी टन है।

(ख) निगम द्वारा स्टाक की किस्म और वय को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के स्टाक जारी किए जाते हैं। उपयुक्त कीट-नियंत्रण उपायों के माध्यम से स्टाक का वैज्ञानिक ढंग से परिरक्षण किया जाता है।

(ग) जी हां।

बिहार में वनों को नष्ट करना

8446. **श्री ए० के० राय** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के वन क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज पदार्थ विद्यमान हैं, यदि हां, तो इन क्षेत्रों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र जो इन खनिजों का उपयोग कर रहे हैं वह (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वनों को नष्ट करते हैं ; यदि हां, तो पहले ही इस प्रकार हुई हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खनिज पदार्थ बिहार के संपूर्ण वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन क्षेत्रों में सभी खनिज पदार्थों के संसाधनों के पूर्ण राज्यवार सर्वेक्षण मूल्यांकन करके इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) तथा (ग) बिहार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के उल्लंघन के कोई दृष्टान्त अभी तक देखने में नहीं आए हैं।

केसियालि (मिदनापुर) के समीप स्वर्णरेखा नदी पर पुल बनाना

8447. **श्री नारायण चौबे** : **क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दानतान, मोहनपुर, केसयालि, नयाग्राम और गोपीवाकावापुर पुलिस थाना क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की भारी कमी का पता है ;

(ख) उपरोक्त पुलिस थाना क्षेत्रों में खरीफ और रबी के मौसम में वास्तव में कितने प्रतिशत भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलीं ;

(ग) क्या स्वर्णरेखा नदी उक्त पुलिस थाना क्षेत्रों के पास से बहती है ;

(घ) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सरकारों के साथ मिलकर मिदनापुर जिले में केसियालि के समीप स्वर्णरेखा पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की परिकल्पना कब की गई थी तथा इस बारे में कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त गैर-सिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ देने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव का अध्ययन करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई विकास से सम्बन्धित ब्लाक-वार/पुलिस स्टेशन क्षेत्र वार आंकड़े केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (च) पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित 158.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की सुवर्णरेखा बराज परियोजना में बराज के वामतट पर इसकी वितरण प्रणाली सहित नहर के माध्यम से मिदनापुर जिले में 1,30,014 हेक्टेयर क्षेत्र (खरीफ-99248 हेक्टेयर तथा रबी-30766 हेक्टेयर) की वार्षिक सिंचाई के लिए भोसराघाट के निकट (केसियाली के पास भी) सुवर्णरेखा नदी पर एक बराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सुवर्णरेखा बराज परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में मुख्यत: मिदनापुर जिले के दनतान, इगरा, पतसपुर, नारायण ग्राम, मोहनपुर, भगवानपुर तथा कोनटई ब्लाक आते हैं।

योजना आयोग द्वारा परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। परियोजना के कुछ प्रारम्भिक कार्यों को शुरू करने के लिए योजना आयोग के कार्यकारी दल ने वर्ष 84-85 के लिए 20 लाख रु० के परिव्यय की सिफारिश की है।

बन्दरगाहों पर खाने के आयातित तेल का उतारना

8448. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री एम० वी० चन्दशेखर मूर्ति :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंदरगाह और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण खाने के आयातित तेल के उतारने पर बहुत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इससे देश में खाने के तेलों की सामान्य सप्लाई पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इन बन्दरगाहों पर खाने के तेल के उतारने के लिए क्या अन्य उपाय और प्रयास किए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत में आवासीय योजनाओं के लिए ब्रिटेन द्वारा सहायता

8449. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, भारत में गरीब लोगों के लिए आवास योजनाओं के वित्त पोषण के लिये 37 करोड़ रु० से अधिक की और अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) उन्होंने गरीब लोगों के लिए आवास योजना के लिए पहले कितना ऋण उपलब्ध कराया है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें से कितने धन का उपयोग किया गया ; और

(घ) ब्रिट्रिश सरकार द्वारा दिये गए इस 37 करोड़ रुपए के ऋण का भारत में किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हुडको परियोजना II को धन देने के लिए ब्रिट्रिश सरकार 240.12 लाख पौण्ड के नियतन के लिये सहमत हो गई।

(ख) तथा (ग) चरण-I के लिए 147.5 लाख पौण्ड की सहायता की सहमति की तुलना में हुडको ने 21 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण रिलीज किये तथा सरकार ने ऋण के रूप में हुडको को 20 करोड़ रुपये पहले ही दे दिये हैं।

(घ) "हुडको परियोजना II" के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को 15 राज्यों की 126 योजनाओं को धन देने के लिये प्रयोग में लाई जायेगी जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग परिवारों के लिये शहरी क्षेत्रों में 33,265 मकानों, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,22,858 मकानों के निर्माण तथा 3088 स्थलों तथा सेवा प्लाटों/अनधिवासी उन्नयन कार्यक्रम में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए फील्ड में कार्य करने वालों के गहण प्रशिक्षण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना

8450. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं के बढ़ते हुये महत्व और सातवीं योजना अवधि में प्रस्तावित इस क्षेत्र में भारी निवेश के कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये फील्ड में काम करने वालों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की जानी अनिवार्य है ;

(ख) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम 1984-85 में ही आरम्भ किए जाने की संभावना है और आगामी वित्तीय वर्ष में इसे पूरे देश में आरम्भ कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद को ग्रामीण विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो अन्य किन प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। विभिन्न ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

हरित क्रांति के कारण मिट्टी सम्बन्धी समस्याएं

8451. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फसलों हेतु अधिक उपज वाली बीजों के कारण मिट्टी के बहुत अधिक पोषक तत्वों के नष्ट होने के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी होने से पंजाब तथा देश के कई अन्य भागों में हरित क्रांति के साथ-साथ कुछ प्रबन्ध समस्याएं भी पैदा हो गई हैं ;

(ख) क्या कई अन्य भागों में भी इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मिट्टी की उर्वरकता को बचाये रखने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पंजाब सहित कुछ क्षेत्रों में सघन खेती और अधिक उपज देने वाली किस्मों से पोषक तत्वों के नष्ट होने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है और गौण तथा सूक्ष्म तलों की कमी हो जाती है।

(ख) तथा (ग) ये कमियां तथा कुछ अन्य प्रबन्ध की समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान में आई हैं। तथापि सिर्फ इसी प्रयोजना के लिये कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) राईजोवियम तथा नीलीहरी शैवाल सहित रसायनिक उर्वरकों, जैव खादों तथा जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग से समेकित पोषक तत्व प्रबंध प्रणाली की मिट्टी की उर्वरकता को बनाये रखने के लिये सिफारिश की जा रही है।

राज्यों में "आपरेशन फ्लड" की प्रगति

8452. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी एजेंसी (तन्त्र) को प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान "आपरेशन फ्लड" की प्रगति का पता करने के लिए भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाया गया है कि कुछ राज्यों ने उस धनराशि का उपयोग नहीं किया है जो उनको इसके लिये मंजूर की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूरी राशि खर्च नहीं की है अथवा इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता दिखाई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तिलहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

8453. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान तथा विकास विभाग द्वारा तिलहनों के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से सरकार संतुष्ट है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता की गई और उत्पादकता के दावे के साथ जारी की गई इनकी नई किस्मों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । पिछले 3 वर्षों के दौरान पहचानी गयीं/रिलीज की गयीं तिलहन फसलों की नयी किस्मों का औसत उपज क्षमताओं के साथ ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पहचानी गयी/रिलीज की गयी विभिन्न तिलहनी फसलों की उन्नत किस्मों की सूची

किस्म का नाम	रिलीज होने का वर्ष	रिलीज करने वाली एजेंसी	अनुकूलनशीलता	औसत उपज कि०ग्रा०/हैक्टेयर	मुख्य विशेषताएं
1	2	3	4	5	6
मूंगफली					
1. फुले प्रगति जे.एल.-24	1981	महाराष्ट्र	सारा महाराष्ट्र और गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश	1800	गुच्छा, जल्दी पकने वाली, अच्छी उपज देने वाली, अधिक सूखा प्रतिरोधी ।
2. एम-37	1980	पंजाब	—	1340 (वर्षा निर्भर) 1920 (सिंचित)	फैलने वाली
3. जी-201 (पहचानी गयी)	1982	गुजरात	गुजरात के लिए		रतुआ रोधी
4. जी-2 (पहचानी गयी)	1981	गुजरात	गुजरात के लिए		सिंचित अवस्थाओं के लिए उपयुक्त
तोरिया और सरसों					
5. पी.आर.-18	1982	पन्तनगर	उत्तरी भारत	1800-2000	जल्दी पकने वाली (36 दिन)
6. सीता (बी-85)	1980	बहरामपुर	पश्चिमी बंगाल	1200-1300	यदि अक्तूबर में बोया जाय तो सामान्य रूप से सूखा रोधी, ऐफिड और अल्टरनेरिया का आक्रमण कम होता है ।

7. पूसा बोल्ड	1981	दिल्ली	दिल्ली के आस-पास	1800-2000	छितरन, प्रतिरोधी, 43 प्रतिशत तेल की मात्रा
8. पी.आर.-15	1981	पन्तनगर	उ.प्र., पश्चिमी बंगाल हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान	1800-2000	वरुण से 18.4 प्रतिशत अधिक उपज देने वाली, जल्दी पकने वाली (135 दिन)
9. आर.एल.एम-514	1980	लुधियाना	पंजाब	1700-1800	जल्दी पकने वाली. 43 प्रतिशत तेल की मात्रा
10. अग्रणी (तोरिया)	1980	बहरामपुर	असम, पश्चिमी बंगाल	800-1000	मध्यम पौध की ऊंचाई वाली 4-6 प्रारम्भिक शाखाएं, लम्बी छिम्बी वाली
11. बेनाई (पीली सरसों)	1980	बेरहमपुर	पश्चिमी बंगाल	1400-1500	सूखा रोधी, 90-95 दिनों में परिपक्वता, 46 प्रतिशत तेल की मात्रा
तिल					
12. टी.एम.वी.-6	1980	तमिलनाडु	सलेम जिला	450	पुष्ट बीज, सूखा सहिष्णु
13. गुजरात तिल-I	1979-80	गुजरात	सारा गुजरात	550	जल्दी पकने वाली, मल्टिकैप्सूलर मुरझान और अंगमारी के प्रति सहिष्णु
14. जे.टी.-7	1981	मध्य प्रदेश	सारा मध्यप्रदेश	800	सफेद, पुष्ट बीज, 85 दिन में परिपक्वता
15. सी.ओ.-I	1983	तमिलनाडु	तमिलनाडु	580 (वर्षा निर्भर) 730 (सिंचित)	

1	2	3	4	5	6
कुसुम					
16. अन्निगेरी-1	1983	कर्नाटक	राष्ट्रीय स्तर पर	300-850	
17. भीमा	1982	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र		उन्नत किस्म, तारा से बेहतर
सुरजमुखी					
18. पी.के.बी.-एस.यू.एफ.-7 72-37 (सूर्य)	1983	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	940	सफेद धारियों वाले काले बीज
19. मोर्डन	1980		सारा देश	600-800	बहुत जल्दी पकने वाली और बीच भरने की कोई समस्या नहीं अधिक अनुकूलनशीलता ।
20. सी.ओ. I (एस.यू.एफ.-2)	1983	तमिलनाडु	सारा तमिलनाडु	600	
अलसी					
21. जवाहर 552	1980	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	900 (वर्षा पर निर्भर)	विल्ट-प्रतिरोधी ।
22. जे.एल.एस. (जे)	1981	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	900	बहुत अगेती, रतुआ-रोधी ।
23. सी.429	1981	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1000	विल्ट और रतुआ सहिष्णु
24. एल.सी-54	1982	पंजाब	पंजाब, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और राजस्थान	1320 (सिंचित+ वर्षा पर निर्भर)	अधिक पैदावार वाली, 42% तेल की मात्रा, सिंचित अवस्थाओं के लिए उपयुक्त, रतुआ-रोधी
25. हिमालिनी	1982	हि० प्र०	—वही—	1310 (सिंचित+ वर्षा पर निर्भर)	अधिक पैदावार वाली, 40% तेल की मात्रा, रतुआ रोधी

26. एल.एस.-3	1982	उ० प्र०	—वही—	1340 (सिंचित + वर्षा पर निर्भर)	भूरे और कड़े बीज वाली, 42% तेल की मात्रा, सिंचाई और उर्वरक का अच्छा प्रभाव
27. एल.एस.-2	1982	उ० प्र०	—वही— और उ० प्र० के बुन्देखंड का सूखा क्षेत्र, मध्य-प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और उड़ीसा	1300 (सिंचित + 730 (वर्षा पर निर्भर)	भूरे और चमकदार बीज, 43% तेल की मात्रा. सूखा और रतुआ रोधी
28. एस.पी.एस. 77/23-10	1983	म० प्र०	उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा	1000 (सिंचित) 700 (वर्षा पर निर्भर)	अल्प अवधि में पकने वाली (105 दिनों में) 43% तेल की मात्रा, चूर्णी फफूद रतुआ एवं बिल्ट के प्रति क्षेत्र-प्रतिरोधिता
सोयाबीन					
29. बिरसा सोयाबीन-1	1981	बिहार	बिहार	2700	कारगार ढंग से नाइट्रोजन स्थिर करने वाली, सीधे खड़ी होने वाली।
30. पी.के.-262	1982	उत्तर प्रदेश	उ० प्र०, तराई क्षेत्र	3000-5000	अधिक पैदावार वाली, मेलों मोजेइक प्रतिरोधी, न गिरने वाली
31. पी.के.-327	1982	उत्तर प्रदेश	उ० प्र०, तराई क्षेत्र	3000-5000	—वही—

आदिवासी क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

8454. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंचाई सुविधा के सम्बन्ध में देश का आदिवासी क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है और वे लोग केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) उस छोटी सिंचाई प्रणाली का जिसकी व्यवस्था की जा रही है, ब्मौरा क्या है ; और

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों में छोटी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये किसी केन्द्रीय दल ने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे और अव तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में आदिम जाति क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर सामान्यतः कम है । इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारें जहाँ पर तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होता है, भूतल जल-संचयन, व्यपवर्तन एवं लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को शुरू कर रही हैं । राज्य सरकारों को आदिम जाति क्षेत्रों के लिए मास्टर योजनाएं भी तैयार करने के लिये परामर्श दिया गया है ताकि विकास कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके । आदिम जाति क्षेत्रों के लिए निम्नलिउपाय किये जा रहे हैं :—

1. राष्ट्रों द्वारा आदिम जाति उप योजनाओं की संकल्पना तैयार की गई है और उनके द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उप-योजना क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आबंटन किये जाते हैं ।

2. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत लघु और सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदायिक लघु सिंचाई स्कीमों के लिये आदिम जाति कृषकों को 50% की उच्च दर पर सबसिडी उपलब्ध कराई जाती हैं । यह सबसिडी खुदाई कुंओं, खुदाई एवं भेदन कुंओं, उथले नलकूपों के निर्माण तथा पम्पसेटों आदि की खरीद के लिये उपलब्ध हैं । बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारें एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध सबसिडी से उच्च दरों पर अधिक सबसिडी आदिम जाति के कृषकों के किये उपलब्ध करती हैं ।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई के वास्ते आदिवासी क्षेत्रों को कोई ऐसा केन्द्रीय दलनहीं भेजा गया है । तथापि, 1982-83 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश में आदिम जाति विकास के कार्य संचालन की समीक्षा की थी और यह सिफारिश की थी कि लघु सिंचाई के वास्ते एक मास्टर योजना तैयार की जानी चाहिये और इन्हें वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी जाहिए ।

गुजरात, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत

8455. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में जोकि सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, 1973 और 1984 में सिंचित भूमि का प्रतिशत क्या रहा ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में 1985 तक सिंचित भूमि के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिये इन राज्यों को विशेष धन आवंटित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 1972-73, 1973-74 से सम्बन्धित सूचना और अद्यतन वर्ष 1980-81 जिसकी सूचना उपलब्ध है, विवरण-एक में संलग्न है ।

(ख) और (ग) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी समग्र विकासात्मक योजना के ढांचे के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी परियोजना अथवा विकास के सेक्टर से जुड़ी नहीं होती है। सम्बन्धित राज्य सरकारें आदिम जाति उपयोजना के अन्तर्गत आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये अपनी वार्षिक योजनाओं में अलग से परिव्यय आबंटित करती हैं।

आदिम जाति उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अन्य सेक्टरों के साथ लघु सिंचाई स्कीम के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था भी की जाती है।

विवरण

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्र	सकल फसली क्षेत्र	सकल फसली क्षेत्र के लिए सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बुआई क्षेत्र	शुद्ध बुआई क्षेत्र के लिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
गुजरात						
1972-73	1521	10259	14.8	1341	9602	14.0
1973-74	1591	10492	15.2	1402	9760	14.4
1980-81	2334	10695	21.8	2003	9576	20.9

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा						
1972-73	1260	6936	17.2	917	5622	16.3
1973-74	1188	7285	16.3	878	5973	14.7
1980-81	1711 (पी०)	8746	19.6	1215 (पी०)	6130	19.8
बिहार						
1972-73	2688	10383	25.9	2278	8053	28.3
1973-74	2797	10767	26.0	2320	8373	27.7
1980-81	3632	11148	32.6	2953	8315	35.5
मध्य प्रदेश						
1972-73	1762	20742	8.5	1699	18497	9.2
1973-74	1733	21212	8.2	1645	18559	8.9
1980-81	2453	21402	11.5	2332	18702	12.5
1981-82	2511	21756	11.5	2421	18841	12.8

(पी०)=अनन्तिम

गधों और खच्चरों की जनसंख्या में वृद्धि

8456. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गधों की जनसंख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने गधों और खच्चरों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया था ; और

(ग) क्या जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यदि हां, तो इसमें कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अखिल भारतीय पशुधन संगणना पंचवर्षीय आधार पर की जाती है। पिछली संगणना 1982 के लिए निर्धारित की गई थी और अनेक राज्यों ने इसे पूरा कर लिया है परन्तु उनमें से कुछ राज्यों ने प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से इसे पूरा नहीं किया है। 1972 तथा 1977 से सम्बन्धित पशुधन संगणनाओं, जो उपलब्ध हैं के आधार पर यह पता चलता है कि 1972 तथा 1977 के बीच खच्चरों की संख्या 3.48 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ी जबकि गधों की संख्या 0.32 प्रतिशत वार्षिक की दर से कम हुई। चूंकि गधों की संख्या में मामूली गिरावट हुई है अतः कारण का अध्ययन नहीं किया गया।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

8457. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समुचित समन्वय के अभाव में बैंकों द्वारा लोगों को ऋण की समुचित राशि जारी न किए जाने, लम्बे समय से जमा आर्थिक सहायता प्राप्त धनराशि का लोगों के खाते में सीधे अंतरण करने की बजाय उसका उपयोग करने ; और लोगों को समय पर मन्जूरशुदा यूनिटों की उपलब्धि न करने के कारण समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शुरू के वर्षों में, कालाहांडी जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसका कारण परिचालन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां थीं जिनमें कुछ वाणिज्यिक बैंकों की कार्य-पद्धति से सम्बन्धित है । राज्य सरकार ने जिला व खण्ड स्तरों पर समन्वय में सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं, और एक समिति का गठन भी किया है जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल किये गये हैं जिससे वास्तविक स्थिति की पड़ताल की जा सके । बैंक कार्यकर्ताओं की ओर से चूक के विशिष्ट मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है ।

इस जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्पादन में अब 1980-81 में 50 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में 101 प्रतिशत का भारी सुधार हुआ है ।

मदनगीर में शौचालयों की संख्या बढ़ाने के लिए वहां के निवासियों का अनुरोध

8458. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी:** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदनगीर निवासी मदनगीर मूत्रालयों/शौचालयों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा मूत्रालयों/शौचालयों में सफाई रखने और उनमें दरवाजे लगाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वहाँ पर शौचालयों की संख्या कब तक बढ़ा दी जायेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूत्रालयों /

शौचालयों की संख्या बढ़ाने के लिए मदनगीर कालोनी के निवासियों से हाल ही में ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी की नियमित रूप से सफाई की जा रही है। जब कभी किसी दरवाजे की मरम्मत / बदलने की कोई शिकायत प्राप्त होती है उसे तुरन्त ही दूर किया जाता है।

सविता बिहार में स्व वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में प्रगति

8459. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में स्व वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत कितनी कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) स्व वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत हो रहे सविता बिहार के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस कालोनी का निर्माण कार्य इस बीच शुरू हो गया है और यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्व वित्त पोषी योजना के अन्तर्गत 27 कालोनियों में मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) सविता बिहार में स्ववित्त पोषित मकानों के निर्माण में अब तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

सड़क कार्य पहले ही प्रगति पर है। दिल्ली नगर निगम ने जलपूर्ति योजना का अनुमोदन कर दिया है तथा रेनी वेल तथा भू-गत जलाशय टैंकों का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। मल निर्यास तथा बरसाती पानी की निकासी की नालियों, दोनों ही योजनाओं को अनुमोदन के लिये पहले ही दिल्ली नगर निगम को भेज दिया गया है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कार्य आरम्भ किया जायेगा।

सविता बिहार कालोनी के पाकेट ए, बी तथा सी में भू-गत चौड़ी स्थूल नींवों तथा निर्माण कार्य के लिए निविदायें पहले ही प्राप्त हो गई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

पर्याप्त निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर विकास तथा भवन निर्माण कार्य के $2\frac{1}{2}$ वर्षों में पूरा किये जाने की सम्भावना है।

फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान का उपयोग

8460. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें वर्ष 1983-84 के दौरान फील्ड चैनलों के निर्माण का लक्ष्य

पूरा करने के लिए दी गयी केन्द्रीय अनुदान राशि का 50 प्रतिशत का उपयोग करने में भी असमर्थ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी अनुदान राशि दी गयी और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी फील्ड चैनलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच के अन्तर को दूर करने और आवश्यकता को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की गयी है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी सहायता दिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) पुर्वानुमानित भौतिक उपलब्धियों के आधार पर 1983-84 के लिए अनुदान तथा ऋणों के लिए केन्द्र का हिस्सा रिलीज कर दिया गया है। वास्तविक उपयोग कितना हुआ है इसका पता अगले वर्ष अर्थात 1984-85 में रिलीज करने के समय ही चलेगा। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि खेत नालियों के निर्माण की 50% लागत किसानों से वसूल नहीं की जाएगी और यह लागत राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच बराबर-बराबर वहन की जाएगी। खेत नालियों के निर्माण की शेष 50% लागत केन्द्र और राज्य के बीच ऋण के रूप में बराबर-बराबर बांटी जाएगी। यह स्कीम चालू वर्ष के लिए भी लागू है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सेक्टर में 82 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियां

8461. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1983 को दिल्ली / नई दिल्ली में कुल कितनी मान्य (आइडेंटिफाइड) झुग्गी / झोंपड़ियां थी तथा उनकी क्षेत्रवार संख्या क्या थी ;

(ख) दिल्ली / नई दिल्ली में अमान्य (अनआइडेंटिफाइड) अथवा अनाधिकृत झुग्गी/झोंपड़ियों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(घ) इस प्रकार के लोगों का उनके वर्तमान स्थल अथवा कार्य स्थल के निकट पुनर्वास करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने झुग्गी / झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के आवास के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(च) झुग्गी / झोंपड़ियों में रहने वालों का जब तक अन्तिम रूप से पुनर्वास नहीं किया जाता, तब तक उन्हें पानी, बिजली और सफाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस टाइप का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) से (च) झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लगभग 2 लाख परिवारों को झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत पहले ही पुनः बसा दिया गया है। झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के तहत मार्च, 1977 में दिल्ली के अवशेष क्षेत्रों में रह गए झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के 25000 परिवारों को पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने अन्य योजना की स्वीकृति दी है। जहां तक मार्च, 1977 के बाद की अवधि के लिए अनधिवासी परिवारों का सम्बन्ध है, हुडको के "स्थल तथा सेवाएं" कार्यक्रम के तहत उन्हें बसाने का निर्णय किया गया है।

पार्वती नदी की क्षमता का सर्वेक्षण

8462. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के विदिशा, गूना, राजगढ़, सिंहौर आदि जैसे अनेक जिलों से बहने वाली पार्वती नदी की क्षमता का कभी मूल्यांकन सर्वेक्षण अथवा आयोजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के उपरोक्त पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए इस नदी पर कोई वृहत अथवा मध्यम सिंचाई योजना स्थापित करना संभव है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, पार्वती नदी के जल संसाधनों का मूल्यांकन एवं उपयोग करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना मध्य प्रदेश सरकार का काम है। तथापि, केन्द्र के पास मौटे तौर पर उपलब्ध अनुमान के अनुसार, पार्वती नदी जो चम्बल नदी की एक सहायक नदी है, की वार्षिक जल उपलब्धता 75% की निर्भरता पर लगभग 3.5 मिलियन एकड़ फुट है। इस समय मध्य प्रदेश द्वारा सिंचाई एवं अन्य उपयोगों के लिए लगभग 0.4 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्वती नदी पर कोई वृहद अथवा मध्यम स्कीम केन्द्र को प्रस्तुत नहीं की है।

भारत में आवासीय योजनाओं के वित्त पोषण के लिए ब्रिटेन से सहायता

8463. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हुडको" के माध्यम से 15,90,000 गरीब परिवारों के आवास हेतु भारत में आवासीय योजना के वित्त पोषण के लिए 37 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए 19 मार्च, 1984 को ब्रिटेन और भारत की सरकारों के बीच पत्र व्यवहार हुआ ;

(ख) यदि हां, तो बांसवाड़ा में इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को लिए जाने का विचार है ; और

(ग) ब्रिटेन और भारत की सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं,?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन तथा भारत सरकार के बीच हुए पत्र-व्यवहार में हुडको परियोजना-II को वित्तीय सहायता देने के लिये 240.12 लाख पौण्ड से अनधिक्य के नियतन की व्यवस्था है। इस योजना में 15 राज्यों में फैली 126 योजनाएं शामिल हैं और इससे समग्र देश में आर्थिक दृष्टि में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में 33,265 मकानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 122,858 मकानों के निर्माण का तथा 3088 स्थलों और सेवा प्लाटों के विकास / अनधिवास उन्नयन कार्यक्रम में सहायता मिलेगी। बांसवाड़ा के लिये परियोजना के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) परियोजना में सम्मिलित योजनाओं को वित्तीय सहायता देने में हुडको द्वारा किया गया व्यय प्रतिपूर्ति के लिए हुडको द्वारा भारत सरकार मध्यम से ब्रिटेन सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा और उधार देने की सरकारी मानक शर्तों के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि हुडको को ऋण के रूप में दी जायेगी। स्थलों तथा सेवा योजनाओं के लिये एक उचित निम्नतम सीमा सहित एकक लागत प्रति मकान अधिकतम 12000 रुपए होने से इस परियोजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के लिये योजनायें तथा प्रदर्शन परियोजनायें शामिल होंगी। इसमें वे योजनायें भी शामिल होंगी जिनमें पानी तथा स्वच्छता का स्वीकृत मूलभूत प्रावधान होगा।

डी० डी० ए० के डिवीजनों का वार्षिक निरीक्षण

8464. **श्री मीखा माई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में 86 डिवीजन हैं और 4 निरीक्षण दल विभागीय (आन्तरिक) निरीक्षण करते हैं ;

(ख) क्या एक डिवीजन के वार्षिक निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण दल को औसतन 21 कार्य दिवस लगते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 4 निरीक्षण दलों की वर्तमान क्षमता से एक वर्ष में केवल 48 डिवीजनों का निरीक्षण किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि वर्ष भर में सभी 86 डिवीजनों का निरीक्षण किया जाये ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आजकल दिल्ली विकास प्राधिकरण में 85 निर्माण प्रभाग विद्यमान हैं तथा तीन निरीक्षण दल विभिन्न प्रभागों / एक्कों का आन्तरिक निरीक्षण कर रहे हैं।

(ख) एक निरीक्षण दल को एक प्रभाग के एक वर्ष के लेखे को निरीक्षण के लिये औसतन 14 कार्य दिवस अनुमेय हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार तीन निरीक्षण दल एक वर्ष में 57 प्रभागों की लेखा परीक्षा पूर्ण कर सकते हैं।

(घ) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के आन्तरिक निरीक्षण कक्ष की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ।

उड़ीसा में पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था

8466. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पेयजल कार्यक्रम में छठी योजना के लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हो रही है; और

(ख) क्या लागत में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पेयजल योजना की पुनरीक्षा की गई है और यदि हां, तो क्या राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) उड़ीसा में 1-4-1980 तक पता लगाये गये 23,616 समस्याग्रस्त ग्रामों में से फरवरी, 1984 के अन्त तक पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करा के 15,292 ग्रामों को लाभान्वित किया गया है । अगम्य क्षेत्रों के कुछ समस्याग्रस्त ग्रामों को छोड़ कर मार्च, 1985 तक शेष समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किये जाने की आशा है ।

(ख) जलपूर्ति राज्य का विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल मुहैया कराने के लिए योजनायें, राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है । तथापि, राज्यों के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र अनुदान देता है । छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत परिव्यय 3400 लाख रुपये था । त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को 2550 लाख रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई। कार्य निष्पादन पर आधारित नई केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए इस राज्य को अनुदान सहायता के रूप में 450 लाख रुपए की राशि भी दी गयी । चालू वर्ष के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियतन के निर्णय के पश्चात् 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य को त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत और अनुदान भी दिए जायेंगे ।

चानदिल बांध

8467. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सभी तीनों राज्य सरकारों ने त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार से चानदिल बांध की बाढ़ आधुनिकीकरण योजना की पूरी लागत वहन करने का अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस क्षेत्र को बाढ़ों से बचाने और बाढ़ के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने हेतु इस परियोजना को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने 7 अगस्त, 1978 के त्रिपक्षीय करार की व्यवस्थाओं के अनुसार स्वर्णरेखा परियोजना के चांडिल बांध के बाढ़ नियंत्रण घटक की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

चांडिल बांध की कुल लागत का 115.88 करोड़ रुपये होने का मूल्यांकन किया गया है जिसमें से बाढ़ नियंत्रण घटक की लागत लगभग 33.30 करोड़ रुपये है और जिसको उड़ीसा (30.67 करोड़ रुपये) एवं पश्चिम बंगाल (2.63 करोड़ रुपये) के बीच बांटा जाना है।

बाढ़ नियंत्रण एक राज्य विषय होने के कारण परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक की लागत सम्बन्धित राज्य सरकारों को अपनी निधियों से वहन करना होगा। तथापि, परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक पर होने वाले खर्च के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्य सरकारों को कुछ ऋण सहायता प्रदान की जा सके।

(घ) योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा उसकी जून, 1982 की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर अभी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्पष्टीकरण भेजे जाने हैं।

उड़ीसा में एक सहकारी शीतागार स्थापित करने का प्रस्ताव

8468. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य में सहकारी शीतागारों को स्थापित करने के लिए एक परिपेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) देश में शीतागार को स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने के जरिये प्रत्येक 4,000 मीटरी टन की क्षमता के 24 शीतागारों के निर्माण के बारे में अप्रैल, 1982 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से परामर्श करके सरकार द्वारा जांच की गई थी और राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत दो लाख मीटरी टन से अधिक आलू का उत्पादन करने वाले राज्यों को ही शामिल किया गया है और विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा में शीतागार बनाने की योजना की सम्भावनाओं पर बाद में विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई थी कि यदि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के

पास सहकारी शीतागारों के उपयुक्त व्यवहार्य प्रस्तावों को भेजा जाए, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपनी स्वयं की योजना के तहत इनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने पर विचार कर सकता है।

(ग) चूंकि सहकारी शीतागार किसानों के संगठन होते हैं अतः सरकार की नीति किसानों के लाभ के लिए व्यवहार्य सहकारी शीतागारों को प्रोत्साहन देने की है ।

सहकारी समितियों के जरिए उर्वरकों की बिक्री

4469. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को उर्वरकों की बिक्री सहकारी समितियों के जरिये की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में और विशेषकर उड़ीसा में कार्य कर रही ऐसी समितियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस काम में बहुत कम लाभ की अनुमति दी है और इसीलिए उर्वरक व्यापार में सहकारी समितियों को भारी घाटा हो रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सहकारी समितियों को समाप्त होने से बचाने के लिए लाभ की दर बढ़ाने के बारे में सरकार को सहकारी समितियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 के अन्त तक देश में 64,645 सहकारी उर्वरक खुदरा केन्द्र थे, जिनमें से 3,788 उड़ीसा में चल रहे थे। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कुछ सहकारी समितियों ने अभ्यावेदन भेजा था जिसमें वितरण पर लाभ में संशोधन करने के सम्बन्ध में लिखा था। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान प्रोजक्ट्स एण्ड डिवल्पमेंट (इंडिया) लि० के द्वारा अध्ययन किया था। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट आने तक वितरण मार्जिन 15 अगस्त, 1981 से तदर्थ आधार पर संशोधित कर दिए गए थे। परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया और उनकी सिफारिशों के आधार पर 20 मई, 1983 से आगे वितरण के मार्जिन पुनः संशोधित किए गए थे। 15-8-1981 से पूर्व सहकारी समितियों को उपलब्ध वितरण मार्जिन संलग्न विवरण II में दिया गया है। इससे यह देखा जा सकता है कि 15-8-1981 से और 20-5-1983 से कुछ प्रमुख उर्वरकों पर वितरण मार्जिन हाल ही में काफी बढ़ा दिया गया है। उर्वरकों के मूल्यों में भी वितरण मार्जिन में बिना कोई कटौती किये 19-6-1983 से 7.5 प्रतिशत तक कमी की गई थी ।

विवरण I

सहकारी उर्वरक खुदरा केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1982-83 के अन्त तक सहकारी उर्वरक खुदरा केन्द्रों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2203
2.	असम	1025
3.	बिहार	3612
4.	गुजरात	6394
5.	हरियाणा	1302
6.	हिमाचल प्रदेश	1310
7.	जम्मू व कश्मीर	1585
8.	कर्नाटक	4635
9.	केरल	1531
10.	मध्य प्रदेश	3965
11.	महाराष्ट्र	6807
12.	मणिपुर	124
13.	मेघालय	322
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	3788
16.	पंजाब	2545
17.	राजस्थान	5420
18.	तमिलनाडु	4926
19.	त्रिपुरा	30
20.	उत्तर प्रदेश	6985
21.	पश्चिम बंगाल	3356
22.	संघ राज्य क्षेत्र और अन्य	2775
	योग :	64655

विवरण II

संस्थागत एजेंसियों के लिए पूर्व संशोधित वितरण सीमा तथा
15-8-81 और 20 मई, 1983 से लागू संशोधित वितरण
प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	उत्पाद	14-8-1981 को	15-8-81 से लागू	20-5-83 से लागू
1.	यूरिया	115	140	150
2.	डी० ए० पी०	140	165	210
3.	एम० ओ० पी०	90	110	115
4.	एस० ओ० पी०	95	115	130
5.	20: 20: 0 (ए. पी. एस.)	155	190	200
6.	24: 24: 0	188	230	230
7.	15: 15: 15	112	140	155
8.	10: 26: 26	135	165	195
9.	12: 32: 16	135	165	192

वन भूमि के अनारक्षण के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन का प्रस्ताव

8470. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के वन (संरक्षण) अधिनियम को पारित करने से पूर्व सरकार द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने हेतु विभिन्न उद्देश्यों के लिये कुछ वन भूमि के अनारक्षण का प्रस्ताव भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है कितने भू क्षेत्र की आवश्यकता है किस स्थान पर आवश्यकता है और प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अन्तर्गत सड़क और जलाशय बनाने हेतु पेड़ों के काटे जाने के वन विभाग से तुरन्त उत्तर प्राप्त न होना एक सबसे बड़ी कठिनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने, प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं और कब से पड़े हैं तत्संबंधी योजना का नाम क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है और उसका तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है ।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया ।

विवरण

क्र० सं०	प्रस्ताव का ब्यौरा	क्षेत्र हैक्टार में	टिप्पणियां
1.	हैवलोक द्वीप में अधिवासियों को आवंटित करने के लिए भूमि	111.27	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और 7-3-1984 को अन्दमान प्रशासन को भेज दिया गया ।
2.	जिरकांटांग ग्राम में अधिवासियों को आवंटित करने के लिए भूमि	35.26	—तदैव—
3.	माईले-तिलक ग्राम में अधिवासियों को आवंटित करने के लिए भूमि	50.00	—तदैव—
4.	लिटिल अन्दमान में निकोबार के परिवारों के लिए वन भूमि का आवंटन	200.00	अतिरिक्त जानकारी भेजने के लिए जून, 1982 में अन्दमान प्रशासन से अनुरोध किया गया था, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। ब्यौरा प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

उड़ीसा में सिंचाई क्षमता

8471. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1982-83 में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर वहां सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ने की सम्भावना है (हेक्टेयर में) ;

(ख) राज्य में इस समय कितनी बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं निर्माणाधीन है ;

(ग) राज्य की कितने हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और सिंचाई क्षमता बढ़ाने से कितनी भूमि कृषि योग्य हो जायेगी और इस कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1982-83 के दौरान आरम्भ की गई एक बृहद परियोजना के पूर्ण हो जाने पर उड़ीसा में कुल सिंचाई क्षमता के 136.82 हजार हैक्टेयर तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इस वर्ष के दौरान कोई मध्यम परियोजना आरम्भ नहीं की गई थी। उस वर्ष के दौरान आरम्भ की गई लघु सिंचाई स्कीमों की क्षमता से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन स्कीमों की आयोजना, स्वीकृति तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है।

(ख) इस समय 10 बृहद और 35 मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) उड़ीसा राज्य में कृषि योग्य कुल क्षेत्र 7500 हजार हैक्टेयर से अधिक है। अद्यतन भूमि उपयोग सांख्यिकी (1980-81) के अनुसार, कृषि के अन्तर्गत निवल क्षेत्र 6130 हजार हैक्टेयर है जबकि राज्य में सकल फसली क्षेत्र 8746 हैक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र तथा निविल सिंचित क्षेत्र के सदृश आँकड़े (दोनों अनन्तिम) क्रमशः 1711 हजार हैक्टेयर तथा 1215 हजार हैक्टेयर हैं। राज्य में सिंचाई स्कीमों के जरिए 1982-83 के अन्त तक सृजित की गई संचयी क्षमता 2294 हजार हैक्टेयर है। निर्माणाधीन स्कीमों को पर्याप्त धनराशि आबंटित करके यथासम्भव शीघ्र उन्हें पूरा करके सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार मुख्यतः सलाहकारी भूमिका अदा करती है। तथापि, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) आई० आर० डी०, डी० पी० ए० पी०, आई० टी० डी० आदि जैसी विशेष परियोजनाओं से खुदाई कुओं के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर लघु तथा सीमान्त एवं जनजातीय किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

(2) जल को लिफ्ट करने वाले यन्त्रों तथा छिड़काव यन्त्र/ड्रप्स सिंचाई, आदि के जरिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत सोतों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम चालू है। इस स्कीम के अन्तर्गत, भिन्न-भिन्न दरों पर, सौर पम्पों के लिए लघु और सीमांत किसानों को तथा जल को लिफ्ट करने वाले यन्त्रों के लिए लघु एवं सीमांत व अन्य किसानों को सब्सिडी उपलब्ध की जाती है। इन स्कीमों से मुख्यतः पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को मदद मिलेगी।

उड़ीसा में ऊंची भूमि की मिट्टी में काफी अम्लता होने के कारण उत्पादन में कमी

8472. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० प्रधानी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में ऊंची भूमि के मिट्टी में काफी अम्लता होने के कारण उत्पादन में कमी के सम्बन्ध में कोई सूचना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो मिट्टी को काफी अम्लता से बचाने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू सत्र में एक अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा राज्य के लगभग 5 लाख हैक्टार क्षेत्र की मिट्टी अधिक अम्लता से प्रभावित है ।

(ख) 1976-77 से 1978-79 तक उड़ीसा राज्य के सघन क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी के सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है । राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसार इस योजना को 1979-80 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था । इन तीन वर्षों के दौरान 16.37 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1980-81 से भूमि सुधार कार्य के लिए 75 लाख रुपये का विशेष राहत अनुदान दिया था । यह विषय अब राज्य क्षेत्र द्वारा सम्भाला जा रहा है ।

सिंचाई मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारी

8473. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामले यदि कोई हैं तो उनकी संख्या कितनी है जिनमें उनके मन्त्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों के वापस उनके मूल राज्यों को भेज दिया गया था परन्तु नाममात्र के अन्तराल के बाद उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया ;

(ख) क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये इन अधिकारियों को उनका कार्य-काल बढ़ाकर उनके मंत्रालय में सेवारत रखा जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या तदर्थ आधार पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को सेवा में बनाये रखने से कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित वर्तमान नियमों का उल्लंघन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की तदर्थ प्रतिनियुक्तियों को जारी रखने के क्या कारण हैं तथा इस अनियमितता को सुधारने के लिए सरकार का बिचार क्या कदम उठाने का है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिंचाई मन्त्रालय में ऐसे तीन मामले हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत शामिल तीन अधिकारियों में से एक अधिकारी 1 जनवरी, 1982 से नियमित आधार पर कार्य कर रहा है। अन्य दो अधिकारियों को क्रमशः 19-8-82 तथा 9-3-83 से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी तदर्थ नियुक्तियां आज तक जारी हैं। उपयुक्त प्राधिकारियों/विभागों के परामर्श से सभी नियुक्तियां/सेवावधि की गई बढ़ाई गई हैं।

(घ) जब तक ये पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं तब तक के लिए कार्य के हित में तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं। इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है तथा ये पद जल्दी ही भर लिए जाएंगे। उसके बाद तदर्थ नियुक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी।

पशुधन रखने वाले के लिए चारा स्रोत

8474. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन रखने वालों के चारा स्रोतों में चौथी योजना अवधि से अधिक सुधार नहीं हुआ है, जबकि पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अनुसंधान परियोजनाएं इस समस्या को हल करने में असफल रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना-वार इसका क्या परिणाम रहा है तथा प्रत्येक के संचालन की अवधि तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और अनुसंधान परिणामों को कहां पर उपयोग में लाया गया तथा पशुधन उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) सरकार पशुधन-सामग्री की आवश्यकताओं का किस प्रकार समन्वय करती है और इसकी तुलना में उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान परियोजनाओं को किस रूप में प्रारम्भ किया गया है तथा आठवें दशक से प्रत्येक का क्या परिणाम रहा है ;

(घ) सरकार द्वारा पशुधन चारा-सामग्री की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से नये उपाय करने का प्रस्ताव है, और कहाँ पर तथा विद्यमान अथवा प्रस्तावित संस्थाओं के नाम और कौन-कौन से प्रमुख वैज्ञानिकों को यह कार्य सौंपा जायेगा ; और

(ङ) क्या सरकार का इस पहलू की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को गठित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

व्यापारिक चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

8375. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक दृष्टि से देश को चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय किया है, यदि हां तो क्या और कब निर्णय लिया गया और उसके पश्चात सरकार द्वारा वर्ष-वार क्या उपाय किए गए तथा 1 अप्रैल, 1984 में चूजों की वार्षिक व्यापारिक आवश्यकता कितनी थी तथा स्वदेशी अनुसंधान प्रयासों से अण्डों के उत्पादन और मांस के उत्पादन की पृथक-पृथक कितनी उपलब्धता थी ;

(ख) बेहतर व्यापारिक टिकाऊ 'पाल्ट्री स्टाक्स' का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं क्या कार्य कर रही हैं, वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक वर्ष-वार केन्द्र-वार कुल कितना व्यय किया गया और इसके साथ-साथ इन्हीं वर्षों में वर्ष-वार अण्डों, पक्षियों तथा अन्य की बिक्री से पृथक पृथक कितनी राजस्व की प्राप्तियां हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का आदान उत्पादन सम्बन्धों की क्षमता की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो, उस का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के अन्दर मूल कुक्कुट प्रजनन परियोजनाओं की स्थापना करने के माध्यम से कुक्कुट प्रजनन स्टाक के सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर इस मन्त्रालय में 1970 से ध्यान दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा मूल कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिए विशुद्ध कुक्कुट प्रजनन भण्डारों का आयात करने के लिए दो संगठनों की 1972 तथा एक संगठन की 1976 में इस मन्त्रालय ने सिफारिश की थी ।

(2) 1971 तथा 1972 के दौरान तीन केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में अण्डा किस्म स्ट्रैनो में, और 1978 में चौथे केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म में मांस प्रकार के स्ट्रैनो में वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था ।

(3) अण्डे और मांस के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित कुक्कुट प्रजनन परियोजनाओं के तहत वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम 1970 से शुरू किया गया था ।

(4) अण्डे तथा मांस किस्म के भण्डारों में देश में मूल कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने की विदेशी सहयोग की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा एक परियोजना, 1979, तीन परियोजनाएं, 1980 और एक परियोजना 1981 के दौरान मंजूर की गयी थी ।

(5) 1981 के दौरान भारत सरकार द्वारा विशुद्ध कुक्कुट भण्डारों के आयात पर सीमा शुल्क की वसूली से छूट दी गई थी।

किसानों द्वारा चूजों की वर्षानुवर्ष आवश्यकता मुख्य रूप से कुक्कुट पालने की आर्थिक स्थिति पर आधारित है, जो प्रचालित आहार मूल्यों तथा अण्डों एवं टेबल चूजों के लिए उत्पादकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्यों से प्रभावित होती है।

अण्डा उत्पादन के लिए चूजों की वार्षिक वाणिज्यिक आवश्यकता का अनुमान लगभग 600 लाख मादा चूजों तथा ब्रोइलर उत्पादन के लिये 600 लाख का अनुमान लगाया गया है। वाणिज्यिक लेयर तथा ब्रोइलर चूजों की भारी आवश्यकता का उत्पादन करने हेतु पर्याप्त मूल स्टाक करने के लिए कुक्कुट प्रजनन फार्मों की क्षमता है।

(ख) (1) 1971 के दौरान बम्बई तथा हैस्सरचट्टा (बंगलौर) स्थित केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में और 1972 से भुवनेश्वर (उड़ीसा) के केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म में अण्डा किस्म की स्ट्रेनों पर और 1978 से चन्डीगढ़ के केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म में मांस किस्म के स्ट्रेनों में वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1978-79 से 1983-84 तक प्रत्येक फार्म में राजस्व व्यय तथा अण्डों, पक्षियों आदि की बिक्री से हुई प्राप्तियों की वर्ष-वार स्थिति संलग्न विवरण I में दी गई हैं।

(2) अण्डों के लिए तथा मांस के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित कुक्कुट प्रजनन परियोजनाओं के तहत वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम 1970 से शुरू किया गया था। 1978-79 से 1983-84 तक के व्यय तथा प्राप्तियों की स्थिति संलग्न विवरण II और III में दी गई है।

(ग) जी नहीं। हाल ही में केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के कार्य की सावधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की गई है।

विवरण I

कृषि और सहकारिता विभाग के तहत केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के व्यय तथा प्राप्तियों की फार्म-वार स्थिति

(लाख रुपये)

व्यय (राजस्व) फार्म का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
बम्बई	14.99	14.99	14.52	18.60	16.23	15.08
भुवनेश्वर	12.23	11.47	11.03	12.63	15.39	15.34
हैस्सरघट्टा	17.07	15.18	13.49	18.91	22.04	21.28
चण्डीगढ़	20·93	27.57	30.49	36.08	39.89	41.12
प्राप्तियां (अण्डे तथा पक्षियों आदि की बिक्री से)						
बम्बई	12.18	11.67	10.31	9.67	12.90	14.50
भुवनेश्वर	11.16	10.58	10.01	10.12	11.34	7.98
हैस्सरघट्टा	12.14	15.20	11.31	12.47	12.55	14.71
चण्डीगढ़	11.38	14.32	14.76	21.93	23.16	29.94

विवरण II

कुक्कुट प्रजनन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के संबंध में व्यय की केन्द्र-वार स्थिति

(लाख रुपये)

केन्द्र का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (21-8-1983) तक
हैदराबाद	9.24	9.44	11.63	12.09	15.08	4.68
जबलपुर	8.16	9.19	9.85	11.74	12.35	3.24
मथुरा	11.09	9.97	11.79	10.73	12.35	3.24
अगरतला	0.95	3.48	6.56	12.73	12.81	उपलब्ध नहीं
मन्नुथी	11.62	5.81	6.20	9.45	11.54	2.87
बंगलौर	6.22	5.31	5.79	6.02	8.33	3.88
मद्रास	6.21	5.57	7.16	5.78	6.89	2.95
भुवनेश्वर	6.09	4.55	6.33	6.19	6.52	उपलब्ध नहीं
अकोला	4.03	1.39	3.19	4.17	12.78	1.58
सिक्किम	3.67	7.87	3.22	3.20	3.44	0.45
आनन्द	1.55	1.53	4.52	2.24	3.08	0.91
लुधियाना	2.04	2.82	6.50	2.96	2.90	2.09

विवरण III

कुक्कुट प्रजनन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत प्राप्तियां की केन्द्र-वार स्थिति

(लाख रुपये)

केन्द्र का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
हैदराबाद	4.69	3.40	2.70	4.61	3.93	3.76
जबलपुर	2.67	3.50	3.10	3.34	4.16	—
मथुरा	2.96	2.34	1.89	4.23	3.58	3.91
अगरतला	—	—	—	0.12	0.26	0.29 ×
मन्नुथी	0.31	1.76	1.92	3.85	4.27	3.16 ××
बंगलौर	2.30	2.82	2.86	2.42	2.45	2.80
मद्रास	2.31	1.53	2.32	1.58	2.17	1.85××
भुवनेश्वर	1.06	1.27	0.90	1.27	1.22	2.18
अकोला	0.03	0.55	0.70	0.84	0.91	0.63×
सिक्किम	0.28	3.39	0.63	1.00	1.63	1.50
आनन्द	0.13	0.62	1.09	1.37	1.57	1.35 ××
लुधियाना	0.58	0.78	1.24	1.30	2.76	—

× 20-3-1984 तक

×× 29-2-1984 तक

—केन्द्र से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

जालौर और सिरोही जिलों में बांधों के निर्माण कार्य का पूरा होना

8476. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालौर और सिरोही जिलों में अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और जो अभी अधूरे पड़े हैं ;

(ख) क्या उन अधूरे बांधों के बारे में यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो मानसून के दौरान जो भी थोड़ा बहुत काम अब तक हुआ है वह मिट्टी में मिल जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन बांधों को पूरा करने के बारे में कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

बीज नियंत्रण आदेश

8477. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए बीज नियंत्रण आदेश किस तारीख से लागू हुआ है ;

(ख) ये बीज नियंत्रण आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए बीज नियंत्रण आदेश के विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बीज (नियन्त्रण) आदेश, 1983 30 दिसम्बर, 1983 से लागू हुआ था।

तथापि, कुछ निजी बीज उत्पादकों और बीज संघों ने सरकार द्वारा बीज को आवश्यक जिंस अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक जिन्स के रूप में घोषित करने तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के लागू करने के विरुद्ध दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों में दीवानी याचिकायें दायर कीं। मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोधनादेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन पत्र दिया गया है।

(ख) बीज नियन्त्रण आदेश, 1983 का मुख्य उद्देश्य बीजों के समान वितरण और गुण नियंत्रण को सुनिश्चित करना है।

(ग) बीज (नियन्त्रण) आदेश, 1983 के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं :—

(1) बीज का कार्य करने वाले प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को अपने को राज्य सरकार के पास पंजीकृत करना होगा। आवेदन प्रपत्र, पंजीकरण प्रपत्र आदि आदेश में निर्धारित किए गए है ;

(2) पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि इसके जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक होगी ;

(3) बीज बेचने वाले प्रत्येक व्यापारी या संगठन को अपने व्यापार स्थान पर प्रत्येक दिन उनके द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीज का स्टाक तथा उनकी कीमतें प्रदर्शित करनी पड़ेगी ;

(4) प्रत्येक विक्रेता को क्रेता को केश मीमो जारी करना पड़ेगा ;

(5) बीजों के नियन्त्रक, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ; के पास बीजों के वितरण को नियमित करने का अधिकार होगा ;

(6) राज्य सरकार निरीक्षण अधिकारियों (प्रवर्तन अधिकारियों) की नियुक्त करेगा ;

(7) बीज के गुण और स्तर का उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जायेगा, जो पंजीयन प्रमाण पत्र के रद्द करने; स्टाक को जब्त करने, कैद इत्यादि के रूप में हो सकता है ;

(8) अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बीज परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय सीमा निर्धारित की गयी है।

(9) प्रत्येक विक्रेता को आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ेंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

बालासौर जिले में चूड़ामणि पर मछली पकड़ने के लिए घाट का निर्माण

8478. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार राज्य के बालासौर जिले में चूड़ामणि नामक स्थान पर मछली पकड़ने के लिए घाट के निर्माण का एक भाग प्रस्ताव देश किया था।

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रस्ताव की शीघ्र क्रियान्विति हेतु क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मार्च, 1984 में चूड़ामणि में लगभग 79 मीटर की एक मत्स्यन जैट्टी की एक योजना, जिसके साथ जल आपूर्ति, विद्युत जैसी सहायक सुविधाएं भी हैं, लगभग 14 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मंजूर की गई है।

मध्य प्रदेश में वन भूमि और पेड़

8479. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1983 तक वन भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना था और वहां पर कुल कितने पड़े थे ;

(ख) मध्य प्रदेश में 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने पेड़ काटे गये ;

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान कितने वन क्षेत्र में पेड़ लगाये गये हैं और वहाँ पर नये पड़े लगाने में कितने प्रतिशत सफलता मिली है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश ने सामाजिक वानिकी की अभिनव योजना शुरू की है, यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक की उपलब्धि क्या है ;

(ङ) मध्य प्रदेश में राजगढ़ और गुना जिलों में सामजिक वानिकी की 'अभिनव योजना, के अन्तर्गत कुल कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है और कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ; और

(च) वानिकी में सम्पन्न विदिशा जिले में यह योजना कब तक शुरू की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 155.4 लाख हैक्टार है।

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में वृक्षों की कटायी से प्राप्त की गई इमारती लड़क की मात्रा नीचे दी गई है—

वर्ष	इमारती लकड़ी
	(हजार घैन मीटर में)
1980	1597.00
1981	1700.00
1982	1690.00

इन वर्षों में वास्तव में काटे गये वृक्षों की संख्या और 1983 में प्राप्त की गई इमारती लकड़ी की मात्रा सम्बन्धी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्ष	विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किया गया क्षेत्र (हैक्टार में)
1980-81	23,600
1981-82	20,360
1982-83	15,882
1983-84	24,681

लगाये गये वृक्षों में से लगभग 80 प्रतिशत वृक्ष जीवित बताये गये हैं।

(घ) 'सामाजिक वानिकी की नवीन योजना' के शीर्षक से कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता।

गृह निर्माण ऋण की राशि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

8480. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण ऋण की राशि की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकारके विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गृह निर्माण ऋण संबंधी नियमों सहित जारी किए गए ऐसे आदेश की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) आदेशों की एक प्रति अनुलग्नक-I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 8218/84] इन आदेशों के अनुसार गृह निर्माण अग्रिम नियमों में संशोधन के आदेश बाद में जारी किए जायेंगे।

पंजाब में खराब हुए धान की भारतीय खाद्य निगम द्वारा नीलामी

8481. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चावल का कितना उत्पादन हुआ है और इसमें कितना लेवी चावल वसूल किया जाएगा ;

(ख) पंजाब में चावल के लेवी मूल्य तथा बाजार मूल्य क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में धान के भंडार खराब हो जाने और उपभोग योग्य न रहने के कारण नीलामी की गई थी ;

(घ) नीलामी में यह धान किस दर पर बेचा गया ;

(ङ) कितनी मात्रा की नीलामी की गई ; और

(च) इस कार्य में कुल कितनी हानि हुई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1983-84 में पंजाब में 45.36 लाख मीटरी टन (अन्तिम अनुमान) चावल का उत्पादन होने का अनुमान है । इसमें से, 16-4-1984 तक 22.50 लाख मीटरी टन लेवी चावल एकत्रित किया गया बताया जाता है ।

(ख) 1983-84 विपणन मौसम के लिए पंजाब में चावल के लिए लेवी दरें साधारण के के लिए 220.65 रु० प्रति क्विंटल, बढ़िया के लिए 233.85 रु० और बहुत बढ़िया किस्म के लिए 242.20 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी । राज्य में चावल के थोक बाजार भाव अक्तूबर, 1983-अप्रैल, 1984 के दौरान साधारण/मोटी किस्मों के लिए 250.00 रु० से 275.00 रु० प्रति क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न थे ।

(ग) पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी क्षतिग्रस्त धान नीलाम नहीं किया गया है लेकिन केवल घटिया किस्म का धान नीलाम किया गया है ।

(घ) से (च) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समन्वय अधिकारी

8482. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन से सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए समन्वय अधिकारी हैं ;

(ख) उपरोक्त में से प्रत्येक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर किन श्रेणियों के पदों के लिए समन्वय अधिकारी हैं ;

(ग) क्या इन सभी सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की 1 जनवरी, 1984 तक की संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार की गई है और परिचालित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) संलग्न सूची के अनुसार ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 1-1-1984 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूचियां तैयार की जा रही हैं।

विवरण

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन अधीक्षक इंजीनियरों की सूची जो उनके द्वारा समन्वित की जा रही श्रेणियों के साथ-साथ कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए समन्वय अधिकारी हैं

अधीक्षक इंजीनियर	उनके द्वारा समन्वित की जा रही श्रेणियाँ
1. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-i	1. पलम्बर 2. सहायक पलम्बर 3. मेट 4. संफाई कर्मचारी (डब्ल्यु० सी०) 5. टेलर
2. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-ii	1. बेलदार
3. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-vi	1. सहायक राज मिस्त्री 2. राज मिस्त्री 3. बन्धानी 4. भिश्ती 5. घरामी 6. स्टोन कटर

अधीक्षक इंजीनियर	उनके द्वारा समन्वित की जा रही श्रेणियां
4. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-ix	1. बढ़ई 2. सहायक बढ़ई 3. पेन्टर 4. सहायक पेन्टर 5. अपहोलस्टेरर 6. केनमैन 7. सईस
5. उद्यान निदेशक	1. प्रधान माली 2. फलोरल डेकोरेटर 3. चौधरी 4. वरिष्ठ माली 5. माली 6. बैल ठेलेवाला
6. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल-i	1. फोरमैन (ए० सी० आर०) 2. सीनियर मैकेनिक ए.सी.आर.)) ए. सी. आर. 3. मैकेनिक (ए. सी. आर.)) 4. सर्विसमैन) 5. फोरमैन (ई)) 6. इलैक्ट्रीशियन) 7. वायरमैन) 8. सहायक वायरमैन) 9. आपरेटर) 10. सहायक आपरेटर) 11. फिटर) 12. सहायक फिटर) 13. लिफ्ट मैकेनिक)
7. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल-ii	1. फोरमैन (ई) 2. इलैक्ट्रीशियन 3. लाईनमैन 4. सहायक लाईनमैन 5. केबल ज्वाइन्टर

अधीक्षक इंजीनियर	उनके द्वारा समन्वित की जा रही श्रेणियां
8. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल-iv	1. आर्मेचर वाइण्डर 2. सहायक आर्मेचर वाइण्डर 3. बायलर फोरमैन 4. बायलरमैन 5. सहायक बायलरमैन 6. स्टाकर 7. आपरेटर 8. सहायक आपरेटर
9. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल-vi	1. खलासी, लिफ्ट तथा वातानुकूल कार्यों पर लगे हुए खलासी सहित।
10. अधीक्षक इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल-vii	1. फोरमैन मैकेनिक 2. वरिष्ठ मैकेनिक 3. वरिष्ठ आपरेटर 4. मैकेनिक 5. एच. एल. ड्राइवर 6. आर. आर. ड्राइवर 7. पैटर्न मेकर 8. वैलडर 9. टर्नर 10. मोल्डर 11. फिटर 12. टीन स्मिथ 13. लोहार 14. सहायक मैकेनिक 15. सहायक फिटर 16. सहायक टर्नर 17. सहायक वैलडर 18. सहायक लोहार 19. सहायक टीन स्मिथ

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्जड कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का अधिकार

8483. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्जड कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि भत्ते के हकदार हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्या कारखाना अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत समयोपरि कार्य का उपबन्ध वहां लागू होता है जहां कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि मजदूरी दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उन वर्कशापों के नाम क्या हैं जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और उपरोक्त उपबन्ध इन वर्कशापों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वातानुकूलन संयंत्रों के गैलवेनाइज्ड पाइपों को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग

8484. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के वातानुकूलन संयंत्रों के गैलवेनाइज्ड पाइपों को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपयोग की जाती है ;

(ख) गैलवेनाइज्ड पाइपों को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपयोग का आदेश किसने दिया था, क्या आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) वर्ष 1983 में संसद भवन और अन्य सरकारी भवनों में स्थापित वातानुकूलन संयन्त्रों को साफ करने में कितना एसिड खर्च हुआ और प्रत्येक भवन में संयन्त्रों की क्षमता और उसके लिए प्रयोग किए एसिड का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि जब महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में एसिड वितरित किया जा रहा था, तो एसिड से सफाई करते समय पाइपों आदि में विस्फोट हुआ था (पाइप कट गये थे) ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'एम' डिवीजन द्वारा सफेदी और रंगाई

8485. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'एम' डिवीजन द्वारा सफेदी और रंगाई के लिए निविदाओं की पूलिंग के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4582 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक मामले की जांच कर ली गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि किए गए कार्य की किस्म आमतौर पर संतोषजनक नहीं है और यदि हां, तो रख-रखाव के कार्य में इस प्रकार की गड़बड़ी को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1983 में और 1 अप्रैल, 1984 तक की अवधि में कितने क्वार्टरों में रंग-रोगन किया गया है ; और

(घ) क्या आर० के० पुरम सेक्टर I में सभी क्वार्टरों में इस वर्ष के अन्त तक पूरी तरह रंग-रोगन कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

(ग) 31-3-1983 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 580 क्वार्टरों पर रंग रोगन किया गया और 31-3-1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 279 क्वार्टरों में रंग रोगन किया गया।

(घ) जी, हां।

उर्वरकों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर

8486. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के अन्तर से हमारे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) अन्तर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है और यह अन्तर किस तारीख तक पूरा हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान 72 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्वों की लक्षित मांग की तुलना में देशी उत्पादन 45.22 लाख मीटर

टन पोषक तत्व (अनुमानित) था। देशी विनिर्माताओं के पास 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भिक स्टाक 8.90 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों का था तथा उर्वरकों के आयातकों के पास 10.95 लाख मीटरी टन पोषक तत्वोंका था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 13.50 लाख मीटरी टन आयातित उर्वरक पोषक तत्व प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उर्वरक की उपलब्धि मांग की तुलना में अधिक थी।

(ख) और (ग) जी नहीं। उर्वरक की मांग और देश में उपलब्ध उर्वरकों के बीच अन्तर को पर्याप्त रूप से आयात से पूरा किया गया। वर्तमान क्षमता के बेहतर प्रयोग तथा नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए अतिरिक्त क्षमता लगाकर देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं। तथापि, इन उर्वरकों के संबंध में आत्म निर्भरता के लिए कोई लक्ष्य आंकड़े निर्धारित नहीं किए गए हैं। पोटाशयुक्त उर्वरकों की मांग पूर्ण रूप से आयात के माध्यम से पूरा किया जाना जारी रहेगा।

12.00

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, जलपाईगुड़ी के तीन गाँवों पर बंगला देश सरकार के दावे के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझे सूचना दे सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी है। महोदय, आप जानते हैं कि अपनी सीमा पर जब हम कांटेदार तार लगा रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इस पर प्रश्न काल में अथवा अन्य किसी ढंग से चर्चा करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हमें इस पर अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम करेंगे। मैं अनुमति दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। वह हमें कंटीले तार नहीं लगाने देंगे। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है। मैं अनुमति दूंगा। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा। यह मेरे विचाराधीन है। मुझे आपसे पूर्ण सहानुभूति है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, इस प्रकार के समाचार मिले हैं कि त्रिपुरा के उग्रवादी बंगला देश में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह भी सीमा से सम्बन्धित प्रश्न है। त्रिपुरा के उग्रवादियों को बंगला देश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि उग्रवादियों को बंगला देश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं इन तीनों मुद्दों पर चर्चा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कहिए। आप उनसे मामला उठाइये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए कि क्या श्रीलंका की नौसेना ने हमारी जल सीमा में प्रवेश किया था और 14 व्यक्ति मारे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर दोपहर बाद की सभा में चर्चा करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, पिछली बार जब हम आपके कक्ष में मिले थे ; इस पर सहमति हो गई थी कि···

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। आप जो कुछ कहते हैं, उस पर हमने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार चर्चा होगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आज यह समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है कि बंगला देश राइफल्स और···बीच गोलाबारी हुई।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपको बताया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय . हम देखेंगे। यदि उन्होंने वक्तव्य न दिया तो हम चर्चा कर लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, एक और मामले पर अभी निर्णय दिया जाना बाकी है ?

अध्यक्ष महोदय : कौन से मामले पर ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके ध्यान में यह लाया था कि 29 अगस्त, 1961 को ब्लिटज के सम्पादक ने आचार्य कृपलानी के विरुद्ध कुछ अपमानजनक शब्द कहे थे।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। मैं इसे देख चका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख चुका हूं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख चुका हूं। मैं इसके लिए मना कर चुका हूं। मैं इस सम्बन्ध में पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान नहीं रखता हूं कि कोई कांग्रेस (आई) दल का सदस्य है अथवा किसी अन्य दल का। मेरे समक्ष सभी सदस्य एक जैसे हैं। बस।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे नहीं पूछा है।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? मैं यह नहीं चाहता हूं। आप इसे वापस ले लीजिए। मैं इसे कार्यवाही से निकालना नहीं चाहता।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आपको स्थिति अवश्य ही स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान) × ×

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख चुका हूं, पढ़ चुका और इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे मिलने का और आपके कक्ष में आपसे चर्चा करने का अवसर क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : आप आ सकते हैं। मैंने आपको कब आमंत्रित नहीं किया है ? मैंने आपको कब सम्मान नहीं दिया है ? आप किसी भी समय आ सकते हैं। यह आपका ही कक्ष है ।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु इसे एक दम अस्वीकृत मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह तय हो चुका है आप मेरे पास आ सकते हैं, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं परन्तु मैं केवल एक बात पर दृढ़ रहूंगा। मैं इसे अपने विचार से करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी कृपया मुझे टोकिए मत ।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उठा रहे होंगे परन्तु मैं भी कुछ कह रहा हूं । मैं प्रत्येक मामले को पढ़ कर ही निर्णय देता हूं। मैं जब आश्वस्त हो जाता हूं तब कर देता हूं और फिर पीछे हटता हूं। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया हमें आपसे चर्चा करने का अवसर दीजिए ।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्री तिवारी जी यह क्या हो रहा है ? महोदय, वह चिल्लाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं कि मैं आपकी सुनूंगा । तिवारी जी, मैं आपकी बात सुनूंगा । मैंने आपसे वायदा किया है। मैं आपकी बात अभी सुनता हूं । आपकी बात सुनने की बारी इसी प्रकार आएगी । मैं आपको कह चुका हूं कि मैं आपकी बात सुनूंगा ।

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक संसद के इस सत्र में सरकार द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के कारण सैंकड़ों महिलाएं संसद के बाहर गिरफ्तारियां दे रहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह उनका अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जबकि हम वित्त विधेयक पर चर्चा पूरी करने वाले हैं···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उनसे पूछिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उन्हें सीधे सम्बोधित नहीं कर सकता। मैं यह पूछता हूं कि क्या वे इस सत्र में यह विधेयक लाने वाले हैं ? इस संबंध में आश्वासन अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा में यह कहा है कि वह विधेयक ला रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, समिति का प्रतिवेदन उनके पास दो वर्ष से पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप यह मामला इस प्रकार क्यों उठाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह विधेयक क्यों नहीं लाते। माताएं, बहनें और बेटियां बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यदि वे बाहर प्रदर्शन कर रही हैं तो हमें उनसे पूर्ण सहानुभूति है। परन्तु यदि वे उकसाने पर प्रदर्शन कर रही हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जहां तक विधेयक लाए जाने का संबंध है, संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले सप्ताह ही यह कह दिया था कि यह अन्तिम चरण में है और इसे सभा में पेश कर दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस सत्र में पेश कर दिया जाएगा ? मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : ठीक है। हम इसे सभा के इसी सत्र में पेश कर देंगे बशर्ते किसी अन्य कारण से स्थगित न करना पड़े।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी मेरा भी निवेदन वही है कि बंगला देश में···

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया, बार-बार उठाने का क्या फायदा है ?

श्री रामावतार शास्त्री : इस पर सदन में बहस कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सुन लिया है। आपको इससे क्या मिलता है। बहुत हो चुका।

प्रो० के० के० तिवारी :···(**व्यवधान**) ××

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर अब टिप्पणी क्यों कर रहे हैं ? अनुमति नहीं दी जाती है। आप मेरे विनिर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : एक मिनट, महोदय, आप मुझे एक मिनट के लिए सुनते क्यों नहीं। आपने प्रो० दंडवते को सुना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है जो मेरी अनुमति के बिना कहा गया है। जब मैं एक विषय में अपना विनिर्णय दे चुका हूं तो आप आलोचना करने का प्रयास करते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : वह विनिर्णय से सहमत नहीं हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मेरा पहले वाला निवेदन नहीं सुना है, अतः मैं दूसरा निवेदन यह करता हूं। आपने समाचार पत्रों में भी जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे की हिंसापूर्ण और उग्रवादी गतिविधियों के बारे में पढ़ा होगा। आज हमने समाचार पढ़ा है कि मकबूल बट्ट को सजा देने वाले न्यायाधीश के घर को उड़ा दिया गया है। इस पर बम फेंका गया है। पंजाब और जम्मू और काश्मीर के उग्रवादियों के परस्पर गठबन्धन हैं स्वयं मुख्य मंत्री ने यह कहा है···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, सभा में पहले ही कह चुके हैं कि वहां शिविर जैसा कुछ है। उग्रवादी गतिविधियों के बारे में पिछले वाद-विवाद में उन्होंने शिविरों के बारे में जिक्र किया था।

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु हमने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह राज्य का विषय है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मुझे देखना पड़ेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : उग्रवाद राज्य का विषय कैसे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इसके अन्तर्गत आता है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने एक बार दी थी। हमने इस पर पूरी चर्चा की थी।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगरकरनूल) : महोदय, मैंने एक तेलुगू फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने की सूचना दी थी। दो सप्ताह बीत चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मुझे कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दो सप्ताह पहले ही बीत चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मैं समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 29 की ओर अर्थात् छूत और संक्रामक रोगों अथवा व्यक्तियों, पशुओं और पौधों को प्रभावित करने वाली महामारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोकने की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आप यहां क्या कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं अध्यक्ष महोदय और सभा के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल पेचिश की महामारी से त्रस्त है और 273 व्यक्ति मर गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस सम्बन्ध में सूचना दीजिए।

श्री बृज मोहन महन्ती : मैं पहले दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। ठीक है।

(**व्यवधान**) × ×

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। यह अभी विचाराधीन है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में···

अध्यक्ष महोदय : 377 में करिए।

श्री आर० एन० राकेश : ए० जी० आफिस के कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 में करिए। और कोई रास्ता नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, पिछले एक सप्ताह से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में काला ज्वर और उत्तर प्रदेश चेचक की बीमारी से फैला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री राम विलास पासवान : क्या इस पर आप एलाउ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

श्री राजेश कुमार सिंह : ··· × ×

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नॉट एलाउड। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अखबारों की बातों पर कुछ करते रहते हैं। यह गलत बात है। **(व्यवधान)**

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, अखबारों में समाचार है।

अध्यक्ष महोदय : अखबारों में सौ बातें लिखी जाती हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप कहते हैं कि गलत है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह : आपने कहा है गलत है।

अध्यक्ष महोदय : कन्फर्म किए बगैर बातें नहीं की जाती हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्चुयल बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बिजली की बेतहाशा शार्टेज है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई कालिंग एटेंशन मोशन दीजिए या और कुछ दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते मैं आपसे मिला था। आपसे जिक्र किया था कि सारे हिन्दुस्तान की कृषि की रबी की फसल है, उसको जालाबारी और झक्खड़ से काफी नुकसान हुआ है। यह जो झक्खड़ चलाते हैं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरा नाम क्यों ले रहे हैं।

···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : यही तो अकल की कमी है। क्या करें बेचारे बच्चे हैं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नोटिस दीजिए, मैं खुद पीड़ित हूं मनीराम बागड़ी जी। मुझे आज सुबह फोन आया था, सारे बाग तबाह हो गए, गंधम तबाह हो गया है। 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं बचा है। मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है गेहूं की पकी हुई सारी फसल नष्ट हो गई है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष के बीच कुछ बातें हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूँ। परन्तु यह विषय इस प्रकार नहीं उठाया जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : अखबारों में खबरें हैं।

अध्यक्ष महोदय : अखबारों का काम है देना।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश के बार्डर पर···

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है? मैंने हाथ जोड़कर बोला है कि डिसक्शन करवा रहा हूं। यह मैं पांचवी दफा कह रहा हूं। जिसको पूछना है, पूछ लो। क्या मैं और यहीं बैठ जाऊँ, जहाँ पर हर कोई आकर बार-बार पूछ सके।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैंने एक उपाय सुझाया था, दुर्भाग्य से अध्यक्ष पीठ ने स्वीकार नहीं किया। आप श्रीमती प्रमिला दण्डवते को सदैव पहले बुलाते हैं, जिसमें प्रो० मधु दण्डवते आगे निकल जाते हैं और वह पीछे छूट जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते से मैं लड़ सकता हूँ और उनसे मैं हाथ जोड़ता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : अर्जेन्टीना सरकार ने निःशस्त्रीकरण के बारे में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा पास किए गए संकल्प के बारे में भारत—गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की निष्क्रियता के बारे में असहमति प्रकट की है। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ लिखित रूप में दीजिए। यदि चर्चा की कोई संभावना है या यदि यह नियमों के अधीन आता है तो मैं इस पर विचार करूँगा।

आप मुझसे मिल सकते हैं।

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बाट और माप मानक अधिनियम के अधीन अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, बाट और माप मानक (पैक हुई वस्तुएँ) संशोधन नियम, 1984, जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 253 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), मैं सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 8198/84]

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना सम्बन्धी सांविधिक आदेश के खण्ड 10 के अन्तर्गत, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8199/84]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 290 (अ), जो 18 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 25/84—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि बांस अथवा लकड़ी की लुगदी के संयंत्र से रहित और लुगदी के वजन के कम से कम 50 प्रतिशत तक गैर-पारम्परिक कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाले कागज मिलों द्वारा निर्मित कागज की विनिर्दिष्ट किस्मों के लिये उत्पाद-शुल्क की रियायती दरें निर्धारित की जा सकें।

(दो) सा का० नि० 291 (अ), जो 18 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च 1984 की अधिसूचना संख्या 33/84 के० उ० शु० और 53/84—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 292 (अ) और 293 (अ), जो 18 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 34/84-के० उ० शु० और 35/84—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8200/84]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 294 (अ), जो 18 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 36/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि गत्ते के विनिर्माण के लिए आयातित लकड़ी की लुगदी को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके।

(दो) सा० का० नि० 295 (अ), जो 18 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 57/84—सी० शु० और 58/84—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मुद्रण की मशीनों और उपकरणों की कतिपय विनिर्दिष्ट मदों पर लागू उपसंगी सीमा-शुल्क की दर को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०-8201/84]

12.13 म० प०

लोक लेखा समिति

189वां, 190वां, 192वां और 194वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 10-टन वाली चैसियों और उन पर बने वाहनों की प्राप्ति और उपयोग के सम्बन्ध में समिति के 139 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 189वां प्रतिवेदन।

(2) गोला बारूद के लिये उत्पादन सुविधाओं की संस्थापना के सम्बन्ध में समिति के 156 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 190वां प्रतिवेदन।

(3) पश्चिम रेल—"दि बर्निंग ट्रेन" फिल्म की शूटिंग के दौरान आग लग जाने के फलस्वरूप रेल के सवारी डिब्बों के अनुपयोगी हो जाने तथा पूर्व रेल—एक इस्पात संयंत्र को दिए गए डिब्बों की क्षति तथा उनके त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में समिति के 110 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 192वां प्रतिवेदन।

(4) नये स्थापित उपक्रमों को अनियमित रूप से राहत दिये जाने के सम्बन्ध में समिति के 75 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 194वां प्रतिवेदन।

12.14 म० प०

प्राक्कलन समिति

80वां, और 81वां, प्रतिवेदन और उनके कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 69वां प्रतिवेदन

श्री बन्सीलाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) गृह मंत्रालय—दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन—भाग 1—कानून और व्यवस्था के बारे में 80वां प्रतिवेदन।

(दो) गृह मंत्रालय—दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन-भाग 2—प्रदूषण नियंत्रण के बारे में 81वां प्रतिवेदन तथा 80वें और 81वें दोनों प्रतिवेदनों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(तीन) उद्योग मंत्रालय—उद्योग में उत्पादिता के सम्बन्ध में समिति के 52 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 69वां प्रतिवेदन।

12.15 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि इस सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का, उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने या हिंसा को समाप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विरुद्ध नहीं है। लेकिन हमें सूचना दी गई है, कि अब तक पंजाब में 200 से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं और बहुत कम अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं तथा किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। इससे पुलिस तथा प्रशासन की अकुशलता का पता चलता है। उनके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। उनके पास 1983 का पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम तथा चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अपराधियों को

पकड़ने तथा स्थिति से निपटने के लिए अनेक सामान्य कानून हैं। अब सरकार और अधिक शक्ति हासिल करना चाहती है और यह शक्ति नजरबन्दियों की नजरबन्दी के लिए समय में वृद्धि के लिए चाहिए। सरकार यह शक्ति भी प्राप्त करना चाहती है कि किसी नजरबन्द को छह मास तक सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति के बिना भी नजरबन्द रखा जा सके। महोदय, ऐसा लगता है कि निवारक नजरबन्दी के बिना, नजरबन्दी के बिना तथा अभियोग के बिना सरकार इस स्थिति का सामना नहीं कर सकती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन विधेयक में इस विचार का समावेश करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम स्वयं एक काला कानून है। यह अलोकतंत्रीय है। यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रहार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। मूल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी एक क्रूर कानून है और इसके अतिरिक्त पंजाब में उग्रवादियों का मुकाबला करने के नाम पर उसके पास पहले ही अधिक शक्तियां हैं। और वह यह शक्ति पुलिस को देना चाहते हैं। अतएव, पुलिस पर अधिकाधिक आश्रित रहने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिए, मैं ऐसे विधेयक का विरोध करता हूं।

दूसरे, जिस ढंग से अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है वह पूर्व-परम्परा के विरुद्ध है, क्योंकि इससे सदन का अपमान होता है—इस अर्थ में कि इससे अध्यादेश प्रख्यापित करने का असाधारण कदम उस समय उठाया जब संसद के एक सदन का सत्र चल रहा था तथा दूसरे सदन का सत्र बुलाया गया था। इसलिए, विगत की भांति, यह सदन इस कदम का समर्थन नहीं करता कि जब संसद का अधिवेशन बुलाया जाने वाला हो तो उस समय अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये। मैं समझता हूं, सदन ने भी सरकार के इस कदम की निन्दा की है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। जब यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था तब भी हमने इसका विरोध किया था। हमने इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि हम पंजाब में उग्रवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के विरुद्ध हैं, बल्कि हमारा विश्वास है कि इस मनमानी शक्ति का प्रयोग उग्रवादियों के विरुद्ध ही नहीं, अपितु ऐसा भय है कि इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक विरोधियों तथा निर्दोष लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है। श्रीमन्, सिद्धान्त रूप से हम इसका विरोध करते हैं। चाहे यह पंजाब में ही लागू होगा, सिद्धांत रूप से हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि निवारक नजरबन्दी नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। निवारक नजरबन्दी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है और शांति के समय में इसका प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं किया जाता।

दूसरे, श्रीमन्, जैसाकि आप जानते हैं शक्ति भ्रष्ट बनाती है और निरंकुश शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है।

यह निरंकुश शक्ति है और इससे प्रशासन के भ्रष्ट होने की आशंका है और इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जा सकता है और इससे प्रशासन गैर-जिम्मेदार तथा संदेही भी बन जाता है। किसी को भी गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया जा सकता है।

यही कारण है कि हम इस तरह के कानून का विरोध करते आए हैं जो न केवल कठोर ही है बल्कि यह प्रजातंत्र की भावना के भी विरुद्ध है।

इसीलिए, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं तथा माननीय विधि मंत्री, जो कि एक विवेकी व्यक्ति हैं, से आग्रह करता हूं कि इसको पुरःस्थापित न करें और इसे वापस ले लें तथा सभी आवश्यक कठोर कदम उठाएं ताकि पंजाब में हिंसा को रोका जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक विशेष महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह उस अध्यादेश के परिणामस्वरूप आया है जो 5 तारीख को प्रख्यापित किया गया था।

माननीय विधि मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं नहीं जानता कि इस अध्यादेश के परिणामस्वरूप जो नई स्थिति पैदा हुई है उसके लिए उन्हें स्वयं को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उनका निर्वाचन-क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है।

इस अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद आतंकवाद, हिंसा तथा हत्याओं की यह सारी गतिविधियां पहली बार चंडीगढ़ में फैली हैं।

मेरे अन्य साथियों ने जो कुछ यहां कहा है, उसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि हम सिद्धांत रूप से निवारक नजरबन्दी तथा बिना अभियोग के निवारक नजरबन्दी के इस सिद्धान्त के सदैव विरुद्ध रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस शक्ति का प्रयोग किसी के विरुद्ध नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह एक आधारभूत तथा मौलिक निर्णय लिया है।

आपने ये सभी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। लेकिन, आप पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला पाए। यदि इन शक्तियों से आप कोई सुधार ला पाए हैं तो आप अपनी तथ्यगत रिपोर्ट या अपना जायजा हमें दें कि ये शक्तियां प्राप्त करके आपने व्याप्त हिंसा को दबाने में कहां तक सफलता पाई है। आपने बिलकुल कुछ नहीं किया।

पंजाब तथा कुछ अन्य जिलों में लागू होने वाला विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। शीतकालीन अधिवेशन के दौरान हमने इस सदन में तथा राज्य सभा में गम्भीर संदेह व्यक्त किए थे कि इन शक्तियों से सुरक्षा बलों के पास अनावश्यक अधिकार आ जाएंगे और वे इनका मन-माने ढंग से प्रयोग करेंगे लेकिन हिंसा को दबाने तथा आतंकवादियों की गतिनिधियों को रोकने के लिए उनका कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन आप सहमत नहीं हुए। आपने कहा था कि इन शक्तियों से सरकार सामान्य स्थिति लाने में सफल होगी।

आप कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। इस बारे में सदन के इस पक्ष के सदस्य काफी आलोचना कर चुके हैं। आप सामान्य स्थिति नहीं ला सके।

दूसरी ओर, स्थिति पचास गुना बदतर हो गई है। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता।

इसलिए मैं कहता हूं कि यह संशोधन विधेयक लोगों तथा देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है तथा इससे स्थिति के साथ नहीं निपटा जा सकता।

नजरबन्दी की समय-सीमा बढ़ाकर तथा नजरबन्द को नजरबन्दी के कारण बताकर आप समस्या को केवल अस्थाई तौर पर रोकना चाहते हैं।

हम इस विषय पर सदन में पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं।

प्रशासन ठप्प हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त हो चुकी है। गुप्तचर सेवाएं भी छिन्न-भिन्न हो गई हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए, इस विधेयक का क्या लाभ है?

मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं, क्योंकि यह ऐसी स्थिति को बनाए रखेगा जो इस समय देश के हित के पूर्णतया विरुद्ध है। आप आज तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस देश के लोगों को कभी भी यह विश्वास नहीं दिला पाएगी कि केवल अधिकाधिक शक्तियां ग्रहण करके हिंसा को दबा दिया जाएगा तथा सामान्य स्थिति लायी जाएगी।

एक राज्य सरकार थी जिसे केन्द्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उसके बाद पंजाब को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित कर दिया गया। सदन ने 'पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983' तथा 'चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983' जैसे अनेक कानून पास किए।

ये सभी कानून इसी सदन द्वारा पास किए गए तथा सरकार पहले ही अपने दल की सरकार को बर्खास्त कर चुकी थी। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका।

इसलिए, केवल अधिकाधिक शक्तियां ग्रहण करके सरकार जनता को यह विश्वास नहीं दिला सकती कि वहां सभी कुछ ठीक हो जाएगा।

पहले पास किए गए अधिनियमों की तरह इस विधेयक से भी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इस समय जो घटनाएं हो रही हैं और जिस ढंग से सरकार उनसे निपट रही है उससे यह संकेत मिलता है कि सरकार निशक्तियता की द्योतक है।

दरअसल, जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सरकार सदैव ऐसा ही करती है।

इसलिए, हम इसका विरोध करते हैं। इस विधेयक से भी समस्या हल होने वाली नहीं है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार बर्खास्त की गई। यह सही नहीं है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इसके रिकार्ड पर जाने पर क्या एतराज है?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह सही नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह ठीक नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही में कौन-सी चीज जायेगी, कौन-सी नहीं जायेगी..

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया ।

श्री बूटा सिंह : यह वास्तविक रूप से सही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसमें शुद्धि करते हुए अपना बयान दें। उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कार्यवाही से ऐसी चीजें निकाल दी जाती हैं...(**व्यवधान**)

मैं उस दिन सदन में नहीं था । एक मेम्बर ने प्रधान मंत्री के बारे में कुछ कहा उसको रिकार्ड से निकलवा दिया लेकिन प्रधान मंत्री ने उसका जो कंट्राडिक्शन किया वह कार्यवाही में मौजूद है ।

अध्यक्ष महोदय : किस ने कहा कि निकलवा दिया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रधान मंत्री ने किस बात का खण्डन किया अगर मेम्बर द्वारा लगाया गया आरोप कार्यवाही में न हो ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । आप बात दोहरा रहे हैं। आप कार्यवाही देख लीजिए, वह नहीं निकाला गया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक गम्भीर मामला है। बहुत सी बातें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी गई हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यहां तक कि जो आपने कहा है वह भी कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया है। मेरे पास रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जिस मेम्बर को अलाउ नहीं करता हूं और वह विदाउट माई परमीशन बोलता है, वह रिकार्ड नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कार्यवाही देख लीजिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप एक बैठक बुलाएं। मैं आपको दिखाऊंगा जो कुछ आपने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब डा० स्वामी ने कहा कि प्रधान मंत्री ने किसी को कहा कि.....

अध्यक्ष महोदय : वह सारा रिकार्ड में आ गया हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वही तो मैं कह रहा हूं, आपने रिकार्ड नहीं देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री ने कहा था कि "मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मूल बात को निकाल दिया गया है। 'यह' क्या है, कोई नहीं जानता लेकिन यह हुआ है।"

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में है। आप काहे को जिद कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो असंसदीय नहीं था उसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जहां यह असंसदीय नहीं था वहां मैंने इसे नहीं निकाला।

प्रो० मधु दण्डवते : आप रिकार्ड की पड़ताल करें। महोदय इसे निकाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने चैक किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : जो डा० स्वामी ने कहा उसे निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, उसे रिमूव नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या इसे मैं कल पेश करूं ? श्रीमान्, मुझे इजाजत दीजिए। मैं कल 12 बजे रिकार्ड प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक बात सुन लीजिए। जो बात अनपार्लियामेंटरी या डेरोगेटरी होती है। उसको तो रिमूव किया जाता है। अगर किसी को कोई एलीगेशन लगाना होता है तो उसके लिए हमारे पास रूल 353 है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो मैंने कहा है मैं उस पर अडिग हूं। मैं उस पर कायम नहीं रह सकता जिसके लिए मैं सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रूल 353 हमासे पास है। अगर आपको कोई एलीगेशन लगाना हो तो लिख कर दीजिए। आपने ही ये कानून बनाये हैं, ये रूल बनाये हैं। आप उनके हिसाब से जो करना चाहते हैं वह कर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब। आप मुझे बताइये और लिख कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कहा गया था कि मंत्री योजना के क ख ग भी नहीं जानते ये सभी शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिए गए थे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप रिकार्ड देखें।

अध्यक्ष महोदय : जो अनपार्लियामेंटरी बात होती है, वह नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कभी फाल्स प्रेस्टिज के ऊपर खड़ा नहीं होता हूं। मैंने सदन में पहले भी कहा है कि भाई मेरे से गल्ती हो सकती है क्योंकि मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक इन्सान हूं। मैं भी आपका भाई हूं। मैं आप से कह सकता हूं कि मेरे से गल्ती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ कर गल्ती नहीं करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप एक बैठक बुलाएं। हम आपको रिकार्ड देंगे आप हैरान होंगे। आप एक बैठक बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : आपको किस ने रोका है ?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, 12 बजे से लेकर सवा 12 बजे तक कोई चीज रिकार्ड नहीं हुई है, हमेशा यही लिखकर प्रेस में दे दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि अगर एक साथ 50 आदमी बोलेंगे तो कैसे रिकार्ड हो सकता है। जो मेरी वगैर आज्ञा के बोलें तो कैसे रिकार्ड हो सकता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह एक अलग बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह न तो मेरे लिए न मेरे स्टाफ के लिए और न किसी अन्य के लिए सम्भव है।

ऊपर बैठे हुए हमारे भाई नहीं जान सकते कि क्या बात हो रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं उनके बहुत करीब बैठा हूं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि वे क्या कह रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर हैरान हूं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने स्वयं पंजाब राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चन्डीगढ की गम्भीर स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि यह विधेयक मुख्य तौर से पंजाब और चण्डीगढ़ के 'विक्षुब्ध क्षेत्रों में राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी तत्वों पर प्राधिकारियों द्वारा रोक लगाने के लिए है।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि उन्हें इस विधेयक के उद्देश्यों की सराहना करनी चाहिए। निःसन्देह विधेयक पर विचार करते समय और पास करते समय व्यापक चर्चा की जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

12.32 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1984 के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : श्रीमान्, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की तरफ से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.32½ म० प०

पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मुझे पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"पंजाब वाणिज्यिक फसलें उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

'प्रस्ताव स्वीकृत हुआ'

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.33 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मछुआरों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं :

12.33 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अलाभप्रद सामाजिक और आर्थिक हालत में हमारे देश में जो मछुआरे हैं, यह जरूरी हो गया है कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाए। व्यक्ति विशेष से, संस्थाओं से और राज्यों से इस संबंध में बार-बार प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उनके रहन-सहन के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे पुरातन परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनके रहने का स्तर बहुत दयनीय है उन्हें एक समय की रोटी पर ही गुजारा करना पड़ता है उनमें से बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। वे अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। लेकिन मछली पकड़ने का काम मौसमी है। बेमौसम में उनका कोई सहायक व्यवसाय अथवा आमदनी नहीं है। मछली पकड़ने के लिए वे काटमारां और देशी नौकाओं के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं उनमें से बहुतों के पास मछली पकड़ने के साधन अपने नहीं हैं वे श्रमिकों की तरह रहते हैं और कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। शैक्षिक और सामाजिक रूप से भी वे बुरी हालत में हैं। ऐसी जानकारी है कि असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दे रही हैं। सरकार को उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(दो) राजस्थान में बिजली की कमी तथा राज्य के परमाणु तथा ताप बिजली घरों की शीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान प्रान्त विद्युत के भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। करीब पन्द्रह दिन से कोटा अणु बिजलीघर की द्वितीय इकाई एवं कोटा थर्मल प्लान्ट की द्वितीय इकाई के बंद होने, कोटा थर्मल प्लान्ट की द्वितीय इकाई में कम उत्पादन होने और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं विद्युत सागर में विद्युत के लिए कम पानी उपलब्ध होने और सतपुडा से मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान को पूरा हिस्सा न देने के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है। दूसरी ओर कोटा अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई 4 मार्च, 1982 से बंद है। केन्द्र सरकार उसे सुधारने में अब तक असफल रही है। राजस्थान की प्रतिदिन आवश्यकता 210 लाख यूनिट के बदले में 80 लाख से 90 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। प्रान्त के सभी उद्योगों में शत-प्रतिशत कटौती कर दी गई है। कृषि प्रयोजन के लिये 2-3 घन्टे प्रतिदिन बिजली मिल रही है। पीने के पानी का संकट विशेषत: राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में गंभीर रूप धारण कर रहा है। उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में राज्य के उद्योगपतियों और किसानों को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे तुरन्त से तुरन्त अणु बिजलीघर कोटा की दोनों इकाईयों को ठीक करावें और कोटा थर्मल प्लान्ट की प्रथम एवं द्वितीय इकाई को ठीक कराने

में अपना सक्रिय सहयोग दे और सिंगरौली सुपर थर्मल प्लान्ट से अपने रिजर्व का पूरा हिस्सा और बदरपुर से अतिरिक्त बिजली और मध्य प्रदेश सरकार से सतपुड़ा से राज्य का हिस्सा और सरप्लस राज्यों से राजस्थान को विद्युत दिला कर विद्युत के संकट से पार करावें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तथा बिहार के रांची और अन्य स्थानों में चेचक के फैल जाने तथा उसके लिए तुरन्त उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा बिहार के रांची आदि अनेक स्थानों पर चेचक (माता) संक्रामक रोग की तरह फैलता जा रहा है जिससे सैकड़ों व्यक्तियों विशेषकर बच्चों की मृत्यु हो रही है। उ० प्र० के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा लखनऊ के पास के इलाकों में फैली हुई इस भयंकर बीमारी की रोकथाम के लिए निकटतम ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इस बीमारी के प्रकोप से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। चेचक की इस बीमारी की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गई है किन्तु इसे रोकने का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है। यदि इस रोग को रोकने की दिशा में तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो इस रोग के और भी अन्य इलाकों में फैलने की आशंका है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस रोग पर तुरन्त काबू पाने के लिए शीघ्र से शीघ्र अपने चिकित्सा विशेषज्ञों को इस रोग से प्रभावित इलाकों में भेजकर जांच कराए और इसे रोकने के लिए कारगर एवं ठोस कदम उठायें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चेचक इतनी भयंकर बीमारी है, जिसकी वजह से दो सौ से अधिक लोग मर चुके हैं। आपने इसको इतना लाइटली लिया है कि सिर्फ 377 के अन्तर्गत स्वीकृत किया है ? इसको कालिंग अटेन्शन में क्यों नहीं ले सकते ?

(चार) दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री चिन्ता मणि जैना (बालासोर) : श्रीमान्, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्न मामला उठाता हूं।

सरकार द्वारा हरित क्रान्ति के बावजूद पिछले 10 वर्षों से दो योजना अवधियों के समाप्त हो जाने पर भी दालों के उत्पादन में वृद्धि में वस्तुत: ठहराव आ रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि दालों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन सातवें दशक से बराबर गिरता जा रहा है। वर्ष 1975-76 में प्राप्त 130 लाख टन का उत्पादन स्तर तब से अब तक फिर से प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप बड़ी जनसंख्या के बड़े भाग के लिए प्रोटीन के मुख्य स्रोत की कमी हो गई है। वर्ष 1976 में प्रति व्यक्ति की रोजाना खपत 50 ग्राम से घटकर 1983 में 38.4 ग्राम हो गई है।

कृषि मंत्रालय मानता है कि दालों का उत्पादन प्रौद्योगिकी की प्रगति और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में हो रही वृद्धि के बराबर नहीं बढ़ रहा है।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि (क) सिंचित भूमि पद्धति में दालों की फसल बोई जाए (ख) ग्रीष्मकाल में अल्पावधि के लिए अतिरिक्त भूमि में मूंग और उड़द

की किस्में बोई जाएं, (ग) सिंचित अथवा असिंचित दोनों परिस्थितियों में अरहर की फसल उगाई जाए (घ) दालों के उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, (ङ) फास्फेट उर्वरकों का प्रयोग किया जाए (च) उचित पौध सुरक्षा उपाय किए जाएं। (छ) फसल कटने के बाद अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और समर्थन मूल्य।

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में दालों के कम उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि चावल तथा गेहूं की तुलना में कम विकसित प्रौद्योगिकी और पूंजी आदान हैं। दालों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र में सरकार के प्रयास से बहुत सफलता हाथ नहीं लगी है।

इतनी चिंतनीय स्थिति में दालों के लिए उचित समर्थन मूल्य और किसानों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कृषि मंत्रालय को समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

(पांच) मथुरा शहर, तथा वृन्दावन, गोकुल, बल्देव आदि स्थानों में फैली गन्दगी तथा मथुरा के तीर्थ स्थानों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा नगर से अधिक गन्दा नगर भारत में कदाचित कोई नहीं। मथुरा में 16 मार्च यमुना पुलिस संत सम्मेलन में जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए सांसद श्रीमती शालिनी ताई पाटिल ने प्रश्न किया कि क्या मथुरा में म्युनिसिपैलिटी नहीं है या यहां के जन-प्रतिनिधि निष्क्रिय हैं? श्रीमती पाटिल ने मथुरा नगर की गंदगी देखकर कहा "मैंने भारत के सभी तीर्थ देखे, सभी जगह सफाई मिली, किन्तु यहां सर्वत्र गन्दगी ही गन्दगी है। वहां डा० शंकरदयाल शर्मा, एम० पी० प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भी मथुरा को प्रदूषण से प्रभावित बताया।

इसी प्रकार वृन्दावन, गोकुल, बल्देव, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने आदि तीर्थ स्थानों की स्थिति है। अनेक बार आश्वासन देने पर भी मथुरा-वृन्दावन को तीर्थ स्थानों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। ताकि यहां की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। चार वर्ष से अनेक बार लोक सभा में इस विषय को उठाने पर भी भारत सरकार ध्यान नहीं देती।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस समस्या को हल करने की शीघ्र कार्यवाही करें।

(छः) आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में चलाने की आवश्यकता

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया (नेल्लोर) : आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर श्रीसई डैम का पहला चरण अभी हाल ही में पूर्ण हुआ है। 110 मेगावाट का एक यूनिट जल्दी ही चालू किया जाएगा। दूसरे चरण में प्रत्येक 110 मेगावाट वाले तीन और पावर यूनिट चालू किए जा रहे हैं। इन दो चरणों के पूर्ण होने के बाद भी मानसून के दौरान लगभग 1000 टी०एम०सी० पानी फालतू होने की संभावना है। पड़ौसी राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा फालतू पानी का उपयोग किये जाने के बाद भी, आंध्र प्रदेश अब भी कृष्णा नदी का पानी इस्तेमाल करने की स्थिति में होगा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फालतू पानी का उपयोग करके 1000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रस्तावित परियोजना पर 340 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है जिसमें से विदेशी मुद्रा का भाग केवल 10 करोड़ रुपए है। इस परियोजना रिपोर्ट को आवश्यक आंकड़ों के साथ भारत सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ौसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बिजली की कमी को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्य शुरू करे और इसे कार्यान्वित करने के लिए यथासंभव शीघ्र कदम उठाए।

(ग्रात) **सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्यिम रूप दिए जाने से पूर्व महिला उत्थान के लिए इस योजना में धन के नियतन के बारे में महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने की आवश्यकता**

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, महिलाओं में निरक्षता और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी ने आधुनिक औद्योगीकरण में महिलाओं की पारम्परिक दक्षताओं को असंगत बना दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मजदूर कानून अधिनियमित किए गए हैं, उनका पालन न केवल ज्यादा उल्लंघन के लिए किया जाता है अपितु इससे नियोजकों को, महिलाओं को नौकरियों से छंटनी करने का बहाना मिल गया है। कपड़ा, पटसन, नारियल जटा और अन्य उद्योगों में से अधिकाधिक महिलाओं को नौकरियों से बाहर फैंका जा रहा है।

महिलाओं को रोजगार तथा आर्थिक कार्यकलापों में उनकी भागीदारी में कमी आने के कारण एक ओर तो समाज में उनका दर्जा नीचे गिर गया है और दूसरी ओर उनके विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। विभिन्न सर्वेक्षण से पता चलता है कि 35 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। महिलाओं की बढ़ती हुई बेरोजगारी से परिवार कल्याण पर भी बुरा असर पड़ा है।

योजनाकारों ने छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय पहली बार इस तथ्य की ओर ध्यान दिया और नौकरियों के अवसर उत्पन्न करने के लिए महिलाओं को विशेष लक्ष्य समूह के रूप में जाना। जानकारी अनुसार, सरकार ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएंगे। तथापि कोई परिणाम नजर नहीं आता। इसके विपरीत वर्ष 1983 के दौरान संगठित क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में हुए वृद्धि के प्रतिशत में वर्ष 1981-82 की तुलना में, केवल 2.9% तक गिरावट आ गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि योजना को अन्तिम रूप देने से पहले वह, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अनुसंधानकर्ताओं से योजना नियतन के बारे में विचार-विमर्श करे।

(आठ) **कालिम्पोंग की नेओराखोला परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा दार्जिलिंग और अन्य क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को धन देने की आवश्यकता**

श्री आनंद पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, दार्जिलिंग जिले के मुख्य शहरी क्षेत्र विशेषकर कैलिपोग तथा दार्जिलिंग के पर्वतीय शहर पेयजल की कमी की चपेट में आ रहे हैं। दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र है और इसे विश्व भर के पर्वतों की रानी के रूप में ठीक ही जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष देश और विदेश के विभिन्न भागों से हजारों पर्यटक और मौसम का आनन्द लेने वाले लोग दार्जिलिंग में आते हैं। सच है कि दार्जिलिंग के चाय उद्योग के बाद पर्यटन ही केवल मुख्य आर्थिक आधार है ? लेकिन पानी की बढ़ती हुई मांग और कमी पर्यटकों के आगमन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। दार्जिलिंग के स्थानीय निवासियों पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। पांच से छः हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में धरती में कुएं खोद कर भी कोई पानी नहीं निकाला जा सका। वहां कुछ स्थाई झरने और चश्में हैं जो पानी सप्लाई की व्यवस्था को अच्छा बना सकते हैं। किन्तु इसके लिये बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है, जो राज्य सरकार के साधनों के बाहर है। कैलिपोन्ग में बहुत बड़ी संख्या में सेना के लोग हैं जो बढ़ती हुई स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए रक्षा विभाग के सैनिक इंजीनियरों तथा राज्य सरकार के सिविल इंजीनियरों ने प्रसिद्ध "निओरखोल परियोजना" तैयार की और इसे दो वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार की स्वीकृति और परियोजना के खर्चे को बांटने हेतु प्रस्तुत किया। परन्तु इसे अभी मंजूरी नहीं दी गई है—

इसलिये मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की सहायता करे और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल की वृद्धि के लिये आवश्यक धनराशि प्रदान करे और उन्हें कैलिपोन्ग में "निओरखोला परियोजना" के लिए तत्काल मंजूरी और धनराशि भी प्रदान करे।

12.45 म० प०

वित्त विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर विचार-विमर्श करते हैं। श्री सतीश अग्रवाल बोलें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने के लिए मुझे यह अवसर देने के लिये, आपका बहुत धन्यवाद। महोदय, सांतवी लोकसभा का यह अंतिम बजट सत्र है और सातवीं लोक सभा का यह अंतिम वित्त, विधेयक है। सामान्य बजट पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैंने, अपने कर-कानूनों और कर-नीति और साथ में कर प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में सरकार का ध्यान विस्तृत रूप से आकर्षित किया था। कर-प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता के अलावा मैंने संसद में समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, ताकि संसद समिति द्वारा राजस्व की प्रत्येक मद तथा व्यय की प्रत्येक मद की विस्तारपूर्वक जांच की जा सके।

महोदय, आप कृपया याद करें कि जब 1980 में तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री आर० वेंकटरामन ने अपना बजट प्रस्तुत किया, तो उन्होंने संकट प्रबंध की बात की और जब 1981 में उन्होने अपना बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने विकास प्रबंध की बात की और बाद में 1982 में सरकार ने "ऋण प्रबंध" की बात की किन्तु अब मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार की व्यापक उधार नीति के कारण आगे आने वाले दिनों में "डेबिट प्रबन्ध" की बात की जाएगी। महोदय, अर्थ-व्यवस्था को उचित दिशा देने के लिए कर-नीति सरकार के हाथों में एक साधन शक्तिशाली साधन है।

इस विशेष मोड़ पर मैं सभा को याद कराना चाहता हूं कि आज तक बनाए गए हमारे कर-कानूनों के अनुसार हम अपनी अर्थ व्यवस्था को जो भी दिशा देना चाहते हैं, उसके लिए सरकार के हाथों में कर का साधन एक शक्तिशाली साधन है अर्थात विशेष क्षेत्र की वृद्धि रोकने के लिए अथवा हमारी अर्थ व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में वृद्धि अथवा विकास को नई दिशा देने के लिए यह एक शक्तिशाली साधन है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि इन सभी वर्षों के दौरान हमारे आयकर अधिनियम को हजार से भी अधिक संशोधनों, आशोधनों, प्रविष्टियों अथवा परिवर्तनों से लाद दिया गया है। कानून इतना पेचीदा हो गया है, कानून इतना अबोधगम्य हो गया है कि आम व्यक्ति दिन-प्रति-दिन के संशोधनों अथवा कानून में, आशोधनों को समझ नहीं पाता है। मैं, 30 वर्ष का वकालत का अनुभव रखता हूं, वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर हूं और दो वर्ष के लिए मैंने वित्त मंत्रालय में काम किया है फिर भी मैं अपना आयकर विवरण स्वयं नहीं भर सकता हूं। इस सभा में यह मांग की गई है कि हमारे कर कानूनों को युक्तिसंगत और सरल किया जाए ताकि इस देश का सामान्य आम व्यक्ति कर प्रणाली और कर विधान को समझ सके। परन्तु दुर्भाग्यवश, सरकार द्वारा विगत में बड़े-बड़े वचन दिये जाने के बावजूद भी, चौकसी समिति की रिपोर्ट के बावजूद भी और हमारे देश के विभिन्न विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद भी, सरकार ने कोई-ऐसा विधान प्रस्तुत नहीं किया है जो इस देश के सभी कर-कानूनों को सरल तथा मुक्तिसंगत बना सके। यह अब तक हो जाना चाहिए और मैं अपनी मांग को फिर दोहराता हूं।

जहां तक इस देश के कर कानूनों का सम्बन्ध है वे बहुत जटिल और पेचीदे हैं और प्रत्येक वर्ष उन्हें कई परिवर्तनों, परिवर्धनों आशोधनों तथा संशोधनों से लाद दिया जाता है और उन्हें समझना बहुत ही कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी आपने इसके बारे में बताया था।

श्री सतीश अग्रवाल : कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में मेरी दृढ़ धारणाएं हैं, और जब-जब भी मुझे इस सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है मैं उनके बारे में आग्रह करता आया हूं।

आप भी कृपया याद कीजिए कि संसदीय समितियों के गठन के बारे में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, जो लगातार एक ही रास्ता अपना रहा है। आप भी मानेंगे कि लोक-तांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को बोलने का अधिकार है और सरकार को अपने ढंग से करने का अधिकार है। हम तो सरकार से केवल आग्रह कर सकते हैं और सरकार को अपना दृष्टिकोण समझा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इस विषय-वस्तु अथवा अभिधारणा का सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष भी जब

मैंने सदन को लोक लेखा समिति के विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो यह सरकार लोक लेखा समिति तथा अन्य संसदीय समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करने की इच्छुक थी। और कुछ सुझावों तथा सिफारिशों को बजट प्रस्ताव में भी समाविष्ट किया था। आप कृपया याद करें कि इस वर्ष भी इस सभा में जितने भी संशोधन मैंने रखे हैं और आगे जो आने वाले हैं, उनमें से कई, इसी सभा में दिनांक 18 अप्रैल को वित्त विधेयक पर चर्चा आरंभ करते समय, सरकार द्वारा और स्वयं वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ठोस और रचनात्मक सुझावों की ओर ध्यान दिया है। यदि कोई लोक तांत्रिक सरकार राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के हित में दिए गए विभिन्न रचनात्मक सुझावों की ओर ध्यान देना और उत्तरदायित्व समझना वन्द कर दे, तो इस देश में लोक तन्त्र नहीं होगा। केवल मैं ही हूं जिसका ऐसा विचार है और केवल इसी दृष्टि से मैं, अपने कर कानूनों और कर प्रशासन को सुधारने के लिए रचनात्मक सुझाव और ठोस सुझाव देता आया हूं।

इस विशेष संदर्भ में, मैं आपका ध्यान उन तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जो सामने आए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कर अपवंचन तथा कर परिवर्जन की बात की थी और इसके साथ उन्होंने कर अपवंचन तथा कर-परिवर्जन की प्रवृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए आरम्भ किए गए कुछ उपायों की बात भी की थी। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी कर-अपवंचन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।

कर-अपवंचन भी यहां होता है। मानवीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। प्रश्न-काल के दौरान उन्होंने सदन में बताया कि भारत ने लक्ष्य के अतिरिक्त, 70 लाख टन अधिक खाद्य सामग्री का उत्पादन किया है और यह 1500 लाख टन के आस-पास है।

महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि इस वर्ष भरपूर फसल होने के बावजूद, निश्चित लक्ष्य से 70 लाल टन अधिक उत्पादन होने के बाद, व्यवहारिक रूप में प्रत्येक वस्तु के मूल्य कैसे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए इस उत्तर से सन्तुष्ट हो जाएँ कि हम मुद्रा स्फीति को एकल संख्या···वह संख्या 8 है···में बनाये रखने में समर्थ हो सके हैं।

महोदय, कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, व्यवाहरिक रूप में कीमतों में 100 अंकों की वृद्धि हो गई है, थोक मूल्यों में 2 अंक प्रति माह वृद्धि हुई है। पिछले 50 महीनों में कीमतों में 100 अंकों की बढ़ोतरी कुछ अजीब लगती है। इस देश में आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन हो गया है। उनकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। सब्जियों की कीमतों को देखिये, वनस्पति तेल, खाने के तेल, साबुन, दन्त मंजन, और सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे चाय, सरसों का तेल और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की कीमतों को देखिये। अत: केवल आँकड़ों से ही आम आदमी को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता, और इस विशेष सन्दर्भ में, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार मूल्यों के मोरचे में बुरी तरह असफल हुई है। केवल आकड़ों द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। केवल आंकड़े समस्या का समाधान नहीं कर सकते। महोदय, मैं मंत्रालय में हूं और जानता हूं कि कई बार सरकार के दृष्टिकोण और सरकार की नीतियों को विशेष रंग देने के लिए आँकड़ों को बदल दिया जाता है और मैं तब भी और अब भी हमेशा उस विशेष दृष्टिकोण से असहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप किसी रहस्य को नहीं बता रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : इसका आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए। जो भी स्थिति हो, संसद को बता देनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ चुकी हैं। यहाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके नियन्त्रण से बाहर हैं। काला धन पैदा हो रहा है। कुछ अध्ययनों के विश्लेषण के अनुसार 1671-72 में हमारी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा 16 प्रतिशत थी, यह हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 16 प्रतिशत थी। अब, ऐसा कहा जाता है कि आज यह 52 प्रतिशत से अधिक है। हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 52 प्रतिशत, अर्थात् हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अब काले धन से घिरी हुई है। अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था में काले धन का प्रमुख अंश है। अतः हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े हिस्सेदार सफेद धन के नहीं, वह काले धन वाले हैं। अतः यह काले धन की अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने के सम्बन्ध में उठाए गए अप्रभावी प्रयासों और आपके द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों से काले धन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। अनुसन्धान, अध्ययन और सर्वेक्षण समस्या का समाधान नहीं हैं। मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए।

महोदय, जहाँ तक कर प्रणाली का सम्बन्ध है, यह ठीक प्रकार से चल रही है। भारत अपने कर-साधनों द्वारा बहुत सफलतापूर्वक संसाधनों को प्राप्त करने में समर्थ हैं। यदि आप आँकड़ों को देखें, 1950-51 में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य दोनों से 627 करोड़ रुपए राजस्व कर प्राप्त हुआ, यह राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत था। 1960-61 में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का राजस्व कर 1350 करोड़ रुपए था, 1970-71 में यह बढ़कर 4752 करोड़ रुपये हो गया, 1980-81 में 19844 करोड़ रुपए और 1983-84 में यह बढ़कर 31,400 करोड़ रुपए हो गया, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय का 23 प्रतिशत है। अतः जहाँ तक हमारे राजस्व कर का सम्बन्ध है, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का राजस्व कर मात्र 627 करोड़ रुपए से बढ़कर 1983-84 में 31,400 करोड़ रुपए हो गया है।

1.00 म० प०

जहाँ तक कर साधनों द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने की असाधारण बृद्धि का सम्बन्ध है, यह हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत है। जहां तक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सम्बन्ध है, इस देश में, वास्तव में, अधिकतम कर वसूली की जाती है। इस राष्ट्र की कर क्षमता अधिकतम सीमा पर आ गई है। अब आप और आगे नहीं जा सकते, विशेष रूप से प्रत्येक पैसा जो सरकार के हाथ में जाता है, करदाता उसके बारे में विश्वस्त नहीं हैं। निश्चय ही, हम एक बात के लिए विश्वस्त हैं, इसका अकुशल ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। सरकार द्वारा किया गया 50 प्रतिशत व्यय व्यर्थ है, और 50 प्रतिशत खर्च नष्ट हो जाता है।

आंकड़ों को देखिये कि किस प्रकार सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। सरकारी खर्च में वृद्धि के सम्बन्ध में—मैं सदन के फायदे के लिए कुछ आंकड़े दूंगा। 1950-51 में, सरकार द्वारा किया गया खर्च, केन्द्र और राज्य द्वारा किया गया खर्च 950 करोड़ रुपए था, और यह तब हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 10 प्रतिशत था। कर-वसूली सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 7 प्रतिशत थी। सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 10 प्रतिशत था परन्तु

1982-83 में सरकारी खर्च बढ़कर 52,125 करोड़ रुपए हो गया, जो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 33.5 प्रतिशत था। अतः करो में हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन की 23 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं और सरकारी खर्च बढ़कर हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 33.5 प्रतिशत हो गया है। अर्थात् हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिविधियां अब सरकार के हाथ में हैं। परन्तु इस गरीब देश के अप्रचर साधनों को सरकार द्वारा कैसे उपयोग में लाया जा रहा है? मैं केवल एक उदाहरण दूंगा।

मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हूं कि श्री वाई० बी० चव्हाण भी यहां है। वह इस देश के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सांविधानिक प्राधिकरण है। वह उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वह अत्यन्त अनुभवी और योग्य साँसद हैं, और प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी हैं। इन सभी वर्षों में 3,300,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1950-51 से हमारे योजना युग का श्रीगणेश किया था—इस देश में एक भी ऐसी योजना नहीं है जो कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुमोदित राशि के अन्दर और नियत समय के भीतर पूरी की गई हों। मैं छोटी योजनाओं अथवा बहुत छोटी योजनाओं के बारे में नहीं, बड़ी योजनाओं के बारे में कह रहा हूं। कोई एक भी योजना पूरी नहीं हुई। यह स्थिति है।

कतिपय परियोजनाओं को पूरा करने की लागत 10,12 अथवा 14 गुना बढ़ी है। कुछ मामलों में समय 5, 8, 10 अथवा 15 वर्ष हो गया। राजस्थान नहर परियोजना, कोसी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, जम्मू और कश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना का मामला ही लें—8 से भी अधिक सिंचाई परियोजनाएं दो दशकों से भी पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। जहाँ तक सिंचाई सम्भावनाओं का सम्बन्ध है, पूरा समाज विकास के इस लाभ से वंचित है। यह बात रिकार्ड में है और मेरे द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत योजना आयोग से सम्बन्धित लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है। यदि इस सिंचाई सम्भावनाओं का सृजन किया जाता, और सरकार द्वारा इनका उपयोग किया जाता, तो इस देश में 230 लाख टन अतिरिक्त खाद्य सामग्री का उत्पादन हो जाता। उस स्थिति में, हमारे देश को विदेशों से गेहूं और चावल का आयात नहीं करना पड़ता और हमारे अपर्याप्त विदेशीं मुद्रा में संसाधन व्यर्थ नहीं होते।

यह स्थिति है। अतः सरकारी व्यय पर नियन्त्रण की आवश्यकता है। सरकारी व्यय असाधारण रूप से बढ़ रहा है। फिर भी, यदि इसका उपयोग किया जाता, उन लोगों को इसका लाभ पहुँचता जिनके लिए यह खर्च किया गया है, मैं इसे समझ सकता और इसकी कद्र करता। लेकिन सभी सरकारी खर्चों में, बेकार और व्यर्थ के खर्चों का भाग जिसमें घूस भी शामिल है, 50 प्रतिशत से कम नहीं है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अतः सरकारी खर्चों में वृद्धि हो रही है। हम योजनाओं की धन-राशि (आबंटन) को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हम इसके कार्यान्वयन पहलू के बारे में चिंतित नहीं हैं—प्रति वर्ष योजना की राशि में वृद्धि कर दिये जाने से सदस्य सन्तुष्ट हो जाते हैं। देखिए, सरकार ने योजना राशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अतः सभी सदस्य सन्तुष्ट हैं। लेकिन इस सदन में प्रत्येक सदस्य को शिकायत है कि आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी, आर०ई०जी०पी० और गरीबी को समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्य में रुकावट आ गई है।

जिन लोगों के लिए इस धन का आवंटन किया गया है उन तक धन का लाभ नहीं पहुंच

रहा है । सदन में प्रति दिन इसके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, यहां तक कि 20 सूत्री कार्यक्रम में दोषपूर्ण कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कांग्रेस (आई) के सदस्य भी शिकायतें कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, आप जानते होंगे कि पिछले 6 महीनों अप्रैल 1983 से सितम्बर 1983 के दौरान, योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में 35 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि नहीं हुई, और कुछ क्षेत्रों में यह उपलब्धि 9 प्रतिशत है। मेरे पास इन विवरणों में जाने के लिए समय नहीं है यद्यपि मेरे पास यह सब आंकड़े मौजूद हैं ।

इस देश में योजनाओं पर 300,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, इस देश में पीने के पानी की दृष्टि से 40 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जो समस्या ग्रस्त गांव हैं। वहां सड़कें नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां संवर्धन केन्द्र नहीं है, प्राथमिक शिक्षा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कुल शिक्षा 30 से 35 प्रतिशत है। हम इस देश को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ? यदि इस देश में 40 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तो ऋण मेलों के आयोजन द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आखिर हमें पूंजीगत आस्तियों को पैदा करना है। गरीब व्यक्ति को केवल 500 अथवा 5000 रुपए दे देने से, जिसके लिए आप आये दिन प्रयास करते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इसी कारण लोग इसकी आलोचना करते हैं।

मैं गरीब लोगों को ऋण देने का विरोध नहीं करता, मुझे मालूम है कि केवल एक व्यक्ति ही जो एक बड़ा उद्योगपति है, वो एक बार में 50 करोड़ रुपए बैंक से हड़प कर सकता है और वह राशि प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे अप्राप्य ऋण कहते हैं। यदि 5 लाख लोग इस धन को हड़प लें यह बड़ी छोटी-सी बात है, मैं इसे बुरा नहीं समझता, मैं इसे माफ कर दूंगा। लेकिन आप इन मामलों को कैसे निपटाते हैं ? आप बैंकिंग कार्य के प्रभारी है। लंदन में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में जो घटित हुआ, आपको मालूम होगा। मैं इस पहलू के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि वित्त मंत्री के कमरे में इस सम्बन्ध में हम चर्चा कर चुके हैं, उनके यह कहने पर कि वह इस विषय पर सदन में चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे लंदन में हमारे बैंकिंग संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमने उन्हें सहयोग दिया और कहा ठीक है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी घटना के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अपर्याप्त प्रतिभूति के बिना यह धन (ऋण) श्री सेठिया को कैसे दे दिया गया ? और वह व्यक्ति, जिसने यह ऋण दिया जो इस इतने अधिक ऋण के लिए जिम्मेदार है, वह अब सेवा-निवृत होने के बाद श्री सेठिया के साथ काम कर रहे हैं, यह कैसे हुआ है कि उसी व्यक्ति के लिए सैंट्रल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक ने आपके मंत्रालय को उसके सेवा काल को बढ़ाने की सिफारिश की है। दुर्भाग्यवश, यह सेवा अवधि बढ़ायी नहीं गई है। अब आपने अध्यक्ष की सेवा अवधि को बढ़ाया है। यहां तक ठीक है। यह आपका विशेषाधिकार है : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार यह पूरा क्षेत्र कार्य कर रहा है।

जहाँ तक आपकी वित्तीय नीति का सम्बन्ध है, जहां तक अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, आर्थिक विकास के मुख्य पात्र आपकी राजस्व नीति, आपकी वित्तीय नीति में सम्मिलित हैं। जहां तक आपकी वित्तीय नीतियों का सम्बन्ध है, वह अधिकतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित और परिचालित होती हैं जो कि एक शीर्ष निकाय है। यह देश में सारे बैंकिंग संचालनों का नियन्त्रण करती है

चाहे वे समाज के कमजोर वर्ग अथवा वरीयता प्राप्त क्षेत्र को विशेष ऋण दिए जाने हों ; सरकार की ऋण नीति क्या है । जहाँ तक इस देश के विकास का सम्बन्ध है, अब सरकार के हाथ में देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को विनियमित करने, उसे दिशा देने के लिये एक अत्यन्त शक्तिशाली उपकरण है कि यह स्वाभाविक है कि इस सभा में लगाये गये आरोप आपको ही सहन करने पड़ते हैं ।

वरन्, वित्त मंत्रालय के प्रति पिछली बार मैंने भी अपनी सहानुभूति प्रकट की है कि वे गलतियाँ तो अन्य मंत्रालय कर रहे हैं लेकिन दादी माँ की तरह, कि जैसे उसके बच्चे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वित्त मंत्री को पड़ोसियों द्वारा लगाए गए सभी दोषों को सुनना पड़ता है, आप सब जानते हैं कि यदि कर लगाने ही हैं तो गालियाँ भी सुननी ही पड़ेंगी और यह कार्य केवल वित्त मंत्रालय को करना है । वित्त दूसरों को नहीं दिया जाता । यह क्यों नहीं दिया जाता है ?

जहाँ तक केन्द्रीय संसाधनों का प्रश्न है उसके बारे में यह स्थिति है । वित्तीय साधनों के बिना रेलवे कार्य नहीं कर सकता और जब कभी किसी चीज का अभाव हो जाता है तो जहाँ तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, हर कृताकृत कार्य के लिए किसी दूसरे मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्री को ही दोषी ठहराया जाता है । किन्तु एक ओर से उन्हें खुश होना चाहिए कि आखिरकार वह वित्त मंत्री हैं । उन्हें वित्त मंत्रालय पसन्द नहीं करना चाहिए था । उन्होंने वित्त मंत्रालय ही क्यों पसन्द किया ? वे यह कह सकते हैं कि यह उनकी पसन्द नहीं थी, यह तो उन्हें उनके नेता ने दिया था । किन्तु यदि कोई दादी माँ की बात करे तो दादी को तो यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक बच्चे को उचित पोषण मिले । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए । उसे यह नहीं करना चाहिए कि एक का पक्ष ले और दूसरे को छोड़ दे ।

एक माननीय सदस्य : आप भी उस मंत्रालय में थे ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं केवल एक सौतेली माँ की तरह था क्योंकि मैं केवल एक राज्य मंत्री था ।

अतः, इस विशेष संदर्भ में मैं यही बता रहा था कि इन तीन वर्षों में आपके कर असाधारण रूप से बढ़े हैं, और सरकारी व्यय भी बढ़ रहा है ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा कि संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना के लागू हो जाने से पहले जिसके लिए 25,000 रुपये की सीमा थी किन्तु अब यह बढ़कर 100,000 रु० हो गई है—अब 100,000 रुपये तक, यदि विवरण में बताई गई आय उससे कम है, तब जहाँ तक इस प्रकार के कर-निर्धारण का प्रश्न है, उन्हें संक्षिप्त कर-निर्धारण माना जाएगा और इस प्रकार उन लोगों को अपने कर-निर्धारणों की विस्तृत संवीक्षा अथवा समीक्षात्मक जांच के लिए आयकर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा । मैं इस योजना का स्वागत करता हूं और मैंने इसका पहले भी स्वागत किया था । मैंने इस योजना के बारे में लोक लेखा समिति के अपने प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की थी । किन्तु यह कैसे हुआ कि 31-3-1983 को कर-निर्धारण के बकाया मामले 25,83,254 रुपये के हैं—कर-निर्धारितियों की कुल संख्या लगभग 45 लाख के आसपास है ; जो कि 45 करोड़ कर-निर्धारितियों की संख्या का लगभग 4 प्रतिशत बनता है । कर-निर्धारण के बकाया मामले 31-3-1983 को 25,83,000 थे और 31-3-1983 को ही आयकर के बकाया मामले 10,86,017 रुपये के हैं जबकि संक्षिप्त कर-निर्धारण के मामलों की संख्या 14,94,237 है । जब

हमने यह अनुदेश जारी कर दिए हैं तो फिर संक्षिप्त कर-निर्धारण के मामले में विस्तृत संवीक्षा नहीं की जानी चाहिए, इन कर-निर्धारण के मामलों को विचाराधीन क्यों रखा गया है ? इन सभी कर-निर्धारण मामलों पर केवल तभी विनिश्चय किया जाता है जब परिसीमन का प्रश्न आता है। यदि परिसीमा 2 वर्ष है तो उसके दो दिन पूर्व तत्काल ही इन कर-निर्धारणों का निर्णय कर लिया जाता है। ऐसी योजना लागू करने में क्या तुक है ? केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी आयकर अधिकारियों को परिपत्र जारी किए जाने के लिए आपने कौन-सी प्रभावी कार्रवाई की है और जहाँ तक संक्षिप्त कर-निर्धारण का प्रश्न है उस सम्बन्ध में सरकार का विचार यह नहीं था कि संक्षिप्त कर-निर्धारितियों को परेशान किया जाए और उनको बुलाकर आयकर अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए और उसके पश्चात् मामले का निपटान किया जाए।

इसी प्रकार, नगरनिगम कर, आयकर और जुर्माने के बकाया मामलों की क्या स्थिति है ? 31-3-1983 को कुल बकाया मामले 1451.72 करोड़ रुपये के थे। ये केवल प्रत्यक्ष करों के बारे में हैं। इन बकाया मामलों को अलग-अलग देखकर सभा को आश्चर्य होगा। यह इस प्रकार है। एक लाख रु० की सीमा तक करों की बकाया राशि 628 करोड़ रु०, 5 लाख रु० की सीमा तक 148 करोड़ रु०, 10 लाख रु० की सीमा तक 84 करोड़ रु०, 25 लाख रु० तक 89 करोड़ रु० और 25 लाख रु० से अधिक सीमा तक बकाया राशि 520 करोड़ रु० हैं। यह कैसे हो सकता है कि जिन लोगों की आय उनके सभी भत्तों को काटकर, जैसा कि आपने आयकर कानून में रखा है, एक वर्ष में 25 लाख रु० से अधिक है वे कर का भुगतान नहीं कर सकते ? यहाँ माननीय सदस्य 5 करोड़ रु० की मांग पीने के पानी के लिए करते हैं।

मैंने प्रश्नकाल के दौरान सूखा प्रबण क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता देने की मांग की। किन्तु वहाँ संसाधनों की कमी का प्रश्न आता है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, लगभग 2000 करोड़ रु० न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में फँसे पड़े हैं। हर वर्ष यह शिकायत की जाती है और हर वर्ष हमें आश्वासन दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में आपको भी चिन्ता है। यदि आपके पास काफी धन हो तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। किन्तु इस मामले में आपने क्या किया है ? इस समस्या से निपटने के लिए आपके दिमाग में कौन-सा समाधान मेरे कार्यकाल में, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव आया था आपकी सरकार ने इसे ठोस आकार दिया। इसके सम्बन्ध में आपने कुछ संशोधन भी किए हैं।

अब भी लोग उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं और स्थगनादेश प्राप्त कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि सरकारी राजस्व इन समस्त मुकदमेबाजियों के कारण रुका पड़ा है। यदि आप कहें कि जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। एक मिनट के भीतर मैं सुझाव नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि आप संसद सदस्यों के साथ विचार विमर्श करें और तब इस सम्बन्ध में कुछ तरीके ढूंढ़ें।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : आप कोई सुझाव क्यों नहीं देते ?

श्री सतीश अग्रवाल : एक सुझाव यह हो सकता है कि विभाग के बचाव के लिए हमें घटिया किस्म के वकील मिले हैं क्योंकि ये वकील विधि मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और वे वित्त

मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है। यह विभाग वकीलों को अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। इसके लिए मामला विधि मंत्रालय में उठाना पड़ता है। जो बड़ी राशि के मामले हैं उसके लिए आपके पास वरिष्ठ वकीलों की एक नामिका होनी चाहिए।

आप उन्हें अच्छा वेतन दें। आपको सिर्फ 500 रु० में कोई भी मिलने वाला नहीं है क्योंकि बाहर से वे 5000 रु० प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि इतनी राशि में श्री ए. के. सेन भी आपके लिए नहीं आएँगे। जब वह एक दिन में हजारों रुपये कमाते हैं तो आपके लिए क्यों आएँगे? समस्या का एक समाधान यह है। आप तरीका ढूंढ़ें अथवा वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत अभियोजन विभाग की स्थापना करें।

इस प्रश्न को मन्त्रिमण्डल में उठाएँ और उसका विनिर्णय प्राप्त करें। जहाँ तक आपके राजस्व का प्रश्न है, आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय जहाँ से स्थगनादेश प्राप्त करना बहुत सुगम है में विभाग की पैरवी के लिए वकीलों की एक स्वतन्त्र नामिका बनानी चाहिए। यहाँ तक कि दक्षिण में रहने वाले तस्कर भी कलकत्ता में स्थगनादेश प्राप्त कर लेते हैं। आपको वरिष्ठ वकील लगाने होंगे।

उत्पाद शुल्क के पैसे की भी यही समस्या है। यह भी मुकदमेवाजी में रुका पड़ा है। इसके बारे में आपको कुछ जुर्माना ब्याज का प्रावधान करना होगा। पहले ऐसा नहीं था। हमने अपनी लोक लेखा समिति-रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उन लोगों से जुर्माना ब्याज क्यों नहीं लिया जाता जो आखिर में न्यायालय में मुकदमा हार जाते हैं। आप उन कर-निर्धारितियों से 18 से 20 प्रतिशत तक जुर्माना ब्याज लेने का प्रावधान क्यों नहीं करते जो उच्चतम न्यायालय में मुकदमा हार जाते हैं किन्तु 8 वर्ष से 10 वर्षों तक धन का लाभ लेते रहते हैं? इस अवधि के दौरान वह विभाग को पैसों का बिल्कुल भुगतान नहीं करता। उसे पैसा मिलता है। वह पैसे का उपयोग करता है और वह 18 से 20 प्रतिशत की दर पर बैंक से पैसा ले रहा है। किन्तु जहाँ तक बकाया राशि का सम्बन्ध है, कुछ मामलों में वह सरकार को 12 या 6 प्रतिशत का भुगतान करता है।

यदि मेरी याददास्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो मुझे याद है कि वर्ष 1978-79 के दौरान माननीय मंत्री जी ने इस सभा को वचन दिया था कि वे विस्तृत उत्पाद विधेयक लाएंगे। उसके बारे में क्या हुआ? अब छह वर्ष से अधिक हो गए हैं परन्तु वह विधेयक इस सभा में नहीं रखा गया है क्योंकि 1979 में हमारी सरकार समाप्त हो गई थी। यदि मेरी याददास्त मुझे विफल नहीं करती, ऐसे विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कक्ष का भी गठन किया गया था। पिछली बार आपने वायदा भी किया था और 1981 में मेरी पूछताछ का आपने भी उत्तर दिया तथा श्री वेंकटरमन ने भी उत्तर दिया कि विस्तृत उत्पाद शुल्क विधेयक स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा और सभा के समक्ष लाया जाएगा। इस विधेयक को लाने में आप क्यों हिचक रहे हैं? यह विधेयक आपके हाथ मजबूत करेगा, यह प्रशासन को सुदृढ़ बनाएगा, यह आपको बेहतर शक्तियाँ देगा। अतः, मैं चाहूंगा कि इस बारे में वित्त मंत्री जी प्रकाश डालें।

अब कुछ मांगें बट्टे खाते में भी डाल दी गई हैं। मैं अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता कि गैर कम्पनी निर्धारितियों के मामलों में विभाग कहता है कि इधर-उधर कुछ व्यक्तियों का पता नहीं लग रहा है, उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, वे भाग गए हैं, वे कहीं चले गए हैं। बिहार के केवल

एक मामले विशेष में ही विभाग ने डेढ़ करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल दी थी। यह एक भूतपूर्व विधायक जो बिहार में मंत्री भी थे—का मामला था किन्तु यह अपने आप में एक विशिष्ट और एक ही मामला था। हमने अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है। किन्तु कम्पनी निर्धारितियों के मामलों में जो 224 लाख रुपया बट्टे खाते में डाला गया था वह 84 कम्पनी कर-निर्धारितियों से सम्बन्धित था। मेरी समझ में नहीं आता कि कम्पनी निर्धारितियों के मामले में इतनी बड़ी राशि बट्टे खाते में कैसे डाल दी जाती है। गैर-कम्पनी निर्धारितियों की संख्या 23,167 है और बट्टे खाते में डाली गई राशि 260 लाख रुपए है किन्तु कम्पनी निर्धारितियों के मामले में इतनी बड़ी राशि बट्टे खाते में कैसे डाल दी गई है ; मैं नहीं समझ पाता। कम्पनियां बनती है, कम्पनियां पंजीकृत की जाती हैं, कम्पनियों के ऊपर अनेक प्रकार का नियंत्रण होता है। अतः मुझे यकीन है कि इसके लिए कारगर तंत्र की आवश्यकता होगी ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि जहां तक बकाया को बट्टे खाते में डाले जाने का प्रश्न है, कम से कम कम्पनी निर्धारितियों के मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

कुछ अल्प-कर निर्धारण के मामले भी हैं। अल्प-कर निर्धारण के 18000 से अधिक मामलों 39,36,00,000 रु० की राशि के हैं। अल्प-कर निर्धारण का तात्पर्य अल्प-प्राप्ति से है। यह 40 लाख रुपये की सीमा तक है। यह उपहार कर अधिनियम तथा सम्पदा कर अधिनियम के अधीन की जाने वाली समस्त वसूलियों की तुलना में बहुत अधिक है। यह समस्त सम्पत्ति कर वसूलियों का 50 प्रतिशत है। यह विशेष स्थिति हर वर्ष उत्पन्न हो रही है अतः वित्त मंत्री महोदय आपको इस संबंध में कुछ करना होगा।

जैसाकि मैं पहले भी बता रहा था, काले धन की समस्या का सामना केवल तलाशियाँ और जब्तियों मात्र से नहीं किया जा सकता। मुझे इस विशेष उद्देश्य पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु 1975 की धन पता लगाने की योजना (डिस्क्लोजर स्कीम) के विश्लेषण से आपको इसका विश्वास हो जाना चाहिए कि 1975 की डिस्क्लोजर स्कीम में देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की तुलना में 15000 रुपये से कम आय वाले मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय कहे जाने वाले लोगों का योगदान बहुत अधिक था।

मैं सभा का मूल्यवान समय लेना नहीं चाहता हूं। अतः तलाशियों और जब्तियों के इस विशेष मुद्दे को ध्यान में रखने से काले धन की समस्या सुलझने वाली नहीं है। तलाशी और जब्तियों का क्या परिणाम होता है ? निस्संदेह, कर वंचओं के मस्तिष्क पर इससे एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। किन्तु वह प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है। यदि आप तलाशियों और जब्तियों को देखें तो 1982-83 में इसमें शामिल कर दाताओं की संख्या 3,070 थी। तलाशी के ऐसे मामले जिनमें कर-दाता संग्रह की प्रतीक्षा कर रहे थे, 31-3-83 को 5,107 थी। 1,465 कर-दाताओं के मामले में पायी गयी गुप्त आय 33.84 करोड़ रुपये थी। 1982-83 के दौरान इन सब मामलों में की गयी दोष सिद्धियां की संख्या केवल 17 थी। अतः इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है यदि आप अनुभव करते हैं कि इसका कुछ प्रभाव पड़ता है तो मुझे बताइए कि तलाशियों और जब्तियों से कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। फिलहाल आपने एक वर्ष विशेष में 34 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां जब्त कर ली हैं। किन्तु सारा मामला निपट जाने पर अन्ततः इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ ? वास्तव में यह एक बड़ी समस्या है। जुर्माना और मुकदमा की स्थिति इस प्रकार हैं ; 31,184 मामलों में जुर्माने के आदेश जारी किए गए थे। गुप्त आय 16.09 करोड़ थी

और लगाये गये कुल जुर्माने की राशि 13.11 करोड़ रुपये थी। किन्तु केवल 69 लाख रुपये की राशि ही वसूल की जा सकी। यह जुर्माना धारा 27 (1) (ग) के अधीन किया गया था। अधिनियम की अन्य धाराओं के अधीन जारी किए गए जुर्माना-आदेशों की संख्या 4,97,411 थी, 16.23 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया था और जुर्माने के रूप में 1.88 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए थे। न्यायालय में लंबित पड़े हुए मुकदमों की संख्या 1-4-82 को 2,428 थी किन्तु 1982-83 में केवल 28 मुकदमों में ही दोष सिद्धि हो सकी थी। यह बहुत चौकाने वाले आंकड़े हैं, इनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

सारा प्रशासन इस प्रकार कार्य कर कर रहा है। आप को प्रशासन को चुस्त बनाना होगा। दो पहलू हैं ; एक कर नीति और दूसरा कर प्रशासन। मेरे विचार से कर नीति अनुचित है। इससे धनी वर्ग को अधिक लाभ पहुंचता है। इस बात को अलग रखते हुए कि आप सत्ता में हैं या मैं सत्ता में हूं, सारी व्यवस्था को पूर्णतः बदलना होगा। समूचा कर प्रशासन दोषपूर्ण हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री को चिकित्सक के रूप में नहीं वरन् शल्य-चिकित्सक के रूप में कार्य करना होगा। आपको इसकी शल्य-चिकित्सा करनी होगी, इस बारे मैं आपको कुछ कठोर कार्यवाही करनी ही होगी।

अब मैं अधिकार निर्धारण पर आता हूं, 1976-77 में 4,10,847 रुपये और 1977-78 में 75,39,084 रुपए अधि कर नहीं लगाया गया था। इन वर्षों के दौरान क्रमशः 5,36,465 रु० और 21,66 084 रुपये कम अधिकर निर्धारण किया गया। अधि कर की अधिक वापसी के बारे में भी कमोवेश यही स्थिति है।

विदेशों में हमारे 90 भारतीय दूतावास हैं, जिनमें 3,744 भारतीय कर्मचारी हैं। 1979-80 में केवल एक दूतावास और 1980-81 में दो दूतावासों ने कर में कटौती की थी। 1981-82 में 91 कर्मचारियों ने अपनी आय के विवरण दिए थे। इससे पता चलता है कि हमारा प्रशासन कैसे कार्य कर रहा है अतः विभाग किस बात की देख-रेख कर रहा है ?

इस सम्बन्ध में कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण तो करना ही होगा। ऐसे भी मामले हैं जहां अच्छी तरह से यह जानते हुए भी कि कानूनी तौर पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। कर निर्धारिती पर उत्पाद शुल्क लगाया और उससे वसूल किया जाता है। वे उत्पाद शुल्क लगाते हैं और उसे वसूल करते हैं। बाद में, जब कर-निर्धारिती न्यायालय में जाता है तब सहायक समाहर्त्ता अथवा उत्पाद शुल्क के समाहर्त्ता कहते हैं कि कानून के अन्तर्गत शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। उन्हें उत्पाद शुल्क वापस मिल जाता है। जब हमने लोक लेखा समिति में इस प्रश्न की जांच की तो हमने पाया कि विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में इकट्ठे किए 60 करोड़ रुपये वापस किए गए थे क्योंकि यह कानून वसूली योग्य नहीं थे। 60 करोड़ रुपये ग्राहकों और दूकानदारों से एकत्र किए गए थे। किन्तु यह सारा रुपया निर्माताओं ने स्वयं ही रख लिया था।

आपने अनुदेश जारी किए कि जब कभी भी यह रकम कर-निर्धारितियों को वापिस की जाती है। उनको आयकर विभाग को अवश्य सूचित करना चाहिए। बहुत से मामलों में आयकर विभाग को सूचित नहीं किया गया था। उन लोगों के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिनका सम्बद्ध विभाग को सूचना देन अनिवार्य कर्त्तव्य था कि दो करोड़ रुपये अमुक फर्म को, एक करोड़ रुपये अमुक फर्म को और 50 लाख रुपये फलाँ, फलाँ फर्म को वापस किया गया। आयकर विभाग को

इन वापसियों की कोई सूचना नहीं दी गयी थी। वे आयकर निर्धारण से बच गए जो किया जाना था।

लोक लेखा समिति ने अपने अद्यतन प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि बम्बई बिक्री कर अधिनियम के अनुसार यदि ऐसा बिक्री कर वसूल किया जाता है जो कानूनन योग्य नहीं होता है, तो वह धन जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। यह रकम जो अब करदाताओं जो वापस की जाती है और जिसे गैर-कानूनी रूप से दूकानदारों और ग्राहकों से इकट्ठा किया गया था। इसकी जब्ती के लिए प्रावधान करने के लिए आप कानून में संशोधन क्यों नहीं करते हैं ? विकास संबंधी कार्यों के लिए यह धन सरकार के पास रहना चाहिए और इसे करदाताओं द्वारा नहीं हड़प लिया जाना चाहिए। (व्यवधान) यह संशोधन बम्बई बिक्री कर अधिनियम के अनुसार किया जा सकता है।

श्री रिजक राम (सोनीपत) : ग्राहक का इसमें क्या दोष है ?

श्री सतीश अग्रवाल : बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह शुल्क कानून वसूली योग्य नहीं है इस धन की वसूली की जाती है। इस संबंध में कभी उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था। तब करदाताओं को यह पता चला कि यह शुल्क वसूली योग्य नहीं था। अतः उन्होंने वापिसी का दावा किया, कृपया आप लोकलेखा समिति के 95 वें प्रतिवेदन, 13 वें प्रतिवेदन और 46 वें प्रतिवेदन को देखिए जिनमें जोरदार सिफारिश की गयी है कि बम्बई बिक्री कर अधिनियम के अनुसार इस संबंध में भी कोई प्रावधान किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास अथवा उपलब्धियों, जिनका वे प्रायः दावा करते रहते है, के संबंध में विस्तृत चर्चा में न जाते हुए—दुर्भाग्यवश, मेरी धारणा है कि निस्संदेह, इस बारे में विकास हुआ है किंतु हमारी अर्थव्यवस्था का यह विकास सामाजिक न्याय के बिना हुआ है। इस देश के मुश्किल से 1 करोड़ लोग विकास का लाभ पा रहे हैं। इस देश में घोर और व्यापक निर्धनता है। इस देश के बहु संख्यक लोगों को मूलभूत सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं। इसके लिए मैं सारा दोष वित्त मंत्री को नहीं दे रहा हूं। किन्तु क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है वित्त मंत्रालय एक नोडीय मंत्रालय है और यह पहली बार है कि आयात-निर्यात नीति को वित्त मंत्रालय से स्वीकृत कराने के लिए वह वाणिज्य मंत्रालय को राजी करने अथवा उस पर दवाब डालने में सफल हो गए हैं। अन्ततः आयात और निर्यात में एक अंतर है। वाणिज्य मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए जाना पड़ता। यह वित्त मंत्री को ही ऋण लेने के लिए जाना होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि हमारी आयात और निर्यात नीति को हमारे समग्र आर्थिक दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। अतः मैं कहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास सामाजिक न्याय के बिना हुआ है।

हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है। किन्तु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत से गिरकर 40 प्रतिशत रह गया है। अतः अपनी योजनाओं में हमें कृषि को वरीयता देनी होगी।

इसी प्रकार, मूल्य वृद्धि आम आदमी को नुकसान पहुंचा रही है। जैसाकि मैंने कहा है कि

कर प्रशासन दोषपूर्ण हो चुका है। कर नीति अनुचित है। वे दुर्भावना पूर्ण हैं। मेरा विचार है कि इस देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में विवाद विद्यमान है। मैं चाहता हूं कि सरकार को संसद द्वारा निर्धारित विनियमों के भीतर रहकर गैर-सरकारी क्षेत्र को भी अपनी भूमिका निबाहने की अनुमति देनी चाहिए। किन्तु जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसे सरकारी राजस्व का अपव्यय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुछ तो करना ही होगा। सरकारी क्षेत्र की अकुशलता के लिए आंतरिक दंडों की व्यवस्था तो करनी ही होगी। हम दिल्ली परिवहन निगम में 90 करोड़ रुपये का घाटा सहन नहीं कर सकते हैं अथवा हम बिजली बोर्डों को उपयोग क्षमता से कम काम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सब परिवहन निगम, सब बिजली बोर्ड और सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रम राष्ट्रीय राजस्व का बहुत अधिक अपव्यय कर रहे हैं। मैं खेद के साथ यह कहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर हम सरकारी क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं और संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संचित घाटा, 16,000 करोड़ रुपये है। हम अपनी 50 प्रतिशत से भी अधिक पूंजी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगा चुके हैं। मैं सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और एक के बाद एक उद्योगों का अंधाधुंध तरीके से राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। जब भी उद्योग रुग्ण होता है, आप तत्काल उसका अधिग्रहण कर लेते हैं क्योंकि श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए किन्तु उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए वैकल्पिक तरीके भी अपनाने चाहिए, किन्तु प्रत्येक अस्वस्थ उद्योग का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, मैं समझता हूं कि भरपूर फसल होने पर हम गेहूं, चावल या खाद्य तेल, चीनी इत्यादि का आयात पसंद नहीं करते हैं। जहां तक नीतियों का संबंध है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह इस पर गंम्भीरता से विचार करें कि लघु, कुटीर और घरेलू क्षेत्र को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। सरकार द्वारा उन्हें सभी तरह की सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए। हम ऐसा कानून पारित कर चुके हैं। किन्तु इस क्षेत्र को स्पष्टतः अलग रखा जाना चाहिए तथा हिन्दुस्तान लीवर को साबुन या टूथपेस्ट, जिनका निर्माण लघु क्षेत्र में किया जा सकता है, बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अंतः में, आपके हाथों में बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। जहां तक आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, आप उनके द्वारा सारी अर्थव्यवस्था को विनियमित कर सकते हैं। आप ऋण में कमी कर सकते हैं और ऋण में कमी की इस पद्धति के द्वारा आप किसी पर भी दवाब डाल सकते हैं, किन्तु ऐसा करते समय आपको तर्कसंगत तो होना ही पड़ेगा।

और श्रीमन् गत चार वर्षों और गत 35 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है। किन्तु दुर्भाग्यवश, जैसाकि अब तथ्य और आंकड़े प्राप्त हैं। उनसे दिखाई देता है कि लगभग हर क्षेत्र में गिरावट आई है; हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं और अन्ततः वित्त मंत्री महोदय को अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि ये सब बजट, ये सब कराधान उपाय ये सब संसाधन जुटाना, ये सब वित्त विधेयक और ये सब नए उपाय किसके लिए हैं---इस देश के 1 करोड़ लोगों के लिए या इस देश की 70 करोड़ जनता के लिए ? अतः इस देश के अप्रचुर संसाधनों का सही उपयोग

करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए और भ्रष्टचार, बर्बादी और निरर्थक व्यय करने वालों की खिचाई की जानी चाहिए। श्रीमन्, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक सर्वत्र व्याप्त हो चुका है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जो प्रशासन में हैं तथा हमारी अर्थ व्यवस्था को चलाने वाले हैं उनके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही करनी ही होगी। सभी कर अपवंचक, सभी कालाबाजारियों, तस्करों तथा सभी आर्थिक अपराधियों को चाहे वे कितने भी ऊँचे, समृद्ध या रसूख वाले हों, सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो आर्थिक अपराध में शामिल पाया गया हो, किसी बैंक के निदेशक-मंडल या सरकारी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी कठोर कार्यवाही तो करनी ही होगी। इस बारे में कुछ पुनर्विचार भी करना होगा। इस देश के 70 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ आम राय बनानी ही होगी। केवल वित्त मंत्री, कांग्रेस (इ) के लिए ही यह चिंता की बात नहीं है वरन् सभी संसद-सदस्यों के लिए यह चिंता की बात है।

अतः व्यापक मूलभूत राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर कुछ आम राय तो बनानी ही चाहिए, यदि यह किया जाता है तो हमारा भविष्य उज्जवल है अन्यथा अन्धकारमय है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व-वक्ता श्री सतीश अग्रवाल जी ने यहां पर आंकड़ों का बहुत ज्यादा अम्बार लगा दिया। आखिर, वे बहुत अरसे तक वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके है इसलिए उनके पास आंकड़ों की कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वे अध्ययन भी बहुत करते हैं। एक बात उन्होंने कही कि हमारे देश ने बहुत अधिक कण (मैसिव) क्रेडीट दुनिया से लिया है, यह उनके दिमाग में आकड़े देखकर ठीक भी हो सकता है। लेकिन, छठी पंचवर्षीय योजना 97,500 करोड़ है जबकि अब लगभग एक लाख करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है।

लेकिन उसमें अभी तक विदेशों से लिए गए कर्ज का अनुपात सात प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए आंकड़ों के जरिए यहां यह कहना कि हमने अधिक विदेशी कर्जा ले लिया, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्यों कि हमें जितने कर्ज की आवश्यकता थी, हमने उससे अधिक कर्जा नहीं लिया। जब हमें महसूस हुआ कि और कर्जे की आवश्यकता नहीं है तो हसने उसे लेने से मना भी किया है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि विकास कार्यों के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा।

कर प्रणाणी के सम्बन्ध में उन्होंने जिस तरह विस्तार से चर्चा की, मैं भी अनुभव करता हूं कि हमारे कर-ढाचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। उसका कारण यही है, जैसा उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने कर के मामले को अदालतों में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कर व्यवस्था में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई अड़चनें पैदा हो जाती है और इस कारण उनको अमल में लाना भी कठिन होता है।

मेरा सुझाव है कि अब हमें कर प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें इस दिशा में विचार करना चाहिए कि हमारी बुनियादी नीति क्या हो अधिक से अधिक हम कितना प्रतिशत कर लगाये भले ही 50 परसेंट हो या 55 परसेंट हो, हमें उसके बारे में पहले से निर्णय कर लेना चाहिए कि अधिक से अधिक वह सीमा क्या होनी चाहिए और उसके बाद कर प्रणाली में हर साल बहुत अधिक परिवर्तित न करते हुए, हमें अपनी नीति को कम से कम

तीन स क प्रयोग (ट्रायल) के तौर पर चलाना चाहिए ताकि इस दौरान उस नीति को परखा जा सके कि उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। क्योंकि जब हम उसमें हर साल परिवर्तन करते हैं तो उसे समझने में ही करदाताओं को ही दिक्कत पेश आती है। इसलिए एक दफा बुनियादी तौर पर हमें अपने कर ढांचे के बारे में विचार कर लेना चाहिए कि हमें 50 या 55 प्रतिशत (परसेंट) कितना कर लगाना है। उसमें अगले दो या तीन सालों तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दूसरा सुझाव यह है कि कर एकत्रित करने वाले ढांचे में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्कम टैक्स के जितने भी कर एकत्रित करने वाले अधिकारी हों या कोई दूसरे अधिकारी हों, उनको एक बहुत बड़े कमरे में बैठना चाहिए। किसी भी अधिकारी को अलग नहीं बिठाना चाहिए। इसके साथ ही समस्त कर-दाता उनके पास उस कमरे (हाल) में अपने कर संबंधी दावों को निपटाने के लिए जाएँ। चाहे हमें उस कमरे में चार सौ या पांच सौ टेबल क्यों न लगाने पड़ें, लेकिन सारे कर एकत्रित करने वाले अधिकारी और कर-दाता उसी कमरे (हाल) में जाएँ, जहाँ कर की जांच (असैस) करने की सुविधा भी उपलब्ध हो। जब वे दोनों एक स्थान पर बैठकर बात-चीत करेंगे तो दोनों पक्ष (पार्टीज) को लाभ होगा। फिर, कर असैस करने वाले अधिकारी को पहले से यह मालूम नहीं होना चाहिए कि उन्हें किस व्यक्ति से कर वसूल करना है या बातचीत करनी है। कर देने वाला व्यक्ति सबसे पहले एक कक्ष में जाए, जिसे आप स्वागत (रिसेप्शन) कक्ष का नाम दे सकते हैं और वहां पर उसे बताया जाए कि किस अधिकारी के पास उसे अपना कर जांच करने के लिए जाना है, कितने नम्बर की टेबल पर पहुँचना है। कर देने वाले को भी पहले से यह मालूम न हो कि उसे किस अधिकारी के पास जाना है, बातचीत करनी है। जब दोनों को पहले से यह पता नहीं होगा कि हमने किस से बात करनी है, रजिस्टर के नम्बर के हिसाब से सब को बांटा जाए और उसी के अनुसार फाइल का नम्बर हो तो शीघ्रता से हम उनको निपटाने में सफल हो सकते हैं। वैसे मैं करों के सम्बन्ध में अनुभवी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अपनी बुद्धि के आधार पर कह सकता हूं कि यह प्रणाली अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। क्योंकि पिछला अनुभव यह बताता है कि हमारी वर्तमान कर प्रणाली के अनुसार कर मुकदमे कई सालों तक चलते रहते हैं, फाइल चलती रहती है, मुकदमा चलता रहता है अथवा किसी एक अधिकारी के पास फाइल पड़ी रहती है, यदि हम उसके स्थान पर कर-प्रशासन में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं तो तीन या चार बार, अधिक से अधिक, कर-दाता को बुलाकर सही बात का पता लगाकर, उसका फैसला कर दिया जा सकता है। कई छोटी-छोटी रकम के फैसले होते हैं इनमें मुकदमे में अदालत में न जाना पड़े और न ही लोगों को अधिक परेशानी उठानी पड़े। इसलिए कर लगाने और कर एकत्र करने की प्रणाली में, दोनों में परिवर्तन करने की जरूरत है।

वैसे मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो बजट पेश किया उसमें उनके मौलिक चिन्तन की झलक मिलती है। उन्होंने 465 करोड़ के कर भी लगा दिए और उनके कारण बाजार में वस्तुओं के मूल्य भी नहीं बढ़े। अक्सर यह होता था कि जिस समय बजट पेश होता था उसके पहले और बाद में कीमतें बढ़ जाया करती थीं।

देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बजट और वित्त विधेयक बड़े हथियार होते हैं और इसके जरिये देश में आर्थिक असमानता को और बेरोजगारी को दूर करने का मौका मिलता है। हमें अध्ययन करना चाहिए कि बजट और वित्त विधेयक के जरिये आर्थिक स्थिति में सुधार और बेरोजगारी दूर करने में कितने सफल हुए हैं। इस बजट की विशेषता यह है कि देश के विकास

कार्यक्रमों में और गरीबी दूर करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है, और 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये पहली बार 40 अरब 38 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो पिछले वर्ष से 47 प्रतिशत अधिक है। यह विकास और बेरोजगारी दूर करने में मदद करने वाला है।

20 सूत्री कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ब्लाक में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 600 लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ाकर 1,000 की संख्या कर दी जाय। सुना है ऐसा सुझाव हो रहा है जो मेरी राय में अच्छा कदम होगा। लेकिन इन गरीबों को जो आर्थिक मदद दी जाती है उस बारे में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है कि उनको पूरा पैसा मिल जाय। आम तौर पर शिकायतें आती हैं कि उन गरीबों को पूरी रकम नहीं मिलती है। अच्छा तो यह हो कि उनको जो रकम दी जाती है उसमें छूट की रकम भी शामिल रहती है उसको भले ही बन्द कर दिया जाए और उस पर ब्याज न लगाया जाय, क्योंकि जो छूट की प्रणाली है उसमें काफी गड़बड़ी आ जाती है।

20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे अधिक महत्व सिंचाई को दिया गया है, और जैसा माननीय सतीश अग्रवाल जी ने कहा बहुत-सी योजनायें सभा में पूरी नहीं हुई हैं। फिर भी सिंचाई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मध्य प्रदेश में 90 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में जहाँ 7 बड़ी नदियाँ हैं, उन सभी पर बांध बनाकर काफी अधिक सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन फिर भी कई कारणों से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मेरा सुझाव है कि बड़ी योजनाओं को केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के राजनांद गांव जिले के चौकी तहसील में मोंगरा नामक बांध बनाने की योजना है। पहले उस पर 65 करोड़ रु० का अनुमान था और लगभग 2 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होने वाली थी। लेकिन वह काम अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है।

अब इसके ऊपर 1 अरब 50 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, लेकिन फिर भी इसको तत्काल हाथ में लेना चाहिए। राज्य सरकार कहती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में अवश्य ले लेना चाहिए।

अभी कुछ पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में उतनी कमाई नहीं हो रही है, जितनी कि होनी चाहिए। बात कुछ हद तक सही है। हमारे पं० जवाहर लाल नेहरु ने देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को लागू किया और साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। उसी नीति का आज हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अनुसरण कर रही हैं। सन् 1951 में समूचे देश में केवल 5 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में थीं, जिसमें 20 करोड़ रुपया लगा हुआ था। आज हमारे देश में 223 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और उनमें लगभग 30 हजार करोड़ रुपयों से अधिक लगा हुआ है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी रकम लगने के बाद उससे केवल 618 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है जो कि कम है और उस सिलसिले में कदम उठाने की आवश्यकता है। हम सब समझते हैं कि इसमें अधिक से अधिक मैनेजमैंट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात है कि हर 2-3 साल में किसी कंपनी के मैनेजमैंट में परिवर्तन या स्थानान्तरण करना उचित नहीं है। बड़े अफसरों को पब्लिक सैक्टर में जल्दी-जल्दी स्थानान्तरित

न किया जाये। दूसरे जो विषय के जानकार लोग हों उनको मैनेजमैंट में उच्च पदों पर लगाया जाये। जैसे इस्पात का कारखाना है, उसमें इस्पात के जानकार व्यक्ति को ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाना चाहिये। कोयले के जानकार को कोयले की कम्पनी में और दूसरे जानकारों को संबंधित कारखानों में लगाया जाये। जो भी उद्योग ज्यादा मुनाफा नहीं दे रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए।

दुनिया में इस्पात उद्योग की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका, जापान, जर्मनी सभी ने अपने यहां इसका उत्पादन आधा कर दिया है, लेकिन उनके यहां जहां प्रति व्यक्ति लोहे की खपत 600,700 किलो ग्राम है, वहां हमारे यहां, केवल 10 किलो ग्राम है। इसलिये हमारे यहां इस्पात और कोयला उद्योग में अधिक विस्तार की गुंजाइश है, लेकिन इसमें जितना हमें करना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है।

हमारे देश में मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका, बिहार का दक्षिण बिहार और उड़ीसा का दक्षिण व पूर्वी उड़ीसा ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक खनिज भंडार हैं। इनके विकास के लिए जो सुविधायें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है। वैसे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र यहीं होने वाले हैं। आज भी वहां पर बड़े-बड़े कारखाने हैं। भविष्य में यह दुनिया का बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र होगा। उस भाग में विस्तार की बहुत गुंजाइश है लेकिन उसके लिए जितनी सुविधायें (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की आवश्यकता हैं, उतनी सुविधा नहीं है।

आज छत्तीसगढ़ के लिए कोई अच्छी रेल नहीं है। वहाँ एक छतीसगढ़ एक्सप्रेस चलती है लेकिन उसको किसी भी तरह से एक्सप्रेस, मेल या पैसेन्जर ट्रेन कहना गलत होगा, वह तो बैलगाड़ी एक्सप्रेस है। इसी प्रकार वहां हवाई जहाज भी बहुत छोटा जाता है। 25-30 40 पैसेंजर रोज वेट-लिस्टेड रहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : वह भी श्री कौशिक ने पहुंचाया है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : बाद में हवाई जहाज़ हमने बढ़ाया है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह काम किया है। वहां रेलवे की उचित व्यवस्था की बहुत गुंजाइश है।

वहां पर दूरभाष की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। भिलाई इस्पात कारखाना हिन्दुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण लोहे का कारखाना है। संयोग से मैं वहां से लोक-सभा का प्रतिनिधि हूं लेकिन 8, 8 दिन तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वहां टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है। वहां पर टेलीफोन व्यवस्था बहुत खराब है। इसके अलावा आवागमन के साधनों और संचार के साधनों की बहुत कमी है। इस क्षेत्र में इनफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा दृढ़ और विस्तृत करने की आवश्यकता है।

सस्ते अनाज की दुकानों में चीजों का न मिलना देश भर में लोगों को बहुत अखरता है। खाने का तेल और सस्ता कपड़ा बहुत कम मिलते हैं। कभी-कभी गेहूं और चावल भी नहीं मिलते।

1.56 म० प०

(श्री एस० आर० स्पैरो पीठासीन हुए)

मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जहां तक हो सके, सस्ते अनाज की दुकानों में सभी आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराएं।

संसार के अन्य देशों में सरकार के अनुसंधान-कार्य के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा रिसर्च, एंड डेवेलपमेंट की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है और उस पर काफी धनराशि खर्च की जाती है। पहले तो हमारे यहाँ कंपनियों में रिसर्च एंड डेवेलपमेंट सैक्शन होता ही नहीं था। अब भी इस काम पर बहुत कम खर्च किया जाता है । मैं समझता हूं कि रिसर्च एंड डेवेलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करने से हम तेजी के साथ तकनीकी तरक्की कर सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भिलाई इस्पात कारखाने में काफी रिसर्च हुई है, लेकिन दूसरे इस्पात कारखानों को उसके परिणामों का कोई पता नहीं है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में रिसर्च एंड डेवेलपमेंट सैक्शन को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। चूंकि हमारे यहां आर एंड डी की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए हम डिजाइन के मामले में बहुत पीछे हैं, चाहे कोयले का कारखाना हो, आटोमोबाइल का कारखाना हो या हवाई जहाज का कारखाना हो। डिजाइन विदेशों से मंगाना पड़ता है। इस स्थिति में आर एंड डी को अधिक महत्व देना अत्यावश्यक है ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, वर्ष 1984-85 के वित्त विधेयक पर चर्चा की जा रही है तथा विभिन्न सदस्यों ने अलग-अलग तरीकों से अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार, सरकार लोगों के जीवन में सुधार करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है इसमें बहुत ही वृद्धि हुई है और खाद्य उत्पादन में भी ऐसी ही वृद्धि हुई है। हम 1490 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करने में समर्थ हैं। ये सभी सरकार की उपलब्धियां हैं और इसके लिये मैं सरकार को बधाई दूंगा ।

महोदय, किन्तु वास्तविकता क्या है ? सरकार को इसकी संभावना है किन्तु वास्तविकता उससे भिन्न है। जब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया है तो खाद्यान्न के मूल्यों में भी वृद्धि क्यों ? इसमें जरूर कोई कमी है, चाहे वह वितरण के क्षेत्र में हो अथवा सरकार की किसी नीति के कारण। मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें बताया गया है और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ :—

2.00 म० प०

> "भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 0.18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 28 वर्षों में, 431 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 453 ग्राम प्रति दिन हो गई है।
>
> शेष विश्व में (जिसमें निर्धन देशों की काफी बड़ी जनसंख्या है) औसत लगभग 650 ग्राम प्रति दिन है—और इसे भी अपर्याप्त समझा गया है। वर्तमान वृद्धि की दर से शेष विश्व के वर्तमान स्तर तक पहुँचने के लिए लगभग 200 वर्ष लगेंगे।"

इसलिए कुछ निर्धन देशों के स्तर के अनुसार, निर्धन लोगों का पोषण करने के लिये भारत को 200 वर्ष लगेगें। यह आपकी स्थिति है।

एक और महत्वपूर्ण मामला मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। जहां तक सरकार की आकांक्षाओं का सम्बन्ध है, वित्तीय नीति को प्रेरणा तथा दिशा उस समाज की आकांक्षाओं

तथा लक्ष्यों से प्राप्त होती है जिसके भीतर यह कार्य करती है तथा जिन लोगों के हितों के लिए इसे बनाया गया है। अल्पविकसित देशों के लोगों की आकांक्षाएं स्पष्ट हैं। अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा स्थिरता तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था ; जिसमें मानव प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक स्वतंत्रता बढ़ सके। जहां सरकार की आकांक्षा यह है वहां वास्तविकता क्या है ? वास्तविकता यह है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी राजस्व का अनुपात निर्धन देशों में धनी देशों की अपेक्षा काफी कम है। निर्धन को सरकार की अधिक सहायता चाहिये किन्तु उन्हें कम मिलती है। उनकी सरकार अपनी ही गरीबी को प्रतिबिम्बित करती है। वास्तविकता यही है। सरकार के उद्यमों तथा प्रयासों का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुँच रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी को दो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

एक है चुनाव पूर्व संवीक्षा तथा दूसरी है चुनाव के पश्चात की जिम्मेदारियां। जहाँ तक केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों को अनुदान राशि के आवंटन का संबंध है, प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा दी गयी धनराशि की जांच करने अथवा देख-रेख करने की सरकार की प्रणाली है कि उस राशि का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। आप किसी भी गांव में जाइए आप देखिए किस प्रकार 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा है। सन् 1976 में किये गये 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा अभी के क्रियान्वयन को देखें। आप पायेंगे कि यह पूर्णतया विफल रहा है। आवास एवं निर्माण मंत्री ने कुछ बातें कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कही थीं, जब वे मद्रास में यात्रा कर रहे थे। वह अधिकारियों से पूछ रहे थे कि क्या सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। अधिकारी ने कहा जी हां। श्री बूटा सिंह एक गांव को देखना चाहते थे। उस गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। वहाँ पीने के पानी का कोई भी नल नहीं था। यह अखबारों में छापा था। उन्होंने मुझे यह व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया परन्तु यह अखबारों में छपा था। इससे स्पष्ट है कि वह किस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके लिये एक उचित देख-रेख प्रणाली होनी चाहिए, अन्यथा सरकार द्वारा जनता के पैसों की सिर्फ बर्बादी ही होगी।

मेरे मित्र ने कर अपवंचन के बारे में बताया। पहले वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। मैं भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष था। जब हम अधिकारियों से कुछ जानकारी लेना चाहते थे तो हम सही जवाब प्राप्त नहीं हो सका। इसका कारण बहुत ही सरल है। सरकार ने कोई भी उचित नीति तथा उचित कानून नहीं बनाया है। कारण यह था। किन्तु मैं सरकारी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराता। निस्सन्देह वे निस्सहाय है।

प्रत्येक वर्ष हम वित्त विधेयक में संशोधन करते हैं। जनप्रतिनिधि, अर्थात संसद सदस्य, संसद में तथा वित्तीय समितियों में बहुत से सुझाव देते हैं। किन्तु निर्धन वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उदाहरण के लिये, वेतनभोगी वर्ग राहत चाहता हैं। मैं वेतनभोगी लोगों के बारे में अत्यधिक चिंतित हूं। मेरी एक निर्धारित नीति है कि सरकारी अधिकारियों को उनके वेतन पर ध्यान दिये बिना, आयकर से मुक्त कर देना चाहिये। बहुत से देश हैं जहाँ पर सरकारी अधिकारी आयकर से मुक्त हैं। मेरे दिवंगत नेता श्री अरुण हमेशा निर्धनों के पक्ष का समर्थन करते थे। वह अमीरों से पैसा निकलवाने तथा निर्धन का भरण-पोषण करने की नीति का समर्थन करते थे। किन्तु केन्द्र में इसका उलटा है। वर्तमान आर्थिक स्थिति में 2000 से 3000 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह पाने वाले अधिकारी को भी परिवार का खर्च चलाना बहुत कठिन है। इससे

यह होगा कि वह व्यक्ति अतिरिक्त पैसा कमान के लिये कोई उपाय करेगा। निस्संदेह कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं। परन्तु इनमें से अधिकांश लोग अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में निश्चित आय में वे अपना खर्च चलाने में समर्थ नहीं हैं जहां निरन्तर आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें। मलेशिया में सरकार ने वेतनभोगियों को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। स्वीडन में भी वेतनभोगी व्यक्ति आयकर से पूरी तरह मुक्त हैं। हमारे देश में बड़े आदमी कर नहीं देते हैं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। कर अपवंचन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। देश की अर्थ-व्यवस्था में काला-धन अत्यधिक मात्रा में है। मैं तमिलनाडु के सौ व्यक्तियों के नाम दे सकता हूं जो कि काले-धन का धंधा कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं सभा-पटल पर उनकी सूची रख सकता हूं। तमिलनाडु में, इस प्रकार की गतिविधियां में राजनीतिज्ञ भी लगे हुए हैं। आप 500 करोड़ रुपए तक के काले-धन को प्रकाश में ला सकते हैं। अगर वह चाहते हैं तो मैं राज्य वित्त मंत्री श्री एस. एन. कृष्ण की इस मामले में सहायता कर सकता हूं। स्थिति यह है; अर्थात् आप अमीर लोगों को छोड़ रहे हैं और निर्धन अधिकारियों तथा अन्य लोगों को कुचल रहे हैं।

महोदय, मैं कराधान नीति के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस मुद्दे पर पहले ही बहुत से माननीय सदस्यों, विरोध रूप में श्री सतीश अग्रवाल द्वारा विचार किया जा चुका है। महोदय, कई अवसरों पर सरकार ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के नाम पर अमीरों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना 1951, 1965 तथा 1976 में चालू की गई थी। मैं स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत अपने मामलों के आंकड़ों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। परन्तु फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना में, लगभग 1,38,628 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से 145.5। करोड़ रुपये की अपनी करयोग्य आय को प्रकट किया। हम आप पर आयकर की राशि लगभग 20 करोड़ रुपये होगी। 1976 में, इस योजना के अन्तर्गत 2,41,079 व्यक्तियों ने 796 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की। प्रकटीकरण आंकड़ों को जान बूझकर बढ़ाकर के दिखाया गया था। इसमें आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमानित आंकड़े को भी प्रकटीकरण आंकड़े के रूप में जोड़ा गया था।

अगर वास्तविक स्थिति आंकी जाए तो प्रकट की गई राशि 400 करोड़ रुपये होगी। स्थिति यह है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण से सरकार को अच्छे परिणाम तथा कोई लाभ नहीं मिला है।

संक्षिप्त कर निर्धारण प्रक्रिया इन व्यक्तियों पर लागू है जिनकी आय एक लाख रुपये से कम है। उनके मामले आयकर अधिकारी संक्षिप्त कर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत तय करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय 99,999 रुपये बताता है तो वह-विस्तृत छान-बीन से बच जाता है, क्योंकि उसकी एक लाख रुपये की आय में एक रुपया कम है। यह क्या मजाक है ? क्या यह देखना विभाग का काम नहीं है कि यह गात सच हैं अथवा नहीं। जानबूझ कर बहुत से व्यापारी ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इसमें विभाग की भी सांठ-गांठ हो। इसकी जांच कराने की आवश्यकता है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत से धनी व्यक्तियों और अधिकतर सभी एकाधिकार घरानों के अपने न्यास हैं, जिनकी आय, आयकर से मुक्त है। न्यास किसी अन्य व्यक्ति के नाम से

बेनामी खाता खोलते हैं। मान्यता प्राप्त न्यासों के नाम पर नकली लेखे रखे जाते हैं और ऐसे आदमियों द्वारा इन न्यासों को चलाया जाता है जो उनके हाथों में कठपुतली है वे धारक चैक पारी करते हैं, जिसके लिये उन्हें दूसरे न्यास से पैसा मिल जाता है। इस तरीके से भी काले धन का लेन-देन होता है। सरकार को इस पहलू पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये।

हमारे मित्र, विशेष रूप में कांग्रेस (आई) से, दावा करते हैं कि उन्होंने सभी कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किया है।

इस विषय पर देर तक विस्तार पूर्वक बोलने से पहले मैं केन्द्र से राज्यों तक खाद्यान्न स्थिति तथा उसकी आपूर्ति के बारे में बताना चाहूंगा। खाद्य मंत्री के अनुसार हमारा उत्पादन 1490 लाख टन हो गया है। किन्तु ऐसा लगता है कि यह चुनावी नीति है। तमिलनाडु के खाद्य मंत्री ने कहा कि उचित दर की दुकानें बन्द हो जाएंगी अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होती। यह 20 मार्च की बात है। इसका अर्थ क्या है? जब हमने नागरिक पूर्ति मंत्री श्री आजाद से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास स्टाक नहीं था, किन्तु दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : अधिक उत्पादन रक्षित भण्डार में प्रतिबिम्बित होना चाहिये। स्वभावतः ये आंकड़े सही नहीं हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : पिछले सप्ताह भी श्री आजाद ने सदन में बताया था कि वह रक्षित भण्डार रखने के लिये खाद्यान्न का आयात करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी विशेषज्ञ समिति ने सरकार को रक्षित भण्डार रखने का सुझाव दिया था। वास्तविकता क्या दे? कौन सा समुदाय, जिस वर्ग के लोग इस समय प्रसन्न हैं?

कलकत्ता सम्मेलन में—बहुत से व्यक्तियों को मेरे कलकत्ता सम्मेलन राज्य के प्रयोग करने पर चिड़ होगी— हमने एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया था कि जन साधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क को या तो कम कर दिया जाये अथवा समाप्त कर दिया जाये! निस्सन्देह बजट में उन्होंने उत्पादन शुल्क में कुछ कमी की है सूती पर 2.50 रुपये अथवा 3.50 रुपये उन्होंने यह किया है।

महोदय, लगभग 13 मदों के बारे में मेरे पास हिसाब है। चीनी, मिठाई एवं चाकलेट, परिरक्षित खाद्य उत्पाद, ग्लूकोस, डेक्सट्रोस, काफी, चाय, मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल, कृत्रिम धागे एवं सूत, सूती धागे, दियासलाई इन सभी पर राजस्व लगभग 1534.59 करोड़ रुपया आता है। ये मदें गरीब व्यक्तियों द्वारा काम में लाई जाती है तथा मूल्यों में कमी की जा सकती है। सिर्फ चीनी के लिये ही, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, तो एक खरीददार, आम व्यक्ति को एक किलोग्राम के लिये 1.60 पैसे देने पड़ते हैं। इस शुल्क से इसका बाजार भाव 4 रुपये प्रति किलो है। अगर आप इस उत्पादन शुल्क की राशि 1.60 कम करदें तो निश्चित रूप में इससे जनसाधारण को फायदा होगा। पिछले तीन वर्षों में कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क अत्यधिक रुपया लगाया गया है। आठ मदों के लिये शुल्क बढ़ा दिया गया है, जो कि लगभग 392.29 करोड़ रुपये हैं। आप इस ज्ञापन में देख सकते हैं। हमने यह सब किया है।

दूसरे, महोदय, पिछले अक्टूबर में सरकार ने मोटर गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क में कुछ

राहत दी थी। सिर्फ इसकी राशि लगभग 388 करोड़ रुपये है। इस बार भी हमने 45 करोड़ रुपये की कुछ राहत दी है। जिसका कुल जोड़ लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक है। अगर आप आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम कर दें तो स्वाभाविक रूप से आम व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। अतः हमने कहा है कि अमीरों से धनराशि प्राप्त की जानी चाहिये तथा निर्धन व्यक्तियों का भरण-पोषण करना चाहिये। यही मुद्दा मैं बताना चाहता था।

महोदय, समाप्त करने से पहले, मैं श्रमिक वर्ग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं 20 सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य बातों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। निश्चित ही इसके बारे में मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। श्रमिक वर्ग पर सरकार को गर्व है जिसकी वजह से औद्योगिकी उत्पादन में वृद्धि हुइ है पर श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों के मामले में क्या होता है? सरकार श्रमिक वर्ग के साथ संघर्ष क्यों कर रही है? इसका कारण क्या है? क्या अधिक उत्पादन के विषय में वे सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? अथवा वे भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों संबंधित हैं? सरकार उनके साथ क्यों झगड़ रही है? उदाहरण के लिये, परम्परागत बोनस के मामले को लीजिये। जो कि स्टेट बैंक में प्रारम्भ से ही दिया जाता रहा है। उन दिनों इसे इम्पीरियल बैंक कहा जाता था। कर्मचारियों ने अदालत की शरण ली। अदालत ने कहा कि बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे इसके अधिकारी हैं। सरकार ने दूसरी अदालत में अपील की कि वे बोनस के अधिकारी नहीं हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ऊटी ने मुनाफा दिखाया है। वहां एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई जिसमें सभी राजनैतिक दल एवं आई. एन. टी. यू. सी. (इन्टक) सम्मिलित थे। इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया। अभी तक भी वित्त मंत्रालय ने उसे स्वीकृति नहीं दी है। अभी भी यह मामला लम्बित पड़ा है। इसका क्या होगा? वे सिर्फ इसका इंतजार, इंतजार और इंतजार ही करते रहेंगे। आखिरकार एक दिन उन्हें हड़ताल करनी पड़ेगी। और फिर हमें मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा। स्थिति यह है। अतः इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रमिकों से सम्बन्धित एक दूसरी समस्या है। पांडिचेरी में एक एंग्लो फ्रैंच कपड़ा मिल है जिसमें लगभग 7500 श्रमिक कार्यरत हैं। हम चाहते थे कि सरकार इसका अधिग्रहण कर इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप दे। किन्तु इस पर भी विचार नहीं किया गया। वाणिज्य मंत्रालय कुछ प्राईवेट व्यक्तियों को इस मिल को लेने के लिये राजी करने की कोशिश कर रही है।

मद्रास में बी एण्ड सी मिल के मामले में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सहायता की। उन्हीं के कारण वह मिल खुली थी। वैसी ही अन्य मिल के मामले में, अध्यक्ष ने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं दे सकता और इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। पिछली जनवरी से यह मिल पूर्णतः बन्द पड़ी है। मैं वयैक्तिक रूप में मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करें।

मुझे बताया गया था कि वर्त्तमान प्रबन्धन कुछ शेयर खरीदने की कोशिश कर रहा है। 100 रुपये मूल्य के शेयर की कीमत 15 रुपये कर दी गई है, ताकि वर्त्तमान प्रबन्ध निदेशक 100 रुपये की ब्याज 15 रुपये की दर से शेयर खरीद सके। और वह मिल का मालिक बन सके यह एक षड़यंत्र है। यह मैंने कर्मचारियों से सुना है मैं नहीं जानता यह सही है अथवा नहीं।

यही बात इंडिया मीटर्स के बारे में भी है। यह एक सरकारी उपक्रम है। वहाँ भी प्रबन्ध ठीक नहीं है। भारत हेवी इलैक्ट्रोकल्स लिमिटेड द्वारा कुछ सेवा निवृत कर्मचारियों को इंडिया मीटर्स में भेजा गया है।

तमिलनाडु में रुग्ण मिलें हैं जिन्हें सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

डाक एवं तार विभाग में विभागेतर विभागीय कर्मचारियों की क्या स्थिति है। आप कहते हैं कि हम एक समाजवादी देश हैं। आम आदमी तथा विशेषरूप में निर्धन व्यक्ति का संरक्षण करना हमारा कर्त्तव्य है। उनकी तनख्वाह क्या है? 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये अथवा 125 रुपया। उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्रामों के खादी बुनकरों के बारे में सुनिये। आर्थिक रूप से वे बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उन्हें 200 रुपए महीना मिलता है। मैं नहीं जानता खादी एवं ग्राम उद्योगों से संबंधित विभाग यहाँ क्या कर रहे हैं। इन बुनकरों की वित्तीय दशा बहुत ही खराब है।

जहां तक हथकरघे का संबंध है केवल तमिलनाडु में ही 60 लाख व्यक्ति इस उद्योग में लग हुए हैं। तमिलनाडु का एक निवेदन था। राजाजी के मुख्य मंत्री के कार्यकाल में तमिलनाडु विधान-सभा में हमने एक संकल्प पारित किया था कि बार्डर वाली धोतियाँ एवं साड़ियाँ बनाने का काम हथकरघों को दे देना चाहिए ताकि इन बुनकारों को कुछ लाभ मिल सके। ऐसा नहीं किया गया।

हमारे वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के अनुसार, विद्युत करघा क्षेत्रों को कुछ रियाययतें दी गई हैं। निःसंदेह आजकल विद्युतकरघा उद्योग कपड़ा तैयार करके बड़ी मिलों जैसे कि कैलिको तथा खटाऊ मिलों को देता है। अवरोक्त मिलें इस कपड़े को बाजार में बेचती हैं। जब बम्बई में 54 मिलें हड़ताल पर थीं और बंद थीं तब उन्हीं मिलों ने विद्युत करघे को प्रयोग में लाकर देश के अन्य भागों में माल भेजा। अतः विद्युतकरघे को राहत देने से काम नहीं चलेगा।

स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने भी इस सदन में कई बार सुझाव दिया था कि प्रत्येक मीटर कपड़े पर उसका मूल्य अंकित होना चाहिये, ताकि वे जनता को धोखा न दे सकें।

हथकरघा बुनकरों को केन्द्रीय सहायता के बारे में सुनिये, 2 गज की धोती के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित किया गया मूल्य 8.50 पैसे है तथा केन्द्र सरकार इस पर 3.50 पैसे की राज-सहायता देती है। इसी तरह साड़ी के लिये, 29 रुपये मूल्य निश्चित किया है तथा 12 रुपये राज-सहायता दी जाती है। किन्तु यह सहायता मूल बुनकरों को नहीं मिलती है। आप पैसा देते हैं। परन्तु तमिलनाडु के मुख्य मंत्री आम जनता को धोती तथा साड़ियां बांटते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने अपने पैसों से खरीदी हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करेंगे और इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे।

धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सभापति जी, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाईम दिया। जनाब, मैं जल्दी-जल्दी में अपनी दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट में मुबारकबाद के काबिल बातें की हैं । पहली बात तो यह है कि वे क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत रिस्पांसिव हैं। पार्लियामेंट में या कंसलटेटिव कमेटी में जो बातें उनके सामने रखी जाती हैं उनमें से जो काबिले-कुबूल होती हैं, उनका वे मेक्सिमम तौर पर फायदा उठाते है । यह बहुत अच्छी बात है और डेमोक्रेसी में यह होना भी चाहिए । इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं ।

बजट में दूसरी बात उन्होंने यह की है कि सेविंग्स को बहुत एन्करेज किया है । सेविंग्स को एन्करेज करने से वे काफी रुपया इकट्ठा कर सकते हैं । इससे गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रुपया आ जाता है और मिडिल क्लास इससे अपने खानदान के लिए भी रुपया बचा सकता है। सेविंग्स पर प्रीमियम बहुत अच्छी बात है ।

मिनिस्टर साहब ने परसनल इनकम पर टेक्स रेट रिड्यूस किया है । अभी उसमें और फरदर रिड्यूस करने की गुंजाइश है । मैं कहूंगा कि उसको पचास परसेंट तक ले आयें । इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फायदा उठायेगा । जो वह छोटे-मोटे धंधे करता है, उससे वह पैसा बचा सकेंगे। इससे केपिटल फोरमेशन में भी मदद मिलेगी । कुछ लोग इस बात की मुखालिफत करते हैं कि आपने इनकम टेक्स रेट कम किया है । मैं कहता हूं कि जब भी आपने टेक्स रेट कम किया है तभी इसका फायदा हुआ है । सारा मुल्क तरक्की करे, न कि चन्द बड़े-बड़े आदमी ही अपनी तरक्की करें । बड़े-बड़े आदमियों में चाहे बड़ा जमींदार हो, चाहे बड़ा कारखानेदार हो, चाहे वह बड़ा केपिट-लिस्ट हो ।

अगर चंद आदमियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो गरीब आदमी दबता जाएगा । पिसता जाएगा और मुल्क अमीर नहीं हो सकता । मुल्क कोई जमीन का एक टुकड़ा नहीं है । सब जनता को मिलाकर मुल्क बनता । तो आज हमको यह देखना है कि हमारी जो पालिसी है, वह गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही है या नहीं । चन्द आदमियों की इनकम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है । इस-लिए यह जो पालिसी एडाप्ट की गई है, यह एक सही पालिसी है और इसके लिए मैं इनको मुबारक-बाद देता हूं ।

अब हमको देखना यह है कि छोटे जमींदार, छोटे किसान, मार्जिनल किसान, छोटा दस्तकार, इनके लिए हमारी पालिसी में क्या होने जा रहा है । इनको हम कहां तक मदद कर सकते हैं । हमारी पालिसी इसमें कहां तक मददगार साबित हो रही है । इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । अनाज की पैदावार बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान जो खर्च करता है, उससे उसको कुछ आमदनी होनी चाहिए । यह पालिसी दुरुस्त है । लेकिन जहां तक कंज्यूमर का ताल्लुक है, उसका खयाल नहीं रखा जा रहा है । जैसाकि चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूयशन सिस्टम में और सुधार करने की आवश्यकता है ।

गरीब आदमी की परचेंजिंग पावर को बढ़ाना आवश्यक है । अगर गरीब आदमी वहां से खरीद कर खा नहीं सकता तो फिर इसका क्या फायदा है । इस ओर पूरी तवज्जह नहीं दी जा रही है । अनाज की कीमत बढ़ाने से वेज रेट बढ़ेगा । गवर्नमेंट सेक्टर का वेज रेट बढ़ेगा । हर जगह बढ़ेगा । अगर

हर फसल पर 20-30-40 रुपए बढ़ा दिया गया तो वेज रेट बढ़ता चला जाएगा । इसलिए इन बातों को बैलेंस करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

गवर्नमेंट के अन्दर एक स्ट्रक्चरल कमी और है । हमारा मानेटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है । पालिसी हम तय कर देते हैं लेकिन फील्ड में उसका क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई मानेटरिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है । अपनी जो पालिसीज हैं, उनसे असेसमेंट नहीं किया जाता । कई राज्यों में स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं । गुजरात जैसी प्रास्परस स्टेट को यह मालूम है कि कितने नए यूनिट खोले गए, कितना रुपया कर्ज दिया गया और कितनी फैसिलिटीज दी गई ? लेकिन उसके बाद मार्किटिंग आदि की कोई सूचना उनके पास नहीं होती है । नेशनल लेवल पर जो फीगर्स दी जाती है, उनमें मुझे तो अन्दाजा ही नजर आते हैं । उनमें रियल स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, जिसके जरिए वह फीगर्स तैयार होती हों । एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जो यह देखे कि कहां तक काम ठीक हो रहा है ? प्राइस कंट्रोल के बारे में भी कहना चाहूंगा ।

अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के लोग इन्फ्ल्युऐन्शियल आदमी के बारे में तो बहुत बातें करते हैं लेकिन कामन-मैन का कोई ख्याल नहीं रखता । पालिसीज का फायदा कामन-मैन को मिलना चाहिए । फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो ख्याल रखते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । एक बात और कहना चाहूंगा । आपने, जिस कन्सर्न का बीस लाख से ज्यादा टर्न-ओवर होगा, उसको चार्टेड अकाउन्टेन्ट से आडिट करवाना कम्पलसरी कर दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अब चालीस लाख हो गया है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : चार्टेड अकाउन्टेंट्स की तादाद इतनी कम है कि चालीस करके भी नहीं कर पायेंगे । हर साल आठ या दस परसेंट लड़के पास होते हैं । इसको कम्पलसरी बनाने से नुकसान ही होगा । कुछ लोग तो चालीस लाख से कम 'टर्न-ओवर' बताकर भी सैल्फ असेसमेंट करवा सकते हैं । आजकल के हालात में चार्टेड अकाउन्टेन्ट के खर्च को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है । इसलिए, चालीस लाख भी कम हैं । चार्टेड अकाउन्टेंट्स की तादाद कम है, इसलिए रिश्वत अधिक चलेगी । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी स्ट्रेथेन किया जाना चाहिए । यह देखना चाहिए कि जो पावर्टी लाईन के नीचे लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर जनरेट हो रही है या नहीं ? एग्रीकल्चरल सैक्टर में आपने नवार्ड बना दिया है । को-आपरेटिव्ज का फायदा रीच फार्मर्स को मिल रहा है जबकि गरीब फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा है । आपका डाइरेक्ट ताल्लुक नहीं है फिर भी आपसे इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा । क्रेडिट की ओर भी आपको तबज्जुह देने की जरूरत है । एक मेन बैंक आपने खोल दिया है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

को-आपरेटिव्ज का जहां तक ताल्लुक है, जब तक वे स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की कोई हैल्प नहीं करती हैं, तब तक उन को-आपरेटिव्ज का कोई फायदा नहीं है । अब तक कोआपरेटिव्ज का इसीलिए फायदा नहीं उठाया जा रहा है कि वह स्टेट सब्जैक्ट है और स्टेट्स पर बड़े जमींदार छाये हुये हैं । अब जनाब मैं दो तीन मोटी बातें कहना चाहता हूं । लेकिन हमारी जम्मू और कश्मीर स्टेट में रिफ्यूजी प्राब्लम 1947 से लेकर आज तक परसिस्ट करती चली आ रही है । वे सारे रिफ्यूजी बाहर से नहीं आये, बल्कि वे सब इंडियन सिटीजन हैं जो दो किस्म के हैं । कुछ तो

परमानैन्ट रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट हैं, कुछ 1947 के हैं और कुछ 1965 और 197: के हैं। लेकिन 1971 के बाद के जितने रिफ्यूजी हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट ने उनके साथ जिस तरह का एटीट्यूड किया, वह ठीक नहीं कहा जा सकता।

सैंट्रल सरकार की तरफ से उनको जो मदद मिली थी, वह रुपया भी वे खा बैठे हैं। मगर 1947 के रिफ्यूजीज को अब तक वास्तव में कोई मदद नहीं मिली और न उनको फाइनेन्श्यली या रिहैबिलिटेड करने के लिए मदद दी गई। कुछ समय पहले पार्लियामेंट में राज्य सभा की एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने सारी बनी थी, जिन्होंने सारी समस्या पर थौरोली विचार किया और रिकमैंड किया कि 1947 की जितनी ओरीजिनल फैमिलीज हैं, उनको बाहर हजार रुपया प्रति फैमिली के हिसाब से मदद दी जाए, लेकिन वह मंजूर नहीं हो सकी।

मैं मानता हूं कि यदि उनको 12 हजार रुपया न दिया जाता तो कुछ न कुछ अवश्य दिया जाना चाहिए था। क्यों आज तक वे स्टैब्लिश नहीं हो पाये हैं और जहां जहां उनको आबाद किया गया है, वे जगह बड़ी तंग हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। वैसे तो हमारी प्रधान मंत्री साहिबा वहां जा चुकी हैं और उन्होंने भी उस प्रौब्लम को एप्रीशियेट किया है लेकिन उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से 1971 वाले लोगों को तो अभी तक कोई जमीन भी नहीं मिली, उन्हें कैंप से उठा कर भगा दिया। पहले हमारी पौलिसी यह बनी थी कि जब तक इनको जमीन न मिल जाए और उस पर एक फसल ये न काट लें, तब तक इनको फैसलिटीज मिलती रहेंगी। किसी को नाले पर बिठा दिया गया, किसी को कहीं और बिठा दिया गया। लेकिन सही जमीन उनको कोई नहीं मिली। उन सबका बुरा हाल है। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मैं एक्स सर्विस मैन के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे हमारी स्टेट बड़ी बेकबर्ड है। जनाब, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप वहां रहे हैं। वे कुछ लोग काफी पहले जमाने के हैं, जिनको बिल्कुल कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। उनमें से थोड़े से रिजर्व के आदमी बिल्कुल बेकार हैं और बूढ़े हो गए हैं, मगर उनके पास कुछ काम करने को नहीं है। हमें उनको काम देने का, पेंशन देने पर विचार करना चाहिए। जब भी उनके पास जाओ तो वही प्रोब्लम्स वे बता देते हैं। इन एक्ससर्विस मैन की पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में काफी तादाद है। इसके अलावा कई दूसरी स्टेटस में भी ये काफी संख्या में हैं, जैसे बिहार है। आज इनकी प्रौब्लम्स को अच्छी तरह से स्टडी करके हल करने की जरूरत है। वरना आज सारे मुल्क में कहीं पर भी पीस नहीं रह सकती और हम ठीक से काम नहीं कर सकते जब तक कि इन एक्ससर्विसमैन को हम डिस-सैटिस्फाई रखेंगे, जो मुल्क के लिए अपने आपको कुर्बान करते हैं, उनके पीछे बीबी और छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं जिनके पास देखभाल करने वाला कोई बाकी नहीं रहता।

वैसे हमारे जितने एक्ससर्विसमैन बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने हों या स्टेट लेवल पर, आज उनके पास कोई ताकत नहीं रह गई है, जो पहले हुआ करती थी। उनके पास वक्त नहीं होता कि वे एक्ससर्विसमैन की कठिनाइयों को स्टडी करके उसका हल निकाल सकें, सिवाय इसके कि एक आदमी को नौकरी मिल जाती है, एक आफिसर होता है और दो-चार क्लर्क उसमें होते हैं। आजादी से पहले हम देखते थे कि घर घर में ये कैसे रह जाते थे। लेकिन आज फौजी दर-दर मारे फिर रहे हैं, उनका गुजारा नहीं होता। उनकी पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पीछे जो फैसला हुआ था, उस पर भी अभी तक अमल नहीं हो पाया है। अमल न होने का कारण यह भी

है कि वह फैसला ही ब्यूरोक्रेसी ने आगे चलने ही नहीं दिया है। और उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि यदि हमें मुल्क के अंदर सही मायनों में तरक्की पर भी हमें तवज्जुह देनी होगी। दोनों—एक्ससर्विसमैन और रिफ्यूजी—की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

यहां पर अग्रवाल साहब ने विदेशों में स्थित इण्डियन मिशन्स की कठिनाइयों का जिक्र किया। वैसे तो मुझे भी कई बार बाहर जाने का मौका मिला है, भले ही मैं बाकी दोस्तों की तरह कई बार न गया हूं। या तो आप हर मिशन को बन्द कर दीजिए अथवा तरीके से काम होने दीजिए। मैं मास्को में भी गया था, वहां पर जितनी गाड़ियां हैं, दो या तीन चलती हैं और उसका कारण यह है कि हमारा फाइनैंस डिपार्टमैंट उनकी रिपेयर के लिए सैंक्शन नहीं देता। गाड़ी के पुर्जे मंगाने की इजाजत नहीं है, जबकि टैक्सी में बेहद खर्च कर सकते हैं और उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती। इसी तरह से जी० डी० आर० में फर्स्ट सेक्रेटरी एक लेडी थी वह बेचारी हमको छोड़ने आयी तो बस में बैठ कर आयी और बस में ही वापस गई। इसी तरह से वियतनाम में डाक्टर नहीं है। हमारे मिशन के जो कर्मचारी हैं उनकी फैमिली में से एक आदमी 3 महीने के अन्दर इलाज कराने के लिए बेंगकाक जा सकता है। क्यों नहीं आप डाक्टर अपना वहां रखते? अगर आप मिशन खोलें तो पूरे जोर-शोर के साथ खोलिये।

आप डिफरेंट बोर्डस बनाते हैं, जैसे टीबोर्ड है, उस बोर्ड में दो एम० पी० ज० को छोड़ कर बाकी मेम्बरान को सरकार नौमीनेट करती है। आपको मालूम है कि अमृतसर सबसे बड़ा टी सेन्टर है खरीद फरोख्त का। लेकिन अमृतसर का कोई रिप्रजेन्टेटिव उस टी बोर्ड में नहीं है। मेरी मांग है कि अमृतसर को एक आदमी का नौमीनेशन मिलना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, वर्तमान सरकार का यह अन्तिम वित्त विधेयक है। अगर मैं देश के लोगों के विचार जानता हूं तो यह निश्चित है कि यह इस दल का अन्तिम वित्त विधेयक है।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी कल्पना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह वित्त विधेयक उन विभिन्न बजट प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिये है, जोकि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रस्तुत किये हैं। वास्तव में इन प्रस्तावों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उत्तेजित होऊं। बजट में, विशेष तौर पर पिछले चार वर्षों से न तो कोई नयापन आया है और न ही कोई परम्परा तोड़ी गई है और न कायम की गई है। ये प्रस्ताव बुनियादी तौर पर लेखा-जोखा मात्र हैं। इतना प्राप्त हुआ तथा इतना खर्च हुआ। अतः इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय तथा उस विधेयक पर चर्चा करते हुए जो इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिये लाया गया है हम अपनी अर्थ व्यवस्था एवं राजनीति की मोटी-मोटी प्रवृत्तियों पर बहस कर सकते हैं।

इस सरकार के सत्ता में आने के प्रथम वर्ष में ही इस सदन में बोलते हुए मैंने, भविष्य के बारे में निराशा व्यक्त की थी, इस सरकार के बने रहने तक के भविष्य के बारे में मैंने निराशा व्यक्त की थी। यह निराशा उस धारणा से पैदा हुई थी जोकि इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में प्रति-

पादित की थी। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी के प्रथम बजट भाषण से ही उन्होंने किसी न किसी को बलि का बकरा बनाने की चाल चलनी शुरू कर दी। हमारी अर्थ-व्यवस्था में तब और आज भी जो अंतर्विष्ट समस्याएं हैं उनके लिए उन्होंने बलि के बकरे की खोज शुरू कर दी थी यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा गया था। अगर आप मुझसे कहें कि राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा यह सिर्फ वर्तमान सरकार की नीतियों, विचारधारा तथा संदेशों की घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं था। सरकार ने राष्ट्रपति से भी संसद के संयुक्त सत्र एवं देश को यह कहने के लिए कहा कि दो वर्ष तीन महीने से जनता शासन के कारण सभी कुछ समाप्त हो गया है। और पिछले तीस वर्षों में किये गये सभी अच्छे कार्यों को इस जनता दल के व्यक्तियों ने नष्ट कर दिया है। वास्तव में, मैं उनके घोषणापत्र को अपनी जेब में रखता हूं क्योंकि यह उन आश्वासनों की निरन्तर याद दिलाता रहता है जोकि पूरे नहीं किये गये, कार्य निष्पादन भी नहीं किया गया है, आपने इतने अधिक आडम्बरपूर्ण जो वायदे किये थे वे भी पूरे नहीं किये। यह घोषणा-पत्र बहुत ही दिलचस्प कथन से शुरू हुआ था। सत्ताधारी दल के महत्वपूर्ण मामलों पर सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं, अथवा मैं कहूं कि जिसमें विचारों का अभाव है, यह कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

> "जनता दल के सत्ता में आने के साथ ही हमारी राज व्यवस्था गम्भीर खतरे में पड़ गई। स्वतंत्र भारत में पहली बार उत्तर दक्षिण विभाजित हुये। उत्तर से मिले बहुमत के आधार पर जनता दल जितने लम्बे समय तक शासन करता रहा..."

इसलिए, हम उत्तर के दल से थे

> "उतना ही अधिक वह न केवल दक्षिण से अपितु भारत के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों से भी अलग होता गया।"

मुझे आशा है कि इस बिडम्बना का प्रभाव कम से कम वित्त मंत्री पर तो नहीं पड़ा होगा। परन्तु इस बिडम्बना को भूल जाइये, इतिहास ने जो पलटा खाया है उसे भूल जाइये, क्योंकि अब आपने उत्तर एवं दक्षिण को एक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पर मैं आपको बता दूं कि प्रधान मंत्री जी फिर से उत्तर में निर्वाचन क्षेत्र की खोज में हैं। इसे भूल जाइये। उस समय जिस बात से मुझे चिन्ता थी और जिससे अभी भी मैं चिन्तित हूं वह है आपके कथन में अन्तर्निहित यह विचार कि आपने, सिर्फ आपने ही देशभक्ति का ठेका ले रखा है सारी बुद्धिमानी सिर्फ आपकी चेली है, इस देश को चलाने में सिर्फ आप ही सक्षम हैं। अगर यह देश अपनी जनता के विवेक से अपने शासन का दायित्व किसी अन्य दल को सौंपने का फैसला करता है तो यह हमारी राज्य व्यवस्था के लिए एक गम्भीर खतरा बन जाता है ?

अत; महोदय, उनकी पूर्वधारणाओं से मुझे आभास हुआ कि मैं उनके समक्ष यह ठोस मत प्रस्तुत करके उन्हें सावधान करूं और तत्कालीन वित्त मंत्री को इस बारे में बताऊं और मैंने सरकार से कहा : कृपया अपनी और हमारी गलतियों से कुछ सीखिए, क्योंकि हमने गलतियां की हैं। लेकिन उन गलतियों से कुछ सीखिए और बेकार की बातों में जाने का प्रयत्न नहीं कीजिए। इस देश की समस्यायें बहुत अधिक गंभीर हैं, ये उससे भी अधिक बड़ी है, जितना कि हम एक दूसरे के कार्य करने का दोष लगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन महोदय, चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने इससे इंकार कर दिया।

अब वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट हमारे समक्ष है। वित्त मंत्री आंकड़े देने में बहुत कुशल हैं। वास्तव में इस तरह के खेल के कुशल कारीगर हैं। अतः हमारे समक्ष आज ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें लोगों को कहा गया है कि स्थिति पहले इतनी अच्छी कभी नहीं थी और वे कुछ और अच्छा करने जा रहे है। महोदय, मैं ऐसे जगह में नहीं था जहां समाचार पत्र भी उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः मैं दो दिन पहले कलकत्ता में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट का उदाहरण देता हूं जिसमें उन्होंने खाद्यान्नों के आंकड़े 147 मिलियन टन तक पहुंचा दिए हैं। उन्हें यह आंकड़े कहां से प्राप्त हुए, उससे सचमुच मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि दो महीने से भी कम अवधि में वे 1420 लाख टन से 1450 लाख टन पर पहुंच गए हैं और अब वह कहते हैं कि यह 1470 लाख टन है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और आज सुबह 1490 लाख टन कह रहे थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, अब वे आंकड़े 1490 लाख टन तक पहुंच गये हैं। अतः आंकड़ों के सम्बन्ध में काफी कागजी काम हो रहा है। आँकड़े हैं। ये आंकड़े मुख्यतः चुनाव के आंकड़े हैं। आँकड़ों को इससे कुछ लेना देना नहीं कि वास्तव में हम देश में कितना उत्पादन करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने इस तरह का लक्ष्य निर्धारण देखा है, कार्य-निष्पादन नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप स्वयं वर्तमान पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा का अवलोकन करें तो आप पायेंगे कि प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। वित्त मंत्री जो आंकड़े देने में विशेषज्ञ हैं हमें पुनः बता रहे हैं कि हमारी विकास दर 5.4% रही है जो कभी कभी 5.2% हो जाती है। तब निश्चय ही वह लोगों को यह कहकर प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वह विकास दर को 7% तक पहुंचाने में समर्थ हैं।

अतः मुझे विश्वास है कि उन्हें विकास दर 70% तक, 10% तक पहुंचानी चाहिए। क्यों नहीं ? लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जब आपने इसकी दर 5.2% और 5.4% बतायी है, तो आपने आधार वर्ष क्या माना है, जिस पर आप निर्भर कर रहे हैं। आपने 1979-80 को आधार वर्ष माना है जबकि भारी सूखा पड़ा था। निश्चिय ही, तब आपने यह मानने से इंकार कर दिया ; आपने कहा कि सूखा नहीं पड़ा था, अपितु इसके लिए जनता सरकार जिम्मेदार है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जब आपके अर्थ शास्त्री और कापीराइटर भी काम में जुट रहे हैं और राजनीतिज्ञ पीछे धकेल दिए गए हैं, सभी 1979-80 के सूखे की बात कर रहे हैं।

विश्व बैंक ने इस बारे में कहा है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बारे में हमेशा बताती है, लेकिन अब आपने भी अपने दस्तावेजों, जिसमें 'आर्थिक सर्वेक्षण' (इकोनॉमिक रिव्यू) आदि भी शामिल हैं, में इस बारे में कहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि विकास दर की बात करते समय आप 1979-80 के आंकड़े दे रहे हैं और मैं कहूं कि आप लोगों को धोखा देने और आत्मसंतोष का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी महान उपलब्धियां रही है। इससे हमें वास्तविक उपलब्धि का पता नहीं चलता। आप संभवतः उस वर्ष की बात नहीं कर सकते जबकि कार्य निष्पादन काफी खराब था। यह मान लेने पर भी कि यह राजनैतिक तौर पर प्रेरित कार्य-निष्पादन था, हम मान लेते हैं कि सूखे का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, औद्योगिक उत्पादन में कमी आने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, अपितु यह सब जनता पार्टी द्वारा किया गया था, एक क्षण के लिए हम ऐसा मान भी लें फिर भी मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या देश की जनता या इस मामले में किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो यह

आपका तात्पर्य समझने में समर्थ है, निरन्तुर ये आंकड़े रखना और यह कहना उचित है कि विकास दर 5.2'/. या 5.4'/. होने जा रही है? लेकिन वास्तव में यदि आप पिछले आंकड़े देखें, यदि आप हमारी अर्थ व्यवस्था की समूची विकास दर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी विकास दर केवल 3.5'/. अतः चाहे जनता सरकार हो या कांग्रेस (आई.) सरकार, इस देश का कार्य निष्पादन समान ही है जितना पहले था।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा कार्य निष्पादन अच्छा हो और इससे वित्त मंत्री को भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितनी चिंता विपक्ष के हम सभी सदस्यों को है। मुझे समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री को इतना आत्मसंतोष क्यों है; किसी मानदंड से अपनी सरकार के कार्य निष्पादन का अनुमान लगाकर उन्हें इतनी खुशी क्यों है। मैं यह वित्त मंत्री पर छोड़ता हूं कि वह ऐसे मानदंड का निर्धारण करें जिससे वह यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जनता आज किस तरह का जीवन बिता रही है। मेरे विचार में आज की स्थिति 20 वर्ष पूर्व की स्थिति की अपेक्षा

3.00 म० प०

काफी खराब है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में विशेष उत्तर दें। मैं उन्हें कुछ आंकड़े दूंगा; चूंकि वह आंकड़े देखकर खुशी अनुभव करते हैं और कभी कभी मुझे भी खुशी होती है; मैं उन्हें प्रभावित करने के लिए एक दो आंकड़े दूंगा। मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण पर आता हूं। मैं अपने दल या किसी अन्य विपक्षी संगठन द्वारा दिए गए आंकड़े प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं। मैं आर्थिक सर्वेक्षण की बात कह रहा हूं:

"1961 में लोगों को प्रति व्यक्ति 468 ग्राम अनाज उपलब्ध था।"

वित्त मंत्री तथा सतारुढ़ दल की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 69 ग्राम दालें भी शामिल थीं। यदि कोई व्यक्ति दालों की महत्ता समझता है, कम से कम प्रो० रंगा इसे समझेंगे, कि यह हमारे लोगों के लिए प्रोटीन है और प्रोटीन का अर्थ है—दिमाग, मांसपेशियां तथा शारिरिक और मानसिक शक्ति। ये 1961 के आंकड़े हैं। जनता शासन के दो वर्ष के बुरे शासन के दौरान, 1978 में भी, लोगों को 467 ग्राम अनाज उपलब्ध था जिसमें 45 ग्राम दालें भी शामिल थीं तथा 1979 में उन्हें 476 ग्राम अनाज मिलता था जिसमें दालों की मात्रा 44-45 ग्राम थी। यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण के नवीनतम वर्ष के लिए पेश किए आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति यह मात्रा कम होकर 430 ग्राम रह गयी है जिसमें दाल की मात्रा 38 ग्राम है। आप जीवन-स्तर देखिए, आप कार्य निस्पादन का अनुमान कैसे लगायेंगे? आंकड़े भोजन नहीं हैं। आंकड़ों से पेट नहीं भरता। आप कहते हैं 45% या 5·4% है। इससे कुछ नहीं होता। लोगों को जो कुछ उपलब्ध था उसकी मात्रा कम हो गयी है और भोजन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भोजन सबसे आवश्यक वस्तु है जिसके लिए इस देश के गरीब लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिस पर सरकार गौरव महसूस कर सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर कोई गर्व महसूस कर सके क्योंकि हम अपने लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पिछले 20 से अधिक वर्षों में विशेषतौर से दालों में तीव्र कमी आई है। केवल खाद्यान्नों से ही इसका निर्णय नहीं हो जाता।

मैं विश्व विकास प्रतिवेदन (वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट) में दिए गए आंकड़े दे रहा था—जिसके बारे में वित्त मंत्री को मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि विश्व बैंक ये आंकड़े तैयार करता

है और इस प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे देश के व्यक्तियों को कितनी कैलोरी उपलब्ध हैं। इस बात को देखने का यह दूसरा तरीका है कि हमारे देश की जनता को कैसा कितना भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वास्तव में वे कैसे जी रहे हैं। विश्व विकास प्रतिवेदन में देशों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऐसे देश जहां बाजार नहीं है, जिसे मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था मानता हूं।

तत्पश्चात वे देश हैं जहां बड़े बड़े बाजार हैं जिन्हें मैं पश्चिमी औद्योगिक शक्तियां कहता हूं। तीसरे मध्यम आय वाले देश हैं। इसकी अच्छी परिभाषा वित्त मंत्री ही दे सकेंगे। तत्पश्चात् निर्धन देश हैं। इस तरह चार श्रेणियां हैं। मुझे पांचवीं श्रेणी बनानी होगी और वह है—भारत। जब आप विशेष रूप से लोगों के जीवन स्तर की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भारत से है। यदि जीवन स्तर की परख लोगों द्वारा खाये जाने वाले भोजन में कैलोरी की मात्रा से किया जा रहा है तो विश्व बैंक के 1983 के प्रतिवेदन के अनुसार :

> "वह अर्थ-व्यवस्था जहां बाजार नहीं है, प्रति व्यक्ति 3412 कैलोरी प्रतिदिन उपलब्ध कराती है, बड़ी मंडियों वाले देश प्रति व्यक्ति 3433 कैलोरी प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं, मध्यम आय वाले देश प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2579 कैलोरी और निर्धन देश प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2218 कैलोरी उपलब्ध कराते हैं और भारत में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 1880 कैलोरी मिलती है।"

यह स्वयं ही पृथक श्रेणी है।

महोदय, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन मामलों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। यह 1880 कैलोरी उस कैलोरी का 75% है जो कि एक सेहतमंद आदमी के लिए, जिसे प्रति दिन 8 घंटे काम करना पड़ता है, जरूरी है। यही वास्तविकता है। आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जिनके लोगों की अपनी समस्याएं हैं, को ही लीजिए।

जबकि हमारी कैलोरी उपलब्धता 1969-71 से 1980 तक स्थिर बनी रही है, कैलोरी की खपत स्थिर रही, यह देश ऐसा है जहां लोग समान हैं, और इस देश की संस्कृति पृष्ठभूमि और सब कुछ समान है। 1969-71 और 1980 के बीच, वे कैलोरी की खपत 2,192 से बढ़ाकर 2,270 तक बढ़ा पाये जिससे कम से कम वह निर्धन देश की श्रेणी में आ गए जबकि हमारा देश अपनी जनता की भोजन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के मामले में भी एक अपवाद बना रहा। हम यह देखने के लिए कि हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, आंकड़ों पर पुनः नजर डालते हैं। मंत्री महोदय मैं पुनः आर्थिक सर्वेक्षण पर आता हूं। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय देखिए।

मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें समय लगता है और मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं अपना मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं। 1978-79 का वर्ष खराब था, जबकि देश की सरकार खराब थी। लेकिन आपके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1979-80 में प्रति व्यक्ति आय 714·9 रुपये थी और 1982-83 में, इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण ने नवीनतम आंकड़े दिए, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 712·1 रुपये थी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसका कारण यह है कि जनसंख्या अधिक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं वह मानता हूं । ये आँकड़े लोगों की समझ से बाहर हैं और मैं वित्त मंत्री को परेशानी में डालने के उद्देश्य से ये नहीं बता रहा हूं। इसके विपरीत, मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आप हमें आंकड़े दे रहे हैं और हम उनके आधार पर आपकी आलोचना करते हैं। किन्तु हो कुछ भी नहीं रहा है । लोग जहां थे, वहीं आज भी हैं । वास्तव में, लोगों के जीवन स्तर में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, प्रति व्यक्ति आय में, और इस देश के विकास के लिए 8 घंटे अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम शरीर बनाए रखने के लिए जितनी कैलोरियों की खपत एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसमें गिरावट आयी है ।

श्रीमन्, हम जहां थे, वहीं हैं । आप हमें बताते हैं कि पहले भी कुछ अच्छा नहीं था । और चूंकि वित्त मंत्री आँकड़ों को देख रहे हैं, मैं भी इस पर गौर करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े की कितनी मात्रा सुलभ है । यह भी एक मापदंड है जिसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि लोगों के पास क्या है, लोग कैसे जीवन-निर्वाह कर रहे हैं और उनकी स्थिति कैसी है । वित्त मंत्रीजी, यदि आप 1961-62 की स्थिति देखें तो पाएंगे कि एक औसत भारतीय या एक भारतीय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़े की औसत मात्रा 15 मीटर थी । शायद, यह 16 मीटर थी । और जनता शासन के $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान कपड़े की औसत मात्रा 15 मीटर थी । और 4 शानदार वर्षों के बाद आपने इसे मिलाकर 13.5 मीटर कर दिया है । अतः कौन सा ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आपने वायदों को पूरा करने में महान प्रगति प्राप्त की है । आप के पास जो आँकड़े हैं, उनके बारे में आप बता नहीं रहे हैं। आप उनको पुस्तक में छिपा लेते हैं। आपने उनकी एक बड़ी पुस्तक बना ली है। प्रत्येक क्षेत्र को देखो। आपकी सरकार के चार वर्ष और योजना के तीन वर्षों के आंकड़े आपने हमें बताए हैं । आपने 1980-81 में 1350 लाख टन खाद्यान्न पैदा करने का दावा किया । यह आपका वायदा था । आपने 1290 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न किया था । मैं जानता हूं, आप बहाने बनायेंगे। निस्संदेह आप, इन्द्र को दोषी ठहरायेंगे । आप कहेंगे, "वर्षा नहीं हुई, हम क्या कर सकते थे ?" यह एक पुराना और घिसापिटा चुटकुला है ।

1981-82 में, आपने अपना लक्ष्य 1385 लाख टन रखा, जबकि उत्पादन केवल 1330 लाख टन हुआ था । 1982-83 में, आपने अपना लक्ष्य बढ़ाकर 1415 लाख टन रखा जबकि उत्पादन केवल 1260 लाख टन हुआ था। एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपके लक्ष्य में और कार्य में इतना अंतर है कि आप इस क्षेत्र में बुरी तरह से विफल रहे। आप यह कहकर कि "हम इतना उत्पादन करना चाहते थे और इतना नहीं कर सकें । हमारी सरकार विफल रही।" अपनी विफलता मानने को तैयार नहीं है। आप इस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 'विफलता' शब्द आपके शब्दकोष से बाहर का शब्द है। आपके शब्दकोष में यह शब्द नहीं है, आप इस शब्द को मिटाना चाहते हैं। 'विफलता' शब्द आपके शब्दकोष में नहीं है ।

ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । यह ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें जब तक आप कार्य नहीं करते हैं, तब तक इस देश में कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। आपने वायदा किया कि 1980 और 1983 के बीच हम 9,381 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता बना लेंगे किन्तु आपकी उपलब्धि केवल 7,058 मेगावाट थी, अर्थात 25 प्रतिशत की कमी रही। किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में, किसी दूसरे समाज में ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी लोगों को सरकार से बाहर फेंक दिया जाता

है। यहां, उनको पदोन्नत किया जाता है, यहां उनके कार्य की प्रशंसा की जाती है। आपने ऊर्जा की अमुक मात्रा उत्पन्न करने का वायदा किया। आप इस क्षेत्र में भी विफल रहे।

वास्तव में, मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ था कि चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण अथवा आपका सरकारी दस्तावेज बताता है कि वर्ष 1984-85 में अर्थात जो हमारा अन्तिम वर्ष है और जिसके लिए आप वित्त विधेयक के माध्यम से इस सभा की मंजूरी प्राप्त कर रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि, "हमने 191 बिलियन यूनिट का वायदा किया किन्तु हम 170 यूनिट ही देंगे"। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि सरकार हमसे कहती है, "हमारा लक्ष्य वर्ष 1984-85 के लिए 191 बिलियन यूनिट है किन्तु हमारी उपलब्धि 170 बिलियन यूनिट होगी।"

मैं संसार में ऐसी किसी और सरकार के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो इस प्रकार की बातों में लिप्त हो, आंकड़ों का चालाकी से प्रयोग कर रही हो या कार्य-क्षेत्र में अपनी सफलता की भ्रांति पर गर्व अनुभव कर रही हो।

एक और क्षेत्र को लीजिए। मैं अपने निवेदन में इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि हम देश में निर्धनता और निर्धन लोगों की समस्याओं से विशेषकर खाद्य क्षेत्र में निपटने में विफल रहे हैं। उन्होंने वायदा किया कि अधिकाधिक संख्या में पंपों को बिजली दी जाएगी ताकि किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हो सके। 1980-81 में 4,10,000 पंपों को बिजली देने का आपका लक्ष्य था और आपकी उपलब्धि 3,64,000 की रही। 1981-82 में, आपका लक्ष्य 4,25,000 था और आपकी उपलब्धि 3,25,000 थी—वायदा ऊंचा से ऊंचा और कार्य निष्पादन कम से कम—और 1982-83 में, आपका वायदा 4,30,000 का था और आपका कार्य निष्पादन 3,01,000 था। यह कम ही होता गया। किसी और बात में भी मैंने सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देखी है।

सिंचाई को ही लीजिए। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सम्बन्ध ग्रामीण निर्धन किसान से है। आपका लक्ष्य था कि 57 लाख हेक्टेयर भूमि को बड़ी और मझोली सिंचाई योजना के अधीन लाया जायेगा और चार वर्षों में आपकी उपलब्धि केवल 35 लाख हैक्टेयर रही। शेष एक वर्ष में आप अधिक से अधिक 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की परिधि में ले आयेंगे। वैसे मुझे इसके बारे में भी विश्वास नहीं है।

लघु सिंचाई क्षेत्र में भी स्थिति बुरी है। बड़ी तथा मझोली सिंचाई की तुलना में लघु सिंचाई में छोटे से छोटे आदमी का भी सम्बन्ध है। आपका वायदा 80 लाख हेक्टेयर का था और आपकी उपलब्धि चार वर्षों में 56.4 लाख हैक्टेयर है। शेष वर्ष में, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है।

तब हम कहां हैं? जन गणना के नए आंकड़ों पर आपको गर्व है कि शहरीकरण बढ़ रहा है।

नांदेड़ मराठवाड़ा का एक छोटा सा कस्बा है जहां से सत्तारूढ़ पक्ष के बहुत विख्यात व्यक्ति माननीय योजना मंत्री, श्री एस० बी० चव्हाण आए हैं। उसे छोटे से कस्बे में शायद ही कोई उद्योग आदि हो। कल और परसों वहां कामगारों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक मुद्दा यह उभर कर आया था कि कामगारों के लिए आवास की व्यवस्था। क्या आप जानते हैं कि योजना मंत्री

के जन्म स्थान नांदेड़ कस्बे में भूमि किस दर पर बेची जा रही है ? नांदेड़ में आज भूमि 2000 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से बेची जा रही है अर्थात एक करोड़ रु० प्रति एकड़ ?

किन्तु माननीय वित्त मंत्री को इस अधिक मूल्य पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है। यह इसलिए है कि दिल्ली में भूमि का अधिक मूल्य है। दिल्ली में, आपकी सरकार 70,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि बेच रही है।

यदि आपको इस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता है कि दिल्ली में भूमि 70,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से बेची जा रही है, तब हम आपसे कुछ भी नहीं कह सकते ?

सरकार की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 210 लाख मकान बनाए जाने हैं। मैं सरकार के इस आंकडे का खंडन करता हूं।

मेरे विचार से इस देश के निर्धन लोगों के लिए कम से कम 300 लाख मकान बनाये जाने की आवश्यकता है।

भूमि के अधिक मूल्य के होते हुए, इस देश के निर्धन व्यक्ति के लिए मकान पाने की क्या आशा रह जाती है ? दिल्ली, नांदेड़ और बम्बई में भूमि का मूल्य और ऊंचा तथा बदतर होता जा रहा है, फिर उनके लिए मकान बनाने की क्या आशा रह जाती है ? यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि का मूल्य कम नहीं है। इसलिए, निर्धन आदमी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनाने की क्या आशा रह जाती है ? इस बारे में उनके लिए पूर्णत: निराशा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आप ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे सार्वजनिक सभा में बोल रहे हों।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि आप सार्वजनिक सभाओं में मेरा भाषण सुनना चाहते हैं तो मैं सदैव आपको अपना कार्यक्रम भेज दिया करूंगा। आप आ सकते हैं। तब आप समझेंगे कि सार्वजनिक सभाएं कैसे होती हैं। यह समझना आपकी समझ से बाहर की बात है।

प्रो० मधु दंडवते : इससे केवल यह पता चलता है कि सार्वजनिक सभाओं में भी हमारे भाषण शिक्षाप्रद होते हैं ?

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : हाल ही में श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री बीजू पटनायक ने सभा को बताया था कि पाकिस्तान का हमारे प्रति बहुत ही दोस्ताना रवैया है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं पाकिस्तान और आपसे दोनों से निपट लूंगा ?

(व्यवधान)

अब मैं सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों और विफलताओं तथा वायदे और पूरे किए गए वायदों पर चर्चा करूंगा; मूल्यों को लीजिए। सत्तारूढ़ दल का चुनाव घोषणा-पत्र बहुत रोचक था। उन्होंने कहा कि 1975-76 तक उनके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप मूल्य स्थिर थे और औद्योगिक

उत्पादन भी बहुत अधिक था किन्तु उसके बाद जनता शासन आया और परिणामतः कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि शुरू हो गयी । मैं नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री किस विडम्बना में फंस गये हैं । माननीय वित्त मंत्री के लिए मैं फिर से आंकड़े उद्धृत करना नहीं चाहता हूं । उसके पास भी थोक मूल्य सूचकांक है । आप उन्हें देखिए और हमें यह बताइए कि कीमतों से निपटने में आपकी सरकार कितनी कुशल रही है ।

ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां थोक के भाव लगभग दो गुने हो गये है और जहां तक खुदरा मूल्य का संबंध है, वे हर दो वर्ष बाद या । वर्ष बाद दोगुने हो जाते हैं । परन्तु आपको उसकी कोई चिंता नहीं है । ये बातें सरकार को परेशान नहीं करती हैं । मूल्य-स्तर को नियंत्रित करने में आप असफल रहे हैं और मूल्यों को स्थिर बनाए रखने में आपकी असफलता आज देश में गरीब को पूर्ण अभावग्रस्तता की ओर धकेल रही है । इसमें कई बातें आपकी पकड़ में भी नहीं आई हैं । आपके बजट में, आपके उन वित्तीय प्रस्तावों में, जिनके बारे में आज आप स्वीकृति चाहते हैं, कीमतों को नियंत्रित करने की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं दिखाई देती है ।

तीसरा क्षेत्र है, बेरोजगारी का जिसमें वायदों को पूरा नहीं किया गया है । आप अपने चुनाव घोषणा-पत्र में अभी भी उसके लिए हमें दोष देते हैं कि हम किस प्रकार न केवल बेरोजगारी की समस्या को ही हल करने में असफल रहे हैं बल्कि हम देश में बेरोजगारी की समस्या को और तीव्र बना रहे थे । मैं आपसे केवल अपने आर्थिक सर्वेक्षण को एक बार फिर देख लेने के लिए कहूंगा । 1979 में, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 143.30 लाख थी ।

वित्त मंत्री महोदय आपने इसमें सफलतापूर्वक अस्सी लाख की संख्या और जोड़ दी और 1983 में यह संख्या 220 लाख हो गई । परन्तु दुःख और भयावह बात यह है कि कुछ बहुत ही परेशानी वाली बात हो रही है । अब अधिसूचित रिक्तियों में निश्चय ही गिरावट आई है । सरकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार 1982 में, 820,000 अधिसूचित रिक्तियां थीं । जो कि 1981 में अधिसूचित रिक्तियों की अपेक्षा 8.4 प्रतिशत कम हैं और 1982 में नियोजन 474,000 था जो कि उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत कम था । अतः, बेरोजगारों के लिए आशा की कोई किरण नहीं है ।

मैंने इस सभा में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था जो इस प्रकार था : "(क) उन मैट्रिक, कालिज और विश्व-विद्यालयों में शिक्षित छात्रों की संख्या क्या है, जो वर्ष 1983 में रोजगार की तलाश करेंगे; और (ख) और उन नौकरियों की संख्या क्या होगी जिन्हें सरकार देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 1983 में सृजित करेगी ।" प्रश्न का उत्तर गत वर्ष 17 अगस्त को दिया गया था । उत्तर यह था कि "वर्ष 1983 में 40 लाख छात्र हाई स्कूल, कालिजों और विश्व-विद्यालयों से निकलेंगे और सरकार यह बताने में असमर्थ है कि कितने पद सृजित किए जा सकेंगे ।"

अपने कार्य निष्पादन के चौथे वर्ष के अन्त में और अपनी सरकार के इस अन्तिम वर्ष में जबकि आपने इस देश के इतिहास में कांग्रेस (इ) सरकार का अन्तिम वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां पर हर क्षेत्र में गिरावट आई है और इस गिरावट के साथ-साथ इस सरकार का हेर-फेर में फंसना चिंता का विषय बन गया है ।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करता हूं और वह है इस देश में आयात-निर्यात

व्यापार । मैं पृष्ठ 67 की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान खींचता हूं, क्योंकि उन्हें बहुत से उत्तर देने हैं । वर्ष 1981-82 और 1982-83 के बीच इस देश के निर्यात में गिरावट आई है, जबकि आप हमें यह बताते हैं कि निर्यात में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान और इस सभा का विशेषकर निर्यात के उन क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जहां हमारा तैयार माल बाहर भेजा जाता है और उन बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों की ओर भी ध्यान दिलाता हूं जिनका कि सभा को पता होना चाहिए । 1981-82 में 850 करोड़ रुपये के इन्जिनियरिंग माल का निर्यात हुआ और 1982-83 में निर्यात घटकर 786 करोड़ रुपये रह गया, रसायन और सहायक उत्पादों का निर्यात 364 करोड़ रुपये से घटकर 308 करोड़ रुपये रह गया. सूती कपड़ों का निर्यात 294 करोड़ से घटकर 265 करोड़ रुपये रह गया । इस्पात और लोहे का 79 करोड़ से घटकर 55 करोड़ रुपए रह गया । पटसन उत्पादों का 257 करोड़ से घटकर 202 करोड़ रह गया । चमड़ा और चमड़े से बने सामान का निर्यात 405 करोड़ रुपए से घटकर 371 करोड़ रुपए रह गया । सिले-सिलाये कपड़ों का 595 करोड़ रुपए से घटकर 527 करोड़ रुपए रह गया ।

अतः, वर्ष दर वर्ष देश गिरावट की ओर जा रहा है । वास्तव में वह हमें बतायेंगे कि वृद्धि हुई है । वृद्धि भला कैसे हुई है ? इसी से तो मुझे वह भयानक बात सूझती है कि इस देश को अब कच्चे तेल का निर्यात करने को कहा जाता है । हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे हैं जो कि एक ऐसा संसाधन है जो नवीकरण नहीं हो सकता है । हर व्यक्ति तेल सुरक्षित रखना चाहता है, अमेरिका वालों को ही देखिए, वे अपने तेल को बाहर नहीं निकाल रहे हैं और थोड़ी-सी मात्रा लेकर शेष को बचाए हुए हैं । वे अरब देशों के भण्डारों को सुखाना चाहते है । और अपने तेल संसाधन को सुरक्षित रखे हुए हैं । एक हम है—एक गरीब देश जिसे अभी-अभी कुछ तेल मिला है और यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम इसका शोधन भी करने में असमर्थ हैं ।

यदि आप इसे साफ नहीं कर सकते हैं तो इसका दोहन भी मत कीजिए । इस तेल को निकालने और फिर उसे यूरोप एवं पश्चिम देशों के बाजारों या फिर अमरीका में बेचने से क्या लाभ है ? यह कोई नवीकरण करने योग्य संसाधन तो है नहीं । जिस तरह से हम अपने तेल का दोहन कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, उस तरह से तो हम देश की भावी पीढ़ियों को पूर्णतः ठग रहे हैं । मुझे निश्चित रूप से इस बात की चिन्ता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्यातों में गिरावट हुई है ।

मुझे पता है कि वित्त मन्त्री महोदय मुझे अचानक यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह रुपये हैं और निर्यात का हिसाब डालरों में किया जाता है, जिसमें कि डालर के मुकाबले रुपये की कीमत दिन प्रति-दिन गिरती जा रही है । इसमें भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की यह शर्त है कि हमारे रुपये का अवमूल्यन सभा के समक्ष किसी प्रकार के औपचारिक अवमूल्यन प्रस्ताव को लाए बिना किया जाना चाहिए । एक ओर तो आप इस प्रकार अपनी निर्यात नीति से निपट रहे हैं और दूसरी ओर तेल निर्यात कर शेष भुगतान और व्यापार सन्तुलन स्थिति में अन्तर को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि तेल ऐसी वस्तु है जिसकी कि आवश्यकता है, जिसको बचाकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री महोदय, तुलनात्मक दृष्टि से भी, निर्यात के क्षेत्र में हम ह्रास की ओर जा रहे हैं। 1970 में हमारे पास विश्व-निर्यात बाजार का 0.64% था और आज यह घटकर 0.1% रह गया

है। निष्पत्ति के मामले में हम कहां हैं ? इसमें तो पूर्ण ह्रास है। गत तीन वर्षों में गिरावट तथ्यात्मक है। आज यह 0.4% से भी नीचे है।

महोदय, साथ ही विदेशी ऋण की मात्रा देखिये, जिसका हम आसरा ले रहे हैं। जैसाकि मैं बता चुका हूं वित्त मंत्री महोदय बड़े चतुर हैं। वह बड़े दक्ष हैं और जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं उनकी दक्षता की सराहना करता हूं। परन्तु जब आप हमें यह समझाते हैं कि भुगतान शेष की स्थिति इतनी बुरी नहीं है तो आपका मन्तव्य यह होता है कि आप तथ्य को दबा रहे हैं कि आप विदेशी ऋण ले रहे हैं; जो देश के इतिहास में अभूतपूर्व बात है। गत चार वर्षों के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋणों सहित विदेशी ऋण 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और सबसे बुरी तथा भयावह बात तो यह है कि आज आप यूरोपीय डालर बाजार में, ब्याज की इतनी ऊंची दरों पर ऋण ले रहे हैं जो कि इस देश के बस की बात नहीं है। आप इस देश के भविष्य को कई प्रकार से गिरवी रख रहे हैं।

साथ ही आप अरब देशों में रहने वाले गरीब भारतीय मजदूरों तथा यूरोप और अमरीका जहां कहीं भी विदेशों में भारतीय हैं, उनकी कमाई का उपयोग कर रहे हैं—मैं अनिवासी भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं—नहीं, अनिवासी भारतीय तो कीप हैं केवल। वे उस धन को भेजते हैं जो यहां से जाता है और जब वह वापिस आता है तो वह परिवर्तित हो जाता है। मैं अनिवासी भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केरल, पंजाब, बंगाल और देश के सभी भागों के उन गरीब मजदूरों की बात कर रहा हूं जो कि विदेशों में जाते हैं और जो हवाई-अड्डों, होटलों, जलयानों, खानों में काम करते हैं और उस रुपये से आज आप यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी भुगतान शेष की स्थिति, आपकी व्यापार सन्तुलन की स्थिति और आपकी समग्र विदेशी-मुद्रा स्थिति बुरी नहीं है। वित्त मंत्री महोदय जिस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा ही धोखा होता है।

महोदय, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि गत चार वर्षों के दौरान यह सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है और विशेषरूप से आर्थिक मोर्चे पर इसकी असफलता अब उजागर हो रही है या आर्थिक मोर्चे पर असफलता अब राजनीतिक मोर्चे पर भी उजागर हो रही है। आर्थिक मोर्चे पर असफलता सदैव छुपाई नहीं जा सकती है और आर्थिक असफलता को छुपाने तथा सामाजिक समस्याओं से जुझने का एकमात्र मार्ग लोगों का ध्यान राजनैतिक समस्याओं की ओर मोड़ना है (व्यवधान)

महोदय, आर्थिक मोर्चे की इन असफलताओं को छुपाने के लिए, सरकार अब राजनीतिक समस्याएं पैदा करके ध्यान बंटाने के हथकण्डें अपना रही है और ये राजनीतिक समस्याएं आज देश की अखण्डता के मूल में ही कुठाराघात कर रही हैं।

महोदय मेरा यही कहना है और मैं इस सरकार पर राष्ट्र को विघटित करने का दोषारोपण करता हूं। आप अखण्डता की बात कर रहे हैं लेकिन आज आपका प्रत्येक कदम अक्षरशः देश को अधिकाधिक टुकड़े-टुकड़े करने की ओर धकेल रहा है फिर चाहे वह कश्मीर हो या पंजाब या बंगाल अथवा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध हों। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस सरकार के कार्यकलापों की सही समीक्षा करें, तथा देखें उन्होंने क्या वचन दिये थे और उन्हें कैसे पूरा किया है।

महोदय, एक और समस्या जिसके बारे में भी यह सरकार ध्यान पलटने के हथकण्डे अपना रही है और वह है पड़ौसी देशों से हमारे सम्बन्ध। दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य, पाकिस्तान के मेरे भ्रमण के बारे में वक्तव्य देने के लिए उठ खड़े हुए थे। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यहां तक कि उन लोगों द्वारा भी मेरी देशभक्ति पर सन्देह किया गया है जिनके लिए मैं वैसा ही तो नहीं कहना चाहता हूं, तथापि किसी की देशभक्ति पर उंगली उठाने से उनकी ही देशभक्ति पर सन्देह किया जा सकता है।

महोदय, सदन के भीतर और बाहर बहुत सी बातें कही गई हैं। इस वर्ष हम कुल मिलाकर सुरक्षा पर 7,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के अपने दो देशों के बीच हम सुरक्षा पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने सम्बन्धों को विप्लवकारी होने चाहिये। मैं उनमें से भी नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के ऊपर हावी होना चाहिये।

महोदय, मैं विशेषरूप से उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा जो इस सभा में और बाहर मेरी देशभक्ति पर ऊंगली उठा रहे हैं कि जब 1965 में कंजरकोट, चाड़बेट और धारा बेन्नी उसी दल द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे थे जो कि अब सत्तारूढ़ है तो मैंने विरोध किया था। आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, ताकि वे इन क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे सकें।

आज मुझे उन लोगों द्वारा अपनी देश भक्ति को साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जिन्होंने अपनी भूमि पाकिस्तान को दी। उन्हें इतिहास को याद करना चाहिए। 1958 में जब चीन के साथ हमारे मंत्री संबंध काफी अच्छे थे, इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दफा नहीं चार पत्र चाऊ-एन-लाई को लिखे थे और यह बात स्वेत-पत्र में भी कही गई है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज की देश भक्ति के लिए चीन सरकार से खेद-प्रकट किया गया था, और आज कुछ निन्दक तत्व मेरी देशभक्ति के बारे में उंगली उठा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, शान्ति होनी चाहिए और जो पैसा हथियारों पर खर्च हो रहा है उसे पीने के पानी, विकास कार्यों, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए खर्च किया जाये तो आप उस व्यक्ति की देशभक्ति को ही चुनौती देते है, आप युद्ध और शान्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

मैं कहता हूं कि उनके चाचा पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह बात कह रहा हूं हम दो देश ऐसे हैं, जिनमें काफी समानता है। कुछ दिन पहले मेरी श्री नूर उसमान, जो कि पाकिस्तान की रक्षा संबंधी युद्ध नीति के अध्ययन संस्थान, के निदेशक हैं से बातचीत हुई थी, वह युद्ध नीति संबंधी अध्ययन और योजना के क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब मैं श्री नूरउस्मान से मिला तो हमारे राजदूत भी उपस्थित थे। उन्होंने मुझ से कहा कि, "श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप मेरे रिस्तेदार लगते हैं। "मैंने पूछा, 'कैसे' ? उन्होंने कहा, आप प्रो० हुमाऊं कबीर के दामाद हैं, मेरा विवाह प्रो० कबीर की भतीजी से हुआ है। पाकिस्तान की नीति-निर्धारण में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों देशों को शान्ति के साथ मिलजुलकर रहना चाहिए। मेरे दल और मेरे जैसे लोगों की चिन्ता यही

है कि हर जगह व्याप्त युद्ध के बादलों को कम किया जा सके ओर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकें जिसमें हम आपने-सामने बैठकर समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें, विश्व में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विश्व-युद्ध लड़े हैं) उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी नज़रबन्दी-शिविरों में उनकी सामूहिक-हत्याओं के अनुभव के बाद उन्होंने यह भी सीखा है; वे एक ही अर्थ-व्यवस्था वाले समुदाय के रूप में कार्य करें और वे एक ही राजनैतिक स्वरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां हम लोग भी हैं जिन्हें अलग-अलग कर दिया गया और इसके कारणों को भी हम जानते हैं और उस पर अफसोस करते रहेंगे और हममें से कुछ पश्चाताप करते भी हैं और हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वह धन जोकि अब हथियारों और युद्ध-सामग्री प्राप्त करने और अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करने में खर्च कर रहे हैं, की बनाम इसका उपयोग गरीबी को समाप्त करने और अपने लोगों की तकलीफों को सुलझाने में खर्च करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : सभापति महोदय, मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण से प्रेरणा मिली है। मैं जानता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज मेरे परम प्रिय मित्र हैं। वह यह भूल गये कि जनता शासन के दो वर्ष के स्वर्ण-काल में क्या हुआ था। उन्होंने कहा है कि हमने उस अवधि को दुर्भाग्यपूर्ण काल कहा है। उन्होंने मौके का लाभ उठाते हुए, इस वित्त विधेयक पर राजनैतिक भाषण दिया है। लेकिन मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं। उन दो स्वर्ण वर्षों में शान्ति किन लोगों के हाथ में थी? आप उद्योग मंत्री थे। आप जानते हैं कि आपके अलावा बागडोर किसके हाथ में थी। आपने शुरू से आजतक के, स्वतन्त्रता प्राप्ति के इन 30 वर्षों के काल की कांग्रेस शासन की यह कह-कर भर्त्सना की है कि, कोई भी अच्छा कार्य नहीं हुआ, केवल गरीबी ही रही है। इन दो वर्षों के शासनकाल में आपके कौन साथी थे? आपने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निन्दा की है। मेरे मित्र श्री बहुगुणा यहां बैठे हैं। वह कांग्रेस शासन में मंत्री थे। वह आपकी सरकार में भी मंत्री थे। वह आपके सहयोगी थे। उस समय के दौरान उन्होंने क्या मूल भूत परिवर्तन किये? इस अवधि के दौरान औद्योगिक विकास कितना हुआ और कितनी वृद्धि-दर थी। आप अपने भाषण से लाभ उठाने के लिए आंकड़े दे रहे हैं। आप सभा में राजनैतिक भाषण दे रहे हैं। लेकिन यह राजनैतिक भाषण देने का मंच नहीं है।

हम आशा करते थे कि श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे नेता कोई अच्छे सुझाव देते, जैसे, क्या वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन आवश्यक है, क्या वे वर्तमान प्रशासन आदि की नीतियों और कार्य-क्रमों में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। केन्द्र में जनता शासन के उन दो वर्षों के में क्या मूल भूत परिवर्तन किये गये; क्या उपलब्धियां रहीं? जो सज्जन उस समय प्रधान मंत्री थे उनकी श्री जार्ज फर्नान्डीज और पहले श्री चन्द्रशेखर द्वारा निन्दा की जा चुकी थी। लेकिन वह कुछ समय के लिए थी, और अब वे सब आपके मित्र हैं। वे कांग्रेस सरकार की उस ठोस आर्थिक नीति की निन्दा कर रहे थे, जोकि आम आदमी की भलाई के लिए है और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए है। श्री मोरारजी देसाई कार्यकारणी की बैठक में अन्य सदस्यों की राय से सहमत नहीं थे और जब बैंक राष्ट्रीयकरण का सुझाव पेश किया गया तो उन्होंने इस विचार का भी विरोध किया। एक ऐसा नेता जिसने कि उस समय समाजवादी उपायों का विरोध किया था, वही आज जनता पार्टी का नेता है, और मैं नहीं जानता कि श्रीजार्ज फर्नान्डीज कैसे उनके साथ तालमेल बिठाये हुए हैं। मैं नहीं जानता कि कैसे एक व्यक्ति जिसके कि क्रान्तिकारी विचार हैं, श्री मोरारजी देसाई के साथ जोकि सामन्तवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, कैसे तालमेल

बिठा पाते हैं। अगर चाहें तो हम भी राजनैतिक भाषण दे सकते हैं। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो हम भी किसी पर आरोप लगा सकते हैं। आपके दल में कई ऐसे व्यक्ति हैं जोकि यहां बैठे हुए हैं, और वे जैसे ही जनता पार्टी में शामिल हुए, देवदूत बन गये क्योंकि वे पहले देवदूत नहीं थे। आप उन लोगों से कैसे सहयोग कर सकते हैं? जिन लोगों की आप पहले आलोचना करते थे, उन्हीं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

वित्त विधेयक इस देश के मूल स्वरूप हैं। योजना आयोग की स्थापना का विचार पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने दिया था और उसे देश की पंचवर्षीय योजना बनाने का काम सौंपा गया था। योजना आयोग अब तक छह पंचवर्षीय योजनाएं देश को दे चुका है और सातवीं योजना आने वाली है। इस समय देश की समग्र आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है और वर्तमान वित्त मंत्री ने गत दो वर्षों में जो बजट पेश किए हैं वे काफी प्रशंसनीय हैं और हमें उन पर गर्व है। उनसे आर्थिक प्रगति को प्राप्त करने में सहायता मिली है और इससे देश की आर्थिक स्थिति और सुधरेगी। पिछले 30 वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी का काफी योगदान रहा है। लेकिन श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इन सब उपलब्धियों की तरफ से अनदेखी कर कांग्रेस पार्टी और उसकी आर्थिक नीतियों पर आरोप लगाते रहे हैं। मैं नहीं जानता कि जनता पार्टी की क्या नीति थी। उनकी अपने सहयोगी जनसंघ के लोगों के साथ क्या नीति थी? श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा है कि कांग्रेस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सरकार चला पायेंगे? क्या आपके पास सरकार चलाने के लिए व्यक्ति हैं? क्या आपके पास सरकार चलाने के लिए कोई ठोस नीति है? श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ऐसा भाषण दिया जैसे वह रामलीला मैदान में या कहीं और जनसभा को संबोधित कर रहे हों। हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह हमारी इच्छा नहीं है। असम प्रश्न तो इस बात की जांच करना है कि क्या यह देश ऐसी स्थिति में आ गया है, जहां यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे सके, लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा दे सके और विभिन्न कानूनों और योजनाओं से परिवर्तन ला सके। चर्चा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

अगर आप समझते हैं कि मात्र बजट पेश कर देने से ही अगले दो या पांच वर्षों में परिवर्तन आ जायेगा तो यह मात्र कल्पना ही होगी। हमने कभी भी इस प्रकार की विचारधारा की वकालत नहीं की है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। हमने कभी भी श्री जार्ज फर्नान्डीज या किसी अन्य की देश भक्ति पर शक नहीं किया है। तथापि यह कहा गया था कि अगर विपक्ष को सत्ता सौंप दी जाती है क्या वे देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा, हमारे पास प्रमाण हैं, सारा विश्व जानता है कि दो वर्ष की अवधि के दौरान आपने कैसे सरकार चलाई? आप क्यों भाग गये?

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सारी पुरानी बातें नई तरह से कही हैं। अगर आप उनके पिछले 20 वर्षों के भाषणों को देखें तो पायेंगे कि वही तर्क दिये गये हैं, आंकड़े भिन्न हो सकते हैं जोकि 2% कम—अधिक हो सकते हैं। मैं भी योजना आयोग, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण आदि से आकड़ें दे सकता हूं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। श्री सतीश अग्रवाल ने प्रशासनिक तंत्र, विभिन्न विभागों, फिजूल खर्ची में कमी, और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन आदि के बारे में महत्वपूर्ण

सुझाव दिये हैं। हम उनके इन सुझावों का स्वागत करते हैं। हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बारे में रचनात्मक सुझाव दिये जाएं।

3.47 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक भारतीय को प्राप्त केलोरी के बारे में कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारतीयों और राजनीतिज्ञों को बहुत कम केलोरीयुक्त भोजन प्राप्त है। लेकिन उनके दो वर्षों के शासनकाल में उनके इस बारे में क्या योगदान रहा? उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को रोकने के लिए क्या किया? क्या उनको इस विचार के प्रति सहानुभूति भी थी कि जनसंख्या पर नियंत्रण से हमारे विकास का लाभ लोगों को मिलेगा? अगर हम वास्तविक तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने देश की जनसंख्या को कारगर ढंग से नियंत्रित करना होगा? अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो पायेंगे कि भूमि सुधार से वास्तव में कांग्रेस दल की शान में वृद्धि हुई है, हमने संविधान की भावना को बदला है लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलावर हमने भारत को समाजवादी गणराज्य बना दिया है।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो, आपके नेता श्री मोरारजी देसाई ने ही केवल कहा था कि हमें इन पर केवल सामाजिक नियंत्रण रखना चाहिए न कि इनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। आप इन लोगों के अधीन कार्य कर रहे हैं और आप देश में इस सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं। भाषण करते समय कुछ तालमेल होना चाहिए। यह आंकड़े देने या आंकड़े इकट्ठे करने का ही प्रश्न नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि हमें अर्थव्यवस्था चलानी है। जब भी हमेशा बजट पेश किया जाता है बाद में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ हो और यह मजबूत और शक्तिशाली बने। हालांकि आज हमारे यहां एक मजबूत सरकार है लेकिन विपक्ष केवल सदैव घेराव, तालाबन्दी और हिंसा में ही विश्वास रखता है। सरकार का एक सामाजिक दायित्व है और इसके लिए हमें कई एक बातों का त्याग करना पड़ता है। इस देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत नीव पर आधारित है। और हमारे दल के सिद्धांत भी काफी मजबूत हैं। यह बात हमारे दल के चुनाव घोषणा पत्र से जाहिर होती है।

वर्तमान बजट में, वित्त मंत्री ने न केवल ग्रामीण-विकास को ही बढ़ावा दिया है, बल्कि साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए नये प्रस्ताव भी किये हैं। उन्होंने कर ढांचे में महत्वर्ण परिवर्तन किये हैं और विभिन्न श्रेणियों के लोगों को विभिन्न छूटें दी हैं।

जब कर-मुक्त बजट प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष उसे चुनाव-बजट कहता है। यद्यपि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह अच्छा और संतुलित बजट है फिर भी वे इसकी आलोचना करते हैं, वे केवल आलोचना में रुचि रखते हैं और यही उनका सिद्धांत है। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है वित्त मंत्री ने आर्थिक ढांचे में बहुत से परिवर्तन किए हैं और उन्होंने बहुत सी रियायतें भी दी हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी अर्थव्यवस्था के लाभ गरीब लोगों, असंगठित क्षेत्र और गरीब किसानों तक नहीं पहुंच पाये हैं, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था जिसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया है सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा

रहा है और जरूरतमदों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस परिस्थिति को गम्भीर रूप से देखें और यह सुनिश्चित करें कि प्रशासनिक तंत्र सही ढंग से काम करे। विभिन्न स्तरों पर अधिकारी यह देखें कि इन कार्यक्रमों का लाभ लोगों को मिले। इस संदर्भ में मैंने कई बार सरकारी और निजी क्षेत्र का उल्लेख किया है। हम सरकारी क्षेत्र की अधिकतम प्रगति और सरकारी क्षेत्र की भावना के प्रति कृत संकल्प हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश आज निजी क्षेत्र के उपक्रम अस्त-व्यस्त हैं। वे एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत शरण लेते हैं। वे इन सब चीजों से बच कर निकल जाते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने राज्य अपने स्तर पर निजी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बेरोजगारी देशव्यापी हो गई है क्योंकि निजी क्षेत्र को उत्तरदायी नहीं बताया गया है और उसके कार्यकरण पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया है।

वित्तीय संस्थाएं निजी क्षेत्र को धन देती हैं। कम्पनी विधि विभाग इस सारे मामले की देख-रेख करता है, परन्तु आज निजी क्षेत्र लोगों की मांगों को पूरा करने में आगे नहीं आ रहा है वे औद्योगिक अथवा व्यापार विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें रोजगार देना चाहिए।

जनसंख्या और पूंजी-निवेश सम्बन्धी एक लेख में कहा गया है कि बेरोजगारी और निजी पूंजी-निवेश में परस्पर सम्बन्ध है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए धन का 80% किसी उत्पादन कार्य पर नहीं किन्तु मिशीनरी पर निवेश किया जाता है। जब उत्पादन-कार्यों और रोजगार-प्रधान योजनाओं पर पूंजी निवेश नही होगा तो देश में बेकारी बढ़ेगी।

प्रधान मंत्री ने रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है। आज एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हैं।

मेरे मित्र श्री फर्नान्डीज कर रहे थे कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि देश के कोने कोने में शिक्षा संस्थाएं स्थापित हो रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना हमारी पार्टी की मूल नीति है। शिक्षा समाजिक परिवर्तन और चेतना लायेगी। एक तरफ तो विपक्ष का कहना है कि निरक्षरता है, और जब हम शिक्षा संस्थाएं खोलते हैं तो वे कहते हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ती है। हमें यह देखना है कि इन संस्थाओं का प्रबन्ध योजनाबद्ध तरीके से किया जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के, जिन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन मिलता है, कार्य की जांच संसद करती है। यदि संसद सर्वोच्च है, यदि वह समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम है, तो यह आवश्यक है कि जब भी निजी क्षेत्र के उपक्रमों को चाहे, वे बड़े हों या छोटे हों वित्तीय संस्थाओं से धन दिया जाता है; ये उपक्रम भी संसद के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखनी होती है। अन्यथा ऐसी संस्थाएं संसदीय लोकतंत्र में और किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं? संसदीय लोकतंत्र जो यह शक्तिशाली हथियार है, उसका किस प्रकार से कार्य कर सकती है अफसरशाही, गैर-सरकारी अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा हनन नहीं किया जाना चाहिए।

हमारा संविधान का संघीय स्वरूप है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। इससे भिन्न-भिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो अथवा कर्ना-

टक हो, किन्तु वे कांग्रेस की मूल विचारधारा का अर्थात समाजवाद का ही विरोध कर रहे हैं। ये सरकारें आज हमारी संविधान की व्यवस्था के माध्यम से सत्ता में आयी हैं। केन्द्र सरकार और

4.00 म० प०

राज्य सरकार में संघर्ष कैसे हो सकता है और केन्द्र द्वारा प्रति पादित समाज के स्वरूप की विचार-धारा को राज्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? आज कर्नाटक में भ्रष्टाचार संस्थागत स्वरूप हो गया है। **आगामी चुनावों के लिए लाभ उठाया जा रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इन्होंने नाम लिया है** वह ऐसा नहीं कर सकते (**व्यवधान**) नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री के० लक्कप्पा : वे हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। कर्नाटक में सरकार जैसी कोई चीज नहीं है, और राज्य सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह कर्मचारियों के वेतन के लिए सहकारी समितियों की रक्षित निधि से धन निकाल ले।** इस निधि से धन निकाला गया है और राज्य दिवालिया हो गया है। आज वहां लड़खड़ाती सरकार है। मैं उसे चुनौती देता हूं। वे पार्टी के कार्यों के लिए इस धन का उपयोग कर रहे हैं। क्या इसके लिए कोई संवैधानिक गारन्टी है? क्या वे राज्य के इस धन को अपव्यय कर सकते हैं और केन्द्र से प्राप्त कर सकते है तथा इसे पार्टी कार्यों के लिए लगा सकते हैं? क्या आप कांग्रेस पार्टी का कभी भी कोई ऐसा कोई उदाह-रण दे सकते हैं। खेद की बात है कि वे केन्द्र के निदेशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और वह 20 सूत्री कार्यक्रम पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम पर कोई कार्यनहीं हो रहा है। वहां विकास के विभिन्न कार्य भी बन्द पड़े हैं। वे पार्टी कार्यों के लिए इस धन राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की सरकार राज्य को कैसे चला सकती है? उनका बहुमत नहीं है। इस प्रकार की राजनीति व्यवस्था है।

जनता पार्टी के बाद, इस देश में ऊर्जा क्षेत्र के कार्य भी बन्द पड़े हुए हैं, विशेषकर मेरे राज्य में। उत्पादन कुछ भी नहीं है और हम पूर्णतः अंधकार में हैं? इस समय कर्नाटक में 80 प्रतिशत बिजली की कटौती चल रही है। कुछ थोड़े से उद्योगपति मुख्य मंत्री की मेहरबानी से उद्योग चला रहे हैं। किन्तु कर्नाटक राज्य में संपूर्ण मध्यम और छोटे कारखाने तथा किसान बर्बाद हो रहे हैं। मंत्री जी को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इस देश में ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग किया जाना है एवं ऊर्जा सम्बन्धी योजना को सही ढंग से बनाया जाना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा का उचित वितरण और संगठन हो ताकि इस देश में विकासोन्मुख कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सके।

उन्होंने विलासिता की वस्तुओं पर कई रियायतों की घोषणा की है। आप उन लोगों को रियायतें क्यों नहीं देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी और लालटेन का प्रयोग करते हैं और जिन्हें आप औद्योगिक दृष्टि से या अन्यथा पिछड़ा बताते हैं। आपने जिलों को क, ख, ग में वर्गीकृत किया

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। उदाहरण के लिए आप मेरे जिले टुमकुर को ही लीजिए। आपने योजना व्यवस्था में उसे 'ग' जिले का स्तर दिया है। आपने इसे 'क' में वर्गीकृत क्यों नहीं किया ताकि हमें भी वे सब सुविधाएं उपलब्ध हों जो एक जिले के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं ? धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा।

प्रो० मधु दंडवते : विश्लेषणात्मक आर्थिक भाषण।

सभापति महोदय : श्री बहुगुणा। मंत्री जी 4.45 बजे म० प० पर उत्तर देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मैं शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, वित्त विधेयक जो सदन के समक्ष रखा गया है, वास्तव में उसका श्रेय वित्त मंत्री को मिलना चाहिए क्योंकि इसमें सरकार की वरीयताओं और वर्गस्वरूप को स्पष्ट किया गया है। यह स्पष्ट है कि वे डेजर्ट कूलर में रुचि रखते हैं, वे उन सब वस्तुओं में रुचि रखते हैं जिनका उपयोग उच्च मध्यम वर्ग या धनी वर्ग के लोग करते हैं जैसे टी० वी०, कूलर, फ्रिज इत्यादि। किन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि यद्यपि सरकार इन पर रियायतें दे रही है वह जानती है कि इस वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उपभोक्ताओं के स्थान पर निर्माता और बिचौलिए इस लाभ को हड़प लेंगे।

आइये हम 1980 से आज तक की इसकी समीक्षा करें। किन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य उत्पाद-शुल्क की रियायतों के कारण कम हुए हैं ? 1980 से आज तक कई रियायतें दी गयी हैं। जो कुछ उन्होंने किया वह सर्वविदित है। साबुन, टूथपेस्ट टूथपाऊडर इत्यादि चीजों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है किन्तु क्या इन उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य भी कम हुए है ? क्या कोई साबुन सस्ता हुआ ? साबुन की कीमत बढ़ती चली गई। लेकिन सरकार उच्चवर्ग को यह रियायतें आदतन देती जा रही है अतः मुझे कोई अफसोस नहीं है कि कम से कम इस देश के लोग यह तो जान गए हैं कि यह सरकार किन के लिए काम कर रही है और किनका प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में काफी शोर मचाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि न होती तो स्थिति काफी अच्छी होती। श्री लकप्पा जैसे कई अच्छे मित्र बैठे हैं जो 1971 की उत्तरवर्ती कांग्रेस के प्रशंसक है उन्होंने आंकड़ों द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया कि जो कुछ भी हो रहा है वह जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है।

मैं टुमकुर से आए माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत पूरे राष्ट्र से 2.2 प्रतिशत वृद्धि से कहीं अधिक है। 5,600 मील लम्बे तटवर्ती क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में 6.5 प्रतिशत का योगदान है। मछुआरे सुबह समुद्र में चले जाते हैं और 24 घंटे के बाद लौटते हैं। अतः वे 365 दिनों में से आधे से अधिक समय बाहर रहने के पश्चात भी धनी वर्ग के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। धनी वर्ग के लोगों को यदि लड़का नहीं मिलता है तो वे पुत्र प्राप्ति के लिए तिरुपति जाते हैं। लेकिन इन गरीब लोगों के पास अधिक बच्चे कैसे हो जाते हैं ? मैं चाहता हूं कि कोई समाजशास्त्री बेंगलोर जाकर इस पर अनुसंधान करे कि कर्नाटक में या पूरे देश में सबसे निर्धन लोग ज्यादा बच्चे कैसे पैदा करते हैं। अब यह बात सारा विश्व

जानता है। गरीबी जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जितना गरीब वर्ग होगा उतना ही उसकी जन्मदर अधिक होगी।

अतः आक्षेप जनसंख्या पर नहीं अपितु जनसंख्या के मूल कारण निर्धनता पर किया जाना चाहिए। यदि आप इस पहलू विशेष की ओर ध्यान दें और एक मछुआरे के दृष्टिकोण से भी देखें तो मैं आपको कुछ आंकड़े देने का प्रयास करता हूं। सम्पूर्ण बजट में मछुआरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। प्रधान मंत्री ने 1982 में मछुआरों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण निधि बनाये जाने की घोषणा की थी। क्या माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि के बारे में कोई उल्लेख है क्या वित्त विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान है क्या इस प्रकार की निधि बनाने हेतु जनता के किसी वर्ग पर कोई कर लगाया गया है। नहीं, केवल इतना ही नहीं अपितु आपका लोगों के प्रति प्रेम, आपका सम्पूर्ण दृष्टिकोण, आपकी नीति आपके कार्यों में झलकती है। वाणिज्य संघों का पत्तन न्यास में प्रतिनिधित्व होता है। विदेश व्यापार में लगे एक हजार व्यापारियों के पत्तन न्यास में तीन प्रतिनिधि होते हैं। परन्तु उन मछुआरों का, जिन्हें पत्तन निर्माण के समय उस भूमि विशेष से हटा दिया गया था, और जिनका पत्तन से सम्बन्धित अनेक बातों से वस्तुत सम्बन्ध है, पत्तन बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बैंकिंग प्रणाली में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

इस अत्यधिक निर्धन व्यक्ति का योगदान बहुत अधिक होता है। माननीय वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा की स्थिति की बात करते हैं। समुद्री उत्पादों के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा में उनका योगदान 1950-51 में 4 करोड़ रुपए की तुलना में 1982-83 में 361 करोड़ रुपए हो गया है। यह और भी बढ़ गया है। यह किसके द्वारा होता है? यन्त्रीकृत नौकाओं के द्वारा नहीं। वे केवल 10 प्रतिशत हैं। यदि आप ट्रालर्स (मत्स्य नौकाओं) तथा अन्य सभी को भी सम्मिलित कर लें तो कुल पकड़ी गई मछलियों में उनका अधिकतम योगदान 16 प्रतिशत होता है। शेष मछलियां उन सैकड़ों-हजारों नौकाओं के मछुआरों द्वारा पकड़ी जाती हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन को जोखिम में डालकर गहरे समुद्र से मछली पकड़ने जाते हैं। परन्तु इस बजट में मछुआरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार किस प्रकार के लोगों का किस प्रकार के वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। वे 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं। मेरे एक मित्र कह रहे थे 20 सूत्रों के दो भाग है—एक 'दो' ओर 'दूसरा' 'शून्य' प्रथम भाग कांग्रेस (इ) और उसके नेता के बारे में है। ये दो हो गए। और शून्य राष्ट्र के लिए है। दोनों से मिलकर 20 बन गया। वे 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बातें करते है। परन्तु मछुआरों, निर्धन व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्र के दस्तकारों के बारे में क्या है। उनके लिये क्या प्रावधान किया गया है? उनके लिए यह प्रावधान है कि उन्हें बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। बैंक ऋण में आप क्या देते हैं। एक नेत्रहीन गाय या भैंस जो इतना दूध कभी नहीं देगी जिससे वह अपना ऋण वापस कर सके। अतः इस सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि उसका इरादा कुछ और है।

कई मदों पर कई उत्पाद-शुल्क हटा दिए गए हैं। एक्सरे मशीनें और इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा यंत्र इस्तेमाल करने वाले डाक्टर 180 प्रतिशत शुल्क अदा कर रहे हैं। परन्तु फोटो उद्योग और प्रैस उद्योग के बारे में क्या है? यदि आप प्रैस उद्योग लगाना चाहें तो इस पर सब जगह 40 प्रतिशत से अधिक शुल्क है। परन्तु यदि आप कैटस्कैनर और एक्स-रे मशीनें लगाना चाहते हैं और वह भी ऐसे निर्धन लोगों के लिए जिन्हें ये अन्यथा अन्य संस्थाओं में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे तो

आपको किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री को अधिकांशत: समृद्ध और धनी लोगों का ध्यान है। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसमें निर्धन लोग आते हैं। उनका वर्तमान बजट जिसे लोग 'सबको खुश करने वाला' कहते हैं वास्तव में आलोचक वर्ग और धनी वर्ग को प्रसन्न करने वाला बजट है। इससे उन्हें राजनीतिक शक्ति मिलती है। राजनीतिक शक्ति और धन की शक्ति परस्पर मिल कर इस प्रकार की प्रवृत्ति को जन्म देती है।

अत: मैं केवल यह सुझाव दूंगा और कहूंगा कि इस बजट से धनी और समृद्ध वर्गों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अर्थात उत्पादकों, मध्यस्थों और यहां तक कि उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरे विद्वान मित्र श्री लकप्पा कह रहे थे "बहुगुणा पेट्रोलियम मंत्री थे, क्या वह बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया ? ठीक है, मैंने पेट्रोलियम मंत्री को ऊर्जा मंत्री, श्री शिव शंकर को जैसा कि उन्हें आजकल कहते हैं, पत्र लिखा है...(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है बल्कि मैंने तो यह पूछा था कि आपने क्या सुधार किया है...(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस बात को भी लेता हूं। आप भूल गए हैं कि आपके नेता घुटनों के बल चलकर मेरे पास आए थे और मुझसे सहायता मांगी थी और आप मुझे कहते हैं कि मैंने दल बदल लिया है। यह एक दूसरा मुद्दा है...(व्यवधान) इसमें भद्दापन कुछ नहीं है। यह जीवन की सच्चाई है जिसके श्री बूटा सिंह भी गवाह हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि जब मैं ऊर्जा मंत्री था... (व्यवधान) देश के लोग जानते हैं कि कौन किसके पास गया...(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, दुर्भाग्यवश उनके लिए मैं भी वहीं था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, वह गवाह हैं, महोदय...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें वित्त विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने कुछ कहा है, और उनमें उत्तर सुनने की शक्ति अथवा धैर्य होना चाहिए। मैंने देश में पेट्रोलियम की बचत करने पर ध्यान दिया और भावी पीढ़ियों की कीमत पर तिजोरियाँ नहीं भरी। मेरे विद्वान मित्र जानते हैं कि पेट्रोलियम सम्बद्ध गैस के साथ प्राप्त होता है। यदि आप इस गैस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं सरकार पर भावी पीढ़ी के साथ धोखा करने का आरोप लगाता हूं क्योंकि यह गैस प्रकृति का वरदान है, किसी की सम्पत्ति नहीं है किसी के द्वारा पैदा नहीं की गई है, यह प्रकृति का वरदान है। पेट्रोलियम और सम्बद्ध कच्चा तेल और सम्बद्ध गैस एक साथ प्राप्त होते हैं। इस समय जबकि गैस सोने से भी अधिक कीमती है बम्बई हाई पर सम्बद्ध गैस प्रतिदिन 12 लाख घन मीटर की दर से व्यर्थ में जल जाती है। वह करोड़ों रुपये की वस्तु व्यर्थ में जल रही है क्योंकि आप केवल वर्तमान को देखते हैं। हमें भावी पीढ़ी का भी ध्यान है इसलिए हमने कहा था तब तक पूरा पेट्रोलियम नहीं निकालेंगे जब तक गैस के अन्तिम उपयोग की व्यवस्था नहीं हो जाती। अत: जनता शासन के प्रथम वर्ष में ही अर्थात

1977-78 में ही पाइप लाइन बिछा दी गई थी । बम्बई हाई का पता तो 1975 में लगा था, तेल 1975 से निकलने लगा था । मैंने मंत्री बनते ही प्रथम कार्य गैस को बाहर लाने का किया है, गैस ट्रेकर लगाया और वह तरल पेट्रोलियम गैस पैदा की, जिसके बारे में आप शेखी मार रहे हैं कि आप इसका प्रतिवर्ष अधिकाधिक वितरण करेंगे और अधिक संख्या में सिलेण्डर वितरित करेंगे और कई लाख लोगों को गैस उपलब्ध कराएंगे ।

दूसरी बात उन्होंने यह पूछी है कि मेरा योगदान कितना रहा । मैं एकपुस्तक में से जिसमें कुछ विद्वान लोगों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए हैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री शिव शंकर को लिखे अपने पत्र में मैंने यह लिखा है कि सम्बद्ध गैस को इस प्रकार व्यर्थ में जला देना ऊर्जा प्रबन्ध की पूर्णतया उपेक्षा है और मैंने उनसे इस पूरे मामले पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वह भविष्य में ऐसा न होने दें । मैंने उन्हें चेतावनी दी है और आगाह किया है कि वह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं । मुझे अभी तक इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस अभी बेरोजगारी के बारे में बोले रहे थे। यह सब जानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है । यहां तक कि उस ओर बैठे मेरे मित्र भी जानते हैं। प्रतिदिन लोग रोजगार कार्यालयों के बाहर लाइन लगा कर अपना नाम पंजीकृत कराते हैं परन्तु उन्हें कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती है । परन्तु प्रश्न यह कि जो भी उद्योग वह लगा रहे हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचन क्षेत्र में लगा रहे हैं या कहीं और; दो निर्वाचन क्षेत्रों में लगा रहे हैं क्या उनका पूर्ण परियोजना प्रबन्ध किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय योजना मंत्री, उद्योग मंत्री, और प्रधान मंत्री को बहुत से पत्र लिखे हैं ,जिनमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परियोजना के साथ-साथ जनशक्ति प्रबन्ध किए बिना आप केवल स्थानीय लोगों को विमुख करेंगे, केवल अपने लिए तथा राष्ट्र के लिए समस्याएं पैदा करेंगे ।

जहां तक तेल उत्पादन का संबंध है; 1979 के दौरान उपभोग का .65 प्रतिशत आयातित तेल पर निर्भर था । 1980 तक यह 69.9 प्रतिशत हो गया, 1981 में यह 76.4 प्रतिशत हो गया । न केवल इतना ही, उन्हें जब कुछ तेल मिला तो उन्होंने अपनी प्रशंसा आरम्भ कर दी । वास्तव में हुआ यह था कि जनता शासन काल के दौरान जो कुछ किया गया था 4-5 वर्षों में, उसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गये थे। अत: मैं यह कहूंगा कि जहां तक तेल का संबंध है, भारत को तेल के मानचित्र पर लाने वाले व्यक्ति श्री केशव देव मालवीय थे । मैं इससे सहमत हूं कि इस व्यक्ति की दूरदर्शिता के कारण ही यह सुखद स्थिति उत्पन्न हुई और हम सब ने भी इसमें योगदान किया । परन्तु इस अवधि के दौरान अर्थात 3 या $3\frac{1}{2}$ वर्षों की छोटी सी अवधि के दौरान जनता पार्टी का योगदान भी कम नहीं रहा है ।

श्री बूटा सिंह : जनता पार्टी का योगदान यही है कि इसने मालवीय की आलोचना करनी आरम्भ कर दी थी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जनता पार्टी का योगदान सुविदित है । श्री बूटा सिंह का यही योगदान है कि वह यहां बने हुए हैं । मैं इससे सहमत हूं ।

श्री बूटा सिंह : मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप बने हुए हैं, आपका योगदान यही है। कोई अन्य योगदान नहीं है।

वे कहते हैं कि जनता सरकार के समय में उद्योग बन्द हुए। परन्तु आंकड़े क्या कहते हैं? वह एक अन्य कहानी कहते हैं। 1979 में औद्योगिक उत्पादन में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980 में यह कम होकर 1.4 प्रतिशत हो गया। 1981 में यह बढ़कर 4 प्रतिशत हो गया और 1982 में 8.6 प्रतिशत हो गया। परन्तु यह 8.7 प्रतिशत कभी नहीं हुआ जो हमारे समय में हुआ था। यह 1983 में कम होकर 3.9 प्रतिशत हो गया और अब यह 4.4 प्रतिशत हो गया। यह इनका रिकार्ड है और फिर भी वह देश को विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर पुनः लाने का गर्व करते हैं।

मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि यह वित्त विधेयक एक ऐसा जीव है जो किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा और 20 सूत्री कार्यक्रम वाली बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप समुद्र तट पर जाएं तो आप देखेंगे कि इतनी अधिक विदेशी मुद्रा का योगदान करने वाले नग्न लोग दयनीय जीवन जी रहे हैं वह मनुष्यों की तरह नहीं रह रहे हैं। मैं यह कहकर भाषण समाप्त करता हूं कि दूसरी ओर बैठे व्यक्तियों को सद्बुद्धि आएगी और ऊर्जा प्रबन्ध समुचित रूप से किया जाएगा तथा देश को भावी-विनाश से बचाया जायेगा।

श्री रशीदमसूद (सहारनपुर) : मोहतरम चेयरमैन साहब,

"जहां लोगों के हाथ में पत्थर मिलेंगे
—उसी शहर में कांच के घर मिलेंगे।"

हमारे लकप्पा साहब की जुबान से करप्शन की बात सुन करके ताज्जुब हुआ कि वे लोग भी करप्शन की बात करने लगे है, जिनके लीडर ये कहते है कि "करप्शन इज ए इंटरनेशनल ग्लोबल फिनामिना", वे लोग आज करप्शन की बात करते है। जिनके बारे में मशहूर है कि उत्तर प्रदेश के दो मिनिस्टरों को वहां के चीफ मिनिस्टर ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वे करप्ट थे। उन पर इल्जाम था कि लोगों से पैसा लेकर वे उनको कांट्रेक्ट दिलवार रह थे। इस इल्जाम पर उनको निकाल दिया। हिन्दुस्तान में दौर खासतौर से उत्तर प्रदेश में यह बात मशहूर है कि उसी चीफ मिनिस्टर ने**...

उनको मिनिस्ट्री में लिया। आज वही लोग कर्नाटक और दूसरी जगहों के बारे में करप्शन की बात करते है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जिन लोगों के मकान शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। लेकिन ये अजीब बात है कि वे आज करप्शन की बात कर रह हैं।

अखबारों में हमें पढ़ने को मिला कि मेम्बर पार्लियामेंट घड़िया लाते हुए कस्टम पर पकड़े गए। एक दूसरे के कानों में यह बात कही जाती थी। यह, वही साहब है जो कर्नाटक की सरकार

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को करप्ट बताकर इल्जाम लगा रहे थे। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने अपने लीडर के कितने ग्लोवल पिनोमिनन को पूरा करके दिखाया है। इस बात से हिन्दुस्तान की रूलिंग पार्टी के मैम्बर नहीं बच सकते हैं।

मैं, कल पनिका साहब की तकरीर सुन रहा था। वह फरमा रहे थे कि इस बजट से पूरे मुल्क को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए 1980 से एक दिशा दी है। मैं नहीं समझता हूं कि वह कौनसी दिशा है ? क्या इस बात के लिए दिशा दी है कि बेरोजगारी और नंगे लोग बढ़े हैं ? क्या इस बात के लिए कि नार्थ और साउथ एवेन्यू की डिस्पेंसरियों में भी दवाइयां न मिले ? क्या इस बात के लिए कि पार्लियामेंट के मैम्बर को भी पैसे देकर के अपना काम कराना पड़ता है ? जो लोग कल तक पेट भर कर खाना खा रहे थे, आज भूखे और नंगे हैं। आपके 22 जुलाई 1982 के जवाब के मुताबिक जब 1980 में सरकार आई तो 48.13 परसेंट लोग गुरवत की रेखा से नीचे की जिन्दगी बसर कर रहे थे। 22 जुलाई, 1982 के बाद इन लोगों की तादाद 56 फीसदी हो गई। जिनको दो वक्त पेट भरकर खाना मिलता था, उनको एक वक्त मिलने लगा और एक वक्त की बजाय सुबह के नाश्ते पर जिन्दा रहने लगे।

अब तो सन् 1984 में और ज्यादा मंहगाई हो गई है। मैं समझता हूं अब 66 परसेंट ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी की सतह से नीचे की जिन्दगी गुजार रहे हैं। जब मैं बम्बई गया हुआ था तो मेरे साथी ने कहा कि पवाई लेक देखने के लिए चलते हैं। आप, यकीन मानिए, एक आदमी ने चाट खाकर के पत्ता फेंका तो उसको फौरन एक बच्चे ने उठाकर चाट लिया। यह, खुद मैंने देखा है। क्या आपकी पार्टी ने इस मुल्क को यही दिशा दी है ? आज का किसान परेशान है क्योंकि पेट भरने के लिए उसे रोटी भी नहीं मिल पा रही है। किसान, मजदूरी में खेतों को छोड़कर स्लम्स में रह रहा है जिसकी वजह से बड़े-बड़े शहरों में स्लम्स की आवादी बढ़ रही है। 1990 और 1984 की कीमतों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और आपने गरीब या रिक्शा वाले को क्या दिया है ? लोन की बात आप कर सकते हैं। लोन किसको दिया गया है ? लोन उनको दिया है जिनकी रिकमण्डेशन कांग्रेस आई के एम० एल० एज० और एम० पीज ने की है। जो गुण्डे हैं, शरीफ लोग नहीं है। आइन्दा बूथ कैपचरींग के लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए का लोन देकर।...

(व्यवधान)

श्री ज़मीलुर्रहमान (किशनगंज) : आप ऐसी बात इस हाउस में न करें कि जो गुण्डे हैं उनको लोन देते हैं। आपकी रीजीम में ऐसा हुआ होगा।...**(व्यवधान)**

श्रीमान, इसे कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

सभापति महोदय : समय बहुत कम है, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री जमीलुर्रहमान : यह क्या है ? इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं यह पूछ रहा हूं क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत पढ़ूंगा और देखूंगा कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं।

जो यूरिया की बोरी 53 रुपये की थी, वह 105 रुपये की मिल रही है, जिसमें 95 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई। एन. पी. के. में 90 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। बिजली की दरों में 80 फीसदी, डीजल में सौ फीसदी और कपड़े में चालीस फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

ईंटों के मामले में 110 परसेंट, सीमेंट के मामले में 70 परसेंट आपके जमाने में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा किसान जिन इनपुट्स का यूज करता है, उन सब के दामों में भी आपके जमाने में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से गेहूं के मामले में 35 परसेंट, चावल के मामले में 37 परसेंट, कपास के मामले में 28 परसेंट, गन्ने के मामले में 10 परसेंट, प्याज के मामले में 12 परसेंट और सब्जियों के मामले में 11 परसेंट रिडक्शन हुआ है, जो प्राइस उसको 1980 में मिलता था, उसके मुकाबले यदि आप देखें। यदि मुकम्मल तौर पर ओवर आल ऐवरेज निकाला जाए, तो 1980 के मुकाबले आज उसको मिलने वाली प्राइसेज में 11 परसेंट की कमी आई है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जितनी चीजें किसान इस्तेमाल करता है, किसी भी चीज के दाम उसको 1980 के मुकाबले ज्यादा नहीं मिलते—सिर्फ दो चीजें हैं 40 परसेंट कपड़े में और 70 परसेंट सीमेंट में—वरना उसको हर चीज के लिए ज्यादा दाम देना पड़ रहा है सिर्फ चावल में 35 या 37 परसेंट उसकी आमदनी जरूर बढ़ी है, बाकी किसी चीज में नहीं। आज उसकी हालत भूखे मरने की सी हो गई है।

यदि आजादी के 37 सालों के बाद भी आपने मुल्क को यही दिशा दी है तो मैं आपसे मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि अब भी सारे मुल्क में एक लाख 30 हजार 761 गाँवों में अब भी पीने का पानी नहीं पहुँच सका है। चेयरमैन महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे कि वैसे तो मेरा जिला सहारनपुर हिन्दुस्तान का दिल माना जाता है, बहुत खुशहाल माना जाता है, लेकिन उसमें ही 97 विलेजिज ऐसे हैं, जहाँ आपने पानी तो पहुँचा दिया है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिलता। आज भी वहाँ 7-8 विलेजेज ऐसे हैं, जहाँ पीने का पानी 7-7 और 8-8 मील दूर से लाना पड़ता है, जो इलाके हिमालय की तराई में पड़ते हैं। क्या आपने इतने दिनों तक देश को यही दिशा दी है। क्या आप देश को यही दिशा देना चाहते हैं कि यहाँ एशियाड हों, या आप यह दिशा देना चाहते हैं कि यहाँ नॉन एलाइंड समिट हो या यहाँ चोगम करायें या कोई दूसरी इंटरनेशनल कान्फ्रेंस करायें और अपने आपको यह साबित करें दुनिया में कि आप तरक्कीयाफ्ता मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। क्या आप यह दिशा देना चाहते हैं कि गरीब और गरीब होता जाए और अमीर और अमीर होता जाए। क्या इसी को आप तरक्की मानते हैं। यदि आप इसी को तरक्की मानते हैं तो मैं आपसे मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं हूं।

यहाँ अभी चार-पांच रोज हुए, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी कि सारे हिन्दुस्तान में नेशनल हाईवेज के कारण दो करोड़ 40 लाख रुपये का सालाना नुकसान होता है। उसका कारण सड़कों का खराब होना है और उसकी वजह से टायरों की बीयर और टीयर, और

कम रफ्तार में व्हीकल्स चलने के कारण डीजल और पैट्रोल की ज्यादा कंजम्पशन के कारण हैं। आपने यह भी कहा कि इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 2300 करोड़ रुपयों की जरूरत है, यदि आप इतना पैसा जुटा पायेंगे तो यह नुकसान से बच सकते हैं। आप बताइये, आपने इन चार नौटंकियों के ऊपर ही, जो मैंने आपको बतायीं, 2400 करोड़ रुपया तो खर्च कर दिया, लेकिन 2300 करोड़ रुपया यदि आप सड़कों को ठीक करने पर खर्च कर देते तो क्या हर साल होने वाले दो करोड़ 40 लाख रुपये के नुकसान से बच नहीं सकते थे। आपका सारा नुकसान 8 साल के अन्दर पूरा हो जाता, यदि आप उसके लिए स्कीम बनाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको गरीब और गरीबी से कोई मतलब नहीं है, आप नहीं जानते कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं। आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सारी दुनिया में आप अपने आपको एक ऐसा देश कहलवायें जो कि तरक्कीयाफ्ता हो।

आपने गोआ में तफरी पर कुछ ही घण्टों में 40 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन पानी के लिए मोहताज गांवों को पीने का पानी नहीं दिया, उनके लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इस साल के बजट में इस मद में आपने महज 50 करोड़ रुपया रखा है, जिनसे आप 5 हजार गांवों को पानी देंगे। यदि कुल एक लाख 30 हजार 761 गांवों को पानी देना हो तो आप हिसाब लगाइये एक साल में 5 हजार गांवों को देंगे तो सारे गांवों को देने में 30-32 या 34 साल लग जायेंगे। वैसे आप हिन्दुस्तान की तरक्की का दावा करते हैं, कहते हैं कि हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिन्दुस्तान को दिशा देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे सके। इसी रफ्तार से अगर चले तो 32 सालों में आप इस हालत में आ पायेंगे जब सारे लोगों को आप पीने का पानी मुहैया कर पायेंगे।

अभी यहां पर सड़कों की बात आई, हमारी जितनी सड़कें लेह होकर जाती हैं, उनकी हालत क्या है। यहां पर मेरे कश्मीर के भाई बैठे नहीं हैं, लेकिन वहां कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर पाकिस्तान के बार्डर से हो। और अगर किसी वक्त हमला हो जाय तथा सड़क को काट दिया जाय तो पूरी लाइन आफ कम्युनिकेशंस कट सकती है। पिछले कई साल से मांग की जा रही है ऐस्टीमेट्स कमेटी में भी यह मामला आया था कि शिमला में भी एक सड़क बना दी जाय जिसके लिये टनल बनानी पड़ेगी और जिस पर 80-90 करोड़ रु० खर्च होगा। लेकिन आप इस काम के लिये पैसा नहीं खर्च कर सकते जब कि केवल 48 घंटे के लिये गोआ में 40 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिये आपके पास 90 करोड़ रु० नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरफ आप तबज्जह दें।

आपने कहा कि लोन्स दिए जा रहे हैं···

श्री जमीलुर्रहमान : आपने कहा गुंडे हैं जिनको लोन दिया जा रहा है।

श्री रशीद मसूद.: मैं तो अब भी कह रहा हूं कि गुंडे हैं और आप लिस्ट मँगा कर देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है उससे लिस्ट मँगा कर सी. बी. आई. से जांच करा लीजिए उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जिनको पोलिटिकल ताकत हासिल होने की वजह से लोन मिला है? रहा सवाल गुंडे नहीं हैं, आप मालूम करा लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जिन पर कत्ल, राहजनी आदि मुकदमे चले हैं और उससे

आपको पता लग जाएगा कि गुंडे हैं कि नहीं। सब लोग यही कह रहे हैं कि इस पैसे को खत्ते में डाला जा रहा है। बेहतर होता इस पैसे को रूरल एरिया में स्माल स्केल इंडस्ट्री में लगाते जिससे लोगों को रोजगार मिलता और माली हालत लोगों की अच्छी होती। अभी तो लोगों को पता है कि यह पैसा वापस नहीं करना है, उसकी कोई गारण्टी नहीं है कि वापस होगा भी, इसीलिए लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। यह रुपया तो सिर्फ इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए दिया जा रहा है। आप मुल्क को गड्ढे में ले जा रहे हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता बचने का। यही मुझे अर्ज करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पिछले कुछ वर्षों से हम इस सदन में कह रहे हैं कि सरकार को इन नीतियों और कार्यक्रम की प्राथमिकताओं को बदलने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि वर्तमान नीतियों और उनकी प्राथमिकताओं के फलस्वरूप देश में व्यापक निर्धनता हो रही है। मैं समझता हूं हमारी आजादी के 37 वर्षों बाद इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं कि हम दो भारत में रह रहे हैं—अमीरों के भारत में और गरीबों के भारत में।

यह शर्म और भारी राष्ट्रीय चिन्ता की बात है कि इस देश के 35 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। क्या कोई आशा है कि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष, हर बजट में और प्रत्येक योजना के साथ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 35 करोड़ है—आजादी के समय भी हमारी इतनी ही जनसंख्या थी।

अब इस देश में 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम आज दो भारत में रह रहे हैं—गरीबों का भारत और अमीरों का भारत।

श्रीमान, मुझे यह कहते कोई संकोच नहीं हो रहा है कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रम देश में सामाजिक-आर्थिक विषमतायें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।

यह बजट समाज के उच्चवर्ग के लोगों के लिए है। देश के अमीर लोगों के लिए यह बजट है। यह बजट गरीब लोगों का बजट नहीं है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री कुछ आंकड़ों के साथ कहेंगे कि "हम निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए करोड़ों रुपयों का पूंजी निवेश कर रहे हैं।" जब हम एक साथ बैठते हैं तब आप कहते हैं—नीतियों, कार्यक्रमों और योजना को एक नई दिशा दी जानी चाहिए; लेकिन तथ्य यह है कि आपकी समझ में, आपको इस बात का बिल्कुल भी अहसास नहीं है। व्यापक गरीबी समाप्त करने के लिए भारत को इसकी योजना को पूर्णतया नई दिशा देने की आवश्यकता है। वे हमेशा कहते हैं कि हमारी योजना और नीतियों में कोई खामी नहीं हैं।

अब श्री एल० के० झा जिन्हें इस सरकार ने आर्थिक, प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है उन्होंने कुछ अर्थ-शास्त्रियों, योजना आयोग के कुछ सदस्यों को एक पत्र जारी किया है और उनका कहना है कि—"निःसन्देह प्रत्येक योजना में, चाहे वह इसके ढांचे के अन्दर हो या प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इसके बाहर हो, गरीबी को कम करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन हमारे आर्थिक ढांचे में पूर्ण सुधार के बहुत महत्वपूर्ण काम के साथ उनकी आशा से बहुत कम समग्र प्रभाव पड़ा है। आगे जब वे सातवीं योजना की बात करते हैं तो वे महसूस करते

हैं कि हमारी योजना गलत दिशा में चली गई है तथा इसे एक नई दिशा देने की आवश्यकता है।

उनका कहना है कि "व्यापक गरीबी को समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण सातवीं योजना को अधिक से अधिक सक्षम बनाने के वास्ते एक नई दिशा दी जानी चाहिए।"

अब उन्होंने महसूस किया है कि व्यापक गरीबी बढ़ती जा रही है, यदि वे उसे हटाना चाहते हैं तो हमारी योजना को बिल्कुल एक नई दिशा दी जानी चाहिए, मैं नहीं जानता कि श्री एल० के० झा क्या सिफारिश करते हैं।

मुझे इस पर अधिक आशाएं नहीं है क्योंकि भारत काफी वर्षों से पूंजीवादी पद्धति के ढांचे के अन्दर काम कर रहा है। वास्तविक भूल तो हम यहीं पर कर रहे हैं। आप बात तो समाजवाद की करते हैं लेकिन आपकी समग्र योजना, समस्त नई दिशा तथा सभी नीतियां और कार्यक्रम अमीरों के लाभ के लिए हैं, आज यदि आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं, गरीब लोगों के पास जाते हैं, मुहल्लों में जाते हैं तो लोग क्या पूछेंगे ? मैं चाहता हूं कि वित्तमंत्री इसका जबाव दें। लोग पूछ रहे हैं—सरकार कहती है, 'हां'। यदि आप कुछ आश्चर्यजनक करते हैं तो हम चमत्कार कर दिखाएंगे।" हम एक साल के भीतर एशियाई खेल आयोजित कर सकते हैं। हाँ, सरकार ने यह किया। और उसे इसका श्रेय भी मिला। लोग पूछते हैं कि आपने स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए वैसा ही राजनीतिज्ञ उत्साह नहीं है, आज भी लाखों लोगों को इस देश में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके लिए आप में राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आप बहुत से क्षेत्रों में अपनी गरिमा, प्रतिष्ठा, और अपनी छवि बनाना चाहते हैं।

आज लोग पूछ रहे हैं—हां, आप रंगीन टेलीविजन की कीमत चार हजार से घटाकर तीन हजार कर सके, आपने रेफ्रिजरेटर की कीमतें भी घटा दीं। आपने एयर-कन्डीशनरों और सैलूनकारों की भी कीमत कम कर दी। लेकिन तब दालों की कीमतें, खाद्य तेलों की कीमतें आम आदमी के कपड़े की कीमतें अधिक ऊंची होती गई। इसका क्या जबाव हैं ? आप अमीर लोगों के लिए आराम की वस्तुओं की कीमतें घटा सकते हैं। लेकिन आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या आसमान छू रही कीमतें हैं क्या मैं अब वित्त मंत्री महोदय को याद दिला सकता हूँ कि गत वर्ष बजट पेश करते समय उन्होंने कहा था—"हमारा बजट इस बात का ध्यान रखेगा कि कीमतें न बढ़ें, क्या वे पिछले वर्ष के बजट और इस वर्ष के बजट के आंकड़े नहीं देंगे ? जरूरी वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं ? आज क्या स्थिति है ? क्या यह सच नहीं है कि खरीद क्षमता में मध्यमवर्ग के लोग गरीब-वर्ग में आ गए हैं और उच्च,मध्यम वर्ग के लोग निम्न मध्यम-वर्ग में आ गए हैं ? निम्न मध्यम वर्ग के लोग आज गरीबी की हालत में हैं। जो व्यक्ति दो हजार रु० मासिक पा रहा है वह निम्न मध्यम वर्ग में है। लेकिन कितने लोग इस देश में 2 हजार रुपये प्रति-मास पा रहे हैं ?

वे बहुत बढ़चढ़ कर कह रहे थे कि उन्होंने मध्यम वर्ग को बहुत सी रियायतें दी हैं। वास्तव में जिस वर्ग के लोग बीस हजार प्रति वर्ष कमा रहे हैं हिसाब लगाकर उन्हें 281 रु० की वार्षिक राहत दी गई है जो 23 रु० प्रतिमास है। मूल्यों में वृद्धि के कारण यह पूरा खर्च हो जाएगा, जिस गति से कीमतें बढ़ रही हैं।

आज इस देश के युवकों का कोई भविष्य नहीं। वित्त मंत्री कहेंगे कि 'एक युवक अन्तरिक्ष में

हो आया है।' वह अन्तरिक्ष में एक मित्र राष्ट्र की मदद से गया, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ किसे मिल रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है। आज लोग बढ़ती कीमतों के नीचे दब गए हैं। मेरे विचार से देश में एक भी परिवार ऐसा न होगा जिसका एक युवक बेरोजगार न हो। यह सच नहीं कि इस देश में केवल दो करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वास्तव में हमारे देश में पांच करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनमें से आधे व्यक्तियों ने ही अपना नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराया हुआ है और आधे लोग यह भी नहीं जानते हैं कि उन्हें जाकर अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा लेना चाहिए, रोजगार-कार्यालयों में उनके पंजीकरण का क्या फायदा है? उनमें 10 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा सूची है। युवा लोग निर्धारित उम्र पार कर लेते हैं और सरकार उन्हें रोजगार देने में असमर्थ रहती है। उनकी उम्र भी बढ़ रही है और वे नौकरी की आयु सीमा पार कर जाते हैं।

हमारा देश पिछड़े पूंजीवादी देश की तरह व्यवहार कर रहा है। आधुनिक पूंजीवादी देश अपने नागरिकों के कल्याण की चिन्ता करते हैं। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, आस्ट्रेलिया और यहां तक कि अमरीका जैसे देशों में बेराजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ब्रिटेन में बेरोजगार व्यक्ति को हर महीने एक सौ पौन्ड मिलते हैं। अमरीका में बेरोजगार व्यक्ति को 250 डालर प्रतिमास मिलते हैं। ऐसा ही बहुत से पश्चिमी पूंजीवादी देशों में चल रहा है। भारत में हम बेरोजगार व्यक्ति के लिए एक सौ पचास रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार लगातार इसे देने से मना कर रही हैं। इसी देश में पश्चिम बंगाल सरकार ने जिसके आय के स्रोत भी सीमित हैं पिछले तीन वर्षों से बेरोजगार लोगों को 50 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। केरल में भी 50 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार को 50 प्रतिशत राज सहायता देनी चाहिए और 50 रुपये की राशि को बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया जाए। वित्त मंत्री कहेंगे कि "यह बेकारी भत्ता होगा, यह एक दान होगा। हम अपने युवकों का उत्साह भंग नहीं कर सकते। लेकिन वे चाहते हैं कि हमारे युवक जाकर आत्म-हत्या कर लें। मैं चाहता हूं कि सरकार को संसाधन प्राप्त करने चाहिए और जिन युवकों का दो वर्ष से अधिक समय तक रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज हैं उन्हें 150 रुपये प्रतिमास बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, जब तक कि सरकार उन्हें उचित काम उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं कर लेती।

3 वर्ष पूर्व मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि बेरोजगार युवकों को 150 रुपये बेकारी भत्ता दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने योजना मंत्री को मेरे पत्र का उत्तर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा "यदि आपका सुझाव मान लिया जाता है तो सरकार को हर महीने 1000 करोड़ रु० खर्च करने होंगे।" क्या यह सच नहीं कि पिछले दो वर्षों में पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए केवल दिल्ली में 1,000 करोड़ से अधिक रु० खर्च किए गए हैं जबकि देश के करोड़ों युवा लोग दुखी जीवन बिता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस परिवार का एक भी सदस्य कमाने वाला नहीं है सबसे पहले नौकरी उसे दी जाए। आप पायेंगे कि किसी एक परिवार में छः लोग हैं तो सभी को नौकरी मिल जाती हैं क्योंकि उनके पास साधन हैं, वे अमीर परिवारों से हैं, वे अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

4.50 म० प०

पहली नौकरी गरीब और मध्य-वर्ग के उस परिवार को मिलनी चाहिए जिनका कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है । यह सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? सरकार को उचित प्रकार से प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिये गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिये ।

प्रो० एन० जी० रंगा इस देश में एक बहुत ही अनुभवी किसान नेता हैं। उनका पूरा जीवन ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष की गाथा है । इसके बावजूद भी मुझे यह कहते हुए खेद है कि गांवों में निर्धनों के रहन-सहन में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

कल मैं हरियाणा में था । हरियाणा और पंजाब के किसानों ने 3 मई से गेहूं को बाजार में न भेजने का निश्चय किया है ।

किसानों को अपने उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है । अमरीका के किसान के लिये गेहूं का इस देश में मूल्य 206 रु० प्रति क्विंटल है जबकि भारतीय किसान के लिए गेहूं के उतरने की लागत केवल 152 रु० प्रति क्विंटल है । भारतीय किसान के लिए यह कितना बड़ा अंतर और विषमता है ।

दिल्ली के चारों ओर भूमि 50,000 रु० प्रति एकड़ की दर से अधिगृहीत की जा रही है । दिल्ली और मारुति के बीच राजपथ पर 50,000 रु० प्रति एकड़ वाली भूमि मुझे दिखाई गई थी । सरकार इस भूमि को किसानों से इस दर पर अधिगृहीत कर रही है और बाद में उद्योगपतियों को 6 लाख रु० प्रति एकड़ की भारी दर पर बेच रही है। गरीब किसान इसके बारे में क्या महसूस करता होगा ? सरकार एक व्यापार एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है । क्या गरीब किसान की उपेक्षा करके लाभ कमाना और उसे लूटना, यह सरकार का काम है ? यह तो ग्रामीण निर्धन को पूरी तरह लूटना हुआ । माननीय वित्त मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए ।

आजकल औद्योगिक विकास की दर 4.5% है । यह आशा की जाती थी कि यह 7-8% के लगभग होनी चाहिए । इस देश में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ते जा रहे हैं । लोगों के बीच रोष, दुख और असंतोष के मुख्य कारणों में से यह एक है । कई क्षेत्र यह महसूस करते हैं कि उनके विकास की गति बहुत धीमी है ।

औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 9 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा न हो ।

हमें याद रखना चाहिए की हमारी देश की अर्थव्यवस्था में किसान ही योगदान दे रहा है । हमारे किसान मेहनती हैं । किन्तु यह खेद की बात है कि किसान की ही उपेक्षा की जा रही है । किसान जो देश के लाखों व्यक्तियों के लिये अनाज उगाने के लिये कठिन परिश्रम करता है उसे ही आजकल दु ख का निशाना बनाया जा रहा है ।

सरकार को कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिये हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। परंतु कल्याणकारी राज्य की धारणा को पुराना समझा गया है। सरकार की नीतियों का उद्देश्य एक छोटे से समूह को लाभ पहुंचाना है जिनकी संख्या जनता के 15 से 20 प्रतिशत जितनी है। किन्तु वे शेष 80 से 85 प्रतिशत गरीब जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि सरकार को 20 सूत्री कार्यक्रम पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। इस वर्ष आपने पहले ही विभिन्न योजनाओं में सेकड़ों और हजारों करोड़ रुपए बड़ी शान के साथ लगा दिए हैं। क्या इस धन का उचित उपयोग हो रहा है? नहीं।

माननीय वित्त मंत्री जी, को यह पता लगाने के लिए पूछ-ताछ करनी चाहिए कि पिछले छः महीनों के दौरान ऋण किस प्रकार वितरित किए गए हैं।

20,000-50,000-10,000 लोगों के लिए अब एक मेला गठित किया जा रहा है। एक ही रात में व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है और इसके प्राथमिकता पहलू पर ध्यान दिए बिना, और यह ध्यान दिए बिना कि ऋण किस प्रकार से उपयोग होगा, ऋण वितरित किया जा रहा है। क्या किसी निर्धन परिवार को ऋण मिला है? यदि पूछताछ की जाए तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर ऋण, धनी व्यक्तियों के परिवारों को दिया गया हैं, अधिकतर ऋण उन परिवारों को दिया गया है जो सत्ताधारी दल के समर्थक जाने जाते हैं।

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव वर्ष में यह बजट उनके लिए घातक सिद्ध होगा। यह नहीं है कि बजट नया रास्ता दिखा रहा है अथवा एक नई अवस्थिति का संकेत कर रहा है। किन्तु यह बजट सही अर्थों में एक राजनीतिक बजट है और उसे इस रूप में चुनाव वर्ष में तैयार किया गया। यह एक बहुत ही गलत उदाहरण स्थापित करेगा। यह मेरा आरोप है और मेरे विचार से सरकार उन सभी बातों पर ध्यान देगी जो मैंने कही हैं और इस देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): श्री उपाध्यक्ष महोदय, इस लम्बे-चौड़े वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं ठीक तरह से नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगा है। निश्चित रूप से 12 से 14 घण्टे का समय लगा होगा और कम से कम 32 माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने बिचार व्यक्त किए होंगे। आज मैं नहीं जानता कि विपक्ष की क्या नीति थी। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता आज अन्तिम दिन बोलने पर उतारू थे, शायद इसलिए कि मेरे साथियों को उनको, प्रभावकारी ढंग से, उत्तर देने का अवसर प्राप्त न हो।

संभवतः यही उनकी नीति थी। फिर भी, जहां तक सम्भव होगा, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को यथासभव शामिल करना चाहूंगा। परन्तु यह तो हर कोई मानेगा कि ग्यारह घण्टों में जो कहा गया है, उसका उत्तर एक या डेढ़ घण्टे में नहीं दिया जा सकता।

पहले तो मैं सदस्यों को उस दिन पर लौटने को कहता हूं, जिस दिन मैंने बजट प्रस्तुत किया था और उस दिन को जिस दिन मैंने बजट पर सामान्य विचार-विमर्श के उत्तर दिए थे। उस दिन

मैंने एक रूप रेखा प्रस्तुत की थी और यह बताया था कि बजट एक महत्वपूर्ण, वित्तीय साधन है जिसके माध्यम से, छोटी अवधि और लम्बी अवधि वाली, दोनों प्रकार की, समस्याओं से निबटने के लिए सरकार की नीति को निस्पादित किया जाता है, किन्तु यह अकेला ही साधन नहीं है, जिसके द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, विशेषकर हमारी प्रणाली में जहां एक वित्तीय वर्ष में समयबरू-कार्य के अनुसार प्रस्ताव निर्धारित किए जाते हैं। इस लिए हमें इस वात को ध्यान में रखना होगा।

माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त करते हुए कई क्षेत्रों को शामिल किया है। पहले मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षेत्र, अर्थात योजना, की बात करूंगा। यह विशेषकर इस लिए कि आज भी जिन गणमान्य सदस्यों ने अपनी टिप्पणियाँ की हैं तो उन्होंने योजना के संबंध हमारे कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी की है योजना का यह चौथा वर्ष है। हमने चार वर्ष पूरे कर लिये हैं और और पांचवें वर्ष के लिए आबंटन कर दिया गया है! एक महत्वपूर्ण बात जो कई सदस्यों ने कही है वह यह कि हम अपने लक्ष्यों से, पैसा खर्च करने में तो नहीं, परन्तु वास्तविक रूप से बहुत पीछे हैं।

यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में हम लक्ष्यों से पीछे हैं, परन्तु सदस्य उस आधार को आसानी के साथ भूल गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1950-51 से 1978-79 तक, योजना के आरम्भ से तीन दशकों में यदि देश ने 3.5 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की थी और हम यदि एक ही योजना की अवधि मैं 5.4 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे विचार से हम नम्रतापूर्वक यह दावा कर सकते हैं कि हमने थोड़ा बहुत तो किया है। मैं जानता हूं कि श्री फर्नान्डीज है। मुझे ईस बात की चुनौती देने जा रहे हैं कि मैंने 5.4 प्रतिशत को इस आँकड़े की गणना कैसे की है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा।

यदि वास्तविक रूप में, पैट्रोलियम के उत्पादन के क्षेत्र में—जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिसने हमें, सही अर्थों में, हमारे भुगतान शेष की स्थिति का सामना करने के लिए सहायता की है—यदि हमने वर्ष 1978-79 में हुए एक करोड़ टन से कुछ कम के उत्पादन को वर्ष 1983-84 में, और चार वर्ष की अवधि में, 2.6 करोड़ टन तक बढ़ा सके हैं, तो मेरे विचार से माननीय सदस्यों को इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि यह उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 180

5.00 म० प०

लाख टन सीमेंट उत्पादन लगभग 3 दशकों में प्राप्त किया गया था। यदि हमने चार वर्षों में 270 लाख टन उत्पादन किया है तो प्रतिशत की दृष्टि से निश्चित रूप से यह कोई मामूली उत्पादन नहीं है। बिजली के क्षेत्र में भी, जिसके बारे में श्री फर्नान्डीज इतनी देर तक बोले हैं, मैं सहमत हूँ कि पड़ोसी राज्यों में निर्मित की जाने वाली 19,000 मेगावाट की लक्षित अतिरिक्त क्षमता हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। परन्तु आपका आधार क्या था जब आपने चालू योजना शुरू की थी? तापीय बिजली, पनबिजली सभी मिलाकर कुल बिजली उत्पादन क्षमता 28,000 मेगावाट थी और हम योजना का अन्त 42,000 मेगावाट से कर रहे हैं। हम 19,000 मेगावाट की वृद्धि कर रहे हैं, जो तीन दशकों में पैदा की गई क्षमता की और जो 3 दशकों से अधिक के समय में किया गया है उसका, लगभग 50% है। और यदि उसका 50%, एक पंचवर्षीय अवधि में किया जा रहा है तो क्या यह एक मामूली उपलब्धि है? श्री फर्नान्डीज जब अपनी टिप्पणियाँ कर रहे थे···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सीमेन्ट संयंत्र को चालू करने और बिजली संयन्त्र को चालू करने की अवधि क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने आपको उत्पादन आंकड़े दिये हैं···मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैं प्रसन्न हूं कि अन्य क्षेत्रों में आपके कार्यकलापों को जाँचने के लिए आपने एक अच्छी बात बताई है। प्रतिव्यक्ति उपलब्धता के उद्धरण देते हुए श्री फर्नान्डीज ने कुछ आंकड़ों का प्रयोग किया था। स्वभाविक है वे आंकड़े उन्होंने मेरे निर्देशाधीन तैयार किए तथा सभा के पटल पर रखे गए हमारे प्रलेख अर्थात् आर्थिक प्रलेख में से प्रयोग किए थे। और स्पष्ट रूप से उन्होंने उद्धरण यह दिए कि वर्ष 1982 में अनाज और दालों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता की तुलना में वर्ष 1978 में यह उपलब्धता अधिक थी। मैं मानता हूं। परन्तु उन्होंने उनकी तुलना करने की कोशिश की है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। माव लो कि वे मेरे कद की तुलना अध्यक्ष महोदय के कद से करते हैं, तो यह उचित नहीं होगा। मेरे कद की तुलना श्री धर्मवीर सिन्हा के कद से की जानी चाहिए। यदि वे प्रतिव्यक्ति खपत की बात कर रहें हैं तो उन्हें जनसंख्या पर भी ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए। 1978 में जनसंख्या क्या थी और 1982 में जनसंख्या क्या थी ? उनको कुछ तकलीफ उठानी चाहिये थीं क्योंकि उसी प्रलेख में यह सब उपलब्ध है। 1982 ऐसा वर्ष है जब सूखा पड़ा था। आपने 1979-80 के आँकड़े नहीं लिए हैं किन्तु आपने वे आंकड़े लिए हैं जो आपको सुविधाजनक थे, अर्थात 1978-79 के आँकड़े क्योंकि उस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 12.7 करोड़ टन था और 1982 जो सूखा वर्ष था, को आपने लिया है। यदि आप 1983-84 को लेते तो आपको निश्चित रूप से अच्छे आँकड़े प्राप्त होते।

आपने निर्यात के सम्बन्ध में कहा है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। 1982-83 में कुल निर्यात में 13 प्रतिशत तेल का निर्यात किया गया। लेकिन इस वर्ष स्थिति क्या है ? अपने बजट भाषण में मैंने उन आंकड़ों विशेष का उल्लेख किया है। उस समय मेरे पास पहले आठ महीनों के आंकड़े उपलब्ध थे। मैंने आपको बताया था कि हम कुल निर्यात में 12% तेल का निर्यात कर रहे हैं और अब जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं और पहले 10 महीनों तक कुल निर्यात में 15 प्रतिशत तेल का निर्यात हो जाएगा। हम निर्यात कर रहे हैं। लेकिन हम तेल का निर्यात केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने अथवा बजट के घाटे को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं जैसाकि आपने अपनी सरकार बनने पर किया था जब आपने घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए सोने के आरक्षित भण्डार को बेच दिया था। हमारे पास परिष्करण क्षमता नहीं है हम इसे दूसरी वस्तुओं के बदले दे देते हैं। आप कह सकते हैं और मैं आपकी दलील से बिल्कुल सहमत हूं कि हम इसे सुरक्षित रख सकते थे। लेकिन हम इसे दूसरी वस्तुओं के बदले देते हैं और इसके आयात पर दुलर्भ मुद्रा कम खर्च कर रहे हैं।

हमने अपने निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं की हैं। अतः इस नीति में क्या खराबी है ? अतः जिस तेल का हम अपने देश में परिष्करण नहीं कर सकते उसे कच्चे तेल को अन्य वस्तुओं के बदले में दे देते हैं और इस प्रकार का कच्चा ते ले लें जिसे हम अपने देश में परिशोधित कर सकें लें, मैं नहीं समझता कि हमने कुछ गलत किया जिसके लिए हम पर आरोप लगाए जाएं अथवा आलोचना की जाए। निश्चित रूप से मैं यह दावा नहीं करता कि जो कुछ भी किया जा रहा है, इसमें कुछ करिश्मे वाली बात है। वास्तविकता क्या है ? मैंने अभी उस तथ्य को बताया है, तथ्य यह है कि देश में चालू योजना अवधि के पहले दो वर्षों में 5.4 प्रतिशत की विकास दर रही हैं। लक्ष्य 5.2 प्रतिशत था।

आपको इन दोनों चीजों को मिलाना नहीं चाहिए था। कलकता में मैंने यह कहा था कि हमनें चालू योजना अवधि के पहले चार वर्षों में 5.4 प्रतिशत सफलता प्राप्त की है।

आपने बताया कि 1979-80 में सूखा पड़ने तथा जनता-लोक दल सरकार के अन्तिम चरण के कारण कार्य निष्पादन खराब था मैंने इसे स्वीकार कर लिया है; पर इसमें अन्तर है। आपके शासनकाल में 1979-80 में सूखा पड़ा और हमारे समय 1982-83 में सूखा पड़ा। लेकिन निष्पादन में कितना अन्तर है। आपके शासनकाल में विकास की दर ऋणात्मक 5 प्रतिशत थी हमारे समय में 1.8 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि हुई। अच्छी प्रबंध व्यवस्था और खराब प्रबन्ध व्यवस्था में यही अन्तर है। 1979-80 के सूखे के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 21 प्रतिशत हो गई और 1982-83 के सूखे के फलस्वरूप—मैं मानता हूं कि 1981-82 में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 2.4 थी 1982-83 में यह बढ़कर 6.4 हो गई और 1983-84 में हम इसे एक संख्या 8.8 प्रतिशत तक करने में समर्थ हो गए हैं।

मैं मानता हूं कि अप्रैल से अगस्त तक कीमतों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन यह भी सत्य है? श्री फर्नान्डीस, यदि मैं आपका ध्यान उसी विषय की ओर दिलाऊँ, आप देखेंगे कि अगस्त से अप्रैल का समय जो कि लगभग एक अभूतपूर्व समय था, कीमतों में केवल 1 प्रतिशत की भिन्नता थी। अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था और खराब प्रबन्ध व्यवस्था में यही अन्तर है।

महोदय, मैं यह दावा नहीं करता कि मैं कुछ आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ हूं। मैं कुछ अद्भुत नहीं कर सका लेकिन कठिनाईयों के बावजूद जो कुछ भी सम्भव है, हम वह कर सकने में समर्थ हैं। गरीबी-विरोधी कार्यक्रम के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। हमनें कभी यह दावा नहीं किया कि हम बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को सुलझाने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लीजिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले तीन वर्षों में 88 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। वहाँ 330 लाख परिवार हो सकते हैं। (व्यवधान) आप इन आंकड़ों पर आपत्ति उठा सकते हैं।

लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब आप निर्यात दर की चर्चा करते हैं और यदि मैं इन दस्तावेजों में से बोलता हूं, आप उसे स्वीकार करते हैं, जब आप अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का दावा करते हैं, आप मेरे उपभोक्ता मूल्य सूची अथवा थोक मूल्य सूची के आँकड़ों को स्वीकार करते हैं लेकिन जब मैं आपको वही आकड़े देता हूं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा 88 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, आप कहते हैं कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े संदेहजनक हैं। आप दो तरह की बात नहीं कर सकते। कम से कम आप एक तरफ हो जाइए। अपने आंकड़ों पर विश्वास रखिये अथवा पूर्ण रूप से मेरे आंकड़ों को स्वीकार कीजिए।

यह भी सत्य है कि गत चार वर्षों में हम सबको रोजगार देने में समर्थ नहीं हुए लेकिन प्रति वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा 35 करोड़ से अधिक कार्य-दिवस उत्पन्न किए गए हैं। सदन में इन सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। आप प्रश्न उठाते हैं और हम उत्तर देते हैं। हमने जवाब दिया है और यही कहा कि कुछ भी नहीं किया गया है। आप कह सकते हैं और मैं भी समझता हूं कि क्या किया जाना चाहिए अथवा और अधिक किया जाना चाहिए, और इस पक्ष के सभी सदस्यों को यह कहना चाहिए कि और अधिक किया जाना चाहिए। हम कुछ करने में, यदि पूरा नहीं तो

कम से कम कुछ अंश तक करने में समर्थ हैं। एक प्रभावशाली कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, श्री चन्द्रजीत यादव ने एक राज्य में रोजगार भत्ता देने का उल्लेख किया है।

उस राज्य के वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह बाद में एक सही आर्थिक नीति नहीं साबित हुई। उन्होंने स्वयं ऐसा समझा—मैं किसी राज्य का उल्लेख नहीं करता। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रमों के कार्यों में पहले दो वर्षों में प्रगति नहीं हुई परन्तु तृतीय वर्ष में प्रगति हुई और चौथे वर्ष में मैं उनसे प्राप्त आंकड़ों में से देख रहा हूं कि काफी प्रगति हो रही है। अतः उन्होंने स्वयं यह महसूस किया कि अनुदान देना अथवा रोजगार भत्ता देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सकारात्मक कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने में है। कोई 20-सूत्री कार्यक्रम की 2 जमा शून्य के रूप में व्याख्या करके इसका मजाक बना सकता है।

परन्तु वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन पर प्रत्यक्ष रूप से विशेष जोर दिया जा रहा है। यह वांछित सीमा तक नहीं है, जिस सीमा तक आप चाहते हैं। लेकिन हमें निश्चित रूप से इस स्थिति की जटिलताओं को समझना चाहिए। जब आप निर्यात की बात करते हैं और साम्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, आप यह भूल जाते हैं कि पिछले 40 वर्षों से विश्व व्यापार इतना खराब कभी नहीं था, जितना खराब यह आज है। पिछले लगातार तीन वर्षों से विकास की दर ऋणात्मक अथवा 1 प्रतिशत थी। श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा कुछ आंकड़े, विशेषकर जूट के संबंध में, दिए गए हैं। अमरीका और अन्य औद्योगिक देशों में जूट बाजार भारी मन्दी के कारण पूर्णतः समाप्त हो गया है। वसूली अभी शुरू हुई है और आप कुछ समय बाद परिणाम देखेंगे। अभियांत्रिकी वस्तुओं को लीजिए। अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात कम क्यों होता जा रहा है? यह अमरीका द्वारा उठाए गए टैरिफ संरक्षणवाद के कारण है। यहां संरक्षणवाद है, जिसका आश्रय विकसित औद्योगिक देश ले रहे हैं, विकासशील देशों द्वारा प्राप्त वस्तुओं के निर्यात के लिए, निर्यात को अधिक से अधिक जटिल बना रहे हैं।

वस्त्र उद्योग को लीजिए। वार्ता के दूसरे दौर के समय वह स्वयं उद्योग मंत्री थे, और उन्होंने औद्योगिक देशों से आग्रह किया था कि वस्त्र उद्योग के ढांचे को बनाया जाना चाहिए और इसी समय बनाया जाना चाहिए 1978 से लेकर 1984 तक इस संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ और वह क्षेत्र जिसमें विकासशील देशों को प्रतियोगिता की सुविधाएं प्राप्त थी, पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। यदि आप वाद-विवाद में अपनी बात मनवाना चाहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप समस्या का विश्लेषण करना चाहते हैं और इसके विवरण को जानना चाहते हैं, वह दूसरी बात है। इन सभी तथ्यों से आप परिचित हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जिसकी आपको जानकारी न हो। लेकिन फिर भी यदि आप समझते हैं कि आपको कुछ कहना है, और यदि आप वह बात कह दें, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के बारे में मैंने जो आपको बताया है, वह सही है। मैंने यह दावा कभी नहीं किया कि मैं कीमतों को कम करने में समर्थ हूं। लेकिन मैं मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर पर नियन्त्रण रखने में समर्थ हूं। यदि मुद्रा स्फीति की दर 21 प्रतिशत चलती रही तो स्थिति खराब हो जाएगी। जब मैं 8.8 अथवा 2.5 प्रतिशत अथवा 6 प्रतिशत की बात करता हूं तो यह

उसमें सर्वोत्तम है। मेरा दावा क्या है ? मेरा यह दावा है कि हम इसे एक संख्या के भीतर रखने में समर्थ हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हम गियर को उलट दिशा में डाल सकते हैं। यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।

पहले एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बातचीत की थी कि जिस तरीके से विकासशील देश अपनी मुद्रास्फीति की समस्या को सुलझा सकते हैं, हम उस तरीके से समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें अपने विकास के लिए विकासात्मक उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त करना होगा। हमें बड़े भारी संसाधन एकत्रित करने होंगे। बड़े संसाधन एकत्रित भी कर लिए गए हैं। हमने 110,000 करोड़ रुपए की योजना के लिए वित्तीय संसाधनों को एकत्रित कर लिया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

हमारे विकास के व्यय का 93 प्रतिशत हमारे आन्तरिक संसाधनों द्वारा होता है। यह बाहरी संसाधनों के रूप में ऋण नहीं लिया गया। अनेक विकासशील देशों ने ऋण के रूप में लिए बाहरी साधनों द्वारा अपने देश का विकास किया है। मैं उन्हें दोष नहीं देता; उनकी यह विशेष नीति हो सकती है जिसे वह अपनाना चाहते हों—वह नीति उनके लिए उपयुक्त है ऐसा वह सोच सकते हैं; पर हमें इस नीति में विश्वास नहीं है। दूसरी ओर एक साम्यवादी सदस्य ने यह कहा है—वह आज यहां दिखाई नहीं देते—और मैं समझता हूं कि मुझे उनके प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि छूट की सीमा को बढ़ाकर 20,000 अथवा 25,000 नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य समाजवादी सदस्य ने यहां तक संकेत दिया कि राहत जो एक विशेष श्रेणी के 20,000 लोगों को दी जा रही है वह प्रति माह 23 रुपए होगी। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस देश में 46 लाख लोग आयकर देते हैं। अतः आप जो भी राहत देंगे, 70 करोड़ लोगों में से, केवल 46 लाख लोगों को राहत मिलेगी। आपके पास ऐसी कोई पद्धति नहीं है, जिसके द्वारा कर न देने वालों को करादान में राहत मिल सके। इसके लिए आपको कोई नए वित्त मन्त्री का प्रबन्ध करना होगा। कम से कम यह मेरी और मेरे सहयोगियों की समझ-बूझ से परे है। जब आप राहत के बारे में बात करते हैं, तो जो लोग कम कर देते हैं उनको राहत भी कम मिलेगी। ऐसे लोगों को यदि मैं 10 प्रतिशत राहत दे दूं जो 2 लाख रुपए की राशि बैठेगी, फिर भी यह उन लोगों के बराबर राहत नहीं होगी जिनकी आय 2 लाख रुपए है और जिन्हें 5 प्रतिशत राहत दी गई है। अतः आप फिर जिनकी तुलना नहीं की जा सकती उनकी तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रतिशत के सम्बन्ध में, कम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ दिए जाते हैं, और वह व्यक्ति जो 2.,000 कमाता है, यदि वह 4000, रुपए की बचत करता है, वह एक भी पैसा आय कर नहीं देता। आप यह आशा नहीं कर सकते कि प्रत्येक बजट में छूट की निश्चित राशि को बढ़ाया जाता रहेगा। पहले ही 10,000 रुपए तक आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। साम्यवादी सदस्य अब यह चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया जाए। मुझे खेद है मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि 'यह छूट प्रत्येक वर्ष बढ़ती क्यों जा रही है ? यह दो कारणों से बढ़ती जा रही है। पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उत्पाद शुल्क के ढांचे का विस्तार किया गया है और उद्योगों के साथ ऐसा होना आवश्यक भी है और राज्यों के उत्पाद शुल्क का कितना भाग है ? 1950 के आरम्भ में उत्पाद-शुल्क की कुल मात्रा कितनी थी ? मेरा विचार है कि श्री टी. टी. कृष्णामाचारी का यह पहला बजट था और श्री अग्रवाल मेरे इस कथन में सुधार कर सकते हैं।

श्री अग्रवाल मेरी गलती पकड़ सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, यह 100 करोड़ रुपए से कुछ ही कम था और आज यह 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह अवश्य ही होगा। क्यों कि सचाई यह है कि हमारे औद्योगिक आधार और निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों का बहुत ही विस्तार हुआ है। अतः अप्रत्यक्ष करके अंशदान में अवश्य ही वृद्धि होगी।

दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह कृषि की है जो कि जी० डी० पी० का लगभग 40% बैठती है और कृषि, आय कर की सीमा से पूरी तरह बाहर है। अतः आपका आयकर आप की जी० डी० पी० का केवल 60 प्रतिशत तक ही सीमित है? क्योंकि कृषि, केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए उस दृष्टि कोण से पता लगता है कि यह कम कर दिया गया है अथवा यह कहा जाता है कि राज्यों को इससे वंचित करने के लिए जानबूझ कर ऐसा किया है क्योंकि राज्यों को इसका 80% भाग मिलेगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना अथवा ऐसा निश्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अधिभार की स्थिति क्या है? पिछले वर्ष आपने अधिभार बढ़ा दिया था और इसका लाभ केन्द्र को मिला। इस वर्ष आपने आयकर कम कर दिया है जो राज्यों को लाभ से वंचित करता है।

श्री प्रणब मुकर्जी : मैं आपको बताऊंगा कि मैंने राज्यों की सहायता करने के लिए कितनी कोशिश की है। मैंने इस प्रकार राज्यों को होने वाली हानि की 10 गुने से अधिक क्षतिपूर्ति कर दी है। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। कराधान सम्बन्धी सिद्धांत के अनुसार ऐसा कोई कारण नहीं होता कि राज्यों को कर अधिक प्राप्त हों और केन्द्र को कम प्राप्त हों। मैंने इस सभा में अब तक जो तीन बजट प्रस्तुत किए हैं उन सब में मैंने अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की है। एक बार आपने गलती से प्रस्ताव की आलोचना की थी और जब मैंने बताया कि मैंने क्या किया था—मुझे आपकी ओर से सिर्फ गाली मिल रही थी, आपकी ओर से मेरी सिर्फ आलोचना की जा रही थी।

किन्तु जब मैंने कहा कि मैं शुल्क की वसूली करके पूरी राशि को राज्य सरकारों को अंतरित करने जा रहा हूं तो आपने उस बात की सराहना की थी। अतः मैंने राज्यों को दिए गए वचन के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि चालू वर्ष के बजट प्रस्ताव में इन तीनों क्षेत्रों—चीनी, तम्बाकू और कपड़ा—में उत्पाद शुल्क 8.5 प्रतिशत ही लगे और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें।

दूसरा मुद्दा जो उठाया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में है। ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि राज्यों को केन्द्र पर अधिक से अधिक आश्रित बनाया जा सके। मेरे विचार से स्थिति ऐसी नहीं है और मैं स्थिति को थोड़ा विस्तार के साथ स्पष्ट करना चाहूंगा।

पहले जब योजना तैयार की गई थी तब यह निश्चय किया गया था कि केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकसाथ सरकारी क्षेत्र पर परिव्यय 97.00 करोड़ का होगा। सभी राज्यों की योजनाओं को हम एक साथ लेते तो उन पर 48600 करोड़ लागत आने का अनुमान था।

48600 करोड़ में से 26028 करोड़ रुपए राज्यों के अपने संसाधनों से प्राप्त होने थे और बाकी की व्यवस्था केन्द्र को करनी थी। और केन्द्र तयशुदा ऋणों, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक विकास बैंक अथवा अन्य केन्द्रीय सरकार ऐजेन्सियों अथवा बाजार ऋणों से सीधे ही केन्द्रीय योजना सहायता द्वारा भी दे देता और केन्द्र को 22572 करोड़ का योगदान देना था। वास्ताव में, हुआ क्या है ? राज्य अपने संसाधनों से 26028 करोड़ रुपये नहीं जुटा सके और इस कारण 5300 करोड़ से अधिक की कमी थी। और मुझे यह कमी कैसे पूरी करनी पड़ी ?

हमने पहला निर्णय यह लिया कि जब वे योजना शुरू करें, वह नये सिर से शुरू करें। उन्होंने 1462 करोड़ रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में लिए थे ; यह तय किया गया था कि उन्हें इसका चालू योजना अवधि के दौरान भुगतान नहीं करना होगा ताकि वे योजना को नये सिरे से शुरू कर सकें। कुछ समय बाद 1982 में हमें पता लगा कि सभी राज्यों के पास बड़े-बड़े ओवरड्राफ्ट थे और ओवरड्राफ्ट के आंकड़ों का योग 1743 करोड़ हो गया। तब मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके यह निश्चय किया 1743 करोड़ की जिम्मेदारी ले लूंगा ; मैं उन्हें मध्यम कालीन ऋणों में परिवर्तित कर रहा था ताकि वे 1 अप्रैल, 1982 से नये सिरे शुरू कर सकें। उसके पश्चात उसी वर्ष मैंने घोषणा की मैं केन्द्रीय सहायता दो वर्षों में 1650 करोड़ की सीमा तक बढ़ा रहा हूं। उसके बाद मैंने केन्द्रीय सहायता में 790 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि कर दी और इस वर्ष इस बजट में मैंने कहा : कुछ राज्य अब भी ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का ध्यान रखते हुए मैंने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। सबको मिलाकर मैंने 4600 करोड़ दिए हैं जो कि मेरे द्वारा योजना के समय दिए गए वचन से बहुत अधिक है।

अतः इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ? आप इस निष्कर्ष पर कैसे आ सकते है ? आपका तर्क यह था कि 4000 करोड़ रुपए हमने मूल्यों पर नियंत्रण करके प्राप्त कर सके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यह भी मानता हूं कि ये 4000 करोड़ रुपए तो केन्द्रीय उत्पाद से प्राप्त होंगे तो आपको इसमें कितना मिल सकेगा ? 4000 करोड़ रुपये का 40 प्रतिशत अर्थात 1600 करोड़ रुपये। आपको 1600 करोड़ रुपये मिलेंगे, किन्तु मैंने आपको 4600 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको और क्या चाहिए ? यदि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का तर्क मान भी लूं और आयकर को घटाने के बजाय मैं अधिकार को कम कर दूं तो आपको क्या मिलेगा ? अड़तीस करोड़। आपने मेरे हिसाब को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है कि इससे अधिक लोग कर देंगे। इसके आंकड़े आपको अगले वर्ष मिल जाएंगे। पिछले वर्ष के आंकड़े आपको अब मिल गए हैं। आप हर वर्ष विश्लेषण कर सकते हैं कि कुछ अंतरण की राशि बढ़ी है या घटी है। और यदि आप एक भी वर्ष समस्त संसाधनों को मिलाकर यह बता सकें; केन्द्र की ओर से राज्य को किया जाने वाला कुल अंतरण कम रहा है तो मैं आपका तर्क मान लूंगा, किन्तु आपको किसी भी वर्ष ऐसा नहीं मिलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका राजस्व बढ़ रहा है और राज्य विकास व्यय भी बढ़ रहा है। सिर्फ आंकड़ों का सही रूप में उल्लेख कर देना केवल गुमराह करना है। आपको विकास व्यय तथा योजना परिव्यय पर विचार करना होगा।

श्री प्रणब मुकर्जी : समस्या गुमराह करने की नहीं है समस्या यह है कि आप करों को लगाने में हिचकिचा रहे है। मैं बिस्कुल साफ कहता हूं। इस वर्ष मैंने मौका दे दिया है। बिजली से हमारी

आय प्रतिवर्ष 150 से 200 करोड़ रुपये तक होती थी और हम इसे राज्यों को दे देते थे। मैंने अब भी इसे राज्यों को दे दिया है। मैं जानना चाहूंगा, मैं यहां शायद न बैठूं किन्तु आप सब लोग वहां बैठे होंगे, किन्तु आपको बता सकता कि राज्यों की कितनी आय होती है और उन्होंने अपने संसाधनों में कितनी वृद्धि करली है। एक मूल बात जिसे आप भूल रहे है वह यह है कि यह उनके पास संसाधन उपलब्धि क्षेत्र न होने का प्रश्न नहीं है। आप जो मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं वह यह है कि मेरी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। यदि राज्यों के पास राजनीतिक इच्छा थी तो फिर वे जी० डी० पी० का 40 प्रतिशत भाग पूरी तरह अछूता कैसे छोड़ रहे हैं?

आप कह रहे हैं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए; पुनर्विचार किया जाना चाहिए और राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। मैं बुरा नहीं मानता। इसके लिए आयोग है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। किन्तु जो मैं बता सकता हूं वह यह है कि आपको सीमित संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत जो कुछ उपलब्ध है; आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे कि कुछ राज्य प्रगति कर रहे थे और अन्य कुछ राज्य ऐसा करने में असमर्थ हैं, और इसके अतिरिक्त जो राज्य ऐसा करने में असमर्थ हैं, उनके बारे में मैंने देखा कि वे जो आज कर रहे हैं उसकी तुलना में पहले कहीं और अच्छा कार्य कर रहे थे। इसलिए इसका उत्तर कहीं और मिलेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्पष्ट बात यह है कि क्या आप उन क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जहां से राज्यों को संसाधन प्राप्त करना संभव है? आपको उन क्षेत्रों का भी पता लगाना है जिनमें व्यय में कटौती करना संभव है; केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं—मैं कहता हूं कि इसका पता सभी राज्यों में लगाया जाना चाहिए। आपने यह नहीं किया है।

श्री प्रणब मुकर्जी : मैंने कृषि के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। (व्यवधान) अब हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : योजना आयोग भी कृषि आय पर किसी प्रकार का कर लगाने के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में तर्क हैं।

श्री प्रणब मुकर्जी : मुझे यह बताते हुए खेद है कि योजना आयोग ने ऐसा कभी नहीं कहा। योजना आयोग, इसके विपरीत, राज्यों पर बार-बार जोर देता रहा है कि बिजली तथा सिंचाई की लाभकारी दरें निर्धारित करो।" और इसका अर्थ यह नहीं कि आप इसे नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि आप अपनी दरें वास्तविकता आधार पर नहीं बढ़ा रहे हैं किन्तु आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं; आपका कर प्रशासन तंत्र अकुशल है। वे इसे वसूल नहीं कर रह हैं। यह कड़वा सच है। कड़वा सच यह है कि कुलमिलाकर सभी राज्यों के बारे में यह समझा गया कि राज्य बिजली बोर्डों तथा सड़क परिवहन निगमों का ऋणात्मक योगदान 500 करोड़ रुपए से कम होगा। आज यह 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसका मतलब है कि ऋणात्मक आंकड़ों की तुलना में जो कि 500 करोड़ रुपये से कम होने चाहिए थे, ऋणात्मक आंकड़े 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक हैं। इसका तात्पर्य है कि कार्यान्वियन के मामले में प्रशासन में कुछ बुनियादी तौर पर गड़बड़ है।

इस बारे में अपने उत्तर में मैं एक बात कहना चाहूंगा...

(व्यवधान)

प्रो० सफुद्दीन सोज (बारामुला) : मंत्री जी को मैं याद दिला दूं कि मेरे राज्य में कांग्रेस (इ०) (**व्यवधान**)

श्री प्रणब मुकर्जी : मैं झुक नहीं रहा हूं । उन्हें धैर्य रखना होगा । उन्हें बैठने दीजिए ।

(व्यवधान)

हाल ही में कश्मीर के माननीय सदस्य ने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा और कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हम कश्मीर को सहायता नहीं दे रहे हैं । कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां केन्द्र की ओर से प्रति व्यक्ति विकास सहायता 2185/-रुपये है । अखिल भारतीय दर क्या है ? यह 258/-रुपये है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति आगे आकर कहता है कि जम्मू और कश्मीर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मिजोरम की तरह विशेष दर्जा का राज्य है तो मैं कहूंगा कि उन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के मामले में भी उनकी केन्द्रीय सहायता 1198—रुपये प्रति व्यक्ति है ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुर) : इसके विशेष कारण हैं ।

श्री प्रणब मुकर्जी : इसके विशेष कारण हैं । इसलिए हम यह दे रहे हैं । किन्तु सभा में आकर केन्द्र सरकार पर उंगली उठाने और यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि :—"आप हमें समुचित सहायता नहीं दे रहे हैं । (**व्यवधान**) मैं यह प्रश्न नहीं उठाता यदि माननीय सदस्य ने यह आरोप न लगाया होता कि केवल श्री फारुख अब्दुला के वहां होने से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है ।

अब मैं आंकड़े देता हूं । पहली पंचवर्षीय योजना के लिए उनकी कुल योजना राशि 900 करोड़ रुपए है । मैंने उन्हें 1058 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी है ।

जम्मू और कश्मीर में, हम योजना परिव्यय के लिए न केवल शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देते हैं, अपितु हम उनके गैर-योजनागत व्यय के लिए भी कुछ न कुछ देते हैं, क्योंकि यह एक विशेष वर्ग का राज्य है और इसका अधिकारी है । उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जम्मू और कश्मीर उसका अधिकारी है । जम्मू और कश्मीर में अधिक विकास होना चाहिए, राजमार्गों का विकास होना चाहिए; बिजली उत्पादन भी बढ़ना चाहिए और पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए । इस बारे में दो राय नहीं है, परन्तु आप यूं ही इस तथ्य को नहीं दबा सकते हैं, आप केवल राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिये और सुविधा हेतु यह नहीं कह सकते हैं कि हम उनके साथ भेद-भाव बरत रहे हैं । (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उद्योगों के लिए 25550 करोड़ रुपए के कुल निवेश में हमारा हिस्सा केवल 0.06% है ।

श्री प्रणब मुकर्जी : निश्चय ही माननीय सदस्य मुझसे जम्मू-कश्मीर में बन्दरगाह बनाने की आशा नहीं करेंगे । जो भी संभव है मैं कर रहा हूं । हम वहाँ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लगा रहे हैं । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वहां पर एक इकाई की पहले ही स्थापना कर चुका है और छठी और सातवीं दोनों ही योजनाओं में कुछ और भी स्थापित की जायेंगी । अनेक बिजली परियोजनाएं आरंभ की गई हैं और भी की जायेंगी । परन्तु आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रतियोगी मांगे हैं और सभी

को एक समय में पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र मेरे ध्यान में हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री अग्रवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें अधिक निवेश करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप रेलवे और संचार। मैं इस सम्भावना से इन्कार तो नहीं करता हूं, परन्तु उसी के साथ ही साथ वे मेरे धर्मसंकट को भी समझते हैं। वित्त मंत्री होने के नाते मुझे विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखना है।

जहां तक रेलवे का संबंध है, बहुत से सदस्यों ने यह इंगित किया है और यह निरूपित किया है कि आज मैं दादी या असली मां की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक सौतेली मां की तरह व्यवहार कर रहा हूं। यह सच्चाई नहीं है क्योंकि मूलरूप से रेलवे योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि 2900 करोड़ रुपये उनके स्वयं के संसाधनों से मिलने चाहिए और 2200 करोड़ की बजटीय सहायता मिलनी चाहिए और दोनों को मिलाकर 5,100 करोड़ रुपए की रेल योजना तैयार हो जायेगी।

रेल योजना क्या है यदि आप सम्मिलित करें तो यह एक वर्ष का आबंटन है जो कि मौटे तौर पर 6,600 करोड़ रुपए बैठता है और उसमें बजटीय सहायता 4,400 करोड़ रुपए की है। आप और अधिक की कैसे आशा करते हैं? एक क्षेत्र में 2200 करोड़ से मैंने बजटीय सहायता को बढ़ाकर 4400 करोड़ कर दिया है। तेल के क्षेत्र में, मैंने एक कदम और आगे बढ़कर इसे 500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में दोगुना आबंटन होगा। संचार का ही मामला लीजिये, मूलरूप से, योजना बनाते समय यह निर्णय लिया गया था कि यह स्वय-वित्त पोषित होगा और कोई बजटीय आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु पंच-वर्षीय योजना के अन्त में, हम देख रहे हैं कि यह लगभग 100 प्रतिशत बजटीय सहायता है। अतः, एक वित्त मंत्री के रूप में मैं यह अनुभव करता हूं कि महत्वर्ण क्षेत्रों में, उदाहरण स्वरूप, शिक्षा में, यह बात उठाई गई है कि शिक्षा पर हमारा व्यय 2.3 प्रतिशत है। यह सच है।

परन्तु मैंने इस वर्ष जो कदम उठाया है उसमें 1980-81 के 2.3 प्रतिशत से थोड़ी सी वृद्धि होगी और यह 2.8 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा, क्योंकि वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हमें कुछ करना है। परन्तु इसी के साथ ही साथ, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यदि आप कुछ क्षेत्रों में जोर देते है—तो स्वाभाविक है कि ये वे क्षेत्र है, जिनमें राज्यों को सहायता करनी होती है और हम इन कामों के लिए सहायता दे रहे हैं।

श्री फर्नान्डीज ने मुझ पर आरोप लगाया है और शायद वह इसलिए ठीक भी है कि यह कृषि विकास की कुंजी है। परन्तु मैं क्या कर सकता हूं। समग्र कार्यवाही राज्य क्षेत्र में हुई है। आप अपने 'कन्क्लेव' इस विषय पर एक भी मुद्दा नहीं उठाते हैं 'कन्क्लेव' शब्द का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही बुरा अर्थ है और श्री सोमनाथ चटर्जी इसे जानते हैं। रोबर्ट क्लाइव ने अपनी आत्म-कथा में वहां पर 'कन्क्लेव' शब्द का प्रयोग किया था, जब वह काशीपुर कोठी में बैठकर, नवाब सिराजुदौला, जो कि बंगाल का अन्तिम स्वतन्त्र नवाब था, को हटाने का षड़यन्त्र रच रहा था। अतः आप इसके लिए उपयुक्त और अधिक उचित शब्द ढूंढ़िए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके लिए कोई शब्द क्यों नहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं?

श्री प्रणब मुकर्जी : वे मेरे से कहीं अच्छे विद्वान हैं। अतः, वे अधिक अच्छा शब्द ढूंढ़ निकालेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह भारत की अन्तिम साम्राज्ञी को गद्दी से उतारने की साजिश, षड़यन्त्र है ।

श्री प्रणब मुकर्जी : यह भारत के प्रजातन्त्र के विरुद्ध षडयन्त्र है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि ये वे क्षेत्र हैं, जिनके लिए मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमें संसाधनों के उपयोग हेतु और अच्छा नेतृत्व प्रदान करना होगा । मैं यहां इस मुद्दे पर श्री सतीश अग्रवाल से पूर्णतया सहमत हूं । अतः, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है । सरकारी क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया है ? इस्पात, बन्दरगाह, भारी अभियान्त्रिकी इत्यादि के क्षेत्र में, प्रत्येक वेतन सम्बन्धी बातचीत में, मुझे बड़ी कठिनाई से भुगतान करना पड़ता है । क्या आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नई संस्कृति पैदा नहीं करेंगे ? जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, ऐसे आंकड़े मेरे पास हैं, जिमसे मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर मैं असली वेतन को संरक्षित रख सका हूं । 1970-71 और 1981-82 के बीच सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिव्यक्ति वेतन में 196 प्रतिशत की वृद्धि मिली है । और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ? 140 प्रतिशत की । सरकारी क्षेत्र-प्रबन्धन तथा सरकारी क्षेत्र श्रमिक सम्बन्धों में जुटे व्यक्तियों के लिए यह ससय सही है कि वे स्पष्ट और कड़ें शब्दों में यह बता दें कि कुछ न कुछ उत्पादकता होनी ही चाहिए ? उत्पादकता बढ़नी चाहिए ।

यदि हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहां पर 6000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के बाद भी और लगभग हर चार वर्ष के बाद वेतन वृद्धि की बातचीत होती रहती हो, और तो भी हमारे पास उतना ही इस्पात पैदा होता हो, जितना कि हम छः वर्ष पूर्व करते थे । फिर वे 6000 करोड़ रुपए गये कहां ?

आप मुझसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आशा करते हैं और उसी के साथ ही साथ आप यह मांग कर रहे हैं कि मुझे इतना कोयला क्षेत्र को देना चाहिये, इतना बन्दरगाह को, इतना रेलवे को, इतना इन्जीनियरिंग कामगारों को·····

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तो कुप्रबन्ध है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : वह कुप्रबन्ध नहीं है, बुरे तो औद्योगिक सम्बन्ध हैं । आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं । यहां पर हम एक विशिष्ट स्थिति में रह रहे हैं । आप सरकारी क्षेत्र में भी सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना को भिड़ा रहे हैं । जहां तक निजी एकाधिकार या निजी स्वामी का सम्बन्ध है, मैं इस सामूहिक सौदेबाजी को नहीं समझ सका । मेरे द्वारा की गई वेतन-वृद्धि की समस्त बातचीतों में भी सामूहिक सौदेबाजी में—उस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं तो श्रमिक संघ के तनिक से दवाब के समक्ष लगभग हिल-सा जाता हूं—मुझे पता चला कि ऐसी कोई मांग नहीं है जिसे मैं गुणवत्ता के आधार पर लूं । मेरी मांग है गुणवत्ता । परन्तु सबसे बड़ा तर्क यह है कि यदि कोयले को विशिष्ट मात्रा में आवंटन मिलता है तो इस्पात को क्यों नहीं मिलता है और यदि इस्पात को एक विशिष्ट मात्रा में धन मिलता है तो बन्दरगाह को क्यों नहीं ? मैं यह अपने तर्क की पुष्टि में नहीं कह रहा हूं । यह वह क्षेत्र है जहां आपको समस्या का सामना करना पड़ता है

और जब तक हम कन्धे से कन्धा मिलाकर स्थिति का मुकाबला नहीं करते हैं, हमें समस्या का सामना करना ही पड़ेगा और वह समय आ गया है जब इसे उत्पादकता के साथ जोड़ना ही चाहिए। कुछ भी हो राष्ट्र और समाज का हित सर्वोपरि है। आप यह मांग कर रहे हैं कि महँगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण सूत्र के प्रतिशत को बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने आपको एक प्रस्ताव भेजा था। परन्तु मेरे लिए यह बड़े अचम्भे की बात है कि यदि यह प्रस्ताव मेरे एक अच्छे मित्र मार्क्सवादी मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु की ओर से आता है तो आप सरलता से मान जाते हैं कि अभियान्त्रिकी और पटसन के मामले में महँगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण सूत्र 1.50 रुपये होना चाहिए। परन्तु उसी क्षण यदि वह प्रस्ताव वित्त मन्त्री, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से आता है तो उसे पूर्णतया रद्द कर दिया जाता है। यह ठीक नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल इसलिए क्योंकि आप अधिक धनवान हैं और आपके पास धन है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं अधिक धनी नहीं हूँ। केवल इसलिए ही, न केवल मैं बल्कि हम सभी कठिनाई का सामना कर रहे हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वित्त मन्त्री महोदय को स्वयं को पूछना चाहिए कि मजदूर श्री ज्योति बसु में विश्वास क्यों करते हैं और उनमें क्यों नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि आप श्रमिक संघ को चला रहे हैं। यदि मैं संघ का प्रबन्धकर्त्ता होता तो मैं भी ऐसा कर सकता था या यदि श्री फर्नान्डीज मुझे अपना समर्थन देते हैं तो मैं ऐसा कर सकूंगा। मैं इस बात का उल्लेख केवल वाद-विवाद को अपने पक्ष में करने के लिए नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं जो कुछ ईमानदारी से चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादकता में सुधार लाना चाहते हैं, विशेषकर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की, जिनमें के लगभग 39000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है, यदि आपको केवल 10% लाभ मिलने लगे तो बजट का घाटा पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया जायेगा। हम अपनी योजना तैयार कर सकते हैं और एक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आगामी कई वर्षों तक हमें बजटीय सहायता प्रदान करनी पड़ेगी और सरकारी क्षेत्र को कठिनाई का सामना करना पडेगा।···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आधे मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं तो प्रायः आपकी बात सुनता रहता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बड़ा ही वैध मुद्दा उठाया गया है। हम सभी चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र ठीक प्रकार से काम करे। मैं अपने भाषण के दौरान बता भी चुका हूं, क्योंकि हमारे अनुसार, अधिकारियों का एक वर्ग निजी क्षेत्र की सहायता ले रहा है और सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।

जहाँ तक कुप्रबन्ध की बात है, मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि उन दो संगठनों के सम्बन्ध में जिनके साथ मैं श्रमिक संघ के अध्यक्ष के रूप में सम्बद्ध हूं—राष्ट्रीय पटसन निर्माता संघ और भारतीय तेल निगम—मैंने शीर्षस्थ अधिकारियों के कुप्रबन्धन के बारे में बार-बार ब्यौरे-वार

लिखा है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर यह होता है कि कुप्रबन्धन ही नहीं, पता नहीं है जांच किसने की है।

हमने विवरण दिए लेकिन हमसे कभी भी उन्हें सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया। इस तरह से आप कुप्रबन्ध पर नियंत्रण कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया हमें विश्वास में लीजिए। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र आपके कार्यकिरण में सुधार हो। हम चाहते हैं हम इसे प्रगति के उच्चतम शिखर पर ले जाएं जैसा कि हमारा प्रण है।

अतः कृपया···(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपको सहयोग की भावना की प्रशंसा करता हूं किन्तु तथ्य यह है कि यह मात्र प्रबन्ध का इधर उधर बैठे अधिकारियों का ही प्रश्न नहीं है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार यह बात कही गई है कि उच्च स्तर पर ही कुछ गलत हो रहा है। स्तर क्या है ? बैंकिग क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस दिन से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से हमारी सरकार ने कर्मचारियों को प्रेरित कर रही है। उच्चतम नीति निर्माण स्तर पर भी, श्रमिक निदेशक हैं, अधिकारियों के—निदेशक हैं और आप सब प्रतिदिन यह गालियां दे रहे हैं कि बैंकिग सेवाएं खराब हो रही हैं। कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये जा रहे हैं। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि यूनियन के दृष्टिकोण से आप प्रेरणा देने में समर्थ रहे हैं ? मान लीजिए कि हम ऐसा करने में असफल रहे हैं, जैसा कि प्रशासक के माते हम ऐसा करने में असफल रहे है। यह आपकी यूनियन है, और यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें संघ को बहुत महत्व दिया जाता है। क्या आपने अपने सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करने में समर्थ रहे हैं कि वे ग्राहकों को अपनी सेवायें उपलब्ध करायेंगे, वे अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे ? नहीं, यह मुद्दा विवाद योग्य नहीं हैं। हमें इसका उत्तर खोजना होगा और जब तक हम इसका उत्तर नहीं खोजते, मात्र यह कहना कि इस सरकार ने या उस सरकार ने··· नहीं किया है···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं किसी वचनबद्धता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह वचन लेना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच करेंगे···(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं झुक नहीं रहा हूं। मैं सभी आरोपों की जांच करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या उच्चाधिकारी अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि जिस संस्था में वे काम करते हैं उसके प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से आपने यह नारा दिया है कि संस्था कर्मचारियों के लिए है। अन्यथा आप यह नारा कैसे दे सकते थे कि यदि आपकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो रेलें नहीं चलेंगी ? रेलवे रेल कर्मचारियों की नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए ऐसी भावना उत्पन्न करनी होगी। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है···

(**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण की ओर दिलाता हूं···(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, मैं आपका प्रश्न स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं दो और मुद्दों पर विचार करूंगा और उसके बाद···(**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी : मैं आपका ध्यान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर दिला रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उद्योगों की रुग्णता के लिये, भ्रष्टाचार, गलत आयोजना के लिए 54% जिम्मेदारी प्रबन्ध की ह···(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री मुखर्जी, आप विषय बदल रहे हैं। मैं सरकारी क्षेत्र के विशेषकर इस्पात और कोयला···के कार्य निष्पादन की बात कर रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री धर्मवीर सिन्हा (बाढ़) : मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें। वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, वह सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन का पूरा दोष श्रमिकों को दे रहे हैं। क्या यह ठीक है ? उन्हें इस पर विचार करने दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उनका दल मार्क्सवादियों को दोष दे रहा है···(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : जब मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हैं, उन्हें भी मेरा कुछ निहाज करना चाहिये। मैं हर बार हर एक के सामने नहीं झुक सकता।

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, एक नई भावना उत्पन्न करनी होगी, और वहां आप सहयोग देने से साफ इन्कार कर रहे हैं। मैं श्रमिकों की नहीं, उनके नेताओं की बात कर रहा हूं, जो कहते हैं कि—"नहीं, हम सामूहिक रूप से सौदा करेंगे। मुझे नेताओं से शिकायत है, कर्मचारियों से नहीं। उनके नेता उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रतिस्पर्द्धी सौदेबाज की जगह सामूहिक सौदेबाजी हो, प्रत्येक संघ एक दूसरे से होड़ लगा रहा है और नुकसान राष्ट्र का हो रहा है। इसका नुकसान न तो मुझे हो रहा है न आपको।

अब मैं लाभकारी मूल्यों पर आता हूं। यह सच है कि हमने लाभकारी मूल्य नहीं दिए क्योंकि हम अभी तक लाभकारी मूल्य देने में समर्थ नहीं है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है जैसा कि विशेषतौर से लोकदल के सदस्य द्वारा कहा गया है।

जहां तक गेहूं के मूल्य का सम्बन्ध है, 1979-80 से 1983-84 तक हमने इसमें 31% वृद्धि की, धान में 39%, मोटे अनाजों में 30.5% चने में 71.4%, पटसन में 19.4% कपास में 65.8%; सूरजमुखी 57.1%, मुंगफली में 45.8% और सरसों में 46.9% वृद्धि की। हमें ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि यदि हम उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं देते, वे इसका उत्पादन ही नहीं करेंगे। वे कोई अन्य फसल उगायेंगे, जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीस के शासन के दौरान हुआ। 1978 में गन्ने की भारी फसल हुई। उसके बाद हमने उन्हें अधिक मूल्य नहीं दिए और उत्पादकों ने दूसरी फसल उगानी आरंभ कर दी और हमें गन्ना नहीं मिला। अन्ततः इसके निर्यातकर्त्ता होने के बावजूद, भारत को लगातार दो वर्षों में 2 लाख टन गन्ने का आयात करना पड़ा। जब हमने

स्थिति में सुधार किया, हमारे यहां काफी उत्पादन हुआ और गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल रहे हैं।

लेकिन इसका पता अर्थ-व्यवस्था में मिल जायेगा ऐसी प्रणाली कैसे लाई जा सकती है जिसमें आपकी मांग है कि उपभोक्ताओं को कम खर्च करना पड़े और साथ ही उत्पादकों को अधिक मूल्य मिलें ? पैसा कहां से आयेगा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राजसहायता ।

श्री प्रणव मुखर्जी : तब आप मुद्रास्फिति पर कैसे नियन्त्रण करते हैं। यह बहुत बढ़िया कब से तर्क दिया गया हैं। आप मुझे राज-सहायता देने के लिए कहते हैं और साण ही आप मुझ से आशा करते हैं कि मुद्रास्फीति पर किया जाए। यह संभव नहीं है। अतः इसका उत्तर यह है कि क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए और विशेषतौर से सरकारी क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश से अच्छी वसूली हो। हमें उसकी वसूली हो। हमें उसकी वसूली होनी ही चाहिए।

अन्तिम मुद्दा रक्षा बजट के सम्बन्ध में है। मैंने स्वयं इसका जिक्र किया है। मैं इससे सहमत हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए जिसमें किसी तरह का युद्ध उन्माद पैदा हो। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा के बारे में जो कुछ कहा मैं उस बारे में कोई टिप्पणी देने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं उनका ध्यान एक मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं कि मात्र व्यक्तिगत सम्बन्धों ही राज्य की नीति को प्रभावित नहीं करते। उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी है, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि मिरवी के अंकल पाकिस्तान के विदेश मन्त्री है और उनेक कई अन्य सम्बन्धी उस क्षेत्र में नीति निर्माण योजना में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इन बातों का किसी भी राज्य की नीति या नीति निर्माताओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊं कि स्वयं प्रो० कबीर 1965 में केन्द्र सरकार में मन्त्री थे? और उनके भाई अविभाजित पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में उच्चाधिकारी थे लेकिन उससे पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किए जाने को रोका नहीं जा सका। कोई भी व्यक्ति आपकी देश-भक्ति आदि सम्बन्धी प्रश्न नहीं पूछ रहा है लेकिन क्या आप ऐसा एक भी उदाहरण दे सकते हैं जिसमें पाकिस्तान द्वारा 1947 से लेकर अब तक भारत के अलावा किसी अन्य दिशा में एक भी गोली चलाई गई हो? क्या यह सच नहीं कि देश हमें कभी नहीं क्षमा करेगा यदि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयारी नहीं करते जबकि हम देख रहे हैं कि सीमा पार क्या हो रहा है और तथा आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है ? और यदि कुछ ऐसी घटना घटती है, तो कोई भी हमें क्षमा नहीं करेगा।

आपके विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। आप अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुँचना गलत होगा कि रक्षा पर 6800 करोड़ रु० खर्च करके हम किसी प्रकार के युद्ध उन्माद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यद्यपि यह विषय मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है तथापि मैं आपको यह बता सकता हूँ कि युद्ध उन्माद पैदा नहीं करना चाहते। हम शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम कतिपय सुस्पष्ट तथ्यों के प्रति अपनी आंखें बन्द नहीं रख सकते।

महोदय, मैं समझता हूं कि जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है, मैंने उनका उत्तर देने का

प्रयत्न किया है। अब मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं जो कि काले-धन के सम्बन्ध में है। मैं श्री अग्रवाल से सहमत हूं कि मात्र प्रवर्तन-तंत्र की सशक्त बनाने अथवा छापे मारने तलाशियां लेने और माल जब्त करना ही पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन इन बातों का कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र प्रवर्त्तन तन्त्र को सशक्त करने से नहीं लेकिन साथ ही सामाजिक जागृति लाकर, पैदा करना होगा। पहले जब मैंने यह मुद्दा उठाया था, किसी ने इसका तिरस्कार किया था और कहा था कि क्या किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है।

मैं आपको पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण दे सकता हूं। यह न्यायालय में विचाराधीन है। इसीलिए मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, किंतु तथ्य यह है कि जब बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या की गई थी, तो अभियुक्त को एक भी वकील ऐसा नहीं मिला जो उसके मामले की वकालत करता अंततः इस तरह की गतिविधियों की अत्याधिक सामाजिक अवज्ञा और सामाजिक विश्नुमोदन होता था। लेकिन क्या हम तस्करों, या विदेशी मुद्रा का घोटाला करनें वालों या काला बाजारियों के संबंध में ऐसा कह सकते हैं? क्या हमने ऐसा नहीं देखा कि हर तरह से कानूनी में कमियां निकालने तथा उन्हें क्षमा दिलाने के लिए देश के बड़े-बड़े वकीलों की सेवाओं उन्हें उपलब्ध हैं? और क्या हुआ है? 1976 में हमने इस संसद में एक अधिनियम पारित किया था। हमने सोचा था कि तस्करी तथा समाज विरोधी गतिविधियों, आर्थिक अपराधों की समस्या के निवारण के लिए दो उपाय व्याप्ति होंगे। एक उपाय था—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। दूसरा उपाय था संपत्ति समपहरण अधिनियम। तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक हजार नोटिस जारी किए गए, लेकिन एक भी मामला निपटाया नहीं गया। ये सभी मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पड़े हैं।

पिछले 2½ वर्षों से हम ये मामले उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जो मामले एक जैसे हैं उनका जल्दी निपटान किया जाये। भूतपूर्व महान्यायवादी तथा वर्त्तमान महान्यायवादी ने ऐसा करने का प्रयत्न किया किंतु हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इन बातों पर जनमत होना चाहिए तथा जन जाग्रति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। यह समस्या है। हमने कुछ उपाय किए हैं और आप जानते हैं कि इन उपायों का कितना विरोध हुआ है। जिस क्षण मैंने यह निर्णय लिया कि अनिवार्य लेखा-परीक्षा होनी चाहिए, मुझे पर हर तरह से दबाव डाला जा रहा है।

अब मैं एक मुद्दे का जिक्र करुंगा। महोदय, जब मैंने यह निर्णय लिया कि कल्याण निधि नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनिया कल्याण निधि के नाम पर कर अपनयम कर रही हैं तथा एक समाचार पत्र के संपादकीय में यह बताया गया है कि मैंने बिना तथ्यों और आँकड़ों को देखे यह निर्णय लिया है। महोदय, मेरे पास तथ्य तथा आंकड़े दोनों उपलब्ध है।

मैं आपको केवल तीन उदाहरण दे रहा हूं। स्पष्ट कारणों से मैं कम्पनियों के नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, परन्तु ये वजट प्रस्ताव लाने से पहले हमने तीन मामलों का अध्ययन किया है। एक कम्पनी ऐसी थी जो बहुत मशहूर थी और जिसका रिकार्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने 22 न्यास बनाये और कर्मचारियों के लिए तथा कल्पित कल्याण निधि में 66,22,000 रुपये जमा कराये। और

मालूम है उन्होंने क्या किया? इस 66 लाख रुपये की राशि में से 54,43,954 रुपये उन्होंने उसी अंशदायी कम्पनी के शेयरों में लगाये यानि कल्याण निधि में और वे इस कल्याण निधि के लिए कटौती मांग रहे हैं।

एक अन्य कम्पनी ने 8 न्यास बनाये और इस कम्पनी ने लगभग 40 लाख रुपये कल्याण निधि में दिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस कम्पनी का प्रतिनिधि दूसरे सदन में है।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालिये। 40 लाख रुपये में से उन्होंने 35 लाख रुपये से भी अधिक उसी अंशदायी कम्पनी के शेयरों में लगा दिया। इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यदि कल्याण निधि के लिए वास्तव में कुछ धन खर्च किया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। (**व्यवधान**) कुछ लोगों के पास 1800 तक न्यास हैं और इसीलिए इतने अधिक निजी न्यास हैं। हमने इन निजी न्यासों के साथ सख्ती बरती है। आपको पता चल गया है कि ये लोग कितने निष्कपट हैं।

मैंने 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया और जब मैंने कुछ लोगों के साथ बातचीत की तो मेरे एक अधिकारी ने किसी को यह फुसफुसाते हुए सुना कि हम उपबन्ध की उपेक्षा करेंगे क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वे हैं कल्याण निधि और न्यास। इसलिए, हम कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कम्पनियां बना लेंगे।' इसीलिए, इस पर काबू पाने के लिए वित्त विधेयक में मुझे नये संशोधन करने पड़े ताकि वे लोग ऐसी स्थिति का कायदा न उठा सकें। (**व्यवधान**) अतः हम इस किस्म की समस्या को हल कर रहे हैं। हम सभी का सहयोग चाहते हैं और मुझे पूरी आशा है कि यह कर जाना सम्भव होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी ने पुराने बालीगंज मार्ग पर मन्दिर बना दिया है। आपको मालूम ही है।

श्री प्रणव मुखर्जी : उस पुराने मन्दिर का क्या करना है? न तो आप वहां जायेंगे और न ही मैं जाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं-नहीं। मालूम नहीं वे कितने करोड़ अपने खर्च कर रहे हैं। वे किस शीर्ष के अन्तर्गत कटौती लेंगे। (**व्यवधान**)। इसे रोकिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : बहरहाल, कार्यान्व्यय तन्त्र को सुदृढ़ करके, अधिकाधिक लोगों को निवारक बन्दी, 'कफिपोसा' के अधीन लाकर इस किस्म की चोरी से निपटने के लिए वित्त विधेयक में मैंने जो विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं, मुझे आशा है कि उनके द्वारा कुछ हद तक इस समस्या को हल करना सम्भव होगा।

महोदय इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि मन्त्री जी इस बात को मानेंगे या नहीं। मन्त्री महोदय, क्या आप इनकी बात मानेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी नहीं मान रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार पर विचार करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, छः तो बजने ही वाले हैं। इस पर अब विचार करना सम्भव नहीं है। सवेरे से ही हम सभी यहां बैठे हैं। खण्ड-वार विचार आज पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिए, खण्ड-वार विचार हम कल शुरू करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि यह आज समाप्त हो जाता है तो मैं कल दोपहर बाद जा सकता हूं। अब इसे आप एक घन्टे में पूरा कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : हम तीन घन्टे और कैसे बैठ सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सतीश जी, परसों हमने कुछ विचार-विमर्श किया था। कल इन्हें कुछ काम से जाना है।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, इसमें तीन घन्टे लगेंगे। मन्त्री जी के स्वयं के बहुत से संशोधन हैं और हमारे भी हैं। इसका तृतीय पाठ भी होता है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : आप पहले मान गये थे। लेकिन पता नहीं अब क्यों आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने हाँ कब कहा ? आप अपनी बात मुझ पर क्यों थोप रहे हैं। मैंने केवल शनिवार बैठने के लिए हां की थी। हमने सहयोग किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैंने सतीशजी को 45 मिनट का समय दिया था। श्री सतीश, आप इससे भी कही अधिक समय ले चुके हैं। इसलिए, आप और ज्यादा समय न लें।

श्री सतीश अग्रवाल : इसमें तीन घन्टे लगेंगे । अब हम तीन घन्टे नहीं बैठ सकते । हमने इन संशोधनों में तीन घन्टे लगाने का फैसला किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने ज्यादा समय दे दिया है । कभी-कभी तो आपको सहयोग देना ही चाहिए । आपको सहयोग देना होगा, क्योंकि शनिवार को हम सिर्फ इसी पर विचार करने के लिए बैठे थे और इसलिए आपको अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री सतीश अग्रगाल जी, आप सरकार के बहुत अच्छे मित्र हैं। आप इनकी सहायता क्यों नहीं करते ?

अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा ।

श्री बूटासिंह : महोदय, विधेयक पर खंड-वार विचार करवाने से पूर्व मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का इकसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

कार्य मंत्रणा समिति

6.00 म. प.

इकसठवां प्रविवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का इकसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

वित्त विधेयक—जारी

खण्ड—2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

उपायक्ष महोदय : सर्व श्री योगेन्द्र झा और भीकूराम जैन उपस्थिति नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 तथा 5

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 तथा 5 में कोई संशोधन नहीं है !

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 तथा 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये।

खन्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डाग (पाली) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते। सर्व श्री जी० एम० बनातवाला और भीकू राम जैन उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीकू राम जैन उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 9

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीकूराम जैन उपस्थित नहीं हैं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

(क) उपधारा (5) में 1 अप्रैल, 1985 से,—

(1) खंड (क) के पहले परन्तुक में "बहत्तर हजार रुपए"

शब्दों के स्थान पर "एक लाख दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे,

(2) खंड (ग) के उपखंड (i) में,—(115)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13, "निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी" **के स्थान पर** "निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थोपित की जाएगी" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (116)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 7, पंक्ति 15 और 16 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :—

"(9) निर्धारिती द्वारा नियोजिती के रूप में किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि, न्यास कम्पनी, व्यक्ति संगम व्यष्टि निकाय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या अन्य संस्था की स्थापना के लिए या उसके बनाने के लिए या उसमें अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की" (117)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :—

"(10) उपधारा (9) में किसी के होते हुए भी, जहां आयकर अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि उस उपधारा में निर्दिष्ट निधि न्यास कम्पनी, व्यक्ति संगम व्यष्टि निकाय, सोसायटी या अन्य संस्था ने 1 मार्च, 1984 के पहले सद्भावपूर्वक उस उपधारा में निर्दिष्ट राशि से कोई व्यय पूर्णतः और अनन्यतः उस उपधारा (9) में निर्दिष्ट निर्धारिती के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपगत किया या किया है (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का व्यय नहीं है) तो ऐसे व्यय की रकम की उस दशा में जिसमें कि निर्धारिती को ऐसी राशि के बारे में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है तथा इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पूर्ववर्ष में निर्धारिती की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में कटौती की जाएगी जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया या किया गया है मानो ऐसा व्यय निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय हो ।

(11) जहां निर्धारिती ने 1 मार्च, 1984 के पहले उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था को कोई राशि संदत्त की है, वहां किसी अन्य विधि या लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह—

(i) यह दावा करने का हकदार होगा कि उसे उतनी रकम का जो ऐसी निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था द्वारा उपगत या व्यय नहीं की गई है (इस रकम को इसमें इसके पश्चात् अनुपयोजित रकम कहा गया है), प्रतिसंदाय किया जाए, और जहां इस प्रकार दावा किया जाता है वह अनुपयोजित रकम का यथाशक्यशीघ्र उसे प्रतिसंदाय किया जाएगा ;

(ii) यह दावा करने का हकदार होगा कि ऐसी आस्ति, जो भूमि भवन, मशीनरी या संयंत्र या फर्नीचर है, और जो निर्धारिती द्वारा संदत्त राशि से निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था के द्वारा अर्जित या सन्निर्मित हैं, उसे अन्तरित कर दी जाए और जहां ऐसा दावा किया आता है, वहां ऐसी आस्ति यथाशाक्यशीघ्र उसे अन्तरित कर दी जाएगी।" (118)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 41 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये :—**

'(क) उपधारा (5) में 1 अप्रैल, 1985 से,—

(1) खंड (क) के पहले परन्तुक में "बहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे,

(2) खंड (ग) के उपखंड (i) में,—' (115)

(संशोधन संख्या 115 स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 "निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी" **के स्थान पर** "निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थोपित की जाएगी" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (116)

(संशोधन संख्या 116 स्वीकृत हुआ)

गाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

ठ 7, पंक्ति 15 और 16 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"(9) निर्धारिती द्वारा नियोजिती के रूप में किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि, न्यास कम्पनी, व्यक्ति संगम व्यष्टि निकाय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या अन्य संस्था की स्थापना के लिए या उसके बनाने के लिए या उसमें अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की" (117)

(संशोधन संख्या 117 स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

(10) उपधारा (9) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ आयकर अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि उस उपधारा में निर्दिष्ट निधि न्यास कम्पनी, व्यक्ति संगम व्यष्टि निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था ने 1 मार्च, 1984 के पहले सद्भावपूर्वक उस उपधारा में निर्दिष्ट राशि से कोई व्यय पूर्णतः और अनन्यतः उस उपधारा (9) में निर्दिष्ट निर्धारिती के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपगत किया गया है (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का व्यय नहीं है) तो ऐसे व्यय की रकम की उस दशा में जिसमें कि निर्धारिती को ऐसी राशि के बारे में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है तथा इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पूर्ववर्ष में निर्धारिती की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में कटौती की जाएगी जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया या किया गया है मानो ऐसा व्यय निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय हो ।"

(11) जहां निर्धारिती ने 1 मार्च, 1984 के पहले उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसायटी या अन्य संस्था को कोई राशि संदत्त की है, वहां किसी अन्य विधि या लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह—

(i) यह दावा करने का हकदार होगा कि उसे उतनी रकम का जो ऐसी निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था द्वारा उपगत या व्यय नहीं की गई है (इस रकम को इसमें इसके पश्चात् अनुपयोजित रकम कहा गया है), प्रतिसंदाय किया जाए, और जहां इस प्रकार दावा किया जाता है वहां अनुपयोजित रकम का यथाशक्यशीघ्र उसे प्रतिसंदाय किया जाएगा ;

(ii) यह दावा करने का हकदार होगा कि ऐसी आस्ति, जो भूमि भवन, मशीनरी या संयंत्र या फर्नीचर है, और जो निर्धारिती द्वारा संदत्त राशि से निधि,न्यास कम्पनी, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय, सोसायटी या अन्य संस्था के द्वारा अर्जित या सन्निर्मित है, उसे अन्तरित कर दी जाए और जहां ऐसा दावा किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति यथाशाक्यशीघ्र उसे अन्तरित कर दी जाएगी।" (118)

(संशोधन संख्या 118 स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 11

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा उपस्थित नहीं हैं । श्री मूलचन्द डागा जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 26,—

"बीस लाख" **के स्थान पर** "पचास लाख" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (10)

पृष्ठ 7, पंक्ति 31,—

"लेखापाल" **के पश्चात्** "अथवा आय कर वकील के" **अंत:स्थापित किया जाये**। (11)

पृष्ठ 7, पंक्ति 33,—

"लेखापाल" शब्द **के पश्चात्** अथवा "आयकर वकील" **अंत:स्थापित किया जाये** ।(12)

पृष्ठ 8, पंक्ति 3,—

अंत, में निम्नलिखित जोड़ा जाय,—

'और "आयकर वकील" का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) में परिभाषित किया गया है।' (13)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा उपस्थित नहीं हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 7, पंक्ति 28, 'बीस लाख रुपए' **के स्थान पर** चालीस लाख रुपये" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (119)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना जी, क्या आप अपने संशोधनों को पेश कर रहे हैं ? आप संशोधन संख्या 131 पेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि संशोधन संख्या 132 भी वही है ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 30,—

"दस लाख" के स्थान पर "पन्द्रह लाख" प्रतिस्थापित किया जाये। (132)

पृष्ठ 8, पंक्ति 3,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये

"और इसके अन्तर्गत ऐसा आयकर वकील भी आयेगा, जो मार्च, 1985 से 2 वर्षों के भीतर शासपत्रित लेखापाल संघ द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अर्हित होता हो।" (133)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भीकू राम जैन उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा रखे किए गए संशोधन संख्या 119 को सभा मेंमतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7, पंक्ति 28,—"बीस लाख रुपये" के स्थान पर "चालीस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये। (119)

संशोधन संख्या 119 स्वीकृत हुआ

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि वित्त मंत्री ने मेरे संशोधन को आँशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। बीस लाख रुपये के स्थान पर उन्होंने चालीस लाख रुपये कर दिया है। यह उनके कद के समान छोटी है। यह आम आदमी का औसत कद है।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री कई सदस्यों द्वारा बीस लाख रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये करने संबंधी संशोधन से किसी हद तक सहमत हो गए हैं।

मैं अब अन्य दो संशोधनों 132 और 133 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक पेशेवर लोगों के बारे में है। पेशेवर लोगों को भिन्न-भिन्न पेशों पर भिन्न-भिन्न आय दर प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वे 1 प्रतिशत या 60 प्रतिशत प्राप्त करने में सक्षम हैं। अतः इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। पेशेवर लोगों को कुछ और अधिक छूट दी जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन प्रैक्टिस न करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंटों के संबंध में है। मैं भी पिछले तीन दशकों से लेखा अध्यापक हूं।

मैं मानता हूं कि आयकर लेखा-परीक्षकों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों में काफी अन्तर है। वाणिज्य स्नातक या विधि स्नातक तथा चार्टर्ड एकाउँटेंट की योग्यताओं में कोई तुलना की जा सकती है। चार्टर्ड एकाउंटेन्ट को सभी प्रकार के वाणिज्यिक कानूनों, लागत लेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है और

इसके अतिरिक्त उसे लेखा विधि तथा लेखा परीक्षा का भी गहन ज्ञान होना चाहिए। लेकिन, वाणिज्य स्नातक के मामले में, एक अध्यापक के नाते मैं जानता हूं कि लेखा विधि का ज्ञान बहुत निम्न स्तर का होता है और वाणिज्य स्नातक की चार्टर्ड एकाउंटैन्ट से तुलना बिलकुल नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ-साथ सभी लेखाओं की परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेन्टों द्वारा नहीं की जा सकती। इसलिए, एक बुद्धिमतापूर्ण कदम उठाया गया है ताकि सीमा बढ़ाई जा सके। इस प्रकार बहुत से कर लेखा-परीक्षक यह कार्य कर सकते हैं।

लेकिन, परेशानी यह है कि मैं पूरी तरह यह रियायत नहीं देना चाहता। इसलिए, मेरा कहना यह है कि सी० ए० से तुरन्त चार्टर्ड एकाउंटेंट का पाठ्यक्रम पास करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरा सुझाव है कि यदि किसी व्यक्ति ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एसोसिएशन द्वारा ली गई अर्हकारी परीक्षा पास कर ली हो तो उसे लेखा-परीक्षा लेखों में योग्यता प्राप्त माना जाए। तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में सक्षम है। यदि यह कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है जिनमें कुछ योग्यता हो। जो व्यक्ति सक्षम नहीं हैं तथा जो अपना कार्य यन्त्रवत करता है, उसकी छंटाई की जा सकती है। इस जोखिम के साथ मैंने एक संशोधन रखा है। इसमें ऐसे आयकर व्यवसायी भी शामिल होंगे जो चार्टर्ड एकाउंटैंट्स एसोसिएशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षा मार्च, 1985 से दो वर्ष के भीतर पास कर लेंगे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को चार वर्ष का संघर्षपूर्ण अध्ययन करना पड़ता है तथा परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त उसे प्रशिक्ष पाठ्यक्रम के लिए भी जाना पड़ता है। यदि बहुत कठिन पाठ्यक्रम है। मैं यह नहीं कहता कि चार्टर्ड एकाउंटेन्ट के सम्बन्ध में सभी कुछ ठीक-ठाक है। इसमें भी त्रुटियां हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां चार्टर्ड एकाउंटेन्स अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं लेखा परीक्षकों को चार्टर्ड एकाउंटैन्टों के समकक्ष रखने में सहमत नहीं हूं। इसलिए, इन लोगों के लिए एक अर्हकारी परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके।

श्री प्रणब मुखर्जी : क्या चार्टर्ड एकाउंटेन्टस एसोसिएशन इन लोगों के लिए अर्हकारी परीक्षा हेतु कोई अल्प-अवधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए राजी होगी, इन सभी मामलों के ब्यौरों की आवश्यकता है। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 11 में श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 10, 11, 12 तथा 13 तथा श्री टी०आर० शमन्ना द्वारा रखे गए संशोधन सं० 132 तथा 133 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 132 और 133 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृति हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 12

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 12—

"1984" के स्थान पर "1985" प्रतिस्थापित किया जाए । (14)

श्री प्रणब मुकर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 12, "1 मार्च, 1984' **के स्थान पर "1 अप्रैल, 1987" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (120)

आपने एक साल मांगा था, मैंने आपको तीन साल दे दिए हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है, मैंने एक वर्ष बढ़ाना चाहा था । उन्होंने तीन वर्ष दे दिए हैं । वह और भी अधिक उदार हैं । इसलिए, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सतीश अग्रवाल को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 14 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 12, "1 मार्च, 1984" **के स्थान पर "1 अप्रैल, 1987" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (120)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 14—

"1985" **के स्थान पर** "1986" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (15)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा खण्ड 13 में रखे गए संशोधन संख्या 15 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 14

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 16—

"1984" **के स्थान पर** "1985" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (16)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 16 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं खण्ड 15 पर संशोधन संख्या 121 प्रस्तुत करता हूं।

पृष्ठ 8, पंक्ति 26- "किया जाएगा" **के स्थान पर** "किए जाएंगे" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (121)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 15 पर सरकारी संशोधन संख्या 121 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 26, "किया जाएगा" के स्थान पर "किए जाएंगे" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (121)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं खण्ड 15 पर संशोधन सं० 122 पेश करता हूं।

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 **के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए** :—

"परन्तु यह और कि जहां खण्ड (iiक) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप पर ब्याज के रूप में आय इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कटौती के पश्चात् अननुज्ञात रहती है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय के उतने भाग के बराबर रकम की अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो अनुज्ञात रहती है ; किन्तु इस प्रकार कि ऐसी अतिरिक्त कटौती की रकम दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।" (122)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 15 सम्बन्धी सरकारी संशोधन सं० 122 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 **के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए** :—

"परन्तु यह और कि जहां खण्ड (iiक) में निर्दिष्ट किसी निक्षेप पर ब्याज के रूप में आय इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कटौती के पश्चात् अननुज्ञात रहती है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय के उतने भाग के बराबर रकम की अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो अनुज्ञात रहती है ; किन्तु इस प्रकार कि ऐसी अतिरिक्त कटौती की रकम दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।" (122)

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 30—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 17 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8; पंक्ति 35—

"पचास" के स्थान पर "पचहत्तर" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

पृष्ठ 8, पंक्ति 37—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए। (19)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा खंड 17 में रखे गए संशोधन संख्या 18 तथा 19 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 18 और 19 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड 18

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 2—

"पचास" **के स्थान पर** "पचहत्तर" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (20)

पृष्ठ 9, पंक्ति 3—

"1985" **के स्थान पर** "1986" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (21)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा खंड 18 में रखे गए संशोधन संख्या 20 और 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 20 और 21 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 8—

"1985" **के स्थान पर** "1986" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (22)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा खंड 19 में रखे गए संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9—

पंक्ति 36 से 40 का **लोप किया जाए।** (134)

पृष्ठ 10—

पंक्ति 1 से 11 का **लोप किया जाए।** (135)

पिछले वर्ष, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को 10,000 रु० तक की सीमा तक छूट दी गई थी। इस वर्ष, इस छूट को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि अन्धाधुन्ध छूट दी जानी चाहिए। मैंने जो कुछ भी कहा है वह यह है कि बोर्ड की शीघ्र नियुक्त करनी है, इस बोर्ड को सभी मामलों का परीक्षण करना चाहिए और इन मामलों पर शीघ्र निर्णय लिए जाएं। इस अनुरोध के साथ मैं संशोधनों को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा रखे गए संशोधनों को वापिस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 134 और 135, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 23, पंक्ति 21,

"एक हजार रुपए" के स्थान पर "दो हजार रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएं। (23)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 23 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 29,—

"एक हजार रुपए" के स्थान पर "दो हजार रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएं (24)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा ही एक सरकारी संशोधन है और आपका संशोधन सरकारी··· संशोधन जैसा ही है····

श्री सतीश अग्रवाल : अब सवाल यह है कि या वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें अथवा मैं उनका संशोधन स्वीकार करूं । मैं उनका संशोधन स्वीकार करता हूं और अपना संशोधन वापिस लेता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा अलग संशोधन प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आपका संशोधन सरकारी संशोधन जैसा ही है । मैं नहीं जानता कि आपके और सरकार के मध्य क्या समझौता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : समझौता बहुत ही उपयुक्त है ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 10, पंक्ति 37

"पचास हजार रुपए" **के स्थान पर** "एक लाख रुपए" **प्रतिस्थापित किए जाएं ।** (123)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 26

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सरकारी संशोधन है...

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा संशोधन संख्या 26 सरकारी संशोधन जैसा ही है । अत: मैं यह संशोधन प्रस्तुत नहीं करता...

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि...

श्री सतीश अग्रवाल : उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदन द्वारा उनका संशोधन स्वीकृत हो गया तो आपका संशोधन सदन द्वारा अपने आप स्वीकृत हो गया ।

श्री सतीश अग्रवाल : जब तक आप अथवा मैं नहीं कहेंगे यह कार्यवाही वृतांत में कैसे आएगा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : कार्यवाही वृतांत भविष्य के लिए होता है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 39, :—

"पचास हजार रुपए" **के स्थान पर** "एक लाख रुपए" **प्रतिस्थापित किए जाएं।** (124)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 26 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मेरा संशोधन संख्या 27 सरकारी संशोधन जैसा ही है...।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल का संशोधन सरकार के संशोधन संख्या 125 जैसा ही है। अब आप सन्तुष्ट हैं ? मंत्री महोदय अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं :—

पृष्ठ 10, पंक्ति 40, :—

"25 हजार रुपए **के स्थान पर** "50 हजार रुपए" **प्रतिस्थापित किए जाएं।** (125)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10, पंक्ति 40—

"25 हजार रुपए" **के स्थान पर** "50 हजार रुपए" **प्रतिस्थापित किए जाएं।** (125)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 27, "संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा (**मधुबनी**) उपस्थित नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा (**पाली**) संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 11, पंक्ति 11,—

"दस हजार रुपए या उससे अधिक" **के साथ पर** "बीस हजार रुपए या उससे अधिक" **प्रतिस्थापित किया जाए** (28)

पृष्ठ 11, पंक्ति 20,—

"राजपत्र के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"जिसकी एक प्रति यथाशीघ्र सभा पटल पर रखी जाएगी।" (29)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव संख्या 28 और 29 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 28 और 29 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11, पंक्ति 36;

"एक लाख रुपए" **के स्थान पर** "पचास हजार रुपए" **प्रतिस्थापित किए जाएं।** (30)

पृष्ठ 11, पंक्ति 37,—

के अन्त से निम्नलिखिति जोड़ा जाए :—

"परन्तु आयकर अधिकारी, पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर, धारा 44 क ख के अन्तर्गत यथा अपेक्षित लेखाओं की लेखा-परीक्षा करवाने के लिए अवधि को 6 महीनों से अनधिक के लिए बढ़ायेगा ।" (31)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखे गए संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 30 और 31 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 30 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 31 और 32 विधेयक में जोड दिए गए

खंड 33

संशोधन किया गया

पृष्ठ 12, पंक्ति 23-25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :— 33

"33. आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन (जो पारिणामिक प्रकृति के संशोधन हैं), 1 अप्रैल, 1985 से किए जाएंगे, आयकर अधिनियम में परिणामिक संशोधन ।

अर्थात :—

(क) धारा 246 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा,

अर्थात :—

"(छछ) धारा 271 ख के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश ;.

(ख) नवम अनुसूची में "[धारा 32 (1) (VI) और धारा 80ड (1) (क) (i) देखिए]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर [धारा 32 (1) (VI) देखिए]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे । (126)

श्री प्रणब मुखर्जी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खन्ड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 34

संशोधन किये गये

पृष्ठ 13 पंक्ति 1—

"किया जायेगा" के स्थान पर किए जाएंगे" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (127)

पृष्ठ 13 पंक्ति 8 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये :—

"परन्तु यह भी जहां खंड (XXVक) में निर्दिष्ट निक्षेपों के रूप में किन्हीं आस्तियों का मूल्य इस उपधारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन निर्धारिती के शुद्ध धन से अपवर्जित नहीं किया गया है, वहां ऐसी आस्तियों के मूल्य का उतना भाग जो इस प्रकार अवर्जित नहीं किया गया है निर्धारिती के शुद्ध धन से अपवर्जित किया जाएगा ; किन्तु इस प्रकार की इस परन्तुक के अधीन इस प्रकार अपवर्जित आस्ति का मूल्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ।" (128)

पृष्ठ 13 पंक्ति 29 और 30 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** ।—

"सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा न्यास के रूप में धारित है उसी रूप में और उसी विस्तार तक मानो सम्पत्ति ऐसे व्यष्टि द्वारा धारित है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक है और भारत में निवासी है किन्तु धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी आस्ति के मूल्य का अपवर्जन किए बिना, अधिकतम मार्जिन दर से उद्ग्रहणीय होगा ।" (129)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 13 पंक्ति 31, **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** :—

"(2) दूसरे परन्तुक" के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा

अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि—

(क) आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट किसी संगम की दशा में—

(i) खंड (i) और खंड (ii) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ; और

(ii) इस धारा के अन्य उपबन्ध इन उपान्तरणों के साथ लागू होंगे कि—

(1) "आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में "शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर" आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) के परन्तुक के उपबन्धों के उल्लंघन में" शब्द, कोष्ठक, और अंक रखे जाएंगे, और

(2) "अधिकतम मार्जिन दर से" शब्दों के स्थान पर "व्यष्टि की दशा में अनुसूची 1 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दर से" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (22) या खंड (22क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) में निर्दिष्ट संस्था, निधि या न्यास की दशा में, खंड (i) से खंड (iii) तक के खंडों के उपखंड लागू नहीं होंगे ।"

(3) खंड (क) के पश्चात् दिए गए स्पष्टीकरण में निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित" (130)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 35 से 39 विधेयक में जोड दिए गए ।

खंड 40

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 15—

"यात्री सामान के रूप में आयातीत" के स्थान पर "यात्री सामान के रूप में आयातित या निर्यात किये गये" पुरःस्थापित किया जाये । (97)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खन्ड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खन्ड 41, से 55 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

प्रथम अनुसूची

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 20,— पहली

पंक्ति 10 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ।

प्रतिस्थपित किया जाये :—

आय कर की दरें

(1) जहां कुल आय 25,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2) जहां कुल आय 25,000 रु० से अधिक है किन्तु 30,000 रु० से अधिक नहीं है ।	2,5000 रु० उस रकम का 25 प्रतिशत, जिससे कुल आय 25,000 रु० से अधिक है ।
(3) जहां कुल आय 30,000 रु० से अधिक है किन्तु 50,000 रु० से अधिक नहीं है।	4,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 30,000 रु० से अधिक है ।
(4) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक है किन्तु 60,000 रु० से अधिक नहीं है ।	10,000 रु० धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु० से अधिक है ।

(136)

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 15,000 रुपये दिये जाते थे तब रुपये की कीमत 22 पैसे थी । अब 17 पैसे है । तद्नुसार, छूट सीमा को कम किया जाए । चूंकि इसके स्वीकृत होने की संभावना नहीं है इसलिए मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री टी० आर० शमन्ना को उनके द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन संख्या 136 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

पांचवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दी गई

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.35 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 अप्रैल, 1984 / 4 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32